Seventeenth Series, Vol. XVIII No. 21

Wednesday, March 30, 2022
Chaitra 09, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eighth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XVIII contains Nos.21 to 27)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora
Joint Secretary

Mahavir Singh
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Arora
Joint Director

Sunita Thapliyal
Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XVIII, Eighth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 21, Wednesday, March 30, 2022/Chaitra 09, 1944 (Saka)

SUBJECT	PAGES
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 381 to 387	10-40
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 388 to 400	45-126
Unstarred Question Nos. 4371 to 4600	127-646

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 648-657

MESSAGES FROM RAJYA SABHA 658

COMMITTEE ON PRIVILEGES

4th Report 659

STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

36th Report 659

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 352nd Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in 342nd Report of the committee on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology

Dr. Jitendra Singh 660

(ii) Status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Functioning of National Institute of Fashion Technology (NIFT)' pertaining to the Ministry of Textiles

Shrimati Darshna Vikaram Jardosh 661

MOTION RE: 32nd REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 662

MATTERS UNDER RULE 377 703-732

(i) Regarding establishment of a Medical College in Aurangabad, Bihar
Shri Sushil Kumar Singh 704

(ii) Regarding expansion of the ESIC Hospital located in Bibvewadi, Pune, Maharashtra
Shri Girish Bhalchandra Bapat 705

(iii) Regarding sustainable development of cities
Shri Rattan Lal Kataria 706

(iv) Regarding opening of liquor vends in Delhi
Shri Manoj Tiwari 707

(v) Need to regularise Singrauli-Bhopal Express train and increase frequency of Singrauli-Nizamuddin Express train
Shrimati Riti Pathak 708

(vi) Regarding railway related works in Amreli district, Gujarat
Shri Naranbhai Kachhadiya 709-710

(vii) Need to declare Margashirsha Shukla Diwas as 'International Gita Diwas'
Shrimati Keshari Devi Patel 711

(viii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Niwai Town in Tonk-Sawai Madhopur Parliamentary Constituency, Rajasthan
Shri Sukhbir Singh Jaunapuria 712

(ix) Need to establish an AIIMS in Mahoba, Uttar Pradesh

Kunwar Pushpendra Singh Chandel 713-714

(x) Regarding Rail connectivity of Morbi railway station

Shri Mohanbhai Kundariya 715

(xi) Regarding setting up of a Packaging House in Gorakhpur, Uttar Pradesh to promote export of vegetables and fruits from the region

Shri Ravi Kishan 716

(xii) Regarding establishment of a National University for Christian community

Adv. Dean Kuriakose 717

(xiii) Regarding issue of appointment letters to left out CAPF exam candidates

Shri Jasbir Singh Gill 718

(xiv) Regarding making public hearings mandatory for grant of environmental clearance

Dr. Shashi Tharoor 719

(xv) Regarding special scheme for distribution of lands to SCs and STs

Dr. D. Ravikumar 720

(xvi) Regarding resumption of services of train No. 56846, Erode-Jollarpettai Passenger train

Shri S.R. Parthiban 721

(xvii) Regarding reduction in interest rate charged by Banks on tractors

Dr.Talari Rangaiah 722

(xviii) Regarding increase in flights to Tirupati under RCS-UDAN scheme

Shri Maddila Gurumoorthy 723

(xix) Regarding creation of an All-India Legislative Service

Prof. Sougata Ray 724

(xx) Regarding construction of Railway overbridge at Baharu near Dakshin Barasat Railway Station

Shrimati Pratima Mondal 725

(xxi) Regarding revival plan for Mumbai Port

Shri Arvind Sawant 726

(xxii) Regarding protocol pertaining to unfurling and hoisting of National flag

Dr. Alok Kumar Suman 727-728

(xxiii) Regarding payment of wages to Scheduled caste workers under MGNREGS in Kerala

Adv. A. M. Ariff 729

(xxiv) Need to take steps to check arsenic pollution

Shri Jagdambika Pal 730

(xxv) Need to declare the road connecting Siwan to NH-102 in Bihar as National Highway

Shri Janardan Singh Sigriwal 731

(xxvi) Regarding attacks on Tamil fisherman by Sri Lankan Navy

Shri P. Ravindhranath 732

CHARTERED ACCOUNTANTS, THE COST AND WORKS ACCOUNTANTS AND THE COMPANY SECRETARIES (AMENDMENT) BILL, 2021	733-768
Shrimati Nirmala Sitharaman	733-752, 756-761
Motion to Consider	762
Clauses 2 to 29 and 1	762-767
Motion to Pass	768
DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2022	769-912
Shri Amit Shah	769-772, 888-903
Motion to Consider	769
Shri Manish Tewari	773-778
Shri Ramesh Bidhuri	779-791
Dr. Kalanidhi Veeraswamy	792-799
Sushri Mahua Moitra	800-807
Shri Dileshwar Kamait	808-809
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	810-813
Shri Arvind Sawant	814-817
Kumari Chandrani Murmu	818-821
Kunwar Danish Ali	822-828
Shri Gaurav Gogoi	829-834
Shri Parvesh Sahib Singh Verma	835-848
Shrimati Supriya Sadanand Sule	850-858

Dr. M. P. Abdussamad Samadani	859-861
Adv. A. M. Ariff	862-864
Dr. D. Ravikumar	865-866
Prof. Sougata Ray	867-869
Shri Manoj Tiwari	870-876
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	877-881
Shri Ravneet Singh	882-883
Dr. Nishikant Dubey	884-887
Clauses 2 to 14 and 1	904-912
Motion to Pass	912

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	820
Member-wise Index to Unstarred Questions	821-827

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	828
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	829

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, March 30, 2022/Chaitra 09,1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-381, श्री उपेन्द्र सिंह रावत - उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कनकमल कटारा जी।

… (व्यवधान)

(Q. 381)

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजस्थान के एक आदिवासी क्षेत्र हैं। वहां ग्राम पंचायत हिरातन और आस-पास के पूरे गांव में बीएसएनल व अन्य नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं करते हैं। उससे स्थानीय निवासियों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरकों और छात्र-छात्राओं को बहुत परेशानी होती है। … (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में नेटवर्क को मजबूत करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए। माननीय सदस्य, यह प्रश्न काल है और मेरा माननीय सदस्यगण से आग्रह है कि प्रश्न काल को प्रश्न काल की तरह चलने दीजिए। यदि सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना है, तो शॉर्ट में पूछिए।

… (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सप्लीमेंटरी प्रश्न ही पूछा है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

माननीय मंत्री जी ।

… (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से 4 जी कनेक्टिविटी, टॉवर की कनेक्टिविटी और मोबाइल की कनेक्टिविटी बढ़े, उसके लिए अब तक कुल 9 स्कीम्स बनायी जा चुकी हैं। सबसे पहले जो एल.डब्ल्यू.ई. क्षेत्र के लिए स्कीम बनी, उसमें 2343 टॉवर्स लगाए गए। दूसरी एल.डब्ल्यू.ई. क्षेत्र के लिए स्कीम में 2542 टॉवर्स अप्रूव्ड किए गए हैं। अभी उन पर काम चल रहा है। नार्थ-ईस्ट के लिए स्पेशियली 1358 टॉवर्स लगाए गए हैं तथा नार्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और असम के लिए 1511 टॉवर्स और मेघालय के लिए 889 टॉवर्स लगाए गए हैं। लद्दाख तथा कारगिल सहित सीमा क्षेत्रों के 409 विलेजेज, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स के 502 विलेजेज और उसके बाद 7287 गाँवों को कवर करने के लिए 6466 करोड़ रुपये की स्कीम बनाई गई है। इन सबके रिजल्ट्स आ रहे हैं। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरह से बढ़ रही है।

माननीय संसद सदस्य का जो एरिया है, उस एरिया में भी हम कंप्लीट कवरेज के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। … (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।…(व्यवधान) आप खुद जानते हैं कि भारत संचार निगम लिमिटेड, मुंबई और दिल्ली, एमटीएनएल मुंबई…(व्यवधान) अगर आज भी हम हवाई अड्डे पर जाते हैं, हवाई अड्डा ही क्यों, अगर हम आदरणीय अध्यक्ष महोदय के चेंबर में जाते हैं, तो हमें बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं मिलता है। ये जो चीजें हो रही हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और मेरी आपसे विनती है कि खासकर एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई, ये सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण सेक्टर है, वहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

11.06 hrs

At this stage, Shri Nama Nageswara Rao and some other hon. Members left the House.

महोदय, मैं आपको बीएसएनएल के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। अभी वोडाफोन और आइडिया कंपनी का जो लोन है, उसके इंट्रेस्ट को सरकार इक्विटी करने जा रही है। इसका मतलब है कि सरकार उसमें शेयर होल्डर बनने वाली है। वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल के टावर्स को इकट्ठा कर दिया जाए, तो ज्यादा अच्छी सर्विस मिल सकती है। क्या सरकार उस दिशा में प्रयास करेगी और एमटीएनएल के बारे में क्या करने वाली है?

श्री अश्वनी वैष्णव : मान्यवर अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की इस सिचुएशन के लिए कौन उत्तरदायी है और इस सदन में इस पर कई बार चर्चा भी हो चुकी है। इसके ऊपर कई स्टेप्स लिए गए हैं, जिसके कारण आज बीएसएनएल कई वर्षों के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचा है। इस चीज को एक्नॉलेज करना चाहिए। वर्ष 2019 में 69,000 करोड़ रुपये के पैकेज के बाद बीएसएनएल एक स्टेबल एन्टिटी बना है। इस बार के बजट में 44,720 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं आपसे बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि भारत के इंजीनियर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया है, भारत का अपना 4 जी कोर नेटवर्क, अपना रेडियो नेटवर्क बनकर तैयार हो गया है। शीघ्र ही इसका रोल आउट चालू होगा। आज पूरी दुनिया के लोग इस चीज को आश्चर्य से देख रहे हैं कि भारत ने कैसे इतनी जल्दी अपना 4 जी तैयार कर लिया है। इसी 4 जी के ऊपर 5 जी बिल्डअप होता है। इस साल के अंत तक करीब-करीब वैज्ञानिक जिस तरीके से एस्टीमेट लगा रहे हैं, वह भी पूरा हो जाएगा।

SHRI M. SELVARAJ (NAGAPATTINAM): Sir, in 2018, the Gaja Cyclone destroyed all the BSNL towers not only in my constituency, Nagapattinam, but also in all the coastal areas of Tamil Nadu. The towers have not been repaired till now. BSNL mobiles and telephones are not working there. I would like to know from the Minister, through you, whether there is any plan to repair the towers in Tamil Nadu. Thank you, Sir.

श्री अश्वनी वैष्णव : महोदय, मान्यवर सांसद महोदय ने एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में पूछा है। मैं उसके बारे में जरूर जानकारी प्राप्त करके उनको वह जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 382, श्री रविन्दर कुशवाहा।

(Q. 382)

श्री रविन्दर कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि हमारे यहां कृषि उत्पादों का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। देश के दूर-दराज इलाकों के किसानों को भी इसका फायदा मिले और वे भी उपना उत्पाद निर्यात कर सकें। जैसे पूर्वांचल के मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत देवरिया तथा बलिया कृषि उत्पाद के दृष्टिकोण से काफी समृद्ध हैं। यहां खाद्यान्न के साथ-साथ फलों और सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। यहां की जमीन काफी उपजाऊ है, जिसके कारण यहां फलों और सब्जियों के निर्यात की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वर्तमान में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय दल भेजकर देवरिया और बलिया सहित पूर्वांचल में निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए मंत्रालय की कोई मंशा है?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपने 'मन की बात' में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की एक बहुत बड़ी उपलब्धि का उल्लेख किया है। हमारा मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट 400 बिलियन डॉलर तक पहुंचा और वह निर्धारित समय-सीमा से नौ दिन पूर्व पहुंचा है। इसमें हमारे कृषि निर्यात की एक बहुत बड़ी भूमिका है, एक बहुत बड़ा योगदान है।

वर्ष 2018 में भारत सरकार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आई और हमने तय किया कि हम कृषि उत्पादों को दोगुना करेंगे और साथ ही साथ हम किसानों की आमदनी को भी बढ़ाएंगे। हम हमारे किसानों को और कृषि उत्पादों को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटिग्रेट करेंगे। इस दृष्टि से हमने इंटरवेंशन्स को स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाने का काम किया है। हमारी एक संस्था 'एपीडा' है, जो इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। माननीय सदस्य जी ने पूर्वांचल का उल्लेख किया है, मैं उनको विशेष तौर से बताना चाहती हूँ कि 'एपीडा' खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इस दृष्टि से ध्यान दे रही है और वहां पर हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर

ऑर्गेनाइजेशन्स हैं या एफपीसीज़ हैं, उनसे सम्पर्क करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्सपोर्ट प्लान बनाया गया है। उसके तहत ऐसा कोई भी कृषि उत्पाद, जिसके अंदर निर्यात का पोटेंशियल है, उसको आइडेंटिफाई करके उसके निर्यात की दृष्टि से संवर्धन के लिए कार्य किया जा रहा है।

इसके अलावा आपने बलिया और देवरिया का उल्लेख किया है तो मैं बताना चाहती हूँ कि वहां पर जो कृषि उत्पाद है, उन्हें 'एपीडा' के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्लान में सम्मिलित करवाकर, उनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को देखकर हम वहां के उन उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात करने का प्रबंध करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : वैसे तो आपके प्रश्न का पूरा जवाब आ गया है। इसलिए रवि किशन जी आप प्रश्न पूछिए।

श्री रवि किशन: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। जैसा कि यशस्वी प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुना किया जाए। उनकी हमेशा साफ-सुथरी मंशा रहती है। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गोरखपुर एक बहुत बड़ा महानगर है और वहां की बहुत उपजाऊ जमीन है। वहां पर फल और सब्जियां बहुत मात्रा में होती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके निर्यात के लिए तथा एक एक्सपोर्ट हाउस के लिए माननीय मंत्री जी की मंशा क्या है? अगर मंशा है तो यह काम कब तक पूरा किया जाएगा?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारा 'एपीडा' नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके माध्यम से जो एफपीओज़ या एफपीसीज़ हैं, उनको पूरी तरह से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। मार्केट लिंकेज उपलब्ध करवाने के लिए फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल के जरिए हमारे किसानों को एक्सपोर्टर्स से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपने गोरखपुर का उल्लेख किया है तो मैं बताना चाहूंगी कि हमने काला नमक चावल का निर्यात इस क्षेत्र से करना प्रारम्भ कर दिया है। एक्सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी 'एपीडा' की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और किसी भी प्रकार का एक्सपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 'एपीडा' के पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं। आपके यहां भी अगर किसी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता है तो 'एपीडा' के

माध्यम से या हमारे मंत्रालय की एक और 'ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम' है, जिसमें हम 20 करोड़ रुपये तक का ग्रांट दे सकते हैं, उसके तहत उस इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा सकता है।

श्री गिरीश चन्द्र : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि किसान कनेक्ट पोर्टल कार्यक्रम किसानों के लिए कैसे काम करता है? क्या इस पर किसानों की समस्याओं के सुझावों पर अमल किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे किया जा सकता है? क्या इस पोर्टल पर किसान अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकता है?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो फार्मर्स कनेक्ट पोर्टल बनाया है, उसका उद्देश्य यही है कि हमारे देश के किसान बड़ी मात्रा में कृषि उत्पाद पैदा करते हैं। चाहे वे फल, फूल, सब्जियां हों या अनाज हों और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि हम देश के निर्यात में उसका योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश के किसानों को एक्सपोर्टर्स से कैसे कनेक्ट किया जाए, इसके लिए यह पोर्टल तैयार किया गया है। हमारे जो किसान भाई हैं, वे इस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। 'एपीडा' उनकी मदद करता है। इसके माध्यम से एक्सपोर्टर्स से उनका सम्पर्क होता है। उनको मार्केट लिंकेजेस मिलते हैं और 'एपीडा' साथ ही साथ किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करता है कि कैसे वे अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लायक बनाएं और उनकी किसी भी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जो डाउट्स होते हैं, उसके लिए यह प्रशिक्षिण कार्यक्रम चलाया जाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3,295 किसान और 3,315 एक्सपोर्टर्स हैं, जो इस पर रजिस्टर्ड हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी - उपस्थित नहीं।

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ।

(Q. 383)

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH : Sir, first of all, I would like to congratulate the hon. Minister of Science and Technology for organising, as part of the year-long celebrations 'Azadi Ka Amrit Mahotsav', a Science Week – Vigyan Sarvatra Pujyate, on the occasion of National Science Day.

The Government's expenditure or spending on scientific research and development appears to be very low. In the recent Budget for 2022-23, the Government has not made any extra provision for R&D. The share of female researchers in India has increased from 14 per cent to 19 per cent. It is really very good. But the situation is still dismal as compared to other countries.

I would like to know the steps that have been taken by the Ministry to increase female participation in STEM courses in India. Has the Ministry included anything in this regard under the Vigyan Sarvarta Pujyate?

DR. JITENDRA SINGH: Thank you, hon. Speaker, Sir.

At the outset, I would like to thank the hon. Member for encouraging us with her complimentary remarks. As you have rightly mentioned, one of the purposes of organising this National Week -- which culminated on 28th of February and which culminated on the occasion of the National Science Day, which is observed every year on 28th of February -- was to highlight the role of youth, especially the role of women in science. You will be glad to know when I will bring this to your kind notice. Since we are observing this year as the Azadi Ka Amrit Mahotsav or 75th Year of Independence -- as has been inspired by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi -- we will be coming out with a

coffee-table book very soon depicting seventy-five female scientists who have actually excelled in this field. As far as encouraging them is concerned, a number of programmes have been introduced in the past few years under our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi Ji. For example, we have an INSPIRE Programme for women. We have also a KIRAN Programme.

I think, the House will be amused to know that during the Beating the Retreat Ceremony -- which was held on 29th of January this year -- where thousands of drones lit-up the sky, that concept was also conceptualised by the Ministry of Science and Technology. Three youths had led that team. That was again led by a woman namely Sarita from Haryana. Similarly, …(*Interruptions*) She worked in IIT-Delhi but funding was from the Ministry. I think, funding matters equally. Similarly, in Gaganyaan, a very important role is being played by some of the leading female scientists in ISRO. So, in the recent few years, female scientists have come forward. We are also encouraging them. We are also devising special programmes for them. You would also appreciate that a new approach has been sought to be adopted -- an approach which is more integrated to promote science and scientific endeavours; an approach which is meant to ensure sustainable growth; and an approach which is targeting youth and women. Taking these things into consideration, the theme of this year's National Science Festival was Sustainable Growth for Youth in India, Integrated Approach in Science and Technology for Sustainable Future. So, all these things have been planned keeping in view the next twenty-five years when these young scientists,

including the women scientists, will be known as the Architects of India at Hundred in 2047.

DR. SHASHI THAROOR : Sir, it is precisely on this particular point -- that the hon. Minister made -- that I wish to seek additional clarifications. The hon. Minister has talked about some of these distinguished women. The truth is that though we have the world's leading figure of forty-three per cent in STEM subjects -- who are female -- only fourteen per cent of them actually pursue scientific research in universities and institutions. The Government has to look into the question why women are not going further in larger amount. The Global Gender Gap Report by the World Economic Forum has shown that India has dropped twenty-eight places in its world's ranking to 148th in the world when it comes to women in science and technology. Only twenty-nine per cent of all technical roles in the sciences are being held by women in India. The fact is that the challenge that the hon. Minister has not addressed in his otherwise positive answer, is that there is unfortunately serious variation in career attainment between men and women. The 2017 report of the NITI Aayog also points out that women have a problem in persuading employers that they can work longer in STEM.

The question is, can the Government take any special measures to improve women's participation in STEM research and in pursuing careers in education and research … (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: While agreeing with what the hon. Member Shashi Tharoor Ji has pointed out, what I would suggest through hon. Speaker is that the issue that he has pointed out is very relevant. We cannot defy the figures or statistics. But if we take the figures on the whole, you would find the same projection happening even among males. So, there is a mismatch of preferences at the society level. The issue is too large to be left only to the management of science and technology. In fact, I have suggested a study in this regard. If you take class twelve level, you will have 80-90 per cent of the students both boys and girls who have science as subjects but very few of them go up to post-graduation. That means they are taking up those subjects not for science *per se* as their goal but looking for something else. May be in class twelve, they are looking for a high score to get into NEET or to get into IIT-JEE. If they succeed, that is well and good. But if they do not, then they go in for graduation for a higher score in civil services.

Now, in civil services, nearly 90 per cent are boys and girls who are coming from the engineering and medical streams. So, they do not actually go in for aptitude.

Sir, there is an aptitudinal crisis in the Indian society. I think that is still to be evolved.

DR. SHASHI THAROOR: Hon. Minister, the gender gap is increasing.

DR. JITENDRA SINGH: Absolutely. I think it requires a larger measure and the Government is very conscious of it. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : ए. राजा जी, मैं आपको बोलने के लिए इजाजत दे दूंगा, लेकिन अगर आप बैठे-बैठे बोलेंगे, तो बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। अभी मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। Please sit down.

…(व्यवधान)

DR. JITENDRA SINGH: As far as the gender gap is concerned, the Government and the department is very much conscious of it and that is why, new projects and new schemes are being devised each passing day.

माननीय अध्यक्ष : हां, अब आप प्रश्न पूछिए।

SHRI A. RAJA : Sir, (b) part is not answered. Please see the (b) part. Whether this Government is having the real intention to promote scientific temper in the minds of youth. This question is not answered. What does it mean? The Government is not ready to give scientific temper to youth in the name of religion. Am I correct?

DR. JITENDRA SINGH: Raja ji, if you recall what I answered in the earlier question, I said the present Government in the last three years as far as science and technology is concerned has acquired a three-pronged approach - A. integration, that is integration of all the science streams plus also industry academia; B, an approach which ensures sustainable growth; and C, the start-ups, the youth, so that we can link the start-ups and the scientific growth with sources of livelihood in order to sustain it.

So, obviously, I agree with you. During Amrit Mahotsav, the focus is on the youth who have another 25 years of active life to live, so that they can celebrate 'century India'.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 384, श्री डी.एम. कथीर आनन्द।

(Q.384)

SHRI D.M. KATHIR ANAND : Sir, I want to know whether the production and area of cultivation of organic cotton increased from 300 per cent to 400 per cent after COVID-19 and if so, the details thereof; (b) the details of India's organic cotton production and exports in terms of quantity and value; (c) whether any organic certification agency violated the National Programme for Organic Production (NPOP) in organic cotton certification recently and was suspended by Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) in January, 2022 and if so, the details thereof; and (d) whether the organic certification agencies certified those grower groups with area and production and if so, the details thereof?

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, the hon. Member has actually repeated the question.

Sir, I request you to refer to the written reply that I have sent. Each and every part of the question has been answered. If you have any supplimentaries, I would be happy to answer.

Sir, if you want me to repeat, I can repeat the written answer but it has been answered already in the written reply.

माननीय अध्यक्ष : अगर इन्होंने वर्बली प्रश्न पूछा है, तो आप जवाब दे दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सर, मैं इस सदन को बताना चाहती हूं कि दुनिया में जो हमारा,… (व्यवधान) Globally, the organic….

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। मैं आपको सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछने के लिए इजाजत दूंगा।

… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: After supplementary, I will allow you.

SHRI D.M. KATHIR ANAND: Sir, the Question is about organic cotton and it is involved with the farmers. I request the Minister to answer in English so that the entire country will be aware of this.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: I am answering in English Sir.

The first part of the question you asked me is about the area of cultivation and the production. Both things have increased. The area of cultivation under organic products has gone up by 153 per cent and the production has gone up by 142 per cent.

Sir, I also want to inform the hon. Member that insofar as the areas of cultivation and production are concerned, it is the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare which looks into it. The role of the Ministry of Commerce comes in when we have to certify the agencies.

The global market for organic products has grown very big. It is as high as 106.4 billion Euros and the major markets are the United States of America, the European Union, Canada and Great Britain. The Indian products globally have been recognised and our organic products have made a mark across the globe. We started the National Programme on Organic Production way back in 2001. Since then, our production has also increased and our exports also have gone up. Our exports have increased from Rs. 62 crore in 2002-03 post NPOP

to Rs. 7,778.50 crore in the year 2020-21. How has this been possible? Such a record growth has been possible because under NPOP we framed national standards for production of organic products. We are very stringent about it. Our national standards are never compromised and the farmers, the producers, and the growers are always expected to adhere to the national standards throughout the entire operations whenever they produce any organic product. There are certification agencies or bodies which are certified by the National Accreditation Board and they look into and certify organic products and give them the India organic mark. In case there is ever any complaint, APEDA looks into it. The Evaluation Committee looks into it. They send their reports to NAB and if there are irregularities, if there are malpractices, and if there is any procedural lapse, we suspend the accreditation of those certification bodies to make sure that these standards which are in harmony with the international standards are never compromised because we do not want to put India's reputation at stake. Our organic products, I emphasise, are recognised globally.

SHRI D.M. KATHIR ANAND: Sir, the quantum of organic cotton turnover, as per the reply of the hon. Minister, is worth Rs. 1.50 crore. Forty per cent of the figures given by organic cotton farmers is fictitious. They are giving false statements and because of this, the real organic growers are being punished and are being harassed. When the organic farmers are asking for any clarification, or they are going for exports, because of the exporters engaged in malpractices, the entire organic cotton market is being put to hardship. It is not

happening just not for cotton, but it is happening in the case of spices and other things.

India has a big market for agricultural produce. Now, to give an example, whatever material they use for making shoe dye for polishing our shoes is mixed with chillies and turmeric. They use artificial colours. When such commodities reach the international market, pride of India goes down. So, I would like to know from the hon. Minister what kind of activities have the Government started to curtail this. Also, I would like to know if the agencies, which are certifying the products as `organic and fit for exports', have violated any procedure and if the Government has taken any punitive action against them.

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, I have already explained this in detail. I would like to repeat that we do not compromise with the reputation of the nation. For the products which are certified as organic by the certification bodies, there are certain standards which they have to adhere to.

Sir, I would like to bring to the notice of the hon. Member that there are several certification bodies against which we have taken action. In 2013, there was suspension of accreditation under NPOP for six months in the case of Natural Organic Certification Agro Private Limited. Similarly, in 2015, in the case of Bio-Cert India Private Limited, accreditation was terminated under NPOP and in 2019, in the case of Intertech India Private Limited, there was suspension under NPOP and penalty of Rs. 6 lakh for six months. There is a big list of certification bodies. We do not compromise at all. If there is any

complaint of any malpractices, we take action. We never refrain from taking action against such bodies.

We have the whole operational structure which is functional to make sure that our products which are going into the global market are certified as organic products. They follow certain standards. We have made an operational structure under the NPOP programme. So, we have the National Steering Committee which is headed by Secretary (Commerce) and there are three other Committees which support this Committee. One of these Committees is the National Accreditation Board which is headed by the Additional Secretary and there is also a Technical Committee whose job is to look into and revive the standards as and when it is required. There is also an Evaluation Committee which makes a regular periodic assessment of these bodies to make sure that no standards are done away with.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER : Sir, boosting of cultivation of organic products is very important, whether it is cotton or food items. That should be encouraged.

I congratulate the hon. Minister for giving a detailed reply on this point but there is an obstacle in organic farming and that is, genetically modifed items. A lot of experimentation is needed for it. If they are used for cultivation without that kind of an experiment, it will become very dangerous. My apprehension is, without a proper certification of genetically modified food items, the farmers are distressed. I humbly want to know from the hon.

Minister, whether she is aware of the danger or not. If so, what steps are going to be taken to address this issue?

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, it is really not related to the mandate of the Department of Commerce. As I said earlier, we only come into play when the certification of the organic products is required.

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र चन्द्रपुर के ज्यादातर किसान कॉटन की फसल उगाते हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि किसानों को ऑर्गेनिक कॉटन उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

SHRIMATI ANUPRIYA PATEL: Sir, I think, there is a bit of a confusion. माननीय सदस्य ने प्रश्न हिंदी में पूछा या इंग्लिश में? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जिस भाषा में चाहें, उसमें जवाब दे दीजिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सर, ऑर्गेनिक कॉटन की खेती के संबंध में जो प्रोत्साहन है, वह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय देता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की भूमिका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के निर्यात से संबंधित है। इसमें हमारी मुख्य भूमिका उनके स्टैन्डर्ड्स को निर्धारित करने और उनके निर्यात के लिए जो तमाम कायदे-कानून बनाने हैं, उसके लिए है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 385, श्री अब्दुल खालेक।

(Q. 385)

SHRI ABDUL KHALEQUE : Sir, the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 under the Information Technology Act, 2000 say that the significant social media intermediary (SSMI) shall enable users to voluntarily verify their accounts by using any appropriate mechanism, including active Indian mobile number of such users, and any user who voluntarily verifies their account shall be provided with a demonstrable and visible mark of verification. How can this be a tool for verification?

How can a verification of this kind act as a deterrent who intends to do unlawful activities on social platforms when mobile SIM cards are easily cloned or people with ill intention use prepaid SIM cards bought using false documents?

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, as you are aware and as the House is aware, the Digital India Programme has every effectively harnessed the power of Internet and technology to transform the lives of citizens, transform governance and to create opportunities of investments and entrepreneurship in our country.

Today, there are over 80 crore Indians using online platforms and this number is expected to reach 120 crores in the next few years. Hon. Member was talking about deterrence. The Government's policies in rule making are aimed at ensuing that the internet is open, safe and trusted and also accountable to all its users.

To that effect, we have laid down, as the hon. Member has said, Intermediary Guidelines in February, 2021 and we will continue to expand the scope of this kind of rule making to ensure that the internet is safe and trusted.

In regard to his specific question, voluntary verification is not aimed to be a deterrent. It is aimed at encouraging the intermediaries to do due diligence on those who are using their platforms. Currently, there is no law or rule that allows for mandatory verification of users who use the social media platforms.

श्री अब्दुल खालेक: अध्यक्ष जी, इसे जो मैनडेटरी नहीं किया गया है, इसे मैनडेटरी करने की ही जरूरत है। सोशल मीडिया ऑपरेटर्स की निजी शर्त रहती है, शेयर, लाइक्स, सीन, रीच आदि से इन्हें रेवेन्यू मिलती है। सरकारी ऑपरेटर्स की जैसी जिम्मेदारी होती है, वह प्राइवेट ऑपरेटर्स की नहीं होती है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि सरकार क्यों मैनडेटरी प्रोविजन नहीं करती है।

आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि भी हैं, जैसे मेरा फेसबुक और ट्विटर एकाउंट है, उसमें जो मोबाइल वैरीफिकेशन होता है, यदि मेरे पास आपका मोबाइल भी है तो मैं उससे वैरीफाई कर सकता हूं। हमने कर्नाटक में देखा कि मुश्ताक अली ने हिंदुओं के खिलाफ कम्युनल पोस्ट किया। जब पुलिस ने कार्रवाई की, तब देखा कि मुश्ताक अली का नाम सिद्धारुद्धा श्रीकांत निराले है। वह एक एमएलसी श्री डी.एल. अरुण का रिलेटिव था।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इसका वर्णन मत कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अब्दुल खालेक : महोदय, मैं रेफरेंस के लिए कह रहा हूं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो रेफरेंस।

… (व्यवधान)

श्री अब्दुल खालेक : महोदय, सोशल डिस्टर्बेंस, अनलॉफुल एक्टिविटिज न हो और देश की अखंडता की रक्षा हो, ये सारे मुद्दे देखना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस विषय में मैनडेटरी प्रोविजन क्यों नहीं किया जा रहा है?

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, I appreciate the hon. Member's concerns about the safety and trust of online platforms, especially the issue of misuse of social media to create public order problems, law and order problems etc. in the country.

Sir, it is true that while the internet and technology have empowered and transformed us and they have been good to us, the issues of user's harm, criminality and fake news are also on the rise. आप जो कह रहे हैं, उसके साथ एम्पेथाइज करता हूं, लेकिन हमारी अप्रोच इसे मैनडेटरी बनाना नहीं है। आप यदि उत्तर में देखेंगे, as per Rule 4(2) of the Intermediary Guidelines that were issued in February, 2021, a significant social media intermediary is required to identify the first originator of the information for the purposes of prevention, detection, investigation, prosecution or punishment of an offence related to the sovereignty and integrity of India, security of the State, public order or incitement of an offence.

ये हमारे रूल्स में है कि यदि कोई सोशल मीडिया का मिसयूज करता है, इंटरमीडियरी की जिम्मेदारी बनती है कि वह आईडेंटीफाई करे कि किसने किया है और कहां से किया है। यह मैटर सबज्यूडिस है, क्योंकि व्हॉटसऐप ने इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और हमने इस इश्यू को बहुत रोबस्टली डिफेंड किया है।

माननीय अध्यक्ष : श्रीकांत शिंदे जी – उपस्थित नहीं।

डॉ डी. रवि कुमार।

DR. D. RAVIKUMAR : Hon. Speaker, Sir, I would like to know whether the Government has taken any steps to curb hate campaign in social media platforms, particularly to curb Apps like Sulli Deals and Bulli Bay. They are being used to harass women of a particular religious community. I would like to know from the hon. Minister whether the Government has taken any serious steps to curb the hate campaign.

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Sir, I thank the Member for asking that question. This is an issue that we are actively involved with and are actively responding to. The Ministry has the powers as does other Departments of the Government to direct intermediaries to take down content and take down accounts that infringe on integrity, sovereignty of India, public order etc. So, with regard to such app or content, we direct the app store and the intermediary to take down this content.

श्री मनीष तिवारी : माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नाम तो इसका सोशल मीडिया है, लेकिन काम यह सारे अनसोशल करता है। … (व्यवधान) Today, social media has been weaponised by governments, by certain political parties, non-State actors, and everybody who has a pernicious agenda in this world.

Sir, the Ministers Mr. Ashwini Vaishnav and Mr. Rajeev Chandrasekhar were both Members of the Joint Committee on the Data Protection Bill. I had very strongly argued, if they would recall, that there must be mandatory verification of all social media accounts. At that point in time, from the Government it was said that since we have promulgated the Information

Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules, 2021, this should not find place in the Data Protection Bill.

My question to both the Ministers is this. What prevents the Government from making this verification mandatory? If your argument is going to be that we can do it in India's case, but this can happen globally, then the counter to that is, once the GDPR process has started off in California and became pervasive all across the world, why do you not take the first step and make verification of social media accounts mandatory?

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, कृपया जवाब दें, वरना थोड़ी देर में माननीय सदस्य आपका जवाब भी देने लगेंगे।

… (व्यवधान)

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR: Hon. Speaker, Sir, I think this is less of a question and more of a suggestion. I wish to state that I have no opposition to his particular view excepting to point out very respectfully that this is one way of approaching this problem. The Government is interested in balancing the issues of privacy as well as the interest of safety and trust.

This is not an easy balance to achieve and we believe that this issue of mandatory verification is an issue that is at the intersection of both privacy and the issue of safety and trust. We believe that the rules that were promulgated in February, 2021 very effectively cast an obligation on the intermediaries to be able to detect and identify the first originator of any criminal activity.

That is the obligation which has been cast through the subordinate legislation and while that matter has been challenged by some intermediaries, the Government is robustly defending its position that this anonymity cannot be a blanket one and first origination should be possible as an obligation on the intermediaries.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 386, श्री संजय भाटिया ।

(Q. 386)

श्री संजय भाटिया : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र में करनाल रेलवे स्टेशन एक ऐतिहासिक स्टेशन है। यह 130 वर्ष पुराना है। यह राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन यहां पर अधिकतर गाड़ियां नहीं रुकती हैं। मैंने माननीय मंत्री जी का जवाब पढ़ा है। मैं रेग्युलर ट्रेन से ही सफर करता हूं। आज मैं पार्लियामेंट भी ट्रेन से ही आया हूं। मुझे ग्राउंड रियलिटी की जानकारी है। जो जवाब आया है, वह मेरे प्रश्न के अनुरूप नहीं है।

श्री अश्वनी वैष्णव: अध्यक्ष महोदय, करनाल वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण स्थान है और मैं माननीय सांसद महोदय के इमोशन्स को समझ सकता हूं। मैं स्पेसिफिक उत्तर दूंगा। करनाल से होते हुए 109 ट्रेन्स गुजरती हैं। इनमें से 51 ट्रेन्स, जिनमें से 46 एक्सप्रेस ट्रेन्स तथा 5 पैसेंजर ट्रेन्स हैं, वे वहां पर रुकती हैं। इस सैक्शन की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, वह करीब-करीब 138 प्रतिशत है। 109 में से 51 ट्रेनें वहां पर रुकती हैं। इसके अलावा माननीय सांसद महोदय की अगर कोई अन्य रिक्वेस्ट्स होगी, तो वह मुझसे आकर मिलें। हम इस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री संजय भाटिया : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा कि करनाल स्मार्ट सिटी भी चुना गया है और मेरे लोक सभा क्षेत्र में टेक्सटाइल हब है। हजारों करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट और हजारों करोड़ रुपये की डोमेस्टिक मॉर्केट वहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, बिहार के अनेक श्रमिक, लाखों की संख्या में श्रमिक वहाँ पर काम करते हैं। गरीब रथ ट्रेन पानीपत में नहीं रुकती है। मैं उदाहरण देकर एक बात कहना चाहूँगा कि अमृतसर से मुम्बई के लिए एक दादर एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, यह पचासों साल पुरानी ट्रेन है, बिना किसी कारण के मेरे लोक सभा क्षेत्र में दो जगह इस ट्रेन का ठहराव बंद कर दिया गया है। जब यह ट्रेन अमृतसर से आती है तो घरौंडा और तरावड़ी में रुकती है, लेकिन जब यह ट्रेन मुम्बई से अमृतसर जाती है तो ये दो स्टेशन बिना कारण से उस ट्रेन के रुकने के लिए बंद कर दिए गए हैं। आज तक कोरोना के बाद, जो दैनिक यात्री रोज हजारों की संख्या में यहाँ दिल्ली आते हैं, पानीपत-दिल्ली की वे डेली पैसेंजर ट्रेन्स, मेरे बार-बार कहने के बाद भी चालू नहीं हुई हैं।

माननीय अध्यक्ष : ना-ना, प्रश्नकाल में इतना लंबा नहीं बोलते हैं।

श्री संजय भाटिया : मंत्री जी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, जिससे आपको रेवेन्यू का लाभ होगा। तीन ट्रेन्स श्रम शक्ति एक्सप्रेस, शिवगंगा एक्सप्रेस और प्रयागराज एक्सप्रेस हैं, ये क्रमश: 17 घंटे-10 घंटे- 10 घंटे दिल्ली स्टेशन पर खाली खड़ी रहती हैं। हमारी पानीपत का जंक्शन है, अगर इनको वहाँ तक एक्सटेंड कर दिया जाए तो रेवेन्यू का बहुत फायदा होगा।… (व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर पानीपत और करनाल स्टेशन पर रेवेन्यू लॉस होगा तो जो मुझे पार्लियामेंट के एमपी होने के कारण मिलता है, वह मैं सरेंडर कर दूँगा। रेवेन्यू लॉस होने पर मैं वह सारा सरेंडर कर दूँगा।… (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : महोदय, स्टॉपेजेज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने अपने कार्यकाल में एक बहुत ही साइन्टिफिक स्टडी कराई थी। अगर हमें ट्रेन्स को समय पर पहुँचाना है तो सारे के सारे स्टॉपेजेज, सारे के सारे टाइम टेबल को एक रैशनलाइज और साइन्टिफिक तरीके में करने की जरूरत है।

आज बहुत सारे माननीय सांसद मेरे पास आकर बताते हैं कि आज ट्रेन्स समय पर पहुँचती हैं। ट्रेन्स टाइम पर पहुँचने का एक बहुत बड़ा कारण रैशनल टाइम टेबल है। इसमें आईआईटी मुम्बई की भी सहायता ली गई है। इसके अलावा जैसा कि रेलवे की अनुदान माँगों के समय चर्चा हुई, माननीय सुभाष बहेड़िया जी ने जो सुझाव दिया था, जहाँ जरूरत होगी, वहाँ पर एक अनुभवात्मक (experimental) बेसिस पर करेंगे। उसका जो रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से उसमें आगे बढ़ा जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 387, श्री राजू बिष्ट।

(Q. 387)

श्री राजू बिष्ट : महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मुझे मेरे प्रश्नों का बहुत लंबा और अच्छा उत्तर मिला है। मेरा एक जगह सब्सिडी को लेकर थोड़ा डिफरेन्स ऑफ ओपिनियन है। इसमें कहा गया है कि किसी तरह की सब्सिडी पेन्डिंग नहीं है। जितना मैं जानता हूँ, पिछले दो साल से टी बोर्ड ने, जो सैंक्शन लेटर देते थे, वह रोककर बैठे हैं। इस तरह की कोई गाइड लाइन्स मंत्रालय की तरफ से इश्यू नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि मंत्रालय एक बार इसको अच्छे से देख ले। सर, दार्जिलिंग चाय मतलब चाय उद्योग में अपनी एक शान रखता है, लेकिन आज समस्या यह है कि उसमें ग्रहण लगा हुआ है। वर्कर भी दुखी हैं और चाय बागान मालिक भी बड़ी समस्या में हैं। वर्ष 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में जो नया लेबर कोड बिल श्रमिकों के हित में पास हुआ था, आज तक वह पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्रालय से जानना चाहता हूँ कि इस विषय में वे क्या कदम उठा रहे हैं?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : महोदय, इस प्रश्न में दो विषय उठाए गए हैं। पहला विषय सब्सिडीज को लेकर है। इसमें मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि टी बोर्ड की टीडीपीएस, टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम है। इस स्कीम को जब हमने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक कान्टीन्यू किया तो इसमें हमें 967.78 करोड़ का आउट-ले मिला, जिसमें 298.76 करोड़ पेन्डिंग सब्सिडीज के क्लियरेंस के लिए था। उसमें एक जो ऑपरेशनल मोडैलिटी है या जो स्कीम गाइड लाइन्स हैं, उसमें यह तय किया गया है कि जहाँ भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर हो चुका है, जहाँ हमने कोई भी इंस्टालमेंट नहीं दी है या जहाँ हम एक इंस्टालमेंट दे चुके हैं, तो जहाँ हम एक इंस्टालमेंट दे चुके हैं, उसको प्रायोरिटी पर रखते हुए, उसके बाद जहाँ हमने कोई इंस्टालमेंट नहीं दी है, उसको सीक्वेंस में रखते हुए, जहाँ भी एक फॉर्मल सैंक्शन ऑर्डर इश्यू हुआ है, यह हमारा जो 298.76 करोड़ है, इसमें हम सारी पेन्डिंग देनदारियों को क्लियर करेंगे।

टी बोर्ड ने इनफॉर्म किया है कि जितने भी एलिजिबल केसेस हैं, उन सारे केसेस में हमारे जो पेंडिंग ड्यूज थे, हम उनको क्लियर कर चुके हैं। अभी किसी प्रकार की कोई पेंडेंसी नहीं है।

आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा है, वह टी गार्डन वर्कर्स के वेलफेयर से संबंधित है। जहां टी गार्डन वर्कर्स के वेलफेयर की बात है, हमारी टीडीपीएस स्कीम में भी एक वेलफेयर कम्पोनेंट होता है, जिसके तहत हम धनराशि का प्रावधान करते हैं, उसके माध्यम से हम यह काम करते हैं। जैसे उनकी एजुकेशन है, हेल्थ है, हाइजीन है, हाउसिंग फैसिलिटीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ऐसी बहुत सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। लेकिन मोटे तौर से जो टी गार्डन वर्कर्स का वेलफेयर होता है, वह प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 के तहत गवर्न किया जाता है। यह हमारे दो लेबर कोड में subsumed हो चुका है। एक सोशल सिक्योरियटी कोड है और दूसरा ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है। इस कोड के संबंध में मैं बताना चाहती हूं कि हम एक गजेट नोटिफिकेशन वर्ष 2020 में कर चुके हैं।

लेकिन इसको लागू करने में, इससे संबंधित जो रूल है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की एक भूमिका है, क्योंकि लेबर कनकरंट सब्जेक्ट है। अभी जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है और लेबर कोड से संबंधित जो रूल्स हैं, वह वहां की राज्य सरकार को फ्रेम करने हैं। हमारा मंत्रालय निरंतर यह प्रयास कर रहा है कि इससे संबंधित रूल्स पर सरकार को जो एक्शन लेना है, वह जल्द से जल्द ले।

श्री राजू बिष्ट: अध्यक्ष महोदय, जैसे यह लेबर कोड बिल लागू होता है, तो यह हमारे श्रमिकों को कम से कम मिनिमम वेज की गारंटी प्रदान करता है। इसी तरह से मेरा आपके माध्यम से दूसरा प्रश्न यह है कि जो श्रमिक 200 वर्षों से ज्यादा समय से चाय बागान में रहते हैं, उनका अपना घर व मकान बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक जमीन का पट्टा उनके पास नहीं है। मैं जितना जानता हूं, शायद मंत्रालय ने भी इस विषय को लेकर कुछ पहल की है। मैं आपके माध्यम से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रजा पट्टा इश्युज को लेकर केन्द्र सरकार या मंत्रालय की तरफ से हम कोई कदम उठा रहे हैं?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदय, प्रजा पट्टा का जो विषय है, इसे हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी पहले भी उठाते रहे हैं। मैं इस संदर्भ में सदन को यही सूचित करना चाहती हूं कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है। इसमें केन्द्र का डायरेक्ट इन्टरवेंशन नहीं हो सकता है। बंगाल के या किसी भी राज्य के जो एग्जिस्टिंग लैंड लॉज़ होते हैं, उसके आधार पर वहां की सरकार को तय करना है कि टी ग्रोअर्स जो किसी लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं और बहुत समय से उनके पास है, उसके ऑनरशिप राइट्स उन्हें देने हैं या नहीं देने हैं। हमने आपके अनुरोध पर पश्चिम बंगाल की सरकार को रिक्वैस्ट की है। हमने उनको दो बार पत्र भेजा है। हमने 26 फरवरी, 2021 और 6 सितंबर, 2021 को पत्र भेजा है, लेकिन यह निर्णय राज्य की सरकार को ही लेना है। लैंड स्टेट सब्जेक्ट है।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, tea is a drink next accepted after water in the whole world. The Tea Board Headquarters is in Kolkata city under my Parliamentary constituency. I should rather say that India was the largest tea exporter. Now, it has come to the fourth position after Kenya, Sri Lanka, China and Indonesia. The Darjeeling tea is accepted as one of the best teas in the world. The conditions of the tea gardens mainly in the North Bengal area are very serious. A few tea gardens have also been closed down. The Ministry of Commerce has assured us that these tea gardens will be opened under its care but no step has been taken so far. I want to know from the Minister as to how many tea gardens have been closed in Darjeeling and Dooars areas uptill now and whether the Minister is in a keen mood to visit and order an on-spot inquiry about these tea gardens. It is because this tea is generating foreign money for the Government exchequer and we should not forget it.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय को थोड़ा विस्तार से रखूंगी। पूरे देश के अंदर आज हमारे पास 1569 टी एस्टेट्स हैं, जिसमें 12 बंद हो चुके हैं।

इसमें से 9 पश्चिम बंगाल में हैं और 3 केरल में हैं। एक टी गार्डन क्यों बंद हुआ, इसका कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है। इसकी बहुत सारी वजहें हैं जैसे टी गार्डन की यील्ड पूअर है या वहां पर मैनेजमेंट के कोई डिस्प्यूट्स हैं, ओनरशिप के कोई डिस्प्यूट्स हैं या इंडस्ट्रियल रिलेशंस रेस्ट्रेंड हैं या हम उसका मॉडर्नाइज़ेशन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तमाम कारण होते हैं। हम जब किसी भी टी गार्डन को क्लोज़ डिक्लेयर करते हैं तो राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर करते हैं।

इसके अलावा मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारा टी गार्डन बंद हो जाता है, हमारा जो टी एक्ट है, उसके अंदर यह प्रोविजन है कि यदि केंद्र चाहे तो उसको एक्वायर कर सकता है। लेकिन ऐसा निर्णय बहुत बार हम लेते नहीं हैं, क्योंकि यह कोर्ट में जा कर चैलेंज हो जाता है या कोर्ट्स का कोई डिफ्रेंट ओपिनियन होता है। आम तौर से किया यह जाता है कि उसके ओनरशिप राइट्स स्टेट गवनमेंट्स के पास रहते हैं और अगर कोई नया ऑन्त्रप्रेन्योर है, जो उसको चलाना चाहते हैं, 11 साल की लीज़ पर हम उसे देते हैं और वह उसको रिवाइव करने की कोशिश करता है। यह एक प्रचलन है, जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं।

DR. RAJDEEP ROY: Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity.

Sir, I come from Assam which happens to be the centre of tea activity in the country. Assam produces 70 per cent of tea in the country, and it has been going on for the last few decades. Through you, I would like to ask the hon. Minister whether the Government of India has a plan to shift the Tea Board Office from Kolkata to Guwahati which happens to be the centre of tea activity…. (*Interruptions*) May I finish my question? … (*Interruptions*) Sir, I need your protection. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

… (व्यवधान)

DR. RAJDEEP ROY: Sir, I would like to ask whether the Government of India has any plan to shift the Tea Board Office and the headquarters of other tea-trading Multi-National Companies from Kolkata to Guwahati. … (*Interruptions*) That is my first question.

My second question is this. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : एक ही सप्लिमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है, दो नहीं पूछे जाते हैं।

माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सर, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में विवरण दिया गया है कितना बड़ा पैकेज मिला है। कहीं लगभग 250 करोड़ रुपये के पैकेज का विवरण दिया गया है और कहीं 11 करोड़ रुपये के पैकेज का विवरण दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा पैकेज वित्त मंत्री ने पिछले साल 2021 में अपने भाषण में घोषित किया था, 1 हज़ार करोड़ रुपये का पैकेज प्रधान मंत्री के नाम पर। लेकिन उस पैकेज का आज कोई विवरण नहीं है। वह पैकेज गायब हो गया है। उस 1 हज़ार करोड़ रुपये में से एक पैसा भी न दार्जिलिंग को गया है और न असम को आया है। मंत्री जी बताएं कि यह वित्त मंत्रालय की जो स्कीम है इसको ले कर आपका मंत्रालय क्या कर रहा है?

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गौरव जी असम से आते हैं, आपके माध्यम से मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि सरकार की नीति और नीयत पर किसी भी प्रकार का संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2021-22 के बजट में 1 हज़ार करोड़ रुपये की घोषणा माननीय वित्त मंत्री जी ने की है। खास तौर से टी गार्डन में जो महिला वर्कफोर्स है, उनको और

उनके बच्चों को ध्यान में रख कर यह घोषणा थी। निश्चित रूप से इसमें समय लगा है और मैं इसको आपको पूरा विस्तार से बताऊंगी।

माननीय अध्यक्ष : विस्तार से तो आप दे देना। प्रश्न काल का समय समाप्त हो रहा है न, 12 बजने वाले हैं।

… (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष जी, फिर सवाल का उत्तर पूरा नहीं होगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कह दें कि सरकार गंभीरता से काम कर रही हैं। बस ठीक है।

… (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : अध्यक्ष जी, टी बोर्ड के लिए हज़ार करोड़ रुपये का जो पैकेज अनाउंस हुआ, उसके उपरांत प्रधान मंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को ड्राफ्ट किया और उसको आगे बढ़ाया। इसमें एक ओपिनियन यह आया कि जो तमाम वैलफेयर के प्रोविज़ंस हैं, एजुकेशन को ले कर हो, हेल्थ को ले कर हो या अन्य कोई सुविधाएं हों, हमारी भारत सरकार के पहले से ऐसे बहुत सारे मंत्रालय हैं, जिनकी कई स्कीम्स के ज़रिए ये तमाम फैसिलिटीज़ हम उपलबध करा रहे हैं और उनके पास पहले से एक इंस्टिट्यूशनल मैकेनिज्म उपलब्ध है। उसके बाद हमने यह तय किया कि टी बोर्ड बेनिफिशरीज़ को आइडेंटिफाई करेगा और इन मंत्रालयों के तहत इन योजनाओं में हम उनके बजट के ऊपर पैसा दे कर तमाम वैलफेयर स्कीम्स को पहुंचा सकते हैं। उसमें एक ऑपिनियन यह भी आया कि अगर हम चाहें तो एक कैपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को बना सकते हैं, चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो या अस्पताल हो या मेडिकल सेंटर हो, आयुष एण्ड वेलनेस सेंटर्स हों, स्कूल्स हों, कैंटींस हों, क्रेश हों, ये तमाम चीजें हम कर सकते हैं।

12.00 hrs

फिलहाल, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो एक एक्सपर्टीज़ है, वह हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के पास नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इन तमाम मंत्रालयों का, जैसे डब्ल्यू. सी.डी. मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स एण्ड

यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री है इत्यादि, इनके माध्यम से इन्हें एडिशनल फण्ड्स उपलब्ध कराकर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बना सकते हैं, जिससे इन सारे वेलफेयर प्रोविजंस को हम उस इंटेंडेड बेनिफिशियरीज तक पहुंचा सके, लेकिन अभी यह विचाराधीन है। यह हमारा एक प्रस्ताव है, जिसे हमने रखा है।… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : अध्यक्ष महोदय, यह जुमला है।… (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : सर, यह कोई जुमला नहीं है।… (व्यवधान) Gaurav Ji, no, not all. … (*Interruptions*) यह कतई जुमला नहीं है।… (व्यवधान) यह सरकार की एक बहुत ही इन-डेप्थ थिंकिंग है, इन-डेप्थ प्लानिंग है।… (व्यवधान) हम बहुत सोच-समझ कर और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हम सारे लाभ को इंटेंडेड बेनिफिशियरीज़ तक पहुंचाना चाहते हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उन्होंने आपको पूरी प्लानिंग बता दी। अब बैठिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : यह कोई जुमला नहीं है।… (व्यवधान) आप इसे समझने से इन्कार कर रहे हैं।… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Question. 388 – Shri Vishnu Dayal Ram

… (*Interruptions*)

श्रीमती अनुप्रिया पटेल : आप स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पश्चिम बंगाल और असम के हमारे जो भी टी-गार्डेन वर्कर्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए काम कर रही है।… (व्यवधान) आप उनके हितों के साथ नहीं हैं, इसलिए आप यह सुनना नहीं चाह रहे हैं।… (व्यवधान) अगर आप टी-गार्डेन की वर्क फोर्स के साथ हैं, अगर आप उनके हितों के साथ है तो सुनिए।… (व्यवधान) सरकार बहुत ही व्यवस्थित ढंग से 1,000 करोड़ रुपये के पैकेज के लिए योजना बना रही है और योजनाबद्ध तरीके से उसे हमारे इंटेंडेड बेनिफिशियरीज तक पहुंचाने के लिए मंथन कर रही है।… (व्यवधान) गौरव जी, आप सुनना नहीं चाहते हैं और न

ही आप समझना चाहते हैं ।... (व्यवधान) अगर आप समझना नहीं चाहते हैं, अगर आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको नहीं समझा सकते हैं ।... (व्यवधान) You have to understand that the Government is deeply committed to the interests of the beneficiaries, the women workers in our workforce, in the tea gardens. We are deeply committed to their children's welfare. You must understand what I am trying to explain to you in great detail. Thank you, Sir.

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos.388 to 400
Unstarred Question Nos.4371 to 4600)
(Page No.54 to 646)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर माननीय सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है।

…(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : अध्यक्ष महोदय।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में आप अपनी बात रखिएगा।

… (व्यवधान)

12.03 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नं. 2 - डॉ. जितेन्द्र सिंह।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' और समूह 'ख' पुस्तकालय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 29 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 512(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' और समूह 'ख' प्रकीर्ण पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 29 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 513(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' और समूह 'ख' हिन्दी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 773(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 6840/17/22]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6841/17/22]

(2) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 6842/17/22]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): अध्यक्ष महोदय, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 के लिए निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6843/17/22]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2022 जो 18 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 137(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सा.का.नि. 169(अ) जो 2 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ प्रत्यायित निजी अन्वेषण एजेंसियों की अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देशों में यथापरिभाषित 'श्रेणी क अन्वेषण एजेंसियां' के अंतर्गत मैसर्स प्राकृतिक संसाधन प्रभाग - टाटा स्टील लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 6844/17/22]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 6845/17/22]

(2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1262(अ) जो 22 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6846/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Export Inspection Council (including its Export Inspection Agencies), New Delhi, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Export Inspection Council (including its Export Inspection Agencies), New Delhi, for the year 2020-2021, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Export Inspection Council (including its Export Inspection Agencies), New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6847/17/22]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the MEPZ Special Economic Zone, Chennai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Noida Special Economic Zone Authority, G. B. Nagar, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the MEPZ Special Economic Zone, Chennai, and Noida Special Economic Zone Authority, G. B. Nagar, for the year 2020-2021.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6848/17/22]

(5) A copy of the Marine Products Export Development Authority (Amendment) Rules, 2021 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.901(E) in Gazette of India dated 28th February, 2022 under sub-section (3) of Section 33 of the Marine Products Export Development Authority Act, 1972.

[Placed in Library, See No. LT 6849/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Wool Development Board, Jodhpur, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Wool Development Board, Jodhpur, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6850/17/22]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool Industry Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool Industry Export Promotion Council, Mumbai, for the year 2020-2021.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6851/17/22]

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Birds Jute and Exports Limited, Kolkata, for the year 2020-2021.

(ii) Annual Report of the Birds Jute and Exports Limited, Kolkata, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 6852/17/22]

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Wool and Woollens Export Promotion Council, New Delhi, for the year 2020-2021.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 6853/17/22]

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the South India Textile Research Association, Coimbatore, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 6854/17/22]

(10) A copy of Notification No. S.O.5421(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28th December, 2021, directing that the commodities specified in Column (2) of the notification shall be packed in Jute Packaging material for supply or distribution in such minimum percentage as specified in column (3) of the notification with effect from the date of publication of the notification in the official Gazette upto 30th June, 2022, under sub-section (2) of Section 3 of the Jute Packing Material (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987.

[Placed in Library, See No. LT 6855/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PRAKASH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Productivity Council, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6856/17/22]

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 40 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016:-

i. The Safety Glass (Quality Control) Amendment Order, 2022 published in Notification No. S.O.620(E) in Gazette of India dated 11th February, 2022.

ii. The Bicycles-Retro Reflective Devices (Quality Control) Amendment Order, 2021 published in Notification No. S.O.5400(E) in Gazette of India dated 24th December, 2021.

iii. The Refrigerating Appliances (Quality Control) Amendment Order, 2021 published in Notification No. S.O.5339(E) in Gazette of India dated 22nd December, 2021.

iv. The Air Conditioner and its related Parts, Hermetic Compressors and Temperature Sensing Controls (Quality Control) Amendment Order, 2021 published in Notification No. S.O.5095(E) in Gazette of India dated 8th December, 2021.

[Placed in Library, See No. LT 6857/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

i. Memorandum of Understanding between the Telecommunications Consultants India Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 6858/17/22]

ii Memorandum of Understanding between the Bharat Broadband Network Limited and the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, for the year 2021-2022.

[Placed in Library, See No. LT 6859/17/22]

(2) A copy of the Output Outcome Monitoring Framework (Hindi and English versions) of the Department of Communication, Ministry of Communication, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 6860/17/22]

(3) A copy of the Flight and Maritime Connectivity (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.154(E) in Gazette of India dated 24th February, 2022 under sub-section (5) of Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.

[Placed in Library, See No. LT 6861/17/22]

12.04 hrs

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report the following messages received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

1 "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation Bill, 2022, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 24th March, 2022 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

2 "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance Bill, 2022, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 25th March, 2022 and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

12.05 hrs

COMMITTEE ON PRIVILEGES
4th Report

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.05 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY
36th Report

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): अध्यक्ष महोदय, मैं संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित '5जी के लिए भारत की तैयारी' विषय पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति (2021-22) का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

12.06 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)Status of implementation of the recommendations contained in the 352nd Report of the Department related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the Government on the recommendations/observations contained in 342nd Report of the committee on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 352nd Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on action taken by the Government on the recommendations/ observations contained in 342nd Report of the committee on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6838/17/22.

<u>12.06 ½ hrs</u>

(ii)Status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Functioning of National Institute of Fashion Technology (NIFT)' pertaining to the Ministry of Textiles*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I rise to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 20th Report of the Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development on 'Functioning of National Institute of Fashion Technology (NIFT)' pertaining to the Ministry of Textiles.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6839/17/22..

12.07 hrs

MOTION RE: 32nd REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, I rise to move the following:-

> "That this House do agree with the Thirty-second Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 29th March, 2022."

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 29 मार्च, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

____

SHRI D.M. KATHIR ANAND (VELLORE): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on a very important matter.

Sir, the Union Government has a lot of dues towards the States, especially towards the State of Tamil Nadu. The Union Government owes money to the State of Tamil Nadu against 38 heads. The GST claim alone comes to around Rs.9842 crore. The custom milled rice subsidy comes to around Rs.2023 crore. An amount of about Rs.1360 crore is pending in terms of MGNREGA. Dues of about Rs.1086 crore are pending in terms of Jal Jeevan Mission. An amount of about Rs.964 crore is pending under PMAY scheme, and grants to the local bodies come to around Rs.799 crore. Even the funds under Post-Matric Scholarship are also pending. Like this, a lot of money is due with the Central Government towards the State Government of Tamil Nadu. If I total it up, it comes to around Rs.20,287 crore.

Sir, I want to know how a Government can run a State without the Union Government allocating any funds to it at all. Tamil Nadu is one of the States where the maximum GST revenue collection happens. If GST revenue does not happen, the individual organizations and corporates are punished and face all hell in the State. Therefore, through you, I request the Union Government to look into this matter and release the requisite funds as early as possible.

Sir, our hon. Chief Minister has also put in a request to the Union Government to extend the date of GST compensation period, which is coming to an end on June 30, 2022. The State Government of Tamil Nadu has urged

the Union Government to extend it by another one financial year as the State could face a revenue loss of about Rs.20,000 crore. *....(Interruptions)*

Sir, through you, I request the Union Government to consider the demand of the State Government. Thank you.

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Sir, with due respect, I would like to say that there is a Kendriya Vidyalaya at Prantik adjoining Shanti Niketen in the district of Birbhum, West Bengal. But this Kendriya Vidyalaya is up to class 10 only. After passing out class 10 exams, the students of that vidyalaya have to run to distant places for admission to class 11. As a result of this, both the students and the guardians have to face a lot of trouble year after year.

It is a holy place of Kobeeguru Rabindranath Tagore. I humbly urge the Central Government that this vidyalaya should be upgraded to class 12 in honour of Gurudev Rabindra Nath Tagore, and also in the interest of the students.

Therefore, through you, Sir, I would like to draw the kind attention of the hon. Education Minister, Government of India towards this issue of urgent public importance. Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Chandra Sekhar Sahu – not present.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Hon. Speaker, Sir, I wish to register a strong protest on behalf of the people of Kerala over the decision of the Government to remove 387 leaders of Malabar Rebellion, including its brave leaders like Variyamkunnath Kunjahammad Haji and Ali Musaliyar, from the

Dictionary of Martyrs of India's Freedom Struggle jointly published by the Ministry of Culture and Indian Council of Historical Research (ICHR).

I condemn the move of the Government to portray the Malabar Rebellion just as a revolt between two religions, for the sake of narrow political gains. Kunjahammed Haji was such a fearless leader that even the British officers were shocked and on his request, they shot him sight-straight without blindfolding. It is a historically recorded fact that being afraid of his martyrdom and that his grave might be used as an inspiration for freedom fighters, the Britishers cremated his body and even his mortal ash was destroyed. But even then, the memories of leaders like Kunjahammed Haji and Ali Musaliyar could not be destroyed by the Britishers and they are remembered even now by millions for their fearless fight against the Britishers.

India's freedom struggle is adorned by sacrifices of thousands of such valiant martyrs as recorded by our historians. Hence, removing a few names based only their religion is unacceptable. There is no logic in removing these 387 leaders as they have been officially recognized as freedom fighters by the Government of Kerala.

Hence, I once again request this Government not to distort the history and direct ICHR to revert its decision to remove the 387 leaders from the list of freedom fighters from the fifth volume of the *Dictionary of Martyrs of India's Freedom Struggle*.

Thank you.

श्री पशुपति नाथ सिंह (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय पर आपने सदन में मुझे बोलने का अवसर दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र से देश की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सड़क, जिसको सम्राट अशोक ने बनाया था, वह जीटी रोड के नाम से जानी जाती थी। एनएच 2 का नवीकरण होना है। हमारे क्षेत्र में बरवडा से लेकर मैथन तक पिछले चार-पांच वर्षों से सिक्स लेन बनाने का कार्य चल रहा है, जो आज भी आधा-अधूरा है। माननीय मंत्री गडकरी जी को पूरे देश में विकास का यश मिला है। सड़कों के विकास में उनकी अभिरुचि भी रही है और वे विकास कर भी रहे हैं। वहां जितने भी मोड़ हैं, चाहे वह बरवडा मोड़ हो, गोबिंदपुर हो, निरसा हो, जितने भी चौक हैं, सब जगह आधे-अधूरे काम की वजह से वहां पर हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं।

महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उस सड़क को बनाया जाए और हर एक चौराहे को भी चुस्त-दुरुस्त किया जाए।

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे (हातकणंगले): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं सभागृह का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

पूरे देश में पिछले साल बाढ़ और कोरोना जैसी हालत बनी रही। बारिश, बाढ़, चक्रवात जैसी अलग-अलग नैसर्गिक आपदाओं से देश की जनता, सरकारी मालमत्ता, इनफ्रास्टक्चर का भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान का मुआवजा सरकार के एनडीआरएफ की तरफ से दिया जाता है। एनडीआरएफ का नुकसान भरपाई का मुआवजा देने का जो प्रावधान है, वह वर्ष 2015 में तय किया गया था। इसके तहत आज भी इनफ्रास्ट्रक्चर के लिए या किसानों के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसमें आबंटित की जाने वाली राशि बहुत ही कम है।

मैं आपका कुछ आंकड़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नॉन इरीगेटेड लैंड के लिए 6,800 रुपये का मुआवजा दिया जाता है और इरीगेटेड लैंड के लिए प्रति हेक्टेअर 18,500 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है।

यह राशि बहुत ही कम है, जिसके माध्यम से किसानों का कुछ भी नहीं हो सकता, प्रति हैक्टेयर ही हम इतना कम पैसा दें तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सरकारी माल मताओं का जो नुकसान हुआ है। कच्चे मकान के लिए सिर्फ 6 हजार रुपये का मुआवजा, मकान पूरा गिर जाए तो 95,100 का मुआवजा है, हजारों किलोमीटर यहां रास्ते खराब हुए हैं। प्रति किलोमीटर राजमार्ग के लिए 1 लाख रुपये की राशि दी जाती है।

मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इसमें दस गुना बढ़ोत्तरी की जाए, जिसके माध्यम से देश की जनता इसका उपयोग कर सके। … (व्यवधान)

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान शाहजहाँपुर जनपद की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में शाहजहाँपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग 24 गुजरता है। भरतमान में राष्ट्रीय राजमार्ग बरेली-शाहजहाँपुर-सीतापुर निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 11 वर्षों से यह कार्य बंद था।

मैं माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वहां पर रोड देने का काम किया है। इसके साथ, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वहां सड़क निर्माण में जुड़ी जो संस्थाएं हैं, अभियंताओं द्वारा मिलीभगत करके घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।

मैं व्यक्तिगत रूप से 8 मार्च को केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव महोदय से भी मिला था और पूरी बात उनके सामने रखी थी।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर संबंधित अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में गांव और गरीब की रसोई तक पानी पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन चालू की गई है, मैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

यह एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें हर गरीब के घर में सरकार प्रबंध कर रही है कि पीने का पानी, स्नान के लिए और पूजन के लिए पानी सीधे उसके घर में पहुंच सके। लेकिन बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जो पैसा सरकार भेज रही है, उसका वहां पर पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। कहीं पर गुणवताहीन पाईप का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर नल की टोंटी लगाकर नहीं दी जा रही है, कहीं पर नाली खोद कर पाईप बिछाए गए, लेकिन दोबारा से उन नालियों को बंद कर सड़क ठीक नहीं की गई। जबकि नियम में प्रावधान है कि यह सब ठीक करके देना है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जिस तरह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सेंट्रल मोनिटरिंग सिस्टम का इंतजाम किया गया है, उसके कारण हम सड़कों की गुणवतापूर्ण बनाकर रख पाते हैं। सेंट्रल मोनिटरिंग नहीं होती तो शायद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क इतनी बेहतर नहीं बन सकती थी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन देश में एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें हर घर में पानी भेजने का इंतजाम करने की व्यवस्था है। सरकार इसमें सेंट्रल मोनिटरिंग सिस्टम बनाकर राज्यों और जिलों में जाकर इसकी गुणवता की जांच करती रहे ताकि बेहतर निर्माण हो सके और स्वच्छ पानी घरों में पहुंच सके। भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और निर्माण के माध्यम से जल हमारे गांव-गांव तक पहुंच सके, सरकार इसकी व्यवस्था करे। एक सेंट्रल मोनिटर सिस्टम अप्वाइंट करे, यही मेरा मंत्री जी से आग्रह है।

श्री राहुल कस्वां (चुरू): अध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू में जैन धर्म के अनुयायी निवास करते हैं और ये अधिकतर व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं, जो देश-विदेश में व्यापार हेतु निवास करते हैं। इस वर्ष जून महीने में जैन धर्म गुरू आचार्य श्री महाश्रवण जी चर्तुथ मास हेतु छापर शहर में आ रहे हैं। यह हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए गौरव की बात है। विडम्बना इस बात की है कि छापर एक बड़ा शहर है और 40 हजार से ऊपर उनकी आबादी है। बहुत सी महत्वपूर्ण ट्रेनें इस क्षेत्र से गुजरती हैं, उनका स्टॉपेज यहां नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से रेल बजट के समय भी यह बात कही थी कि एक विंडो छह महीने की दी जाए, जहां बड़े-बड़े स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है और छोटे-छोटे स्टेशनों पर ठहराव हो जाता है।

मेरा निवेदन है कि गाड़ी संख्या 22421/22482 जो जोधपुर की गाड़िया हैं, छापर और बतरा में स्टॉपेज कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। मेरा निवेदन है कि छः महीने की विंडो के साथ मौका दिया जाए ताकि अगर आगे रेवेन्यू जनरेशन न हो तो इसे बंद किया जा सके। मेरा यही निवेदन है कि एक मौका अवश्य देना चाहिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, 17 फरवरी, 2014 को हिंदुस्तान की इस पार्लियामेंट में यूपीए सरकार ने मैडम सोनिया जी की नसीहत पर फैसला किया था और यह फैसला चिदंबरम और मनमोहन जी ने सदन के अंदर सुनाया गया था कि कोश्यारी कमेटी की रिकमेंडेशन के मुताबिक हिंदुस्तान के फौजी भाइयो के लिए वन रैंक, वन पेंशन शुरू कर रहे हैं। जो सरकार और पार्टी फौजियों के बलिदान और वीरता के नाम पर वोट बटोरती है, असली समय यानी जब फौजियों की मदद करने की नौबत आती है तो यह सरकार पीछे हटती ही नहीं बल्कि इनका विरोध भी करती है। … (व्यवधान) हमने यह विरोध देखा है।

महोदय, तीस लाख से ज्यादा वीर जवानों ने देश की सीमाओं की रक्षा करने में सारी जिंदगी गुजार दी । जब सुप्रीम कोर्ट में वन रैंक, वन पेंशन के लिए बार-बार गुहार लगाई तो इस सरकार ने पुरजोर विरोध किया और इस विरोध के चलते साबित कर चुके हैं कि वह फौजियों के साथ नहीं हैं । ... (व्यवधान) ये अपना स्वार्थ चरितार्थ करने के लिए फौजियों का नाम लेकर, बलिदान के नाम पर वोट लेते हैं। ... (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत धन्यवाद । आज मैंने एड्जर्नमेंट मोशन भी दिया था और अब मैं दोनों विषय क्लब करने की कोशिश करता हूं।

महोदय, नोटबंदी, लॉकडाउन, निजीकरण और श्रमिकों के लिए बनाए गए कानून के कारण कर्मचारी बहुत हताश हैं । दुर्भाग्यवश कानून में कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे जिंदगी भर उसी तनख्वाह पर काम करना है। लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। मुम्बई शहर में टैक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत अव्यवस्था है, मैं यह सात सालों से बोल रहा हूं। वहां मिल मजदूर बार-बार सरकार से मांग कर रहे हैं कि मिलों को शुरू किया जाए। दूसरी तरफ एक और मांग भी हो रही है। मिलों की पुरानी इमारतें 100 साल पुरानी हैं, ढहने को आई हैं, न उनका पुनर्विकास कर रहे हैं और न ही मिलें शुरू कर रहे हैं। रोजगार के विषय को अगर दोनों तरफ से देखें तो निवासी इमारतें और मिलों का पुनर्विकास करने से रोजगार उपलब्ध होगा, लेकिन सरकार दोनों पर निर्णय नहीं ले रही है, न निवासी इमारतों का ले रही है और न ही बंद मिलों का ले रही है। यहां थोड़ी मिलें चालू थीं, कोरोना के समय लॉकडाउन था, कहने लगे कि धंधा नहीं है, लेकिन अब तो धंधा शुरू हो गया है तो भी इसे चालू नहीं कर रहे हैं।

महोदय, कल दो दिन हड़ताल हुई। इतने बुरे दिन नहीं आए कि किसानों जैसे श्रमिक भी रास्ते पर आ जाएं। जो कानून बनाए हैं, इससे उनके जीवन में अनिश्चितता आई है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन की जो मिलें बंद पड़ी हैं, उन्हें पुनर्जीवित किया जाए और जो इमारतें ढहने को आई हैं, उनका भी पुनर्विकास किया जाए। यही मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, while speaking about sacrifice of our health workers to protect our nation from the COVID-19 pandemic, we have to address the exact issues they are facing now-a-days. I will tell you what they are getting as salaries or honorarium. The staff nurse is getting only Rs. 17,000 under NHM; it is Rs. 14,000 for lab Technician and pharmacist; especially in the case of ASHA workers, they are getting only Rs. 9,000 in Kerala - Rs. 6,000 is the State’s share, and Rs. 3,000 is the Central share. Out of Rs. 3,000, Rs. 1,000 is given as COVID incentive. From the next month, it will not be there. It means that only Rs. 2,000 would be there from the Central part. It should be increased for the work that they are doing. They are doing PHC duty, palliative care, vaccination, immunization etc. they are doing everything.

Right to live with dignity is a Fundamental Right. We have to protect them. So, it should be increased by 100 per cent. It is absolutely necessary. We need the Central share to be enhanced to Rs. 5,000. That is necessary. I urge upon the Government to increase it. They should get at least Rs. 10,000 per month.

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): Thank you, Sir. The Soil Health Card scheme has led to a decline of 8-10 per cent in the use of chemical fertilizers and also raised productivity by 5-6 per cent. The issuance of the Soil Health Cards has enabled the farmers to understand the soil health parameters and improve the productivity by judicious application of soil

nutrients. But there are some issues attached to the applicability of the scheme.

Although the basic structure of Soil Health Cards is uniform, yet there is a need of provision for States to adopt changes as per their agro-climatic zones and needs. Indicators like cropping history, water resources, slope and depth of soil, and soil texture could be changed as per requirement for enhanced testing. There is a need that the Soil Health Cards should also mention physical and microbiological indicators such as soil texture, water holding capacity, and bacterial content. … (*Interruptions*)

I would therefore request the Government to address the issues at the national level and ensure provision of necessary benefits of the scheme to the farmers.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की एक गंभीर समस्या की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ से कांग्रेस ...* के बेटे पर नाबालिग छात्रा से रेप करने का आरोप लगा है। मामला दौसा के मांडवाड़ थाने में दर्ज हुआ है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, ...* बेटे और उसके दोस्तों ने दसवीं की छात्रा के साथ पहले गैंगरेप किया, उसके बाद अश्लील वीडियो बनाकर उसको लंबे समय तक ब्लैकमेल किया। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी केंद्र से मांग क्या है?

… (व्यवधान)

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री हनुमान बेनीवाल : सर, मैं डिमांड कर रहा हूं। राजस्थान की पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी मांग क्या है?

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करूंगा कि इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। क्योंकि, जिस दल की सरकार राजस्थान में है, उसी पार्टी के …* बेटे पर लगे आरोपों की जांच न सरकार करा पाएगी और न राज्य सरकार की कोई एजेंसी कर पाएगी। इस मामले में केंद्र के जो आयोग हैं, उनसे भी अपील है कि वे सख्ती से इस मामले पर कार्रवाई करें।

अध्यक्ष महोदय, चाहे अलवर थाना क्षेत्र का मामला हो या मूक बधिर बालिका का मामला हो। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मितेश पटेल जी।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सेकेंड में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, इनके … * के अंदर कहते हैं कि राजस्थान रेप के मामले में इसलिए नम्बर वन है, क्योंकि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। यह राजस्थान सरकार की हालत है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, मैं इस विषय को देख लूंगा।

… (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री हनुमान बेनीवाल : यहां की एक नेत्री उत्तर प्रदेश के अंदर कहती हैं कि 'मैं बेटी हूं, लड़ सकती हूं', तो वे राजस्थान के अंदर जाकर यह बात क्यों नहीं कहती हैं? … (व्यवधान)

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आनंद): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । आनंद जंक्शन गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक प्रमुख जंक्शन है। वह ऐसी रेलवे लाइन पर है, जो अहमदाबाद को वड़ोदरा और मुम्बई से जोड़ता है। यह वर्ष 1901 में बना था। उस दौरान आनंद जंक्शन बहुत कम विकसित हो पाया था । आनंद शहर तब से अब तक काफी विकसित हो चुका है । अमूल डेयरी और सरदार पटेल साहब की कर्मस्थली होने के कारण यहां देश के कोने-कोने से पर्यटक आते हैं। आपको ज्ञात होगा कि आनंद प्रवासी भारतीयों का गढ़ होने के साथ-साथ शिक्षा का भी बहुत बड़ा हब बन चुका है । करीब 40,000 से ज्यादा आनंद के बाहर के छात्र अपने शैक्षिक भविष्य के दृष्टिगत वल्लभ विद्या नगर में आते हैं। विदेश के लोगों का आवागमन, प्रवासी भारतीयों का क्षेत्र, शिक्षा और पर्यटन की दृष्टि से आनंद किसान को बढ़ाने के लिए आंनद जंक्शन का अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन अत्यंत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आनंद रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन हेतु आदेश देने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपने मुझे अपने संसदीय क्षेत्र के एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है। महोदय, एक अंतराज्यीय परियोजना है, जिसका नाम उत्तर कोयल सिंचाई योजना है। यह परियोजना आज से 45 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक अधूरी है। इस परियोजना से दो राज्यों, झारखंड का पलामू जिला और बिहार का औरंगाबाद तथा गया, इन दोनों जिलों को मिलाकर सवा लाख भूमि की सिंचाई होनी है। इस परियोजना के अधूरे काम को पूरा करने का शिलान्यास हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने 4 जनवरी, 2019 को किया था। उस काम को पूरा करने के लिए 30 महीने निर्धारित किए गए थे। काम चल रहा है, लेकिन जिस गति से काम चलना चाहिए, ताकि वह काम अपने निर्धारित समय में पूरा हो जाए।

महोदय, मैं यह बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। उसका उद्देश्य यह है कि यह परियोजना मेरे संसदीय क्षेत्र की जीवनरेखा है, मेरे यहां के किसानों के जीने का आधार है। ये जो तीनों जिले हैं, ये पूरी तरह से नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, उग्रवाद से प्रभावित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड का पलामू, बिहार का औरंगाबाद और गया, इन तीनों जिलों के पिछड़े होने के कारण आकांक्षी जिलों की सूची में भी रखा है। हर तरह से हमें यह हक है, हर तरह से हमें यह अधिकार है कि इस परियोजना को पूरा कराया जाए, ताकि हमारे किसानों के खेतों में उत्तर कोयल नहर का पानी पहुंच सके। वहां की अर्थव्यवस्था, वहां के किसानों के जीवन जीने का जो आधार है, वह इस परियोजना के माध्यम से पूरा हो सके। वहां बेरोजगारी भी दूर होगी, नक्सलवाद की समस्या भी खत्म होगी और हमारे किसान भी खुशहाल होंगे। पांच-पांच संसदीय क्षेत्रों को यह परियोजना आच्छादित करती है। महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है कि जिस तरह से हमारी सरकार ने 'प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना' और पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने का काम शुरू किया है, इस उत्तर कोयल सिंचाई योजना को भी कम से कम समय में पूरा किया जाए। आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसमें सरकार का कोई खर्चा नहीं होगा, जो लोग यहां पर बैठे हैं, हम सबको और सरकार को दुआएं भी मिलेंगी। आजकल हमारी यहां की शादियों में इतने लोग इकट्ठे होते हैं, इतने ज्यादा लोग बुलाए जाते हैं। मेरे पास एक मेन्यू है, इस मेन्यू में 289 चीजें हैं। इस मेन्यू में एक प्लेट का खर्च 2,500 रुपये है।

माननीय अध्यक्ष : आपकी मांग क्या है?

श्री जसबीर सिंह गिल : महोदय, मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें एक ऐसा कानून बनाना चाहिए, जिसमें 50 से ज्यादा लड़के वाले न आएं और 50 से ज्यादा लड़की वाले न हों और उस शादी में 11 से ज्यादा डिशेज़ न रखी जाएं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर इस काम को आप शुरू कर देंगे, तो देश भी शुरू कर देगा।

श्री जसबीर सिंह गिल : महोदय, हमने तो शुरू किया है। अगर लोगों को बचाना है, तो हमें यहां पर एक कानून लेकर आना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कानून से नहीं, यह हम सबकी इच्छाशक्ति से होगा।

श्री जसबीर सिंह गिल : महोदय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : अगर देश के सभी माननीय सांसद ऐसा करने लग जाएं, तो देश करने लग जाएगा। हम देश की जनता का नेतृत्व करते हैं।

श्री जसबीर सिंह गिल : महोदय, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ऐसा कानून है। अगर लोगों को बचाना है, तो हमें यह कानून बनाना पड़ेगा।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से माननीय नागर विमानन मंत्री जी का ध्यान मेरे मालदा जिले में एक हवाई अड्डे के निर्माण की ओर दिलाना चाहता हूं।

महोदय, मालदा पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण शहर है। जहां पर केन्द्र सरकार के कार्यालय, रेलवे डिवीजन, बीएसएफ कैंप, दो केन्द्रीय विद्यालय, एनटीपीसी, पावर ग्रिड के अलावा व्यापारिक गतिविधियां भी होती हैं। यहां के नागरिकों की सबसे बड़ी समस्या वायु यातायात की है। यहां से निकटतम हवाई अड्डे बागडोगरा और कोलकाता हैं। मालदा से बागडोगरा की दूरी 250 किलोमीटर तथा कोलकाता की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। देश में ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं, जहां किसी एक शहर से हवाई अड्डा इतनी दूर है। इसके लिए इमरजेन्सी सेवाओं में चिकित्सा हेतु भी इसकी परम आवश्यकता है।

अतः इन परिस्थितियों में मालदा में हवाई परिवहन सेवा हेतु हवाई अड्डे का निर्माण आवश्यक है। इस हेतु मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूं कि पुराने हवाई अड्डे के नवीनीकरण से भी इस समस्या का समाधान हो सकता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः मालदा को हवाई यातायात के नक्शे पर जोड़ने के लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं।

***श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर):** Hon'ble Speaker Sir, thank you very much. I would like to speak in Marathi.

Sir, under Pradhan Mantri Awas Yojana, our Hon'ble Prime Minister has envisioned Housing for All by 2022. It is also a very ambitious scheme of the Central government. But, in my constituency first phase was sanctioned and the beneficiaries did not receive the benefit of second and third installment in Nagar Palika Region. I am personally pursuing it at the central level. Central government has given the installments to the State government and the State government is doing politics in this matter. Many Members of Parliament have registered their complaints in this matter. In this way, the poor are deprived of their money.

So, I would like to request the Central government to look into it. The Central government should review the progress of the scheme and also check how many Nagar Palikas have received funds under this scheme. PLTC Committee has been constituted to monitor this and engineer and operators have also been appointed. But they are not getting their salaries. If we pay them regularly, they will definitely ensure proper and speedy execution of this scheme.

This is my only request to you, thank you.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Marathi.

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, the retired employees of BSNL and other Central Government employees in my Ongole Parliamentary constituency are requesting for sanctioning of CGHS wellness centre in Prakasam district of Andhra Pradesh. There is a large number of Central Government serving and retired employees in my constituency. I have also written a letter to the hon. Health Minister for the same as the CGHS beneficiaries are facing a lot of problems in their treatment as there is no wellness centre in Prakasam district.

Another problem is that after bifurcation of Andhra Pradesh, there is no Additional Director (Administration) and Director of CGHS Polyclinic in Andhra Pradesh which is also creating hurdles in their claim settlements. I request the hon. Health Minister through you, Sir, for sanctioning a CGHS wellness centre in Prakasam district of Andhra Pradesh and for sanctioning the post of Additional Director (Administration) and Director of CGHS Polyclinic in Andhra Pradesh for smooth functioning of CGHS centres in Andhra Pradesh.

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पहली क्लास से आठवीं क्लास तक के बच्चों के लिए तो राइट टू एजुकेशन की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आठवीं कक्षा के बाद उन बच्चों के माता-पिता उनकी फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन बच्चों का भविष्य फिर से अंधकार में जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर माननीय

प्रधान मंत्री जी आठवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन को अनिवार्य कर देंगे तो इस देश के करोड़ों बच्चों का बहुत भला हो जाएगा।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सर, कभी-कभी पिछली सरकार को भी श्रेय देना चाहिए ।... (व्यवधान)

श्री मनोज कोटक (मुम्बई उत्तर-पूर्व): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों में रेलवे के माध्यम से 30 से 35 सालों से बसे हुए लोगों को नोटिस देने का काम हुआ है। झोपड़-पट्टी विकास मण्डल की याचिका के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया और इन सभी जमीनों के पुनर्वास की योजना करने के लिए रेलवे, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरणों को कहा गया। इसके साथ ही क्लॉज में यह भी कहा गया कि पुनर्वास की योजना पहले बताई जाए। रेलवे ने इनको नोटिस दे दिया है, लेकिन पुनर्वास की किसी तरह की योजना का प्रावधान नहीं किया है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि मध्य रेलवे के निकट घाटकोपर, विखरोली, ठाणे जैसे सभी क्षेत्रों में बसे हुए लोगों के पुनर्वास की योजना के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, एसआरए, बीएमसी तथा एमएमआरडीए को मिलाकर एक बोर्ड का गठन किया जाए।

इनके पुनर्वास की योजना पहले तैयार की जाए। आज नोटिस मिलने के बाद इनके अंदर भय का वातावरण है। सरकार को इसमें सक्रियता से भाग लेते हुए, राज्य सरकार और स्थानिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर इनके पुनर्वास की योजना बनानी चाहिए।

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BEHRAMPUR): Sir, in my Parliamentary Constituency, National Highway 16 goes from Ichhapuram to Rambha Junction. One flyover near Haladiapadar new bus stand junction has been under construction since long and the company or the contractor who executes this work in Ichhapuram to Puintola section have not been maintaining standards of construction and not following the timeline fixed for completion due to which people of my Constituency have been facing a lot of difficulties.

Similarly, on the portion from Puintola to Rambha junction many subways and flyovers are under construction. However, the progress of work as well as standard of work of almost all these subways and flyovers is very poor.

There has been no inspection of work by NHAI officials responsible for this project. As per my limited technical knowledge, material used in the construction is not as per the norms of NHAI. Moreover, officials of NHAI are also not taking any care of it. During my stay in my Constituency, I frequently use this section but I never see any of the NHAI officials checking the progress and quality of work of the project. The people have been facing a lot of problems due to which there has been unrest among the people in my Constituency. They are ready to draw the attention of the Government through democratic way of protests.

*__SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL):__ Thank you Sir. I would like to draw kind attention of the Government and the concerned Minister to an important matter concerning my state Odisha.

As you are aware the retirement age for Doctors is 65, all over India, but in Coal India it is 60. During the pandemic the Doctors & Health Workers did a challenging job and we called them Corona Warriers. But now they have retired and awaiting to get their pension. All the coal mine-workers and employees are facing a lot of hardship because of the absence of

---

* English translation of the Speech originally delivered in Odia.

Doctors/medical facilities. It is very unfortunate that the 7th Pay Commission is yet to be implemented in their salary structure. Retired employees and Doctors are undergoing a lot of distress.

Sir my constituency produces the largest amount of coal in the whole of India. Through you I would like to request the Hon'ble Minister and the government to take the important and timely decision to implement 7th Pay Commission at the earliest, so that the pensioners and employees can benefit.

माननीय अध्यक्ष : श्री विजय बघेल – उपस्थित नहीं ।

श्री सुनील कुमार सोनी ।

श्री सुनील कुमार सोनी (रायपुर): धन्यवाद, अध्यक्ष जी। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है। छत्तीसगढ़ के अंदर केन्द्र सरकार का पैसा आने के बाद में, छत्तीसगढ़ सरकार ने टेंडर जारी किया और फिर आरोप लगने के बाद टेंडर निरस्त कर दिया। वहां पर अभी मैंने जल जीवन मिशन के तहत आंकड़े मांगे तो पता चला कि वह योजना अभी तक 18 प्रतिशत लोगों तक पहुंची है। प्रधानमंत्री जी की यह योजना वर्ष 2023 तक कम्प्लीट होनी है।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एक बार छत्तीसगढ़ सरकार की समीक्षा करें, ताकि हमारी जो माताएं-बहनें एक-दो किलोमीटर दूर तक जाकर पानी लाती हैं, उनको इस समस्या से निजात मिले। माननीय मंत्री जी से यही निवेदन है। आपको धन्यवाद देता हूं।

*__SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK):__ Hon’ble Speaker Sir, I would like to thank you for allowing me to speak in Zero Hour. Through you I would like to request the Hon’ble Minister that the ICDS scheme which is running for the last 45 years from 1975 onwards is a Central government scheme entirely. This scheme is entrusted with the mandate to reduce female and child mortality which is such an important responsibility. Yet more than 25 lakh Anganwadi Workers and assistants are yet to get government recognition.

As per the 7th Pay Commission the minimum salary as fixed at Rs.18,000/- per month, but it has not been implemented in this case. During the Covid period they risked their own life to serve people. It is a matter of regret that the Central government is neglecting their demands even though this is entirely a centrally funded scheme. The Anganwadi workers have sat on Dharna/demonstrations on National Highways to voice their protest.

Hence Sir, through you I would urge upon the Union Minister of Women and Child Development to take cognizance of the plight of ICDS workers and mitigate their grievances at the earliest.

---

* English translation of the Speech originally delivered in Odia.

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Thank you, Sir. This is a very important issue regarding my constituency, Rajampet. The road from Rajampet to Tirupati has to be taken up on priority. This is long pending. Even the land acquisition has been completed. Through you, I would request that this road is to be taken up on priority and the tenders are to be expedited.

Also, regarding the road from Rajampet to Kadiri, which is an important connectivity to Bangalore, we have put a request for conversion of this road from State Highway to National Highway. Even our Chief Minister has requested the same. So, through you, I would request the Government to expedite taking up this road under National Highway and also to start the execution soon.

Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात एक मिनट में कह दें और संसद के स्तर की बात रखें। हमें सदन का स्तर ऊपर उठाना है।

… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, गैंग रेप हुआ उसके बारे में…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात करते समय कम से कम आपके ध्यान में रहे कि आप संसद में हैं, मेरा इतना ही कहना है।

श्री सय्यद ईमत्याज़ जलील (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि रेलवे मंत्री साहब यह पर मौजूद थे।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं, क्योंकि रेल मंत्री जी ने राज्य सभा में लिखित रूप में दिया है कि नई पिट लाइन औरंगाबाद में बनेगी, जबकि रेल राज्य मंत्री जी ने यह स्टेटमेंट दिया है कि नई पिट लाइन जालना, उनके संसदीय क्षेत्र में बनेगी। मैं यह स्पष्टीकरण उनसे चाहता हूं। साथ ही साथ, शिवाजी नगर का एक आरओबी है, उसके लिए पिछले कई सालों से मांग की जा रही है, यह मुद्दा माननीय हाई कोर्ट में गया। माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर पास करने के बाद राज्य सरकार ने अपना शेयर दे दिया, लेकिन रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से अपना शेयर नहीं मिलने के कारण, तकरीबन पांच लाख लोग रेल की गेट बंद होने की वजह से हर रोज प्रभावित होते हैं, उनको यह सुविधा मिल पाए, इसके लिए माननीय हाई कोर्ट द्वारा भी बहुत गंभीरता से दखल देने के बावजूद भी, मैं पिछले तीन सालों से तकरीबन दो अधिवेशन के बाद इस मुद्दे को उठाता हूं, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकाला गया है।

मैं आपके जरिए रेल मंत्रालय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इन दोनों प्रश्नों का हल जल्द से जल्द निकाला जाए।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम् योगदान है। मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के लगभग 70 प्रतिशत लोगों का जीवन-यापन कृषि पर आधारित है। आज हर क्षेत्र में उत्तम तकनीक व कुशल प्रशिक्षण के कारण तीव्रता से वृद्धि हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कृषकों की वर्तमान पीढ़ी प्रशिक्षण तथा कौशल के अभाव में कृषि कार्यों से लगातार पीछे हटती जा रही है। अत: मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी में कृषकों को कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण दे कर क्षमतावान बनाने की आवश्यकता है। मेरा आग्रह है कि सीधी, सिंगरौली तथा शहडौल जिले के विधान सभा ब्यौहारी में कृषि कार्यों हेतु प्रशिक्षण देकर किसान भाईयों और बहनों को कुशल बनाया जाए, जिसके फलस्वरूप वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): अध्यक्ष जी, मेरठ छावनी देश की सबसे बड़ी छावनियों में से एक है। मेरठ के इस छावनी क्षेत्र में अनेक सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब है तथा पेय जल एव सीवर इत्यादि की व्यवस्था भी समुचित नहीं है। छावनियों में जनसंख्या के निरंतर बढ़ते रहने के अनुपात में संसाधनों का विस्तार नहीं हुआ है। विभिन्न स्थानीय स्रोतों से जो आय छावनी की सीविर पालिका को होती है, वह पालिका के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन-भुगतान इत्यादि पर ही खर्च हो जाती है। जिसके परिणामस्वरूप, स्थानीय विकास कार्यों के लिए संसाधनों का अभाव ही रहता है। किसी समय श्रेष्ठ नागरिक सुविधाओं वाला क्षेत्र, छावनी क्षेत्र, संसाधनों की दृष्टि से आजकल कठिनाइयों से जूझ रहा है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि छावनी क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत, पेयजल तथा सीवर आदि नागरिक सुविधाओं के निर्माण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की कृपा करें तथा इन छावनी क्षेत्रों में नियमित रूप से कार्यों को करने के लिए संसाधन दिए जाने की स्थायी व्यवस्था करने की कृपा करें।

SHRI RAJMOHAN UNNITHAN (KASARAGOD): Sir, Malabar rebellion leaders, Ali Musliyar, Variankunnath Kunjahammad Haji, and 387 other Moplah martyrs are reported to be removed from the Dictionary of Martyrs of India's Freedom Struggle. A three-Member panel, which reviewed the entries in the fifth volume of the Dictionary, brought out by the Indian Council for Historical Research, is understood to have recommended the deletion as it felt that the 1921 rebellion was never a part of the independence struggle but a fundamentalist movement focused on religious conversion.

The Malabar rebellion and Wagon tragedy are unforgettable events in the history of India's Freedom Struggle. The Wagon tragedy was the death of 70 prisoners on 10th November, 1921 in the Malabar region of Kerala. The

prisoners had been taken into custody following the Mappila rebellion against British in various parts of Malappuram district. Their deaths through apparent negligence discredited the British Raj and generated sympathy for the Indian independence movement. The Government of India should advise the ICHR to refrain the attempted manipulation of history by deleting Malabar rebellion leaders, Ali Musliyar, Variankunnath Kunjahammad Haji, and 387 other Moplah martyrs from the Dictionary of Martyrs of India’s Freedom Struggle.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने शून्यकाल में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मल्लखंब भारतीय भौतिक संस्कृति का एक प्राचीन पारंपरिक रूप है। एक खेल के रूप में यह न केवल हमारे देश के सभी राज्यों में प्रचलित है, बल्कि विश्व के लगभग 50 देशों में पहुंच चुका है। पहली मल्लखंब विश्व चैंपियनशिप फरवरी, 2019 में मुम्बई में आयोजित की गई थी। विश्व चैंपियन के रूप में उभरी महाराष्ट्र की मिस हिमानी परब को भी सरकार द्वारा मल्लखंब में पहला अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। जब वह भारतीय रेलवे में नौकरी की तलाश कर रही थी, तो यह आश्चर्यजनक रूप से बताया गया कि उसे भारतीय रेलवे में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि मल्लखंब रेलवे बोर्ड द्वारा अनुमोदित खेलों की सूची में नहीं है।

इस खेल को प्रोत्साहित किया जाए, जिसे अब अब दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले खेल के रूप में जाना जाता है। जब खेल मंत्रालय विश्व चैंपियनों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार देकर सम्मानित कर रहा है और रेल मंत्रालय द्वारा उन्हें नौकरी देने से मना कर दिया गया है, तो क्या यह भारतीय खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का मजाक नहीं है? जब माननीय प्रधानमंत्री अपने भाषण ‘मन की बात’ में सहानुभूतिपूर्वक मल्लखंब की घोषणा करते हैं, तो यह उचित समय है कि रेलवे जैसे सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी भर्ती नीतियों में संशोधन करना चाहिए और मल्लखंब जैसे स्वदेशी

खेल को शामिल करना चाहिए और इस पारंपरिक खेल में विश्व और राष्ट्रीय चैंपियंस को सच्चा न्याय देना चाहिए।

अत: मैं माननीय रेल मंत्री जी से प्रबल अपील करता हूँ कि रेल मंत्रालय की स्वीकृत खेलों की सूची में संशोधन करने और मल्लखंब को उक्त सूची में शामिल करके मल्लखंब चैंपियन हिमानी परब जैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल जी, आप बहुत बातें करते हैं।

… (व्यवधान)

SHRI FRANCISCO SARDINHA (SOUTH GOA): Thank you, Sir, for giving me the opportunity. It is an important issue for the State of Goa.

Sir, as a representative of South Goa, I would like to bring to the kind attention of the Central Government an important aspect relating to the postal department. The State of Goa does not have a postal circle. Presently, Goa is managed by the Maharashtra circle as far as India Post is concerned. We do not have a recruitment centre. A number of people have brought it to my notice that they are being employed on contract basis for five to six years, and after that they are being terminated and replaced by people coming from outside Goa.

My point is, charity begins at home. So, I would request the Government to set up a circle, with the Chief Postmaster General as its head, and also to have a recruitment centre in Goa.

DR. RAJASHREE MALLICK (JAGATSINGHPUR): Thank you, hon. Speaker, Sir. Various initiatives are being taken by the hon. Minister of Jal Shakti, and the Minister of Social Justice and Empowerment, Government of India, for water conservation in our country.

The schemes aim at water conservation by way of construction of new water harvesting structures and preparation of geotagged inventory of all water bodies in the country, followed by detailed scientific plans for water conservation.

Hon. Speaker, Sir, in my constituency, there are large numbers of natural drains -- carrying huge amount of rain water -- which remain flooded during rainy season, and they become almost dry during the rest of the season. The shape and size of these channels are very large. Large spill over type water retaining structure is feasible in these channels to retain water by forming reservoirs in these channels itself.

I would like to request that, at least, two natural drains in my area, that is, Hansua and the Prachi River -- of over sixty to eighty kilometres in length -- may be included under such schemes for the creation of artificial reservoirs. The construction of water retaining structures at the intervals of ten to fifteen kilometres will be in the larger public interest. It will solve multi-dimensional problems. It will facilitate farmers to cultivate a variety of crops. It will also facilitate the pisciculturists. The water reservoirs will act as a source for water supply to iron-contaminated areas. It will also prevent the depletion of groundwater level.

श्री बालक नाथ (अलवर) : धन्यवाद अध्यक्ष जी। अलवर के अंदर एक बहुत बड़ा वन क्षेत्र है। इस वन क्षेत्र में 27 तारीख को आग लग गई थी। लगातार केंद्र सरकार के प्रयासों से आग बुझाने के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कल केंद्र सरकार की ओर से वहां दो हेलिकॉप्टर्स भेजे गए थे, जो आज भी लगातार आग बुझाने का काम कर रहे हैं। यह पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पहाड़ी के ऊपर आग लगी है। आग बुझाने का और कोई माध्यम नहीं है, न ही वहां फायर की गाड़ी जा सकती है और न ही किसी और साधन से वहां पानी पहुंचाया जा सकता है।

अत**:** मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी और केंद्र सरकार से निवेदन है कि वहां दो हेलिकॉप्टर्स और भेजे जाएं, ताकि आग पर जल्दी से जल्दी नियंत्रण पाया जा सके और वन्य जीवों की जान बचाई जा सके। भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो**,** इसको सुनिश्चित करने के लिए भी आगे चलकर उचित प्रावधान किए जाएं। धन्यवाद।

DR. DNV SENTHIL KUMAR S. (DHARMAPURI): Hon. Speaker, Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on the plight of the patients suffering from rare diseases and on the current gaps in providing lifesaving treatment to these patients.

It has almost been a year since the crowdfunding platform was established by the Ministry of Health and Family Welfare. However, a meagre amount of only Rs. 1,16,000 has been raised so far. There are approximately 250 Group 3 patients registered on the portal for treatment or support.

Out of the same, fifty patients are in urgent need of support to start their treatments. According to conservative estimates, four of the children have already lost their lives in the last few months. In spite of several pleas to extend the umbrella scheme of Rashtriya Arogya Nidhi -- as a special one-time

provision for the treatment of these patients before March 31st -- these patients and their caregivers have been left with no option but to wait for the inevitable.

Hon. Speaker, Sir, I urge upon the Government to immediately release the allotment for these Group 3 diseases, especially Gaucher disease, Pompe disease, Fabry disease, and MPS-I disease.

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में राम राज्य 2 आ गया है। पहले उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवर ही घूमा करते थे, लेकिन अब वहां छुट्टा पुलिस वाले भी घूम रहे हैं। वे जिसको चाहते हैं, उसको परेशान करते हैं। कोई भी कितना भी सम्मानित व्यक्ति हो, वे उसको थाने में बुलाकर बैठा लेते हैं और हवालात में डाल देते हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका विषय क्या है?

श्री श्याम सिंह यादव : महोदय, मेरा विषय यह है कि बदलापुर थाने में, देवरिया गांव में पुलिस ने एक दर्जन महिलाओं को निर्वस्त्र करके बहुत पीटा और उनके साथ बहुत बद्सलूकी और बेइज्जती की। उनके खिलाफ तो इस शासन में एफआईआर दर्ज होने का कोई सवाल ही नहीं है, फिर भी मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि उन तमाम पुलिस वालों के खिलाफ, जिन्होंने दलित महिलाओं के साथ यह जो बद्सलूकी की, उनकी बेइज्जती की है, उन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद।

13.00 hrs

श्री विजय बघेल (दुर्ग): अध्यक्ष जी, हमारे देश में बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं और इनके विकास हेतु माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा निरंतर प्रोत्साहन और उन्न्यन के लिए खेल विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं जारी की गई हैं। बहुतायत राज्यों के खिलाड़ी गरीब एवं मध्यम वर्ग से आते हैं, इनका प्रतिशत अधिक है। ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनमें भरपूर काबलियत है लेकिन वे अपनी सेहत और रेल यात्रा का खर्च वहन करने में भी अक्षम हैं। चूंकि रेल मंत्रालय द्वारा

पूर्व में पचास प्रतिशत राशि में रेल यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही थी, लेकिन कोरोना काल के समय से खिलाड़ियों की रेल रियायत यात्रा बंद कर दी गई थी, जो तत्कालिक स्थिति में आवश्यक भी थी। वर्तमान समय में स्थितियां सामान्य हो गई हैं, इसलिए यह सुविधा शुरू की जानी चाहिए। राज्य की अनेक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं प्रारम्भ हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि खिलाड़ियों की रेल यात्रा रियायत को पुन: प्रारम्भ किया जाए, ताकि खिलाड़ियों को हो रही आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिले।

SHRI VE. VAITHILINGAM (PUDUCHERRY): Sir, there are two minor ports in Puducherry called Puducherry Port and Karaikal Port.

The Puducherry Government minor port comes under the Sagarmala programme and it was sanctioned in 2018. The works are going on in three phases: (1) capital dredging and construction of container berth for about Rs. 75 crore; (2) the approach jetty and main jetty and other facilities for Rs. 50 crore; and (3) extension of container berth, approach road and bridges.

All the clearances like EC and CRZ are completed. An amount of Rs. 44 crore is sanctioned by the Centre. But the works are going on very slowly. Dredging is only going on. I request the Minister of Ports, Shipping and Waterways to speed up the programme. Then only, the container service can start in the port. It will also reduce the container traffic in Chennai and Ennore Ports.

There is already an agreement between the Ennore and the Puducherry port. The Ennore Port will operate the Puducherry Port.

There is another private port at Karaikal. A Sri Lankan party approached the Central Government to start a passenger service from Karaikal to Sri Lanka. The Minister of Ports, Shipping and Waterways should take interest to clear the proposal and grant permission for this. If this happens, it will improve the trading activities in Karaikal. So, I request the hon. Minister to look into this.

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष जी, आज अत्यंत गर्व का दिन है । आज आपके और हमारे राज्य राजस्थान का स्थापना दिवस है । इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सरकार से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने संबंधी विषय में आग्रह करना चाहता हूं। वर्तमान में संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप यह भी बताएं कि राजस्थान गौरव और समृद्धि का प्रदेश है, जहां वीरता की अमर गाथाएं हैं। राजस्थान शक्ति और भक्ति का प्रदेश है।

श्री सी.पी. जोशी : अध्यक्ष जी, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से देश और दुनिया भलीभांति परिचित है और जैसा आपने बताया कि वहां कई ऐतिहासिक धरोहरें हैं। 'पधारो मारो देश वहां के रेतीले धोरे', चाहे वहां मान्युमेंट्स हों या वहां की झीलें हों, चाहे वहां की संस्कृति और पहाड़ हों, इन्हें देश और दुनिया के लोग देखने आते हैं। पिछले काफी वर्षों से साहित्य अकादमी, नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी साहित्य लेखन पर निरंतर पुरस्कार और सम्मान दिए जा रहे हैं तथा पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। राजस्थानी भाषा में राजस्थान राज्य में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर समाचार और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही स्कूल और यूनिवर्सिटी कालेजेज में सिलेबस के अंदर व्यवहार में लाया जा रहा है।

महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार चार करोड़ से अधिक लोग राजस्थानी भाषा बोलते हैं। भाषा के प्रति माननीय प्रधान मंत्री जी संवेदनशील हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान किया गया है कि स्कूली शिक्षा मातृ भाषा में हो। राजस्थान की आठ करोड़ जनता लम्बे समय से इसकी मांग करती आ रही है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले और

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए। राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है। हर वर्ष देश और विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं और यहां की संस्कृति देखकर अभिभूत होते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि राजस्थान की जनता की भावना को देखते हुए इस पर विचार किया जाए और राजस्थानी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Thank you, Speaker Sir. I am standing in solidarity with a lady doctor. I would like to bring to the notice of this House that one pathetic incident has happened yesterday at Dausa, Rajasthan. Dr. Archana Sharma, a gold medallist and senior doctor committed suicide by writing a suicide note. The cops directly filed a case under Section 302, murder without any investigation, after the death of a pregnant lady due to serious maternal complication, namely, PPH.

Sir, one has to understand the difference between medical negligence and maternal complications. Therefore, I urge upon the Government of India to intervene in the matter and take action against the culprits and formulate stringent laws so that these kinds of incidences are not repeated and harassment of doctors are stopped.

Sir, I wanted to read out a few points. … (*Interruptions*) It shall be an eye-opener for everybody. … (*Interruptions*) In the note she mentioned … (*Interruptions*)

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं बागपत तथा अपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस क्षेत्र में उन्होंने कई अच्छी सड़कें दी हैं। मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली-लोनी से लेकर मेरे क्षेत्र तक लगभग 20 किलोमीटर की रोड इतनी खराब है कि वहां पर गाड़ियां टूट जाती हैं, लोगों की कमर टूट जाती है। पिछले 3 वर्षों से मेरे सभी निवेदन असफल रहे हैं। अत: आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री गडकरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया जल्दी से जल्दी इस सड़क का पुनर्निर्माण किया जाए। धन्यवाद।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance. I would like to draw the kind attention of the Government with regard to the plight of the medical students who were pursuing medical education in foreign universities. The pandemic and also the present war between Russia and Ukraine have resulted in very severe consequences for a large number of students who were pursuing medical education in China, the Philippines and Ukraine. The war has put at stake and stalled the medical education of thousands of students with no indication of any resumption. Students who availed huge bank loans for this purpose are on the verge of a huge disaster as there is an indefinite ban on travel to China and the Philippines. The complete destruction of infrastructure in Ukraine have made the future prospects of these students uncertain.

Sir, I would not like to go into the details. The House is very much aware of this. I would like to request the Government, especially the Minister of External Affairs to give a clarification on what the Government proposes to do

for these students. Last week, thousands of students and also parents demonstrated in Jantar Mantar.

डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014-15 में चिह्नित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया था। अक्टूबर, 2017 में इस योजना का नाम बदलकर तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, यानी प्रसाद राष्ट्रीय मिशन कर दिया गया। इसके तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा चिह्नित स्थलों पर पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रसाद योजना का पूरा नाम तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्म प्रचार अभियान है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अनेक प्राचीन तीर्थ स्थल जैसे स्वामी समर्थ मंदिर, शिवयोगी सिद्ध रामेश्वर मंदिर तथा पंढरपुर का विट्ठल मंदिर आदि हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि शोलापुर जिले में आने वाले तथा शोलापुर से लगे हुए अनेक प्राचीन तीर्थ स्थलों का समावेश प्रसाद योजना के अंतर्गत किया जाए। धन्यवाद।

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान झुन्झुनू क्षेत्र के चिड़ावा पंचायत समिति के नरहड़ ग्राम पंचायत में कृषि विज्ञान केन्द्र खुलवाने के संबंध में अनुरोध करना चाहता हूं। हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी किसानों की आय दोगुनी करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है। प्रत्येक जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। 14 जिले ऐसे हैं, जहां पर दो-दो कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। मैंने झुन्झुनू जिले के चिड़ावा पंचायत समिति की नरहड़ ग्राम पंचायत में कृषि विज्ञान केन्द्र खुलवाने के बाबत 92 हेक्टेयर भूमि का नरहड़ पंचायत से प्रस्ताव लेकर वर्ष 2020 में कृषि मंत्रालय के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली को भिजवा दिया था।

ग्राम पंचायत नरहड़ की तरफ से 92 हैक्टेयर भूमि की एनओसी हमें प्राप्त है। ज्यादातर समय समस्या यह आती है कि कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने के लिए जमीन नहीं मिल पाती है, जबकि नरहड़ ग्राम पंचायत ने 92 हैक्टेयर भूमि की एनओसी दे दी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि झुन्झुनू जिले की नरहड़ ग्राम पंचायत में कृषि विज्ञान केन्द्र खुलवाया जाए। धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, normally hon. Members draw the attention of the Government through you. But I would like to draw your attention relating to this issue.

This issue relates to Parliament House Complex. 205 years ago, in 1817, a General, Buxi Jagabandhu Bidyadhar, led an armed struggle against the British and it continued for not less than 15 years and that is termed as the First War of Independence. Of course, it is there in writing that 1857 is the First War of Independence and many people also accepted it but the First War of Independence against the British, I would say, or the continuous struggle against the British Government continued from the Battle of Plassey when the subjugation of East India Company started.

I would just like to mention here that in the 1990s of the last century, perhaps in 1996 or 1997, a resolution was made in the General Purpose Committee to instal major equestrian statues. One was of Buxi Jagabandhu Bidyadhar and the second was of Rani of Jhansi, Laxmibai but subsequently, during the UPA regime, after 2004, these two equestrian statues have been installed.

My request to you, Sir, is to allow it because the State Government of Odisha has agreed to provide it. Already the statue has been prepared and the State Government of Uttar Pradesh also will be willing to provide the equestrian statue of Rani of Jhansi.

माननीय अध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य हैं। संसद के मामले में एक कमेटी बनी हुई है।

सौगत राय जी।

… (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बस एक लाइन बोलना चाहता हूँ। अभी हाल ही में एक चैनल में विद्रोही नामक एक सीरियल चल रहा है। अगर उसे सारे मेंबर्स देख लें तो पूरा इतिहास समझ में आ जाएगा।… (व्यवधान) यह हिन्दी में है। इसमें पूरा इतिहास आ जाएगा और यह भी हमारी इतिहास पुस्तक में इतिहासकार को लिखना पड़ेगा कि किस तरह ओडिशा में स्ट्रगल हुआ था, आर्म स्ट्रगल हुआ था। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज एडजर्नमेंट मोशन में मैंने यह मेंशन किया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट विरोधी राज्य सरकार पर अपनी दो एजेंसीज सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है।… (व्यवधान) हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने एक चिट्ठी लिखी है।… (व्यवधान) सर, यह...* है।… (व्यवधान) यह...* है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ये शब्द निकाल दो, ये शब्द ठीक नहीं हैं।

… (व्यवधान)

* Expunged as ordered by the Chair.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, यह गलत है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको इस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए।

… (व्यवधान)

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	**सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।**
श्री मनोज कोटक	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे श्री राहुल रमेश शेवाले कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री सुशील कुमार सिंह	श्री सी. पी. जोशी कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री खगेन मुर्मु	श्री सी. पी. जोशी कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे	श्री सी. पी. जोशी डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे

	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री अनिल फिरोजिया	श्री उदय प्रताप सिंह कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री डी. एम. कथीर आनन्द	श्री धनुष एम. कुमार
श्री अधीर रंजन चौधरी	श्री धनुष एम. कुमार
श्री अरविंद सावंत	श्री राहुल रमेश शेवाले श्री श्रीरंग आप्पा बारणे श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर
श्री उदय प्रताप सिंह	श्री रोड़मल नागर
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे	श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे
श्री सुनील कुमार सोनी	श्री सी. पी. जोशी कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री राजेन्द्र अग्रवाल	श्री सी. पी. जोशी कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल श्री उदय प्रताप सिंह
श्रीमती रीती पाठक	श्री सी. पी. जोशी कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री सी. पी. जोशी	श्री रामचरण बोहरा श्री भागीरथ चौधरी

	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल श्री सुमेधानन्द सरस्वती श्री निहाल चन्द चौहान
श्री बालक नाथ	श्री सी. पी. जोशी
श्री विजय बघेल	श्री सी. पी. जोशी
डॉ. सत्यपाल सिंह	श्री सी. पी. जोशी कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री नरेन्द्र कुमार	श्री सी. पी. जोशी कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री भर्तृहरि महताब	श्री अनुभव मोहंती
श्री भर्तृहरि महताब	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामीजी	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री अरुण कुमार सागर	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री राहुल कस्वां	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री मितेष पटेल(बकाभाई)	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री जसबीर सिंह गिल	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
श्री राहुल रमेश शेवाले	श्री अरविंद सावंत श्री श्रीरंग आप्पा बारणे डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर श्री गिरीश भालचन्द्र बापट

	श्री अनुभव मोहंती
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.	श्री धनुष एम. कुमार
श्री महेश साहू	श्री अनुभव मोहंती

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही दो बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.15 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

____

<u>14.18 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Eighteen Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377*

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes.

Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

---

* Treated as laid on the Table.

(i)Regarding establishment of a Medical College in Aurangabad, Bihar

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): शिक्षा देश के विकास और प्रगति की रीढ़ है और चिकित्सा का अध्ययन ऐसे बेहतर तरीकों में एक है। हाल में ही नीति आयोग ने औरंगाबाद में एक मेडिकल कॉलेज के स्थापना की सिफ़ारिश की हैं ।औरंगाबाद वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित और आकांक्षात्मक जिला है ।NH-2एवं NH-98 पर स्थित औरंगाबाद बिहार के रोहतास,अरवल,गया, और झारखण्ड के पलामू,चतरा ज़िलों से जुड़ा हैं ।औरंगाबाद की आबादी 20 लाख से ज्यादा है और LWE क्षेत्र है और जिले में कोई सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी नहीं है यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलने से एक बड़ी आबादी को लाभ होगा ।देश और विशेष रूप से बिहार में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष हज़ारों छात्र मेडिकल की पढ़ाई हेतु दूसरे राज्यों में जाते हैं । यह मेडिकल कॉलेज बिहार और झारखण्ड के युवाओं के लिए उपयोगी होगा ।उक्त मेडिकल कॉलेज के लिए उपयुक्त भूखंड की कमी के कारण मैंने अपनी खुद की 20एकड़ ज़मीन मुफ्त उपलब्ध कराने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया हैं । केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय बजट से कॉलेज का निर्माण कराये ।

(ii) Regarding expansion of the ESIC Hospital located in Bibvewadi, Pune, Maharashtra

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): The Employees State Insurance Hospital, run by the Union Ministry of Labour, is functioning for the health benefits of low-income workers in Bibvewadi, Pune, Maharashtra. This hospital is situated in an area of 16. 5 acres, with the facility of OPD department having a capacity of fifty beds. There is a dire need of expansion of this hospital.

In this regard, a proposal was sent by the public representatives to the Central Office of Employees' State Insurance Corporation (ESIC) to build a medical college and a 500-bedded super speciality hospital and start an IPD facility along with OPD in the available area. The aforesaid proposal was approved by the ESIC on 16.10.2018 and construction work of First Phase 200 bedded hospital has been completed. There is an urgent need to implement a 200 bedded Super Speciality Hospital, and to construct remaining 300 beds and a medical college attached to the hospital.

I would request the Hon’ble Minister of Labour and Employment to instruct the concerned to do the needful urgently.

(iii) Regarding sustainable development of cities

SHRI RATTAN LAL KATARIA (AMBALA): I request the Hon'ble Urban Development Minister, Ambala Municipal Corporation, Yamuna Municipal Corporation, Panchkula Municipal Corporation and Panchkula for permanent solution to address the critical challenges like low-cost sensors for monitoring of air pollution and advance warning system for forecasting. I request for a dashboard for better preparedness for new infections, efficiency of public transport system and safety of pedestrians for better preparedness of pandemic. Being covered under Central Government Initiative for Sustainable Development of Ambala, Yamuna Nagar and Panchkula, there are some technology driven solutions. I would like to request the Hon’ble Minister that the Nagar Nigam and smart Cites may be made free from slum encroachment, stray cattle , street dog, Drug, Pollution and Plastic. I request for the following projects: Developing low-cost sensors for air pollution monitoring, Pollution hot spot identification at municipal or neighbourhood level, and its management, Cleaning water bodies using low-cost technology, Studies to assess the water availability, Conversion of plastic waste into fuel, Extraction of precious metal from e-waste, Production of biogas from kitchen and horticultural waste, Using technology in transport management, including contactless ticketing system and bus timing, Improving battery swapping for electric vehicles. I request the Hon’ble Minister that steps may be undertaken for the beatification of the Nagar Nigam and Smart Cities.

(iv)Regarding opening of liquor vends in Delhi

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : मैं नियम 377 के अधीन सरकार का ध्यान दिल्ली सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की कथित रूप से अवहेलना कर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 709 बी के बमुश्किल 50 मीटर दूर शास्त्री पार्क चौक से करावल नगर के बीच कथित रूप से अवैध रूप से खोले गए लगभग आधा दर्जन शराब के ठेकों की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके विरोध में स्थानीय लोग निरंतर प्रदर्शन और शिकायत कर रहे हैं।

दी गई शिकायत में 15 दिसंबर 2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का जिक्र किया गया है जिसके तहत किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के 500 मीटर के दायरे में शराब का ठेका खोलने पर रोक का प्रावधान है। लेकिन दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के द्वारा कानून और जन- भावनाओं की अवहेलना कर ऐसे कई शराब के ठेके खोले गए हैं|

मैं संबंधित मंत्रालय और दिल्ली सरकार से कथित रूप से गैरकानूनी रूप से खोले गए ऐसे शराब के ठेको को तुरंत बंद करने और कानून की अवहेलना करने वाले विभाग के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग करता हूं|

(v)Need to regularise Singrauli-Bhopal Express and increase frequency of Singrauli-Nizamuddin Express

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मै माननीय रेलमंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि मेरे रेल विहीन संसदीय क्षेत्र में भी कुछ कृपा दृष्टि बनाई जाये । मैने बार बार आग्रह किया है कि सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस जो एक साप्ताहिक ट्रेन है और हमारे संसदीय क्षेत्रवासियों का एक मात्र सहारा है उसे नियमित किया जाय और सिंगरौली - निजामुद्दीन एक्सप्रेस को कम से कम सप्ताह में 3 दिन चलाया जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र का सिंगरौली जिला औद्योगिक होने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों के लोग यहां निवासरत है, उनको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं कि मै उन्हें बेहतर रेल सेवाएं दिला पाऊंगी। जब मैं क्षेत्र में रहती हूं तो वो पूछते है कि दीदी ट्रेनें नियमित कब होंगी,दीदी नई ट्रेनें कब चलेंगी और वास्तव में किसी भी क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का अहम योगदान होता है। पुनः निवेदन है कि शीघ्रतिशीघ्र ट्रेन संख्या 22165/66 को नियमित किया जाय तथा 22167/68 को सप्ताह में 3 दिन चलाया जाए।

(vi) Regarding railway related works in Amreli district, Gujarat

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिले में रेलवे से सम्बंधित कुछ कार्यों को लेकर यहाँ के निवासियों को काफी असुविधाए है, जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ -

1. मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के अंतर्गत चितल से मोणपुर के बीच रेलवे ट्रेक पर RVNL की ओर से ROB का निर्माण किया गया है | ब्रिज के नीचे पानी के निकासी हेतु नाले (वाटर-वे) की व्यवस्था की गई है, लेकिन ब्रिज के नीचे का रास्ता काफी बुरी हालत में है जिसके चलते सभी वाहन खास कर टूव्हीलर को आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है | महोदय, इस सन्दर्भ मे मैं वर्ष -2009 से DRM, वेस्टर्न रेलवे, भावनगरपरा और GM, वेस्टर्न रेलवे, मुंबई से पत्राचार कर रहा हु, लेकिन अभीतक इस बारे मे कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने के कारण स्थानीय लोगो एवं किसानो को काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है l

2. मेरे संसदीय क्षेत्र के 1) लिलिया मोटा, 2) सावरकुंडला और 3) ढसा जं. रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई एवं चौड़ाई का कार्य काफी निम्न क्वालिटी का चल रहा है एवं 4) बरपटाना रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म ही उपलब्ध नहीं है | जिसके बारे मे मैंने DRM, वेस्टर्न रेलवे, भावनगरपरा को कई बार शिकायत की है | लेकिन अभी भी तीन प्लेटफॉर्म का काम निम्न क्वालिटी का ही चल रहा है एवं चौथा शुरू ही नहीं हुआ है |

3. अमरेली जिले के 1) राजुला जं., 2) सावरकुंडला और 3) लिलिया मोटा स्टेशन पर पीने के लिए स्वच्छ पानी, लाइट जैसी प्राथमिक सुविधा न होने के कारण यात्रियो को रात के समय मे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है | जिसके बारे मे भी मैंने DRM, वेस्टर्न रेलवे, भावनगरपरा को कई बार बोला है, लेकिन अभी भी इन तीनों रेलवे स्टेशन पर प्राथमिक सुविधा का अभाव है |

अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि विभाग से सम्बंधित उपरोक्त सभी कार्यों को पूर्ण किया जाये साथ ही समस्याओं का निवारण किया जाये।

(vii) Need to declare Margashirsha Shukla Diwas as 'International Gita Diwas'

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): हमारा देश भारत एक धर्म परायण देश हैं । इस देश की धरतीपर लगभग 5200 वर्ष पूर्व अवतरित श्रीमद् भगवद गीता 700 श्लोकों का एक दिव्य ग्रन्थ है। यह एक अमूल्य चिन्तामणि रत्न, साहित्य सागर में अमृत कुम्भ और विचारों के उद्यान में कल्पतरू तथा धर्म में सत्यपथ का एक ज्योति स्तम्भ है। इसमें वेद का मर्म, उपनिषद का सार, महाभारत जैसा ऐतिहासिक ग्रन्थ का नवनीत तथा सांख्य का समन्वय है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक शास्त्र है जिसमें मनुष्य नर से नारायण बन सकता है। यह अलौकिक ग्रन्थ एक ऐसा तत्वज्ञान है, जिसमें भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व की आत्मा बसती है और आज तक निर्विवादित रहा है।

लगभग सभी सम्प्रदायों के संस्थापक महापुरूषों ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में गीता का ही सत्य दुहराया है कि "ईश्वर एक हैं"।

पूरे विश्व में समस्या बनी है। रक्तरंजित वातावरण, आतंकवाद, नस्लभेद, ऊँच-नीच तथा अनेकानेक मुद्दों से विश्व के हर राष्ट्र का नेतृत्व समाधान खोजने के लिए प्रयास कर रहा है लेकिन इन सबका सम्पूर्ण समाधान केवल श्रीमद् भगवद्गीता भाष्य यथार्थ गीता में ही भली प्रकार है।

इस संदर्भ में मेरी एक प्रार्थना तथा बहुमुल्य सुझाव है। हमारे पंचांग के अनुसार "गीता जयंती दिवस" मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी पर मनायी जाती है। हमारी मान्यता के अनुसार यह दिवस श्रीमद् भगवद गीता का प्रतीकात्मक जन्म दिवस है। इसी दिन महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को भगवान श्रीकृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। अतः विश्व में इस महान ग्रन्थ को यथोचित सम्मानित करने के लिए इस दिवस को "अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस" घोषित कराने का प्रयास किया जाये ताकि विश्व जनमानस का ध्यान इसके उपदेशों पर केन्द्रित हो सके।

(viii) Need to establish a Kendriya Vidyalaya in Niwai Town in Tonk-Sawai Madhopur Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक-सवाई माधोपुर): मैं एक महत्त्वपूर्ण विषय नियम 377 के अंतर्गत सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र टोंक सवाई माधोपुर (राजस्थान) के अंतर्गत निवाई विधानसभा क्षेत्र के लोगों की काफी पुरानी मांग है कि निवाई में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोला जाऐ। मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला टोंक में केन्द्रीय विद्यालय है परन्तु यह निवाई से काफी दूर पड़ता है जिससे कि निवाई विधान सभा के बच्चे को टोंक शहर में आना असंभव है और कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल वाले ना तो सही तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं और अपनी मन मर्जी से फीस ले रहे हैं जिससे कि गरीब आदमी चाह कर भी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दे पा रहा है । इस विधानसभा के अंतर्गत लगभग 75 पंचायत और एक नगरपालिका आती है और लगभग 300000 लोग रहते हैं। इस क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई में काफी रूचि है। वहां के बच्चों ने भी मेरे को ज्ञापन दिया कि हमारे एरिया में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए, हमारी इच्छा है कि कल को हम कह सकें कि हम भी केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ कर आए हैं। इस विषय में मेरी मंत्री जी से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के निवाई शहर में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोलने का कष्ट करें, जिससे कि आने वाले समय में निवाई विधान सभा के लोगों को इसका लाभ मिल सके।

(ix)Need to establish an AIIMS in Mahoba, Uttar Pradesh

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): बुंदेलखंड आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास की बहुत अवश्यकता है| विशेषकर कैंसर और किडनी के रोगों के लिए उपचार व्यवस्थाओं का अभाव है| मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर (उ०प्र०) के अधिसंख्यक जन गरीब हैं और उनको गम्भीर रोगों जैसे ह्रदय में छेद,किडनी कैंसर ,लीवर कैंसर ,रीड की हड्डी में चोट इत्यादि बीमारियों के इलाज के लिए मरीज को दिल्ली,लखनऊ या अन्य बड़े शहरों को जाना पड़ता है |यद्यपि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इलाज के खर्च के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाती है परन्तु बड़े नगरों में इलाज के खर्च के अतिरिक्त अन्य व्यवहारिक समस्याओं और खर्चों से भी मरीज और उसके तीमारदारों को जूझना पड़ता है और यदि मरीज दिहाड़ी मजदूर या छोटा व्यापारी है तो उसके लिए और भी अधिक समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है | स्थानीय क्षेत्र में ही गंभीर बीमारियों का ईलाज उपलब्ध होने से न सिर्फ त्वरित ईलाज संभव हो सकेगा अपितु अतिरिक्त खर्चों के साथ मरीज को अन्य समस्याओं से भी नहीं जूझना पड़ेगा |इस हेतु महोबा में एम्स के निर्माण की अत्यधिक आवश्यकता है | एम्स बन जाने से न सिर्फ असाध्य रोगों के उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी अपितु अन्य रोगों का उपचार भी सुलभ हो सकेगा विशेषकर महिलाओं संबंधी और बाल रोगों का इलाज स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने से महिला मरीजों और बच्चों को बहुत अधिक राहत मिल सकेगी | मेरे क्षेत्र में महिलाओं में खून की कमी का होना एक बहुत बड़ी समस्या है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है | एक आकड़े के अनुसार मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर –महोबा-तिंदवारी में महिलाएं जिनको खून की कमी है उनकी संख्या 50% से अधिक है | एम्स बन जाने से न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होगा और स्थानीय स्तर पर आसानी से इलाज उपलब्ध हो सकेगा अपितु जनस्वास्थ के प्रति इस क्षेत्र में जनजागरूकता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो सकेगी |

अत: मै लोक कल्याणकारी केंद्र सरकार से यह निवेदन करता हूँ कि कैंसर और अन्य असाध्य रोगों के उपचार के साथ साथ अन्य सभी रोगों के उपचार हेतु हेतु महोबा(उ०प्र०) में एम्स का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण किया जाए|

(x) Regarding rail connectivity of Morbi railway station

SHRI MOHANBHAI KUNDARIYA (RAJKOT): I draw the attention of the Hon. Minister for Railways towards inadequate train services from Morbi.

Morbi district provides employment to around 10-12 lakh migrant work force from Bihar, Uttar Pradesh and Rajasthan in the ceramic watch, automobile, jewellery and food processing industries.

Despite huge population and contribution to the economy, Morbi Railway Station has been lying unutilised since many years. Only 2-3 demu trains are in daily operation.

Railways has never bothered to utilise Morbi railway station for providing rail connectivity to Mumbai, Delhi or any northern states due to which the business fraternity as well as migrant work force have been suffering due to the lack of train connectivity.

Hence, I request the Hon. Minister to instruct the concerned to provide rail connectivity to Mumbai, Delhi or any northern states from Morbi.

(xi) Regarding setting up of a Packaging House in Gorakhpur, Uttar Pradesh to promote export of vegetables and fruits from region

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान भाइयों की आय मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के किसान कई दशकों से व्यापक स्तर पर फल सब्जी और फूलों की खेती करते आ रहे हैं परंतु पिछली सरकारों की उदासीनता के कारण यहां के किसानों ने अपनी मूल खेती करना छोड़ दिया था, परंतु केंद्र में परम आदरणीय मोदी जी तथा उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी के आने के बाद किसानों में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और सरकार का भरपूर सहयोग मिला जिससे यहां के किसान भाई के एक बार फिर अपनी मूल खेती की ओर लौट आए ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गोरखपुर सहित अन्य जिलों खासतौर से देवरिया, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, कुशीनगर, मऊ आदि में सब्जी की खेती बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से की जाती है और यह क्षेत्र सब्जी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। स्थानीय स्तर पर सब्जी उत्पादकों को कोई पैकेजिंग हाउस या केंद्र द्वारा उनकी खरीद के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है जिसके कारण किसान सब्जियों को स्थानीय बाजारों तक ही भेज पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा कोई पैकेजिंग हाउस या निर्यात को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय स्तर पर गोरखपुर में कार्यालय खोलें, जिससे कि इस क्षेत्र के सब्जी और फल उत्पादों का निर्यात विदेशों में हो सके जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो तथा परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की दोगुनी आय करने का सपना पूरा हो सके ।

(xii)Regarding establishment of a National University for Christian community

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The National Commission for Minorities in its 2016-17 annual report has recommended to establish a National University fully funded by the Government of India for the minority Christian community. It was the 7 years action plan of National Minority Commission. It's like Aligarh Muslim University and Banaras Hindu University. However, no favourable decision has been taken so far. Creation of such University will provide the Christian minority a better chance for attaining education and hence contribute more to the country. I urge upon the Ministry of Minority Affairs to take an immediate decision to sanction such a University and allocate enough funds to begin its operation at the earliest.

(xiii)Regarding issue of appointment letters to left out CAPF exam candidates

SHRI JASBIR SINGH GILL (KHADOOR SAHIB): The test for 1.09 lakh vacancies in CAPCF was held in 2019 by SSC. 54000 candidates were issued appointment letters while 55000 candidates cleared their written, physical and medical exam but they have not been provided appointment letters. I request for issue of appointment letters to these candidates.

(xiv) Regarding making public hearings mandatory for grant of environmental clearance

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the attention of the Honourable Minister of Environment, Forest and Climate Change towards a revision in the process for acquiring environmental clearance for ‘legacy’ industrial activities, i.e activities that were originally granted clearance in or prior to 1994.

According to an office memorandum dated 16.06.2021 issued by MoEFCC, public hearings are not required for environmental clearance if a project meets certain conditions. This memorandum alters the process laid out in the EIA Notification, 2006. Several experts over time have acknowledged public hearings as a critical tool for good governance. However, public hearings assume greater significance for mining-affected communities as they stand at a greater risk of suffering the consequences of non-compliance with mandatory environmental safeguards in mining projects.

As environmental crises become more frequent in number and dire in consequences, the role of industrial activity in exacerbation must be acknowledged. This can be evidenced by the landslides occurring due to mining activities, during the recent floods in Kerala. I, therefore, urge the Hon’ble Minister to make public hearings mandatory for grant of environmental clearance to ensure that industrial development does not come at the cost of the environment.

(xv) Regarding special scheme for distribution of lands to SCs and STs

DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM): According to Census 2011, the SCs constitute 16.6% of the total population and 17.91% of the rural population. The National Sample Survey Organisation or NSSO in its 66th round surveys found that the proportion of rural SC households who own land is just 17.1%. Nearly 60% of SC households do not own land for cultivation at all. There is a direct connection between atrocities and landlessness. So, a special scheme must be created to distribute lands to the landless SCs and STs.

(xvi) Regarding resumption of services of train No. 56846, Erode-Jollarpettai Passenger train

SHRI S.R. PARTHIBAN (SALEM): The trains running in the Salem Zonal division are of perennial importance. I raise in this House the matter about the train which has been suspended since March 25th 2020, especially the Erode-Jollarpettai passenger Train Number: 56846. The train has the daily commuters of about 5000 in number. The passengers are of different categories ranging from Government employees, Business people, and Daily wagers. Since it passes through 7 districts, the livelihood and emergency services largely depended on this passenger train. Hence, On behalf of more than 10.000 passengers, I request the Hon'ble Minister of Railways to resume the train service i.e, Erode –Jollarpettai passenger (Train Number: 56846).

(xvii) Regarding reduction in interest rate charged by Banks on tractors

DR. TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Since my childhood days I have been noticing that the Bankers of this country have been charging more interest rates on Farmers' tractors than luxury segment cars. Almost all the banks have been causing more or less this harm to the farmers.

Banks are charging 8 to 12 % on Farm tractors, whereas on luxury cars as little as 4% interest. On some special occasions the interest rate stands at 0%. Why these type of policies? Why farmers are forced to pay more? Why corporates pay less?

I don't know why bankers of this country are so sympathetic towards luxury cars.

I request the Minister to kindly look into the issue by obtaining information relating to all the interest charged by the banks on tractors and cars and reduce interest rates on tractors.

(xviii) Regarding increase in flights to Tirupati under RCS-UDAN scheme

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): Tirupati attracts more than 3.5 crores of devotees from across the globe annually for a darshan of Lord Venkateshwara. With the proposed conversion of NTPC-APIIC project in Mannavaram situated near Tirupati to an electronic equipment manufacturing zone, the footfall in Tirupati is going to increase enormously.

Already, passenger traffic at Tirupati international airport is gradually gaining momentum. At least 16 flights had reported a 30 percent increase in occupancy, coinciding with the overall decline in Covid-19 positive cases and easing of curbs by most States in July 2021. According to the Airports Authority of India, the Airport registered a 44 percent increase in domestic aircraft movement on a year-on-year basis. The passenger traffic rose steadily from 916 in May 2020 to 58,029 in January 2021 and reached a peak in March 2021 with 65,110 fliers and 855 flights. Once the third wave declines and with industrial activities picking up speed in the region, it would be a necessity to have more airlines operating on this route to deal with ever-growing footfall of passengers.

To adequately cater to this growing demand, I humbly request the Union Government to consider increasing number of flights to Tirupati under the RCS-UDAN scheme.

(xix) Regarding creation of an All-India Legislative Service

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): There are thousands of legislative bodies in India ranging from the panchayat, block panchayat, zilla parishad, municipal corporations, state legislatures and two houses of Parliament. Despite these mammoth law-making bodies, they lack their own common public recruiting and training agency at the national level. Parliament and State Legislative secretariats recruit their pool of bureaucrats separately. Robust legislative institutions demand having qualified and well-trained staff in place. The growth of modern government and expansion of governmental activities require a matching development and laborious legislative exercise. Thus creating a common All-India Service cadre-an Indian Legislative Service- is a must. A common service can build a combined and experienced legislative staff cadre, enabling them to serve from across local bodies to Union Parliament. In United Kingdom, the Clerk of the House of Commons has always been appointed from the legislative staff pool created to serve Parliament. It is high time that India adapts and adopts such democratic institutional practice. I urge upon the government to create an All-India Legislative Service to maintain the independence of the governance of Indian Legislative System.

(xx) Regarding construction of Railway overbridge at Baharu near Dakshin Barasat Railway Station

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): I would like to draw the kind attention of the Hon'ble Railway Minister that the absence of Railway over-bridge at Baharu near Dakshin Barasat Railway station is a cause of great distress for the commuters. The absence of a proper crossing poses immense threat to the safety of the people. Since the station is one among the busiest stations in the rural (1 suburban) area, it needs an over bridge at the earliest.

Thus, I request the Hon'ble Minister to make way for building an over bridge at Baharu which is near Dakshin Barasat railway station on Sealdah-Namkhana line.

(xxi) Regarding revival plan for Mumbai Port

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Mumbai was vibrant because of the vibrancy at Mumbai Port and Textile Mills. Today, both these industries have almost been on ventilator because of the Govt's inactiveness to revive them. When Shri Nitin Gadkariji, Hon'ble Minister, was in charge of Shipping Ministry, he had announced the revival of Mumbai Port. While doing so, all the hutment dwellers on the land of Mumbai Port Trust were to be rehabilitated as per the SRA policy of Govt of Maharashtra by granting free houses so that maximum area of MbPT will become vacant for developing it into a Marina as well as Convention Centres of the International Standard. He not only announced it in public but also committed it on the floor of the house of the Parliament. DPR of the same was prepared/submitted to the Govt of India nearly five years back but no action has been taken till now for the revival. Even dredging is not being done at the port to increase the draft. I request the Hon'ble Prime Minister of India to expedite the long pending revival plan of Mumbai Port making it of International standard which will not only beautify the port but also generate huge employment at the earliest.

(xxii) Regarding protocol pertaining to unfurling and hoisting of National flag

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): I would like to draw the attention of the Government towards an issue regarding provision/protocol for unfurling and hoisting the national flag at district level/district headquarters. My submissions pertaining to protocol for unfurling and hoisting national flag at district headquarters are as under:

- Hon’ble President unfurls the national flag on Republic Day and Hon’ble Prime Minister hoists the national flag on Independence day every year at the Centre and similar precedence is followed at state level by Governor and Chief Minister respectively. Clear clarification on this matter may kindly be provided.

- Whether there is any provision/protocol for unfurling and hoisting national flag at districts level/district headquarters. If so, guidelines – instructions may be issued and provided.

- Details of protocol among MPs, MLAs and District Magistrate/Collector regarding unfurling and hoisting of National flag on 26 January and 15 August at the district level/Headquarters.

- Whether MPs, MLAs/MLCs are not entitled to unfurl or hoist national flag at district level/Headquarters.

I request the Hon'ble Minister of Home Affairs to make provision to include Hon'ble Members of Parliament in protocol for unfurling and hoisting national flag on the Republic and Independence Day at District level/Headquarters.

(xxiii) Regarding payment of wages to Scheduled Caste workers under MGNREGS in Kerala

ADV. A. M. ARIFF (Alappuzha): The workers belonging to Scheduled Caste are not getting their wages under MGNREGS in Kerala. It has been learnt that in most of the districts in Kerala, the SC workers have not been paid their wages for the past three months, making it difficult in these pressing periods of COVID-19. It is pertinent to note here that the problems related to wage disbursement arose due to the change in the Union Government’s policy to split the labour budget for MGNREGS to three, viz. SCs, STs and others. With this, if the already allotted funds in one category is exhausted, only workers in that category are denied the wages, while others get the same. This has only helped to create un-intended but serious division and resentment among workers. In this context I request the Central Government to approve the revised budget for SC workers and reflect the same in the MIS so as to clear the pending wages with out further delay. The Government should also revert to the earlier system of common labour budget for all categories of workers, so that such kinds of problems could be avoided in future.

(xxiv) Need to take steps to check arsenic pollution

SHRI JAGDAMBIKA PAL (DOMARIYAGANJ): In India, the states of Uttar Pradesh, West Bengal, Jharkhand, Bihar, Assam, Manipur, and Chhattisgarh are reported to be most affected by arsenic contamination of groundwater above the permissible level. Arsenic has been shown to cause widespread health effects in humans as a consequence of exposure to drinking water when present in excessive quantities.

Long-term exposure to arsenic in drinking water is causally related to increased risks of cancer in the skin, lungs, bladder, and kidney, as well as other skin changes such as hyperkeratosis and pigmentation changes. Soluble inorganic arsenic is acutely toxic, and ingestion of large doses leads to gastrointestinal symptoms, disturbances of cardiovascular and nervous system functions, and eventually death. In survivors, bone marrow depression, haemolysis, hepatomegaly, melanosis, polyneuropathy, and encephalopathy may be observed.

It becomes imperative to have a detailed and comprehensive discussion on “Effects of Arsenic Contamination on public health in India,” and the most important action in affected communities is the prevention of further exposure to arsenic by the provision of a safe water supply for drinking, food preparation and irrigation of food crops. Hence, I request the Government to look into this matter, particularly in my Parliamentary Constituency Siddarthnagar.

(xxv) Need to declare the road connecting Siwan to NH-102 in Bihar as National Highway

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरे संसदीय लोक सभा क्षेत्र महाराजगंज, बिहार अंतर्गत गुजरने वाली सिवान से सिकटिया, जनता बाजार, पैगम्बरपुर, NH-331 एवं SH-90 होत हुए गडखा NH-102 तक की सड़क अति महत्वपूर्ण एवं व्यस्तम सड़क है। यह सड़क सीधे हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को राज्य की राजधानी पटना और उत्तर बिहार के सबसे प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र मुजफ्फरपुर तक जाने-आने की सुविधा प्रदान करती है। इस सड़क से हमारे संसदीय क्षेत्र के हजारों-हजार व्यवसायी छात्र-छात्राएँ, सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मी प्रतिदिन अपने-अपने कार्यवश आवागमन करते हैं। इसी तरह अनेकों प्रकार के भारी वाहनों से माल/वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य इस सड़क के माध्यम से होता है।

अतः ऐसी महत्वपूर्ण सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित कर नवनिर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है। इसलिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से मेरी मांग है कि उक्त सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाये।

(xxvi) Regarding attacks on Tamil fisherman by Sri Lankan Navy

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): I wish to highlight the incidents of regular attacks on Tamil Fishermen by Srilankan Navy, and the recent cases of unidentified assailants robbing our fishermen. Several incidents of attacks were reported in the month of February 2022 itself. I request the Government to pursue proactive policies for the retrieval of Kachchatheevu island and restore the traditional fishing rights of Indian fishermen. Simultaneously, Government should propose to Colombo to permit licensed Indian fishermen to fish within a designated area of Sri Lankan waters. To compensate for the losses of our fishermen, the central and state government combined should set aside an indemnity fund and measures should be taken to rehabilitate those fishermen who wish to choose alternative means of livelihood. If the underlying issues of fishing dispute are not addressed soon, relations of our fishermen and government with Colombo would worsen and reach a crisis point. Hence, I appeal to the government to bring about a lasting solution to this issue which will bring about enrichment of marine resources and a qualitative improvement in the lives of coastal people especially those along the Tamil Nadu coast.

<u>14.19 hrs</u>

CHARTERED ACCOUNTANTS, THE COST AND WORKS ACCOUNTANTS AND COMPANY SECRETARIES (AMENDMENT) BILL, 2021* – Contd.

HON. CHAIRPERSON: Now, the hon. Minister may reply.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Thank you very much, Sir. Yesterday, we had the discussion on the Chartered Accountants, Cost and Works Accountants and Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021. The Minister of State was present in the House and he was following the debates. Unfortunately, I could not be here as I had to give the reply on the Finance Bill debate in the Rajya Sabha.

HON. CHAIRPERSON: It was a longish reply in Rajya Sabha.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Is that so?

HON. CHAIRPERSON: Yes.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: But there was also a very interesting and detailed discussion. So, I thought it only right that I give reply for the issues raised by the hon. Members and so is the spirit of the discussion on this Bill here since yesterday. I will seek your indulgence for giving an elaborate reply because many issues have been raised in great detail and calibration. So, please permit me to be a bit elaborate in my reply.

---

* Further discussion onn the Motion for consideration of the Bill moved by Rao Inderjit Singh.

Sir, the current set of amendments are not just for one of the Institutes, but for three Institutes, the Chartered Accountants Institute, the Cost and Works Accountants Institute, and also the Institute of Company Secretaries. These amendments are being brought in as a consolidated set of amendments, as one Amendment Bill.

Let me start by addressing the concern which was voiced by one of the Members that how come you are bringing all the three together, are they going to be governed together by one Act? No, Sir; there is no proposal at all to have a single legislation for all the three Institutes. They will be governed as they are governed now by their respective Acts. There are three separate Acts and they will be governed by their respective separate Acts.

This is just a consolidated Amendment Bill. Why should it be in one Bill? It is because while there are three different Acts, largely their wordings and the spirit of the flow of the Acts are comparable and, therefore, the amendments have been brought in to make sure that there is a greater comparability between the functioning of the three institutes. But the amendments are being brought in as one integrated Bill.

These amendments have not been brought in as it is without much work. For quite some time, different committees have gone into them, the recent one being the Meenakshi Datta Ghosh Committee which had come up with several recommendations. It was formed in April, 2017 and it had given its recommendations in September, 2017. Many of the recommendations given by

the Meenakshi Datta Ghosh Committee, with minor tweaking, have been brought in through this Bill.

Sir, the reason why we are bringing it now - and, of course, after quite a lot of consultation – is, in the last eight years, we have witnessed considerable change, progress, growth, and also economic development with a lot of legislative support coming in to make it easy for companies both for entry and for exit. We have passed the Insolvency and Bankruptcy Code, and, this House is quite aware, we have come here periodically to amend the IBC. The Companies Act also went through quite a few amendments. The IBC, the Companies Act, and the LLP Act, all of them represent the rapidly changing economic profile and we are also making sure that there is more space given for LLPs under which come the start-ups and so on.

So, since the LLPs are also gaining a good space in the economy, it was necessary for us to have a robust audit certification from the professionals. It is also important that the audit certification and also the quality of audit will have to be kept in mind and improved so that there is a favourable investment climate in the country. Above all, when all of us are looking towards greater transparency, better board-managed companies, and so on, the sanctity of an audited financial statement gains so much importance that we need all the stakeholders – whether they are promoters, whether they are investors, whether they are employees – to have greater confidence in the kind of statements which are certified by the professionals.

Therefore, at this time, if there is a necessity for reviewing the SR, the self-regulatory kind of a mechanism with which most of these institutes function, we are only doing it because we will be globally aligning ourselves. Most of the countries whether it is the US, the UK, Australia, Canada, or South Africa, all of them have such systems. In fact, in the United States of America, every State has its own body; and not just one, there are many bodies within that, and the Government of the State appoints many of these Members who regulate these bodies and so on.

So, the world has moved further and further away to have a greater, transparent and accountable way and a process in which everybody sits in to judge and also to see how the functioning happens. Therefore, at this time, for India these three institutions are very important pillars of corporate governance. Especially together with the Board of the Company, and the Management of the Company, this would be the third most important pillar for greater professionally managed and efficiently managed companies. That is why we need to have these amendments brought in. They are brought in because the International Forum of big regulators is also now coming to say what are the guidance that globally we can give to each other, which are the best practices which can be adopted. Therefore, we have thought it fit that at this stage we come up with this consolidated Amendment Bill.

I also understand that concerns have been expressed by some hon. Members: If this is going to compromise the autonomy of these institutions, and in particular, if the Coordination Committee which is coming in, will it

change the way in which the independent functioning has been effected all these years? Will that get affected or will that get compromised?

I want to state upfront, Sir, that there is no proposal here or no intention here, to impinge upon the autonomy of these three institutions. Not at all. There is no proposal; nor even a faint intent to dilute the autonomy of these three institutions. The three institutions, at present, are responsible for all the functions concerning the qualification, licencing, and regulation of their conduct. They will continue to perform those functions. Let this be recorded: They will continue to perform those functions.

As regards the fee from the students, the institutes earlier also had the full powers. That is also not being touched. So, even that will continue. In fact, the Council is being given full autonomy to decide the fee as regards registration of Members and certificate of practice. At present, to increase the fee for registration of Members and certificate of practice beyond a limit prescribed in the Act, the approval of the Government is required. But this is being dispensed with. The Council will have full powers to fix even such fees. In fact, that is being given, and the Government which had an indirect role in it wherein after a point, the Council had to come back, that is also being given back to the Council.

The Council will also be continuing to administer the funds as per the provisions of Section 18, and there will be no Government role in that as well. So, there is actually no change even in the composition of the Council responsible for the management of the affairs of the institutes … (*Interruptions*)

In the proposed amendment, the Council shall continue to constitute these bodies -- the Board of Discipline and the Disciplinary Committee -- as per the existing practice. The Government will not constitute them. I would like to reiterate that the Government will not constitute them. … (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record.

… (Interruptions) *

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, there will also be no change in the number of members in these bodies. However, majority will be of non-members of the Institute which is the global best practice that we want to bring in here. Being elected members, President and Vice-President shall not be heading the Disciplinary Committees and the Council Members shall not head the Board of Discipline to avoid conflict of interest. That probably replies or responds to some of the questions which have been raised even before I have started speaking.

The collaboration and the greater responsibility to the council of the institutes for nomination of experts and persons of eminence has been proposed and that is through these amendments rather than taking away their powers. So, in a way, it is they who give the names and it is they who get appointed.

---

* Not recorded

Very quickly, just to get a picture of what we are talking about, I would like to mention certain things. In the Institute of Chartered Accountants of India, the Board of Discipline, the BoD, the existing position since 2006 is that the BoD is a three-member body. There is a Presiding Officer who is a Council Member. There is one member nominated by the Government and there is one member nominated by the Council. What we propose in this set of amendments is, for the Institute of Chartered Accountants of India, the Presiding Officer shall be a non-CA nominated by the Government from out of the panel prepared and provided by the Council itself. One member, who will be a non-CA will be nominated by the Government again from out of the panel prepared and provided by the Council itself. The other member will be nominated by the Council from out of a panel of members of the Institute to be prepared by the Council. Now, this is the proposal and this again falls back on the Council itself to propose the names, give the panel from which the Government appoints somebody. Having a non-CA as Presiding Officer is very much inline with the global best practice. If people have asked a question saying: "How will a non-CA understand what the whole thing is about? It is a technical thing. They may not be able to understand." Sir, these doubts do not have the basis because everywhere else in the world a lay person sits as a Chair while the other members are all CAs and they can always guide the Council or the BoD to take a call. This brings in greater transparency and a greater fresh outsider's approach to the issue.

The Disciplinary Committee, which is a five-member body, the existing composition since 2006 is that the Presiding Officer is a President or Vice-President of the Council itself, two Members are nominated by the Council and two members, otherwise, are nominated by the Government. Now, what we have proposed in this set of amendments is that the Presiding Officer shall be a non-CA nominated by the Government but from out of the panel prepared and provided by the Council. Then, two other members are non-CAs nominated by the Government again from out of the panel which is prepared and provided by the Council. Then again, two members are nominated by the Council from out of the panel of members; the institute shall prepare this panel of names. Similar is the structure for the Company Secretaries and the Cost Accountants Institutes also.

I very quickly move to another related issue. Hon. Chair, you, from there, asked: "Would it not defeat the purpose of avoiding the conflict of interest between the administrative and the disciplinary arm of the Institute?"

It is a very relevant question. I want to answer this by saying that the panel of the Presiding Officers and the members will be prepared by the Council in accordance with the regulations which will be framed. So, they will have to go by that. There will be experts in different fields, as mentioned in the Bill. So, it is not going to result in conflict of interest because the regulations will guide them. The proposed amendments in the three Acts, governing the three professional Institutes, without comprising the autonomy, seek to make the Councils or the Institutes more responsive and accountable. Therefore,

these steps are being taken with a conscious attempt to make sure that we are neither undermining the autonomy nor are we bringing in a situation of conflict of interest. This was with regard to the question which you very rightly raised.

Sir, as regards the Coordination Committee, Professor Sougata Ray has been very concerned about it from the minute I started speaking. As per the proposed Bill, the Coordination Committee will comprise of the President, the Vice President, and the Secretaries of the three Institutes, quarterly meeting of which shall be held under the Chairpersonship of the Secretary, Ministry of Corporate Affairs. It is the administrative Ministry of all the three Institutes. It may be noted here, and I think, it is very important for us to seize this fact that the other two Institutes, that are, the Institute of Cost Accountants of India and the ICSI have not objected to the constitution of such a Committee. After all, when we did the stakeholders' consultation, all the Institutes gave their respective inputs. The ICSI and the Institute of Cost Accountants did not have any objection. The ICAI, in a meeting dated 23rd September, 2019, under the Chairmanship of the Secretary of the Ministry of Corporate Affairs had also agreed for the constitution of a Coordination Committee.

Sir, the constitution of a Coordination Committee has been proposed for the development and harmonisation of the three professions. Therefore, this is not going to undermine them. In fact, if I can move quickly to give comparable examples, IIMs among themselves have a Coordination Committee. … (*Interruptions*)

I am talking about the Indian Institute of Management. … (*Interruptions*) The IIMs have a Coordination Committee among themselves. The IIITs also have a Coordination Committee among themselves. These have actually been very effective in having greater synergy among these Institutes. In fact, if I may highlight, the Coordination Committee of the IIITs is headed by the Minister himself. So, this worry that only the person with expertise and experience in that field can sit as a Chairman is completely disproved by the fact that the Chairman of the Coordination Committee of the IIITs is the Minister himself.

Similarly, Sir, the point that I would like to highlight here is this. In the year 2000, the Institute of Company Secretaries of India, the Institute of Chartered Accountants of India, and the Institute of Cost Accountants of India, among themselves, formed a Coordination Committee through an MoU. So, it is not as if this is the first time we are bringing in a Coordination Committee. In the year 2000, through an MoU, these three Institutes formed a Coordination Committee but it has not just taken off. Actually, the absence of coordination is what is standing out despite this having been formed in the year 2000 through an MoU. Again, to highlight, for the reference of the hon. Members, the Coordination Committee will not be issuing directives at all. It is more to manage the funds of the Institute and other things. People tend to doubt that there will be a direction given by the Coordination Committee about how the resources will have to be used. No, not at all; it is not going to be doing that. Therefore, that aspect of the governance and the management of the

resources of the Institutes are going to be governed by Section 18 which is a practice that is existing now.

Also, a Non-Standing Committee has been proposed. For us, who are constantly referring to the Standing Committee in the Parliament, this expression was a bit of a discomforting one for me but that is it. It is called the Non-Standing Committee of a particular institute, which has been proposed by the ICAI, saying you can have a particular institute having a Non-Standing Committee, and have this taken care of. When we started talking about the absence of a statutory backing for this kind of a thing, this was suggested saying a Non-Standing Committee could work in that place.

Sir, in order to make the co-ordination effective, I think it is important that periodic meetings with the given structure are held, and that is only possible through a very institutionalised framework. That is why, we thought we should go through this route.

Sir, I move slightly to a different issue. Again, the composition of the BoD and the BC has been repeatedly raised by all the Members. I think the global best practice is something which I have already mentioned. Globally, the conduct of Chartered Accountants, particularly those who are auditors of public interest entities, is regulated. Public interest entities are those which have a certain stipulation. If I can just go to state them in specifics, what are public interest entities? They are, first of all, listed companies. Sometimes, they are even unlisted companies but which have over Rs.500 crore paid-up capital or which have over Rs.1,000 crore of annual turnover or those which have over

Rs.500 crore in terms of loans, debentures and deposits. So, these are the public interest entities.

So, globally, the auditors, who deal with public interest entities, are regulated by independent regulators. I will just name a few for this. In the United States of America, it is PCAOB. It is the FRC in UK. It is the ASCI in Australia. It is the IRBA in South Africa. It is the CPAB in Canada. All of whom are independent regulators. So, even in India, on similar lines we set up, I think, in 2018 the NFRA, the National Financial Reporting Authority. The fulltime members of NFRA at present are not members of the institute. So, if NFRA, which deals with the auditors of public interest entities, both listed and unlisted because of the size of their operations, by the proposed amendments, which aim to bring that independence and autonomy with members who are not members of those institutes also becoming a part of the Disciplinary Committee, I think, we are only matching ourselves with the global best practices. There is nothing to worry if we are undermining our institutions. On the contrary, we will be strengthening them because there is greater independence, greater transparency and greater outsider looking into the affairs of the bodies.

As I said earlier, the International Forum of Independent Audit Regulators, which is a body, which had come into existence sometime in 2006, has been suggesting these and we are only aligning ourselves with the global best practice.

Also, we are taking on board the guiding principles which have been given by the International Federation of Accountants, which is an international NGO and a global advocacy organisation. In fact, the ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India, is a member of this International Federation of Accountants, and they have given these guidelines. So, we are taking them on board.

Again, coming to the good work which the Standing Committees of our Parliament do in these regards, in 2003, the Standing Committee on Finance, whose tenure was between 2004 and 2005, in its Eleventh Report discussed a lot of these amendments. I would like to quote a few sentences from that.

> "The Committee recommend that such a body should be headed by a person not below the rank of a Joint Secretary belonging to the legislative service. Two members should be from the Council, and two shall be outside experts from the field of law and accountancy."

So, the Standing Committee of this House some time in 2005 mentioned the same thing, and it has taken us nearly 15 years to arrive at that step now. As I said, the UK, the US, South Africa have all adopted this, and it is not something which we are doing for the first time.

<u>14.45 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

Sir, there were questions raised about why a complaint pending completion of enquiry is being kept in public domain, which is also going to be enabled now. This is a question which the hon. Members, Bhartruhari Mahtab ji and Adhir Ranjan ji raised, saying, putting status of actionable complaints in public domain or entering them into the Register of Members, would raise doubts about how the members are being treated. Will it be victimising him? Will there be an element of harassment and so on? That is not the intent at all, and it does not intend to victimise the member. The manner and the interval of putting such information out in public domain and also entering in the register of members shall be in accordance with the regulations framed by the Council itself. There cannot be an element of discretion, saying, I do not like somebody and so I want to put them there, publicly shame them and victimise them. It cannot happen.

It may be noted that two other institutes, which are the Cost Accountants and also the Company Secretaries have not at all objected to this proposal. So, mind application has happened from the different institutes and we have gone only in the direction in which majority opinion has emerged. Sir, the rational for provision of audit by a panel of auditors maintained by C&AG was raised by the hon. Member, Supriya Sule ji. She questioned us why this should happen. At present, as per the provisions of the existing Chartered Accountants Act, the Council may appoint any auditor to audit its own annual

accounts. In this proposed amendment, that we are bringing now, we have provided that the institute will appoint an auditor from a panel of auditors which is maintained by the constitutional authority, which is the C&AG. So, you can always pick up an auditor. Maybe that auditor is already in the list of C&AG. That is fine. But now we are saying – turn it this way around. Please do pick it up from that panel of auditors, which is listed by the C&AG, and which is a constitutional body. It just gives a greater heft to the audit of the institutes, and therefore, it is, I think, a progressive step towards bringing greater transparency. Again, on this matter, as well, the Company Secretaries Institute, as a matter of practice, is already getting audit done through a panel of auditors maintained by the C&AG. So, if one of them is doing it, it might be the best practice for others also to adopt.

Sir, there were legitimate concerns about why the term of the Members in the Chartered Accountants Council is being reduced, and whether it would limit the chances of others and so on. Just for the clarity, Sir, at present, the term of the Council of the Chartered Accountants, ICAI is for three years, and a member can remain a member for another three consecutive terms, which means a total period of nine years. The ICAI has been demanding to increase the term of the Council for a long time. Further, the term of the Council in the ICAI and the ICSI is already four years.

The provision in the CA Act for the ICAI is being aligned with the rest two. So, while the term of the Council is being enhanced to four years from three years, the term of a member is being restricted from three terms to two

terms. So, in the place of nine years, which he was otherwise entitled to in the present dispensation, a member can remain in the Council only for eight consecutive years, that is, two 4-year terms. It is a substantial time for doing a great service and reform.

Sir, there was this distinction made between an auditor, an individual and an audit firm. Currently, there is no provision for a separate register of firms and proceedings against the misconduct of firms in the three Acts. And, in this consolidated Amendment Bill, that we have placed before the House, this is now being brought in. So, auditors could have been acted upon till now and they can continue to be acted upon even now for the individual acts, but firms could not be touched whereas what we are bringing in here is that provision which would give them the ability to be able to touch the firms as well, not just the individual auditors in case of gross omission and commission, which they may want to take up.

Now, I come to the last few inputs. On the issue of Quality Review Board, questions were raised as to why it should recommend cases to the Disciplinary Directorate. I think, it was Rahul Shewaleji who raised the question and I cannot see him here. During consultations, ICAI wanted this provision. In course of review of Quality Audit Reports, sometimes the QRB comes across irregularities in audit reports. Through this amendment, the QRB may refer such matters to the Disciplinary Directorate to proceed against members of such auditors. So, it is a provision which gives one more window for recommendation from the QRB for action to be taken.

Sir, hon. Member Shri Thomas Chazhikadan had raised the question about bar councils and also these institutions which have now become regulated. Is there a comparison of the disciplinary mechanisms of the institutes like the Bar Council, Council of Architecture, NMC and so on? Sir, bar councils are not monolith bodies. Since there are multiple State Bar Councils having disciplinary committees in each State, unlike the chartered accountants, cost accountants and the CS institutes, multiple bodies already exist there, not here. Moreover, these three institutes are performing all the functions together, including students' registration and enrolment, conduct of examinations, registration of members, licensing and regulation of their conduct, unlike the legal profession where multiple colleges exist; they can recruit and enrol students, train them, put them on and then, they become the members of the bar councils whereas here, that function, inclusive of profession, inclusive of discipline and everything, is done by this one monolith. That is the essential difference other than … (*Interruptions*)

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): The Bar Council of India is controlling the profession all over India. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी आप जवाब देते रहिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको क्लेरिफिकेशन के समय बोलने का मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the Council of Architecture is constituted by the Central Government and the disciplinary committee to enquire into the misconduct of architects has two non-elected representatives in it as members and one elected member, unlike the Council of CA, the cost accountants and so on. So, it already has the provision.

Further, the NMC Act, which I have explained earlier, prescribes for State regulation and constitution of SMCs, and the Ethics and Medical Registration Board to regulate the medical profession by the Government, whereas the CA, CWA, and CS Act prescribes for statutory self-regulation. This is the point which I mentioned at the very beginning. The SRO, Self-Regulatory Organisation’s format itself has gone through a rapid change globally.

माननीय अध्यक्ष : आप कुछ चीजों को क्लैरिफिकेशन में बता दीजिएगा।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: There is a very legitimate question regarding CA firms to aspire to be in the global Big Four, and whether India can have something equivalent of global Big Four. The hon. Prime Minister himself while discussing with the institutions and engaging with them said, ‘is it not possible for India to aspire to have one firm in the Big Four’? So, the Government has enabled institutes to enter into Mutual Recognition Agreements and MoUs of institutes from various, different countries through various Cabinet-approved approvals. The amendments like registration of firms will allow the audit firm to grow. So, we have enough facilities and provisions

which we have brought in wherein the big global firms can also be matched up with Indian firms which can come into play. … (*Interruptions*)

Now, you cannot. You have not seen it. At least, in the last 70 years we have not even found one such large firm which can compete. … (*Interruptions*)

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : मोदी है, तो मुमकिन है।…(व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : हां, बिल्कुल। अधीर जी, मैं आपको बधाई दे रही हूं।…(व्यवधान) नहीं-नहीं, इस अमेंडमेंट के द्वारा होगा, इसलिए मैं आपको बधाई दे रही हूं।…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मोदी जी का नाम लेते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप इनकी बातों का जवाब मत दीजिए। आप सिर्फ अपनी बात रखिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : महोदय, इस अमेंडमेंट के द्वारा और पिछले सात सालों में सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जितना भी फैसिलिटेशन किया है, मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि विपक्ष के नेता इसका पूरा सारांश समझ गए हैं। वे बोल रहे हैं कि मोदी जी हैं, तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात रखिए। आप उनका वक्तव्य क्यों सुन रही हैं? मैंने उनको बोलने के लिए अलाऊ नहीं किया है।

… (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : महोदय, कभी-कभी माइक ऑन करा दिया कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : क्या आपके सलाह की आवश्यकता है?

श्रीमती निर्मला सीतारमण : अधीर जी की आवाज के लिए माइक की जरूरत नहीं है।…(व्यवधान) आपके द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने के कारण मैं बार-बार बैठ जाती हूं, फिर मैं बोलने के लिए चेयर से परमीशन लेती हूं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, मैंने आपको परमीशन दे दी है। आप बोलते रहिए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण : महोदय, मैं अभी-भी शांत हूं। इतनी गर्माहट की आवश्यकता नहीं होती है। रनिंग कमेन्ट्री होती रहती है, मैं उसकी परवाह नहीं करती हूं।…(व्यवधान) I have tried answering the issues raised by hon. Members. Very critical and very crucial points have been raised.

महोदय, मैंने आपकी अनुमति से थोड़ा ज्यादा ही इलैबरेट किया है। मैं मानती हूं कि यह समय के अनुसार उचित अमेंडमेंट है। इससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी, सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। ये सब प्रोफेशनली बेटर होने से हमारे देश के डेवलेपमेंट को अच्छी स्पीड मिलेगी।

15.00 hrs

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): I was referring to the Chairman or the member who is heading the Disciplinary Committee. I was referring to the fact that in all the other professional bodies, be it Bar Council, Council of Architecture and the Medical Council, the Disciplinary Committee is headed by a member of the same profession. But here, the proposal is to have somebody else nominated by the Government to head the Disciplinary Committee. That is where we differ, and that is where the Institute of Chartered Accountants of India differs.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): The Minister gave a very cool and reasoned reply for which I must thank her. But she did not mention why in the past so many years, chartered accountancy firms, some with global reputation, botched up the accounting in case of Satyam Computers, and later in the case of IL&FS. The Minister has proposed some steps to discipline the Chartered Accountants. The Minister has also stated clearly that we shall never be able to produce a Deloitte or a KPMG or a PwC. That is beyond our capacity. Now, I would like to know from the hon. Minister the specific steps that she is going to take to prevent Chartered Accountants from bloating the figures of companies, so that they can cheat a trusting public. This law is not sufficient. The law was there earlier also. That harshness towards erring auditors was not audible in the Minister’s reply, but otherwise she gave a very cool and reasoned reply for which I must thank her again.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): I appreciate you talking about the Coordination Committee, but my only question and concern is about the autonomy of this. You gave the examples of IITs and IIMs. IITs and IIMs are institutions which are funded by the Government, while the Institute of Chartered Accountants and the Institute of Company Secretaries are not funded by the Government. It is their own money. So, does it not take away their autonomy? How can you compare this to IITs or IIMs? This is my only request, and I still feel that their autonomy is being taken away and you should re-consider this.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, the basic point which we have raised yesterday regarding the opposition to the Bill pertains to the autonomy. The conduct of a professional should be judged by the professionals only.

This is the principle which is being followed in almost all the independent professional bodies. You have changed the National Medical Commission Act of 2019. There also the majority of the Disciplinary Committee belongs to the medical profession. Similarly, in the case of legal profession as well as in the case of architectural profession, everywhere the professionals are judged by the professionals only. Their conduct is being judged by the professionals only. Why in the case of Institute of Cost and Works Accountants (ICWA) as well as in the case of Institute of Company Secretaries, somebody who is being appointed by the Ministry or the Government of India are there? I am an advocate. Suppose my conduct or my qualification to be a member of the Bar

Council is being determined by the Ministry officials, then what is the meaning of independence and autonomy of an institution? Also, I fully support the observations made by Supriya Sule Ji that all other organizations which hon. Minister has mentioned are funded by the Government of India, but this is absolutely the fund maintained by them in which the Ministry of Corporate Affairs or other officials who are being nominated by the Government of India are coming into play. That is why, the question of autonomy is the main issue which we are raising. Kindly respond to that issue. Autonomy has to be protected. This is the suggestion which I would like to make

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, क्या आप भी बोलेंगे? आप तो पहले बोल चुके हैं।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, the hon. Minister was referring to the examples of US, UK, South Africa etc. but the other aspects and positive aspects being followed by those countries are not being abided by you in this legislative document.

We have been arguing since yesterday that through this Bill the Government has been making a subtle and deliberate attempt to consolidate power and to snatch away the independence of the Institutions by dismantling the autonomous framework of those Institutions concerned.

I am also flagging the attention of the Minister that there is an inherent flaw in this legislative document. The Bill empowers the three Councils to constitute multiple Boards of Discipline and Disciplinary Committees. However, the Bill allows the Central Government to nominate the same person as

Presiding Officer or Member across different Boards of Discipline and Disciplinary Committees.

This may be incompatible with the objective of speedy disposal of cases against a Member. Appointing the same set of people on multiple Boards of Discipline or Disciplinary Committees may prevent these entities from hearing cases of misconduct simultaneously. Thereby, it would lead to delay in disposal of cases.

Madam, at least you should pay heed to us. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Should I repeat all that you said? I did hear you. Do not worry. Nothing can distract me from Shri Adhir Ranjan Chowdhury. … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: You were listening to the hon. Home Minister. He is a senior and respected person. I know this thing. … (*Interruptions*) We are entitled of enjoying the privilege that our contention will be heard by the Minister concerned instead of lending your ear to the hon. Home Minister. … (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Hon. Speaker, Sir, I want to assure since he was so careful to watch me talking with the hon. Home Minister. The Home Minister was saying: "You must address all their concerns. Have you not done it already in the reply that you gave? Please do it now". He has taken it up in your favour. So, do not worry. I am going to answer. … (*Interruptions*)

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से व्यवस्था की ही बात कर रहा था। मैंने बोला कि बिल के प्रावधानों पर इतने सारे सदस्य चर्चा के समापन के बाद अगर चर्चा कर रहे हैं तो क्या आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया है, तो इन्होंने कहा कि मैंने रिप्लाई दे दिया है, मगर शायद इन्होंने सुना नहीं है, इसलिए मैं फिर से रिप्लाई दे रही हूं।…(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): रिप्लाई हुई ही नहीं है, सर । …(व्यवधान) इन बॉडीज का सरकारीकरण हो रहा है, उसका रिप्लाई नहीं आया है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे मत बोला करें। आपकी यह बीच-बीच में बोलने की बहुत खराब आदत पड़ रही है। मैंने आपको कई बार कहा है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण: सर, मैं संक्षेप में सबके प्रश्नों के जवाब दे देती हूं।

Sir, Shri Thomas Chazhikadan asked why it should be a non-professional heading it as it is not the case in any other. But I think that you also drew the difference. I think the amendment of the National Medical Council was done in 2019 … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: It is the National Medical Commission.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, National Medical Commission. Thank you, Professor. The National Medical Commission has a non-Member. So, that is not a worry at all, and non-Member is not going to undermine the professionalism. But certainly, through this amendment, we are matching up with the global best practices, which I have explained during my answer.

Prof. Sougata Ray in his typical style said that IL&FS happened. What is the experience of IL&FS? … (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY: Satyam.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, Satyam. You name it, and I will give you as many examples. Action in a slow and steady fashion has been taken where some of the big companies have been involved, but even there a lot is left to be desired for all of us are thinking that it is not up to the mark and more should have happened. Actually, that the regulatory bodies have not taken enough steps is a point that all of us share.

Now, by not just theauditor, who I said for the public interest and enterprises, where the NFRA can do it, now, the firms are also getting listed into it so that if such a thing repeats, this provision and amendment, which all of you hopefully will pass, will empower these bodies to be able to bring these firms to be answerable. That is why, this step is being taken. We are not letting firms do outside the realm of regulation; this will bring them on board. So, no such IL&FS like repetitions will happen. But in case, unfortunately, it happens, action on those who are certifying the accounts - be it the firm, be it an auditor - will be taken. This is the provision here.

I don’t know whether it was deliberate or if I have heard him wrong, I said, we shall never or something of that kind. I have never said any of that – we shall never give autonomy or some statement which Prof. Sougata Ray in his usual style… … (*Interruptions*) We shall never, that is, we, as the Government of India and Prime Minister Modi, have given up saying India can never, we shall never have a big-4 equivalent, something of that kind. I am sorry, Sir, this kind of cynicism, negativity never governs us. We are hopeful

that India will certainly have a big-4 equivalent company, and these kinds of amendments that we are bringing, are going to facilitate that.

And I am sure, Prof. Sougata Ray will make sure that in Bengal, there will be good set of auditors who will have firms enough to grow to that size and that quality. I think, your energies will be very much required in that direction.

Hon. Member, Shrimat Supriya Sule, again, questioned about autonomy but I think that comparison is not right. It is after all their money. …(*Interruptions*) No, Madam, if Parliament of India had not passed the Chartered Accountancy Act and given them the autonomy like the way the Indian Institutes of Management, the Indian Institutes of Technology, how were they all given the authority with autonomy. Unless that is given to them, they would not be enrolling students through which, and through the fees that they earn, they have the corpus building up. So, what is theirs? They have not put any equity capital into this firm. The Chartered Accountancy institution is a result of an Act of Parliament. That has given them all in one basket to enrol students, to train them, to certify them, and then to keep them as a member to practice. All this has been enabled by this House. So, the money, like the IITs are raised, is the money enabled because of an Act of Parliament. …(*Interruptions*) Otherwise, you would not have the ability to run the place. …(*Interruptions*) If you want me to quieten down, I will quieten down. But if you are raising a conflict and also an argument. …(*Interruptions*) One minute, Thomas *ji.* If you are raising a point on which you think I am wrong, I want to ask them. So, is it that the Institute of Chartered Accountancy a franchise

which is given by Parliament? Not at all. … (*Interruptions*) Alright, Sir. But I still say, without the Act of Parliament giving them the autonomy and the authority… … (*Interruptions*) What is wrong if more people come into the business? Do you have a problem with that? … (*Interruptions*) Of course, it is there. … (*Interruptions*) So, it is their money; they are running it. Why do you come into it? These are the questions being asked. I want more such companies to come; more such companies to regulate; more such companies to train students. What is the objection here?

There is no control…. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप क्यों बैठ जाती हैं?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am sorry, Sir.

Even here, the anxiety is that the disciplinary committee and the board of discipline is getting outsiders come into it. I have already read out details of how we are not getting into fees, management of their resources, enrolments or even the way in which the elections and the governing body is run? The Government is not getting into that.

So, just where we want to get in is for the discipline. Having given the example for the point Prof. Sougata Ray raised on IL&FS, you did not have any number; on Satyam, you did not have any number of people being punished under self-regulation.

So, if that body is getting people from outside so that there can be a better transparent accountability on possible misdeeds, why is there such an agitation? You should welcome it actually. Adhir Ranjan ji and N. K.

Premachandran ji also spoke about autonomy. To reply to their statement that judgment is being made on the conduct of the members by outsiders, the body also has chartered accountants. The body also has cost accountants and two laypersons in it. Where is the conflict here? It is not a complete group of laypersons sitting and judging a technical body. Just the entry of one or two is so agitating. Why should it be? So, ‘judgment’ is first of all a wrong word there. It is a question of deciding on discipline. In that, laypersons are also being brought in who are professionals in their own areas of activity. There is a suspicion that it may lead to a regulatory capture because the Secretary of the Corporate Affairs Ministry itself is sitting there. They can always think for many things out of everything. Total autonomy was given for self-regulation, and we have the hon. Members themselves saying that after IL&FS, no action was taken; after Satyam, no action was taken; and after every big collapse, no action was taken. So, has the self-regulation worked? It has not. The global best practices say that it has not. … (*Interruptions*) I think RBI is doing a good job. It is the regulator for the bank. … (*Interruptions*) Back again, they have come to their own pals for whom they gave loans. … (*Interruptions*) In UPA’s time, loans were given to all these people – Choksis and Modis. … (*Interruptions*) Who are we chasing and bringing back today? So, Adhir ji, do not talk about it. … (*Interruptions*) I will be tempted to talk about the *damaads* and *jija jis* to whom you have given loans. … (*Interruptions*) So, please do not tempt me to get back to that.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब यह सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 9 Insertion of New Section 9A

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, I beg to move:

Page 3, lines 42 and 43,-

for "the Secretary Ministry of Corporate Affairs"

substitute "the President of the Council of each of the Institutes on a rotational basis". (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 9 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 16 Amendment of Section 16

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN(KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 6, lines 11 and 12,-

for "with the previous approval"

substitute "in consultation with". (4)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 16 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 20 Insertion of New Chapter IVA

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN(KOLLAM) : Sir, I beg to move:

Page 7, *after* line 43,-

insert "only after giving a reasonable opportunity of being heard". (5)

Page 8, line 3,-

after "after"

insert "giving a reasonable opportunity of being heard and". (6)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 20 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 और 22 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 23 Substitution of Section 21B

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी**,** क्या आप संशोधन संख्या 7 से 11 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN(KOLLAM) : Sir, I beg to move:

Page 10, line 21,-

after "experience"

insert "of not less than ten years". (7)

Page 10, line 25,-

after "experience"

insert "of not less than seven years". (8)

Page 10, *for* line 42,-

substitute "within seven days which may further be extended for another seven days". (9)

Page 10, lines 44 and 45,-

for "one hundred and eighty days"

substitute "three months" (10)

Page 11, line 4,-

for "an opportunity"

substitute "a reasonable opportunity". (11)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 23 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 से 11 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह **है**:

"कि खंड 23 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 से 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 29 Amendment of Section 24A

माननीय अध्यक्ष : श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 12 और 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN(KOLLAM) : Sir, I am not moving my amendments No.12 and 13.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 से 106 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 1 Short Title and Commencement

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 1, line 6,-

for "2021"

substitute "2022". (2)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत कीजिए।

Amendment made:

Page 1, line 1,-

for "Seventy-second"

substitute "Seventy-third". (1)

(Shrimati Nirmala Sitharaman)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15.24 hrs

DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 2022

माननीय अध्यक्ष : आइटम नम्बर-18, श्री अमित शाह जी।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, आज एक महत्वपूर्ण विधेयक लेकर मैं सम्माननीय सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। दिल्ली नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र के 95 प्रतिशत हिस्से के सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी उठाता है। तीनों निगमों के लगभग 1 लाख 20 हजार करोड़ कर्मचारी इकट्ठा होकर इसके तहत काम करते हैं। राजधानी क्षेत्र होने के कारण यहां राष्ट्रपति भवन भी है, संसद भी यहां है, प्रधान मंत्री निवास भी यहां है, सारे केंद्रीय सचिवालय भी यहां हैं और ढेर सारे राजदूतावास भी यहां हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स का स्थान भी यहां है। दुनियाभर के राष्ट्राध्यक्ष जब यहां आते हैं, तो उनका राजधानी को देखना बहुत स्वाभाविक है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के तीनों कार्पोरेशन्स ढंग से उठा पाएं, यह बहुत जरूरी है। पहले यहां एक ही नगर निगम हुआ करता था। उसका विभाजन करके तीन नगर निगम बनाए गए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। वर्ष 1883 से पंजाब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट के तहत दिल्ली नगर निगम चल रहा था। वर्ष 1957 में दिल्ली नगर निगम की एक्ट द्वारा स्थापना हुई और वर्ष 1993 और 2011 में संशोधन हुए और अंततोगत्वा उत्तरी नगर निगम दिल्ली, दक्षिणी नगर निगम दिल्ली और पूर्वी नगर निगम दिल्ली, तीन निगमों में इसका बंटवारा हुआ। बंटवारे के कारण, बंटवारे के पीछे की मंशा क्या थी, उसके लिए मैंने पूरे विभाग की

फाइलें खंगाली, वह स्पष्टता से मालूम नहीं हुआ। इसलिए मैं अपनी मर्यादा भी सदन के सामने रखता हूं क्योंकि मुझे सदन को बताना चाहिए कि निगम का बंटवारा क्यों और किस आश्य से हुआ या किस ध्येय को सामने रखकर किया गया था।... (व्यवधान) दादा, आप तो उस समय मंत्री नहीं थे। फाइल मैंने देखी है और उसमें ऐसा भी नहीं लिखा है।

महोदय, लेजिस्लेटर की मंशा जाने बिना मैं आज वर्ष 2012 से 2022, दस साल का अनुभव जो हमारे सामने आया है, इसका एनालिसिस करके बारीक विश्लेषण और जो तथ्य सामने आए हैं, इसके कारण सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि फिर से एक बार इन तीनों निगमों को एक करके पूर्ववत स्थिति की जाए। यह जो बंटवारा हुआ था, वह आनन-फानन में किया गया बंटवारा था। चूंकि मेरे पास ऐसा कोई परिणाम नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहता कि ऐसा करने के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य रहे होंगे। जब कोई उद्देश्य नजर में नहीं आता है तो विचार आता है कि जरूर इसे राजनीतिक उद्देश्य से किया गया होगा।

आज जब इन तीनों निगमों को एक करने की मंशा लेकर सरकार इस महान सदन के सामने आई है, तब मैं निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि हम यह विधेयक क्यों लेकर आए हैं। अभी तीनों निगमों के दस साल चलने के बाद जो चीजें सामने आई हैं, वे यह हैं कि तीनों निगमों के बीच में नीतियों के बारे में एकरूपता नहीं है। एक ही शहर के तीन हिस्सों में अलग-अलग नीतियों से निगम चलते हैं क्योंकि नीतियों को निर्धारित करने की शक्ति हर एक निगम में निहित है।

हर निगम के बोर्ड को अधिकार है कि वह अपने निगम को चलाने की नीतियों को तय करे। कार्मिकों की सेवा की शर्तों में और स्थितियों में भी एकरूपता नहीं रही है। इस एनामली के कारण ढेर सारा असंतोष कार्मिकों के बीच भी नजर आया है और संसाधनों और दायित्वों का, जब निगमों को बांटा गया तब बहुत सोच-समझकर इनका बंटवारा नहीं किया गया। तीन निगमों में से एक निगम उसकी इनकम की दृष्टि से हर समय सरप्लस रहेगा और बाकी दो निगमों की लॉयबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन उनकी इनकम कम होगी। निगमों को बांटते वक्त भी संसाधन की प्राप्ति और संसाधन के खर्च के बीच के संतुलन की व्यवस्था उस वक्त देखी नहीं गई।

इसके कारण ऐसी ढेर सारी परिस्थितियां खड़ी होती हैं कि जो लोग चुनकर आते हैं, उनको निगम चलाने में बड़ी तकलीफ होती है। मैं निश्चित रूप से तथा पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि विपक्ष के मेरे मित्र इस पर सवाल भी उठाएंगे, मुझसे पूछेंगे भी और बाद में मुझे जवाब भी देना है। निश्चित रूप से, जिम्मेदारी के साथ, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार यहां पर 'स्टेप मदर एटीट्यूड' का व्यवहार नगर निगमों से कर रही है। एक सौतेली मां जैसा व्यवहार उनके साथ हो रहा है। इसके कारण सारे नगर निगम अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए अपने-आप को पर्याप्त संसाधनों से लैस नहीं पा रहे हैं। अत: यह जो बिल लेकर मैं आया हूं, उसमें यह उद्देश्य इस बिल के द्वारा मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं ताकि जो 3 नगर निगम हैं, उनको एक करके एक बार फिर से एक दिल्ली नगर निगम एक बनाया जाए। संसाधन और सहकारितावादी तथा सामरिक योजना की दृष्टि से एक ही निगम पूरी दिल्ली की सभी सिविक सेवाओं का ध्यान रखेगा तो यह उचित होगा। महोदय, नगर निगम की सेवाओं को और अधिक दक्षता तथा पारदर्शिता के साथ चलाया जाए, इसके लिए भी कुछ अमेंडमेंट्स इस बिल के अंदर हैं। दिल्ली के पार्षदों की संख्या को 272 से कम करके ज्यादा से ज्यादा 250 तक सीमित करने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। नागरिक सेवाओं को कहीं भी और कभी भी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि कहीं भी और कभी भी इस सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित किया जाएगा। जब मेरे साथी मंत्री जी ने बिल को सदन में रखा, तब विपक्ष के मित्रों ने कुछ आपत्तियां उठाई थीं। उनमें कुछ संवैधानिक आपत्तियां थीं, कुछ टिप्पणियां राजनैतिक उद्देश्यों को लेकर थीं। उनको मैंने बारीकी से पढ़ा है। इसके बावजूद भी अगर आज वे ज्यादा स्पष्टता चाहते हैं, तो मैं स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बिल को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की राजधानी की व्यवस्था का मामला समझकर बहुत गंभीरता के साथ हमें सोचना चाहिए।

यह बिल पारित होने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि अभी जो स्थिति है, उसमें काफी सुधार आएगा। इसके अलावा केन्द्र सरकार की इसके पीछे और कोई मंशा नहीं है। अत: मैं आप सभी के विचार सुनने के लिए इस चर्चा में बैठा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि चर्चा मेरिट्स पर हो, इसके लिए आप भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत दादा, मैं आपको बोलने का पर्याप्त अवसर दूंगा। यदि आपका दल आपको मौका नहीं देगा, तो भी मैं आपको मौका दूंगा।

… (व्यवधान)

श्री मनीष तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी ने एक बहुत ही अहम बात आज इस बिल को सदन के समक्ष रखते हुए कही कि जब और कोई मंशा नहीं दिखती, तो शक राजनीतिक मंशा पर जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी इस विधेयक की भी है, लेकिन मैं उस पर बाद में आऊंगा। वर्ष 1991 में दिल्ली के नागरिकों को जो राजनीतिक स्वायत्तता है, वह देने की प्रक्रिया तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने आरंभ की। उस समय स्वर्गीय नरसिंह राव जी प्रधान मंत्री थे। वर्ष 1991 से लेकर 1997 तक दिल्ली में एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी। लेकिन केन्द्र का दिल्ली पर जो नियंत्रण था, वह नियंत्रण पूरी तरह से संकीर्ण रहता था और काफी देर से यह मांग उठती आ रही थी कि दिल्ली को राजनीतिक स्वायत्तता देने की जरूरत है। वर्ष 1991 में भारत के संविधान की जो धारा 239 (ए)(ए) है, उसे संविधान में जोड़ा गया, जो नैशनल कैपिटल टेरिट्री ऑफ दिल्ली का कानून है, उसे पारित किया गया।

दिल्ली में एक विधान सभा बनी और दिल्ली में जो लोगों को आशाएं और आकांक्षाएं थीं, उसको पूरा करने की ओर एक कदम बढ़ाया गया। महोदय, वह जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी का कानून था, पिछले वर्ष केन्द्र सरकार ने उसको संशोधित करके एक बार दोबारा यह कोशिश की कि जो दिल्ली को नियंत्रण करने की शक्ति है, जो क्षमता है, वह केन्द्र सरकार अपने पास वापस ले ले। आज यह जो दिल्ली एमसीडी को एक बार दोबारा विलय करने का विधेयक इस सदन के समक्ष रखा गया है, यह उसी प्रक्रिया में एक और कदम है। मैं इसकी तह में और जो बिल के मेरिट्स हैं, जब उसके ऊपर अपना वक्तव्य रखूँगा तो और विस्तार से इसके ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा।

महोदय, जब इस बिल को पुर:स्थापित किया जा रहा था, उस समय हमने सरकार की लेजिस्लेटिव काम्पिटेंस के ऊपर कुछ सवाल उठाए थे। आज मैं उन सवालों को विस्तारपूर्वक इस सदन में रखना चाहता हूँ। सरकार की तरफ से यह दलील है कि भारत के संविधान की जो धारा 239एए है, उसका जो खंड 'सी' है, उसका जो दूसरा प्रोवाइजो है, उस दूसरे प्रोवाइजो के तहत

सरकार के पास यह लेजिस्लेटिव काम्पिटेंस है कि वह इस विधेयक को इस सदन में लेकर आ सकती है । मैं इस सदन के समक्ष धारा 239एए के सेकेंड प्रोवाइजो को रखना चाहता हूँ: 'Provided further that nothing in this sub-clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter including a law adding to, amending, varying or repealing the law so made by the Legislative Assembly'.

अगर इसकी शब्दावली को संज्ञान में लिया जाए तो जो सरकार कह रही है, वह बात सही है, लेकिन अगर आप पूरी धारा 239एए को अपने संज्ञान में लें तो उसकी मंशा यह नहीं है । इस प्रोवाइजो को इस धारा में डालने का सिर्फ एक ही मकसद था और वह मकसद यह था कि अगर जो दिल्ली की विधान सभा है या जो दिल्ली की सरकार है, वह कुछ ऐसा अटपटा कानून बना देती है, जिससे कि जो राष्ट्रीय राजधानी है, उसकी व्यवस्था में कोई बहुत ही गंभीर विघ्न पड़ता है, तो इस सदन को अख्तियार दिया गया था कि इस प्रोवाइजो का इस्तेमाल करके, वह जो एक इमरजेंसी परिस्थिति है, उस इमरजेंसी परिस्थिति को सुधारा जाए । इस प्रोवाइजो की कभी यह मंशा नहीं थी कि इस तरह से जिस चीज के ऊपर दिल्ली की विधान सभा का अख्तियार है, उसके ऊपर यह सदन कानून बनाए । मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की विधान सभा का अख्तियार क्यों है?

महोदय, वर्ष 1993 में जब भारत के संविधान में जो भाग 9 और 9ए है, जो पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंध रखता है, उसको जोड़ा गया और पंचायतों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक अधिकार दिया गया, उस समय यह बात सुनिश्चित की गई थी कि नगरपालिकाओं को बनाने का जो अख्तियार है, जो अधिकार है, वह राज्य सरकारों के पास है । अगर आप संविधान की धारा 243पी और धारा 243क्यू को अपने संज्ञान में लें तो उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, वह 'गवर्नर' शब्द इस्तेमाल किया गया है । अब यह कहा जा सकता है कि दिल्ली के संदर्भ में बहुत सारे ऐसे अख्तियार हैं, जो उपराज्यपाल के पास हैं, जिन्हें केन्द्र सरकार के निर्देश पर वे

इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आप उस धारा को गंभीरता और ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि उसमें साफ-साफ लिखा है, जो उसकी मंशा है, जो उसका लेजिस्लेटिव इन्टेंट है, वह लेजिस्लेटिव इन्टेंट यह है कि लोकल बॉडीज का जो अख्तियार है, वह राज्य सरकार के पास रहना चाहिए।

अध्यक्ष जी, इसके साथ-साथ किसी भी संविधान की धारा को आइसोलेशन में नहीं पढ़ा जा सकता। जो धारा 239एए है, उसको संविधान की धारा 246, जो सातवां शेड्यूल है, उसकी एन्ट्री 5 के साथ पढ़ने की जरूरत है। वह एंट्री साफ-साफ यह कहती है that the power to constitute municipal corporation lies with the State Government. वह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। इसके साथ-साथ एनसीटी ऑफ दिल्ली के संदर्भ में जो ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स गृह मंत्रालय ने क्रियान्वित किए, उसके रूल 8 को एन्ट्री 1 को अपने संज्ञान में लें तो उससे भी यह साफ जाहिर होता है कि मंशा यही थी कि लोकल बॉडीज दिल्ली सरकार के अख्तियार क्षेत्र में रहे। एनसीटी ऑफ दिल्ली के जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, उसे गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर, 1993 को क्रियान्वित किया था। उसकी एन्ट्री 26 जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसको अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, दिल्ली सरकार के अधीन रखा गया था। यही कारण था कि दिल्ली एमसीडी का कानून जो वर्ष 1997 में बना था, उसको संशोधित किया गया। उसको वर्ष 2011 में इस सदन ने संशोधित नहीं किया था, दिल्ली की विधान सभा ने संशोधित किया था। इसीलिए मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी सदन को इस कानून को संशोधित करने का लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस है, तो वह दिल्ली विधान सभा को है, न कि भारत की संसद को। इस विधेयक के संदर्भ में मैं अपनी आपत्ति को बहुत साफ तौर पर दर्ज कराना चाहता हूं।

अब मैं इसके मेरिट्स पर आता हूं। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में यह कहा गया और गृह मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि ये जो तीनों कारपोरेशन्स बनी थीं, इनमें रिसोर्स गैप बहुत ज्यादा है। जो दक्षिणी दिल्ली की कारपोरेशन है, क्योंकि वह आम तौर पर ऐफ्लुएंट एरिया माना जाता है, शायद उसके पास रिसोर्सेज़ ज्यादा थे। बाकी दो जो कारपोरेशन्स हैं– पूर्वी

दिल्ली कारपोरेशन और उत्तरी दिल्ली कारपोरेशन, उसके पास रिसोर्सेज़ कम थे। जो आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं, अगर आप उसको अपने संज्ञान में लें तो वर्ष 2014-15 में, जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था, तो दिल्ली सरकार द्वारा तीनों कारपोरेशन्स को 4,380 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया गया था। यह रकम वर्ष 2021-22 में बढ़कर 6,172 करोड़ रुपये हो गई।

मैं बहुत ही विनम्रता से आपसे यह सवाल करता हूं कि अगर पूंजी का सवाल था, रिसार्सेज़ का सवाल था और दिल्ली भारत की राजधानी है, तो केन्द्र सरकार सीधे तौर पर, जो कारपोरेशंस का रिसोर्स गैप है, उसको पूरा कर सकती थी, उसकी भरपाई कर सकती थी, उतना पैसा एज ए ग्रांट दिल्ली सरकार को ट्रांसफर कर सकती थी, इसमें तीनों कारपोरेशंस को विलय करने की क्या जरूरत पड़ गई? यह मुझे समझ नहीं आया। अगर रिसोर्स कंस्ट्रेंट है तो क्या हम सिर्फ उस रिसोर्स कंस्ट्रेंट को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे थे?

दूसरा, अगर आप इस विधेयक के क्लॉज 5(सी)(vi) को अपने संज्ञान में लें, जो सेक्शन 3 को संशोधित करता है, उसमें कोई क्लेरिटी नहीं है कि कौन से डीलिमिटेशन के बाद, कौन से रायशुमारी के बाद यह नई कारपोरेशन गठित की जाएगी। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ऑफ्टर द डीलिमिटेशन। जहां तक मेरी जानकारी है, वर्ष 2011 की जो डीलिमिटेशन थी, उसको कोविड-19 की वजह से स्थगित कर दिया गया। अभी तक उसमें कोई क्लेरिटी नहीं है कि 2021 की डीलिमिटेशन कब होगी? इस वर्ष होगी या अगले वर्ष होगी या सरकार इन कॉन्स्टीट्यूएंसेस को बनाने के लिए, दिल्ली की नई कारपोरेशन को बनाने के लिए 2011 की जो डीलिमिटेशन है, उसका इस्तेमाल करेगी।

इसमें एब्सलूटली कोई क्लैरिटी नहीं है तो मैं गृह मंत्री जी से यह स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि यह जो डीलिमिटेशन का ज़िक्र किया गया है, ये कौन से आंकड़े आप इस्तेमाल करेंगे और अगर जो वर्ष 2021 की डीलिमिटेशन है, वह वर्ष 2023 तक पूरी नहीं हुई तो क्या दिल्ली में अगले दो साल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गठन नहीं होगा। इसके ऊपर स्पष्टीकरण जरूरी है। इसके अलावा यह जो क्लॉज़ 13 इस विधेयक का है, जो सैक्शन 514 'ए' को इसमें डालता है, उसमें लिखा गया है

कि केंद्र सरकार एक स्पेशल ऑफिसर लगा सकती है, जब तक नई कॉर्पोरेशन का गठन नहीं होता। तो इससे ऐसा प्रभावित होता है कि जिस तरह से पिछले वर्ष एनसीटी दिल्ली के कानून को संशोधित कर के सारे अख्तियार लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए गए हैं, उसी तरह से इस एमसीडी के कानून को संशोधित कर के और जब तक डीलिमिटेशन नहीं होती, एक साल, दो साल, इस स्पेशल ऑफिसर के माध्यम से केन्द्र सरकार दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी को चलाना चाहती है। मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली में सही है कि केन्द्र सरकार सीधे तौर पर, चाहे राष्ट्रीय राजधानी हो या देश का कोई और केंद्रशासित प्रदेश हो, कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, उनको सीधे तौर पर चलाने की कोशिश करें और क्या यह जो पार्ट 9 और 9 'ए' भारत के संविधान का है, उसकी अवमानना नहीं है?

जब इस विधेयक के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो यह उम्मीद की जा रही थी कि कुछ बहुत ही बुनियादी बदलाव दिल्ली के सिविक गवर्नेंस स्ट्रक्चर में यह कानून ले कर आएगा, यह विधेयक ले कर आएगा। अगर दिल्ली में सीधे तौर पर मेयर का इलैक्शन होता, केंद्र सरकार से कोई डायरेक्ट ट्रांसफर होता, जो लोकल बॉडीज़ हैं, उसके फंड्स का, कोई नया एग्ज़िक्यूटिव डिसिज़न मेकिंग के स्ट्रक्चर को पुनर्स्थापित किया जाता तो एक मॉडल बनता और सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं, इस देश में जो बाकी बड़े शहर हैं, जो महानगर हैं, अध्यक्ष जी, अगर आप बाहर देखें, दुनिया के कई मुल्कों में देखें तो जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपोलिटन काउंसिल्स हैं, वे डायरेक्टली मेयर इन काउंसिल से चलाए जाते हैं।

हमारे भी कई प्रदेशों में डायरेक्ट मेयर के इलेक्शन होते हैं। तो कुछ इस तरह का अगर बदलाव सरकार लेकर आती तब तो इस बिल का कुछ औचित्य बनता है। अध्यक्ष जी, आखिर में एक बात कहना चाहूंगा और मैं किसी पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा, परंतु जो एक आम चर्चा है और जो चीजें सार्वजनिक हुई हैं कि 9 मार्च, 2022 को दिल्ली के राज्य चुनाव आयोग ने म्युनिसिपैलिटी के अगले चुनाव की तारीखों को मुकर्रर करने के लिए एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। आखरी मोमेंट पर, शायद गृह मंत्रालय द्वारा उनको कोई खत लिखा गया कि

हम इन तीनों कॉर्पोरेशंस का विलय कर रहे हैं, आप इसको स्थगित कर दीजिए तो ये जो हमारी संस्थाएं हैं, जो चुनाव आयोग है, उनकी स्वायत्तता के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत के लोकतंत्र पर, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर पड़ेंगे।

इसलिए मैं बहुत ही अदब और सत्कार के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और अध्यक्ष जी, यह कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि यह जो विधेयक है, यह इस सदन की लेजिसलेटिव कॉम्पिटेंस के बाहर है और अगर किसी सदन को अख्तियार था, इस विधेयक को संशोधित करने का या दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट,1957 को संशोधित करने का, तो वह दिल्ली विधान सभा के पास है। अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 के ऊपर बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, मैं भी बड़ी अदब से कहना चाहता हूं। आदरणीय मनीष जी ने जो बात कही, हालाँकि, उनकी बातों का जवाब ऑनरेबल गृह मंत्री जी देंगे, पर उनकी कुछ बातों का जवाब मैं दे सकता हूं।

महोदय, भारत के संविधान में वर्ष 1992 में 74वें संशोधन के माध्यम से नगर निकायों की स्थापना हेतु प्रावधान किए गए। इसका उद्देश्य लोकतंत्र को ग्रासरूट लेवल पर मजबूत किया जाना था। इससे सरकार सशक्त होगी, परन्तु यह किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि एक खानदान, एक परिवार, एक पार्टी, केवल अपने दल की सत्ता भोगने के लिए इस प्रकार के निकायों को कमजोर करेगी। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैंने फाइल नहीं पढ़ी, मेरे पास कोई ऐसे तथ्य नहीं हैं, मैं क्या कहूं, लेकिन उस समय मैं दिल्ली में सिटिंग एमएलए था, जब यह कुकर्म काँग्रेस के द्वारा किया गया था। काँग्रेस में एक परिवार की स्तुति करने वाले लोग हैं। तत्कालीन मुख्य मंत्री एक परिवार की स्तुति करती थीं। उस समय डेमोक्रेसी के तहत, नीचे से गरीबों के बच्चे निकल कर नेता बनने शुरू हो गए। कॉरपोरेशन एक थी। एक कॉरपोरेशन में उनका आधिपत्य हो गया। '10, जनपथ' के एजेंट्स की ताकत कम होने लगी। डेमोक्रेटिक सिस्टम में गरीब लोग निकल कर कॉरपोरेशन में आ गए, मेयर बन गए। वे भी लोकतंत्र में काम करना चाहते थे। उनके हक को मारने के लिए, ताकत को बाँटने के लिए आनन-फानन में इसे किया गया। यह भी देखा नहीं गया कि नॉर्थ एमसीडी में रेवेन्यू रिसोर्सेज कहां से होंगे, ईस्ट एमसीडी में रेवेन्यू रिसोर्सेज कहां से होगा। यह नहीं देखा गया। दिल्ली बर्बाद हो गयी। यह नहीं देखा गया। केवल कॉरपोरेशन की ताकत कम हो, एक मेयर की ताकत कम हो, स्टैण्डिंग कमेटी के चेयरपर्सन की ताकत कम हो, इसलिए इसे तीन भागों में बाँट दिया गया कि तीन मेयर्स बनेंगे। इस स्थिति में वह नेता एक कोने में पड़ा रहेगा, यह मंशा थी। मनीष जी, इसको अलग करने की यह मंशा थी।

अध्यक्ष जी, जब वर्ष 2011-12 में एमसीडी का ट्राइफिकेशन किया गया, तब काँग्रेस की सरकार राज्य में थी और काँग्रेस की सरकार केन्द्र में थी। मनीष जी बार-बार इसका हवाला दे रहे थे, वे एडवोकेट हैं, लर्नेड व्यक्ति हैं, बड़े सीनियर नेता भी हैं, लेकिन वे सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं। जो पूर्ण राज्य है, उस पूर्ण राज्य के तहत जो अधिकार निगमों को दिए गए, वे उनका हवाला दे रहे हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। वर्ष 1991 में जब राष्ट्रीय राजधानी का लॉ बनाया गया था, काँग्रेस ने ही यह बनाया था। उस समय काँग्रेस ने ही यह प्रावधान रखा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो पावर्स हैं, जिनके बारे में ये केन्द्र सरकार पर आक्षेप लगा रहे हैं कि केन्द्र सरकार के माध्यम से वे अपने पावर्स को फ्रीज करना चाहते हैं तो वर्ष 1991 के काँग्रेस के समय के उस कानून में ही लेफ्टिनेंट गवर्नर को वे पावर्स दिए गए थे।

आज एल.जी. के पास जो दोबारा अधिकार, रिव्यू करके, दिए गए हैं, वे केन्द्र सरकार ने नहीं दिए हैं, वे कोर्ट ने दिए हैं। वर्ष 1991 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इसे केन्द्र सरकार ने नहीं दिया है। वे गुमराह करना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, जो तीन एमसीडी बनी तो आय के स्रोत पर तो मैंने पहले बता दिया कि काँग्रेस की इसमें क्या मंशा थी, जिसके कारण ये तीन निगम बनाए गए।

अब एक और महारथी जी की तकरीर सुन लीजिए, जो आज दिल्ली के मुख्य मंत्री हैं। उनके कुकर्म सुनिए। यह अच्छा होता कि मनीष जी इसका जिक्र करते कि वर्ष 1991 में जब एक्ट बना था, तब यह तय किया गया था कि निगम को चलाने के लिए दिल्ली वित्त आयोग यह तय करेगा कि कितनी फंडिंग करना है। आज जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, जब वह सरकार में आ गई तो उस समय दिल्ली वित्त आयोग ने कहा कि 40,500 करोड़ रुपये के करीब रुपये निकायों को चलाने के लिए दिए जाने चाहिए। आज लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग बैठे हैं और वे लोकतंत्र की दुहाई का उपदेश देश को दे रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने सदन के अन्दर यह पास किया कि हम दिल्ली वित्त आयोग की बात को नहीं मानेंगे, हम तो एमसीडी को चलाने के लिए केवल 17,000 करोड़ रुपये देंगे। उन्होंने इसका एक-तिहाई पैसा काट

दिया। इससे भी बड़ी विडम्बना आप देखिए। उन्होंने हाउस के अन्दर यह मान लिया कि हम यह 17,000 करोड़ रुपये देंगे, लेकिन केवल 6,129 करोड़ रुपये दिए। उन्होंने 17,000 करोड़ रुपये भी नहीं दिए। यह किसलिए किया? एमसीडी को डीफंक्ट करने के लिए किया। अलग-अलग निगम हो गए। मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश को टेबल भी करूंगा। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह आदेश भी किया था कि दिल्ली सरकार ने निगम के लिए जो तय किया है, वे पैसे उन्हें लौटाए जाने चाहिए। सर, यह हाई कोर्ट की रूलिंग है –

> "We accordingly allow this application and direct the GNCT to release in the current financial year the remaining amount due towards BTA to the three Corporations on the basis of their own revised estimate presented in the budget for the year, 2021-22."

हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी इस मुख्यमंत्री ने केवल दिल्ली के ढाई करोड़ लोगों को बर्बाद किया। …* साहब, आपका झगड़ा बी.जे.पी. से हो सकता है, आप एक एन.जी.ओ. चलाकर …* करके दिल्ली के अंदर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। दिल्ली के इन लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, मालिक बनाया है, लेकिन आप दिल्ली के लोगों से इसका बदला निकाल रहे हैं। यदि आपका झगड़ा बी.जे.पी. से है तो आप बी.जे.पी. से झगड़ा कीजिए। आप दिल्ली के ढाई करोड़ लोगों के हक को क्यों मारना चाहते हैं?

अध्यक्ष जी, हाईकोर्ट के कहने के बाद भी वह पैसा नहीं दिया गया। इसमें अन्याय हुआ है। इसके बाद …* साहब के माध्यम से और क्या होता है, दिल्ली के अंदर मैं एसडीएमसी के फंड के बारे में बताता हूँ। केवल एसडीएमसी की बात करता हूँ, जहाँ से मैं सांसद हूँ। इनका जो एक्चुअल बजट एस्टीमेट था, वह 1,005 करोड़ रुपये का था। लेकिन, उसके बाद उन्होंने 741 करोड़ रुपये दिया। वर्ष 2021-22 का 1,052 करोड़ रुपये था, लेकिन उसमें केवल 674 करोड़ दिया।

---

* Not recorded

उसमें से भी 600 करोड़ रुपये निकाल लिया। उस 600 करोड़ रुपये के बाद भी, उस पैसे को रोक लिया। क्योंकि, ...*साहब सात वर्षों में अपने किसी वायदे को पूरा नहीं कर पाए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नाम नहीं लेना है।

... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, अभी बहुत कुछ है। सॉरी आगे से नाम नहीं लूँगा। ... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर को...* कहा।... (व्यवधान)

SHRI RAMESH BIDHURI: You are also an ... *

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, नाम को रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसे मैं देख लूँगा।

... (व्यवधान) *

श्री रमेश बिधूड़ी : सर, उन्होंने किसी वायदे को पूरा नहीं किया।... (व्यवधान)

दादा, आप एक बार सुन लीजिए। ... (व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : यह सदन है, लेकिन आप ...* कहिए, ...* कहिए।... (व्यवधान) यह पूरे हिन्दुस्तान का सदन है। ... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी: भाई, आप बैठिए।... (व्यवधान) आप बैठ जाइए, बात हो गई है। वे अपनी विफलता छुपाने के लिए आरोप लगाते रहे कि एल.जी. काम नहीं करने दे रहे हैं। अपने दोष को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आरोप लगाते रहे, यह दिल्ली के मुख्यमंत्री की पद्धति है। दिल्ली में एम.सी.डी. फेल, एम.सी.डी. में भ्रष्टाचार, एम.सी.डी. में यह चीज है। आज जहाँ कश्मीर, बंगाल में हिन्दू सुरक्षित नहीं है।

---

* Not recorded.

उसी प्रकार से दिल्ली को भी बंगाल बनाया जा रहा है। वैसे तो यह विषय आपका नहीं है, परंतु मैं जानकारी देना चाहता हूँ। दिल्ली को भी बंगाल बनाने की कोशिश है। घुसपैठियों को जमीन, टेंट, बिजली फ्री में दी जा रही है।

अध्यक्ष जी, ओखला में जाकर इसे देख सकते हैं। इसी मुख्यमंत्री के द्वारा फ्री में चीजें दी जा रही हैं। जहाँ हिन्दू सुरक्षित रहे,... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, दिल्ली देश की राजधानी है। इस मुख्यमंत्री से बचाने के लिए, आप ओखला एरिया में सर्वे कर सकते हैं। उनको एम.सी.डी. रोकती है। जब एम.सी.डी. रोकती है कि फ्री में चीज नहीं दी जाएगी तो इसीलिए उनको चुभता है।

अध्यक्ष जी, दूसरी तरफ जो तीन निगम हैं, इन तीनों निगमों ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार को तीन प्रपोजल दिए। पहला प्रपोजल था कि कमर्शियल टैक्स से संबंधित वर्ष 2020 में प्रस्ताव दिया गया कि हम कमर्शियल टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं और इससे अपना रेवेन्यू बढ़ा लेंगे। लेकिन, दिल्ली गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी। आदरणीय मनीष जी अभी बोल रहे थे। पार्किंग के द्वारा हम अपनी आय बढ़ा लेते, इसका प्रपोजल दिल्ली सरकार को भेजा गया कि हमें इजाजत दे दीजिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं दी। फिर, तीनों निगमों ने कहा कि हम अपना बॉण्ड जारी कर देते हैं, हमें उसकी इजाजत दे दीजिए, लेकिन उसे भी पेंडिंग डाल रखा है। अगर निगम अपना रेवेन्यू लेना चाहती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उसको भी नहीं देना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि उन सफाई कर्मचारियों का क्या गुनाह है, उन टीचरों का क्या गुनाह है, जो स्कूल में पढ़ाते हैं? उन रिटायर्ड अधिकारियों का क्या गुनाह है, जिनको पेंशन नहीं मिलती? उनको टाइम पर सैलरी नहीं मिलती। टीचरों को छह-छह महीने की सैलरी नहीं मिली है। अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर उन लोगों का क्या गुनाह है? जो विधवा बहनें हैं, जो ओल्डएज में हैं, उनके पेट को काटकर यह मुख्यमंत्री अपनी राजनीति करना चाहता है। सर, ऐसे

दिल्ली के मुख्यमंत्री पर …* है, जो इस प्रकार की घृणित राजनीति करता है। वह गरीब लोगों के पैसे को रोकने का काम करता है।… (व्यवधान)

अरे दादा, इसे हटा देंगे। आप चिंता मत कीजिए। जो लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए बाहर से आकर दिल्ली में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, उन लोगों को क्या पक्का मकान नहीं होना चाहिए? जब वे बीमार हो जाए तो क्या उनको आयुष्मान भारत योजना से लाभ नहीं मिलना चाहिए? उन लोगों का क्या गुनाह है, जो 20-30 साल पहले दिल्ली में आकर बस गए है? आज तक सात वर्षों में उन लोगों को एक मकान भी नहीं दिया। केन्द्र सरकार ने तीन करोड़ लैंडलेस लोगों को मकान दे दिया। अगर दिल्ली में इस प्रकार की सरकार चलाने वाला व्यक्ति ठीक होता तो क्या उन गरीब लोगों को उनका हिस्सा नहीं मिलता?

16.00 hrs

क्या झुग्गियों में नौजवान रहते हैं, क्या उनका सपना नहीं होता है कि वे पॉयलट बनें, क्या उनका सपना नहीं होता कि इंजीनियर बनें? उन्होंने क्या कोई पाप कर दिया। गरीब मां के पेट से वे पैदा हुए तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए थे? उनको अधिकार न मिल जाएं, निगम अधिकार न दे दे,…* इस काम में लगे रहते थे। सॉरी सर, नाम डिलीट कर दें। दिल्ली के मुख्य मंत्री इस काम के लिए लगे रहते हैं।

महोदय, तीनों निगमों ने डेवलपमेंट के काम किए। मनीष जी ने कहा था कि जब वर्ष 2014-15 में राष्ट्रपति शासन था, तब 4 हजार करोड़ रुपये दिए गए थे। मैं आपके माध्यम से मनीष जी को जानकारी देना चाहता हूं कि जो 4 हजार करोड़ रुपये रिलीज हुए थे, उसे जेटली साहब ने एक फाइनेंशियल ईयर के लिए रिलीज किया था और 6,129 करोड़ रुपये 5 वर्ष के लिए दिये हैं, 1 वर्ष के लिए नहीं दिये। 6 हजार में तीन निगम 5 साल कैसे चलाई जा सकती हैं? आप इस बात को इमेजिन कम कर सकते हैं। इसके बदले में एमसीडी ने डिसपेंसरी, पार्क, स्ट्रीट लाइट,

* Not recorded

सफाई के क्षेत्र में बहुत से काम किए। दिल्ली का एक साल का बजट 75 हजार 800 करोड़ रुपये है। एमसीडी का बजट मुख्य मंत्री जी ने 17 हजार करोड़ रुपये मांगे और दिए केवल 6 हजार करोड़ रुपये। इसके बावजूद भी एमसीडी के 1,616 स्कूल्स हैं, जो बच्चों की नींव मजबूत करने का काम करते हैं और दिल्ली सरकार के पास छठी क्लास से बारहवीं क्लास तक 1,026 स्कूल्स हैं। तीनों निगम 8 लाख बच्चों को मुफ्त में खाना देती हैं, यूनीफॉर्म्स देती हैं, बुक्स देती हैं। इनके जो स्कूल्स हैं, दुनिया में एडवरटाइजमेंट करके ये जिसके डंके पीट रहे हैं, जो केवल 1 हजार हैं, उनमें से 392 स्कूल्स में प्रिंसिपल्स नहीं हैं, 363 स्कूल्स में वाइस प्रिंसिपल नहीं हैं। इतना बजट लेने के बाद भी हायर सेकेंड्री के स्कूल्स में प्रिंसिपल्स हैं ही नहीं। मैं दावा करता हूं ...* जी, जो दिल्ली के मुख्य मंत्री हैं ... (व्यवधान) इसको मान लिया जाए कि ...* का नाम डिलीट कर लिया जाए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। वे क्या राजनीति छोड़ेंगे? मैं एक विचारधारा को लेकर 25 साल से विद्यार्थी परिषद से लेकर, भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा के साथ काम कर रहा हूं। वे तो एक ...* करके, एनजीओ चलाकर, गुमराह करके आए थे, वे क्या राजनीति छोड़ेंगे? आप दिल्ली के मुख्य मंत्री से सर्वे करवा लीजिए, मनीष जी, आप किसी थर्ड एजेंसी से सर्वे करवा लीजिए कि दिल्ली के लोग सेंट्रल स्कूल्स में दाखिला लेना चाहते हैं या दिल्ली सरकार के स्कूल्स में दाखिला लेना चाहते हैं। मैं दावा करता हूं कि अगर 90 पर्सेंट लोग सेंट्रल स्कूल्स की बात न करें, तो हाउस के सामने मैं कहता हूं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली के स्कूल्स में लोग दाखिला नहीं लेंगे। केवल लिपाई, पोताई, पेंटिंग करके, 15-20 स्कूल्स की फोटो जारी करके एडवरटाइजमेंट के माध्यम से देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सर, एमसीडी के स्कूल्स में वर्ष 2020 में जो एनरॉलमेंट हुई थी, वह 7 लाख 20 हजार बच्चों की थी और वर्ष 2022 में 8 लाख 71 हजार बच्चों की एनरॉलमेंट हुई है। एमसीडी के लोगों से लोग ज्यादा खुश हैं। एमसीडी

---

* Not recorded.

के तीन मेयर्स हैं। उनकी अलग-अलग सोच है। ये प्रेस को एक कर नहीं सकते हैं, जानकारी दे नहीं सकते हैं।

महाशय जी ने वादा किया था कि पांच सौ नये स्कूल्स बनाऊंगा, बीस कॉलेज बनाऊंगा और सात अस्पताल बनाऊंगा। आठ नये स्कूल्स केवल ईस्ट दिल्ली एमसीडी ने बनाये हैं। मैं यह टेबल करना चाहता हूं। मैं आरटीआई के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तीनों एमसीडी ने मिलकर 95 स्कूल्स बनाये। मैं ऑन रिकार्ड बोल रहा हूं। इनका आरटीआई का जवाब है, मैं इसको टेबल करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार से आरटीआई लगाकर पूछा गया कि बतायें मुख्य मंत्री जी कि पिछले सात वर्षों में दिल्ली में कितने नये स्कूल्स बने? न एक नया स्कूल अलॉट हुआ है और न ही एक नया स्कूल बना है। यह आरटीआई का दिल्ली सरकार का जवाब है। मैं इस पेपर को टेबल करना चाहता हूं। मैं कुकर्म बताना चाहता हूं। एसडीएमसी ने 95 बिल्डिंग्स बनाईं और दिल्ली सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली, यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, भाजपा की रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने जवाब दिया कि दिल्ली सरकार ने केवल 20 नई बिल्डिंग्स बनाईं और एसडीएमसी ने 95 नये स्कूल्स की बिल्डिंग्स बनाईं।

हॉस्पिटल्स के मामले को देखिए। अभी दादा भी बोल रहे थे। अपना तो मामला खत्म हो गया। बहन जी पूरे देश के अंदर दौड़ लगाकर घूम रही थीं कि नेता बनूंगी। अब टांय-टांय फिस्स हो गई। ये भी कह रहे हैं कि आप इलेक्शन टालना चाहते हैं। अगर ...* जी कहते हैं, दिल्ली के मुख्य मंत्री कहते हैं,... (व्यवधान) मैं निगेटिविटी में नहीं बोल रहा हूं। हम चुनाव से डर रहे हैं। डायबेटिक होने के बाद भी गृह मंत्री जी ने छतरपुर के अंदर 10 हजार बेड का हॉस्पिटल कोविड के दौरान बनाया था। एक हजार बेड का हॉस्पिटल दिल्ली कैन्टोनमेंट में बनाया था। वह अपने घर में छुपे बैठे थे। वे दौरा कर रहे थे, तब उन्होंने कभी नहीं कहा।

---

* Not recorded

माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में दिल्ली का दर्द है इसीलिए इसको एक करना चाहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी तक दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली में 497 मोहल्ला क्लीनिक्स बने हैं। दिल्ली एमसीडी की डिसपेंसरी 311 पक्की तरह से काम कर रही हैं। 7 साल में 497 क्लीनिक्स और दिल्ली एमसीडी का 311, यह तुलना बता रहा हूं। दिल्ली सरकार कोविड के दौरान बोलती थी कि 30 हजार बेड का हॉस्पिटल बनाएं। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में टोटल बेड 12 हजार 400 हैं। एमसीडी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बेड्स मिला दें तो 15 हजार 744 दिल्ली के अंडर बेड्स हैं।

दिल्ली की हैल्थ फेसिलिटीज कौन देख रहा है, वाहवाही कौन लूट रहा है, मुख्यमंत्री अपना चेहरा लगा कर कर रहे हैं। ये कहते हैं कि दिल्ली में हेल्थ व्यवस्था ठीक कर दी है। 3 हजार बेड सेंट्रल और एमसीडी दोनों के अस्पतालों से ज्यादा है। 7 नए अस्पताल बनाने का वायदा था। पालम के अंदर सेक्टर 9 में 2013 की नींव रखी थी, अम्बेडकर नगर में 400 बेड का एक हॉस्पिटल वर्ष 2014-15 के बजट में माननीय जेटली ने 50 लाख रुपये अर्नेस्ट मनी देकर सैंक्शन किया था। 7 वर्ष में दो हॉस्पिटल्स बने हैं तो पुराने कंस्ट्रक्शन के कर रहे हैं। पिछले सात वर्षों में इन महाशय जी ने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया है।

मैं एमसीडी की अन्य नई सुविधाओं के बारे में बताता हूं, 15 हजार 67 पार्क बने, जिसमें 2019 में ओपन जिम, 3725 पार्कों में झूले बच्चों के लिए हैं, एमसीडी के माध्यम से लगाए गए हैं, यह दिल्ली सरकार के माध्यम से नहीं हैं। 5 लाख 82 हजार एलईडी लाइट्स दिल्ली को रोशन कर रही हैं।

राज्य सभा में उनके लोग हैं, वे बोलेंगे। 7 सालों में कितने कम्युनिटी सेंटर्स बनाए हैं। एमसीडी के माध्यम से 402 सामुदायिक भवन बने हैं, जिनमें गरीब लोग अपने बच्चों की शादी, जन्म दिन, कुँआ पूजन इत्यादि, के काम कर सकते हैं। आटो टिपर 2339 हैं, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट घर-घर जाकर दिल्ली में कूड़ा उठाने का काम करते हैं, यह एमसीडी ने काम किया है। 14 फ्लाईओवर्स के नीचे 150 जगहों पर वर्टिकल पार्क नजर आते हैं, वह रोड पीडब्ल्यूडी की

है। लेकिन दिल्ली सड़ रही है, लोग गाली देंगे, इसीलिए एमसीडी ने उन पार्कों का सौन्दर्यीकरण किया है, ये सारे वर्टिकल गार्डेन्स एमसीडी के द्वारा किए गए हैं। एमसीडी के द्वारा 600 शौचालयों का काम एमसीडी के द्वारा चलाया जा रहा है।

वर्ष 2014-15 में उन्होंने कहा था कि एलडीसी, चपरासी, चौकीदार, टीचर्स सभी को परमानेंट करूंगा। आंगनवाड़ी की बहनें मामूली वेतन लेकर काम करती हैं और धरने पर बैठी हैं। इसी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक हजार आंगनवाड़ी की बहनों को नौकरी से निकाल दिया है। एमसीडी ने 12 हजार 599 कर्मचारियों को पिछले पांच साल में परमानेंट किया है। इन्होंने एक कर्मचारी को परमानेंट नहीं किया है जो कहते हैं कि हम चुनाव से डर कर भाग रहे हैं।

भोली सी सूरत बनाकर खूब करता है लोगों के जख्मों का इलाज,
कुरेद कर देख लेता है और फिर कहता है कि इसमें समय लगेगा।

वर्ष 2013-14 में कहा था, दिल्ली के लोगों को नल से जल दूंगा। वर्ष 2017 में निगम का चुनाव आया तो कहा कि और समय दे दो। वर्ष 2019 में नल से जल दे दूंगा। 2019 में नहीं दिया, फिर कहने लगा कि 2020 में दे दूंगा। इस प्रकार से * और नारेबाजी करते हैं। 20 नए कॉलेजज बनाने थे, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट्स बनाने थे, 500 नए स्कूल बनाने थे, टैंकर माफियाओं को खत्म कर दूंगा, आज 1200 टैंकरों से दिल्ली में पानी जाता है। बिजली का बिल आधा कर दूंगा, ऑडिट कराऊंगा। जल बोर्ड का आज तक ऑडिट नहीं कराया क्योंकि जल बोर्ड 60 हजार करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है। बिजली का ऑडिट कराने वाले हम लोगों को कहता था कि हम अम्बानी के आदमी हैं, हम और कांग्रेस मिल कर अम्बानी के साथ काम कर रहे हैं।

बिजली कंपनियों को भगा दूंगा। आज उसी बिजली कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। वहां काम करते हुए एक दिन भी नजर नहीं आ रहा है कि अम्बानी जी पैसे ले रहे हैं। अब वह उनका रिश्तेदार बन गया है। हर गांव को एक विशेष फंड दिया जाएगा। अपने मैनिफेस्टो में 36 नम्बर में

---

* Not recorded

कहा था कि गांव के माध्यम से निवासियों की फेसिलिटी के अनुसार विकास करूंगा। लोगों को नौकरी देने के लिए 55 हजार नई वैकेंसीज निकालूंगा। सदन के माध्यम से देश को बताना अनिवार्य है कि वह कितना बड़ा …* है। उस … * के झांसे में आने के बाद साल-दो साल लोग खुश रह सकते हैं।

उसके बाद क्या हालत होगी, दिल्ली की पीड़ा देखने के बाद लोगों को जानकारी मिलेगी। महोदय, पांच हजार नई बसें खरीदूंगा, यह कहा था। एक नई बस नहीं खरीदी। सात साल से 11,000 करोड़ रुपये के घाटे में डीटीसी चल रही है। सैंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ष 2016-17 में कहा कि आप बाउंड्री कराकर दीजिए, हम कॉलोनी पास करना चाहते हैं। वर्ष 2019 में यूडी मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिखी, वर्ष 2019 में कहता है कि हमने तो अभी एजेंसी एपाइंट नहीं की, हमें और दो साल का टाइम दे दो। यूडी मिनिस्ट्री ने कहा कि आपको हमने वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक का टाइम दिया, अब आप वर्ष 2017 में फिर टाइम मांग रहे हो, तब सैंट्रल गवर्नमेंट ने इनीशिएटिव लिया और अब निगम के बारे में लेने जा रही है। सैंट्रल गवर्नमेंट ने, वर्ष 1991 में कांग्रेस ने जो एक्ट बनाया था और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिकार दिए थे, उसका उपयोग करते हुए सैंट्रल गवर्नमेंट ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने दिल्ली के 36 लाख लोगों के मकानों को पक्का किया। उन पर डिमोलिशन की तलवार लटकती रहती थी, इससे उनको मुक्ति दिलाई। अनियमित कॉलोनी के बारे में माननीय प्रधान मंत्री पीएम उदय योजना लेकर न आते तो उन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी के लोगों का क्या हाल होता?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा न बोलते हुए, एक ही बात कहना चाहता हूं। मुझे एक बात याद आ रही है – केवल सूरज निकलने से अंधेरा नहीं चला जाता, सुबह उठने के बाद अंधेरा भेजने के लिए आंखें भी खोलनी पड़ती हैं, वरना आंखों के सामने अंधेरा ही नजर आता है। आंखें खोले बगैर, कुछ लोग उनके गुरु गवाह बनकर उनके वक्तव्य की बात कह रहे हैं, लेकिन वहां एक-

---

* Not recorded

दूसरे को गाली देते हैं। यहां इस सदन में आकर एक हो जाते हैं। वहां दोस्त रहते हैं और यहां कुश्ती करते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी,मैं इनको जानकारी देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एम्बेसीज़ हैं, दिल्ली के अंदर सभी राज्यों के हाउसिस हैं, दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल लैवल के डेलिगेट्स आते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है।

देश के माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के कारण देश और दिल्ली का नाम पूरी दुनिया में नंबर दो और तीन पर है। आज बड़े लोगों को, एनसीपी के नेता को, सुप्रिया जी के नेता को कहना पड़ा कि मोदी जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है, इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, हमें उसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, आज दिल्ली अगर कूड़े का ढेर रहेगी, अगर दिल्ली गंदी रहेगी, आज दिल्ली के अंदर बीमारियां फैलेंगी, दिल्ली में पॉल्युशन फैलेगा तो उन …* साहब को, …* साहब को कोई नहीं पूछेगा, मोदी जी की बदनामी होगी कि देश के प्रधान मंत्री जी की राजधानी में पॉल्युशन के कारण इतने लोग मारे जाते हैं।

फंड साउथ एमसीडी से आता है, दिल्ली में एमसीडी के एकीकरण करने के बाद मेयर भी अगर एक होगा तो मिलकर निर्णय होगा। लोकतंत्र की दृष्टि में निर्णय लेने के बाद वह अपने अधिकार दिल्ली के लोगों के सामने मजबूती से रख सकता है। अगर निर्णय मजबूती के साथ रखेगा तो उस निर्णय को लोग मानेंगे, एप्रिशिएट करेंगे, केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री के झांसे में नहीं आएंगे। दिल्ली के ढाई करोड़ लोगों की इच्छा के अनुसार दिल्ली में डेवलपमेंट के काम होंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, क्या चुनाव से बीजेपी भागने वाली है? धारा 370 हटाने पर किसी से नहीं डरे, भगवान श्री राम का मंदिर बनाने पर किसी ने नहीं डरे, क्या एमसीडी के चुनाव से भागेंगे? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, गोवा, मिजोरम में भी तो चुनाव लड़ा था, लेकिन हर जगह जमानत जब्त हो गई। मैं मीडिया के बंदों से कहता हूं, तुम्हें पंजाब तो नजर आता है, वहां हम नहीं थे, वहां 70

---

* Not recorded

साल से देश को लूटने वाले लोग बैठे हुए थे, उनको डिफीट मिली है। हम चार राज्यों में थे और चारों राज्यों में इसकी जमानत जब्त हुई है। यह मीडिया के बंदों को सोचना चाहिए। यह नहीं दिखाना चाहिए कि पंजाब में उन्होंने जीता है, हमें हराकर नहीं जीता है, हम तो पंजाब में थे ही नहीं।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी यह बिल लेकर आए हैं, मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दिल्ली के ढाई करोड़ लोगों के विकास के लिए यह बिल लाया जा रहा है। मैं यही बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to participate in the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022.

Sir, it is very sad to see that the Treasury Benches are always complaining about the Congress Party for whatever problems are being faced in the country now. I think, it is more than seven years since this new Government has been in power. I feel, that this is, probably, the time when you have to look forward saying, 'we will take the country forward in the best way possible,' rather than to look back and say that Congress has been the root cause for all the evils in this country. Sir, we have to understand that Congress has done some amount of development since freedom or till you came to power.

In between, the Vajpayee Government was also there. Subsequently, now you are here with a huge majority. I wish to congratulate you for that. But having said that, we have to see how we can go forward instead of complaining about how the Congress Government has ruined it. In fact, I have a few friends in the BJP also. When we were sitting and talking casually about COVID-19 and the management of this Government during the COVID-19 pandemic, one of my friends surprisingly said that the cause of COVID-19 in India is the Congress Government. For a second, I was taken aback, surprised, and shocked. I was wondering what he is talking about. I asked him where the coronavirus came from. He said that that came from China. I asked him how did it come in. He said that that came through the flights. I asked him

who was in the Government operating the flights. He said that that was the BJP Government. So, how can you say that it is the Congress Government which is the root cause of all this? Who built the airports? He says that the Congress Government built the airports and that is why, the coronavirus has entered into India. So, if this is the way we are going to be talking, this is not right.

16.16 hrs (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

Sir, I turned 50 in 2019-20. I think, probably, even Rahul*ji* would have also turned 50. Our hon. Prime Minister would have turned 70. There are times when I get into a doubt. Probably, we would not have turned 50 or 70.

Maybe, I would have been hanging on at 49 as long as the BJP Government had not come. So, these are the kinds of conversations we try to have. The content of this Bill and the way this Bill has been brought in shows the Government's total apathy towards any kind of norms which have to be followed. As regards every other Bill, there may be an argument, and there is probably a reason and a good intention behind bringing in that Bill. But as regards this particular Bill, you see the way it has been brought in. On March 9th or so, there was an announcement from the Delhi State Election Commission regarding a Press Conference. On the same day, he gets a letter saying that the elections should be postponed because they were planning to bring in a Bill this way. So, what is the urgency to bring in a Bill in this form? When the elections were supposed to be happening in April 2022, what was the urgency or necessity to do it in such a fashion? This is a kind of a semi-

emergency. You are bringing in a rule where you are saying that the elections are not going to happen. The reason for it is that BJP has been ruling this Corporation for more than 15 years, and probably this time, the election results may not be in favour of BJP. So, that may be the reason this Bill is being brought in. If this Bill has to be brought in, delimitation has to be done.

In this Bill, the main things you are talking about are these. You are reducing the number of seats from 272 to 250. There is an assumption that this Government is planning to increase the number of Members of Parliament in the country. Probably, you are justified in doing that. But what is the justification we can find for reducing the number of Councillors from 272 to 250? What was the need to reduce the seats when the population of the country is increasing and we probably need more representatives for the given set of population? You are reducing the number of Councillors. We cannot understand why it is happening. There is absolutely no logic in doing this.

The other point is this. The Bill which made the possibility of trifurcation of this Corporation was brought in by the Delhi Legislative Assembly in 2011. It has hardly been 10 years now. The Supreme Court had already made an observation saying that this Government is bringing in Bills without putting in much thought into then, which is causing a lot of confusion and also leading to repealing of Bills. Even they were forced to repeal the Farm Bills because of the huge protest by the farmers.

Similarly, when the Delhi Government had trifurcated it, I feel, probably there must have been a reason behind that. Has anybody looked into that? I will give you an example of my State's Corporation. In Chennai, we have three Parliamentary Constituencies but it is a single Corporation. As regards the fund allocation, which was close to Rs. 1,900 crore for Chennai, I would say that during the previous AIADMK Government, Rs. 1,000 crore were spent on South Chennai, about Rs. 850 crore were spent on Central Chennai, and the North Chennai had only about Rs. 25 crore to 50 crore allocated for this.

This is a very unjust way. We had made several representations because my constituency is the most economically and socially backward area. Similarly, in Delhi, they have brought in a situation where they have three Corporations and they have an understanding that there will be an officer who will be coordinating among these three Corporations to make sure that the toll tax collections are equally distributed and all those things. Also, through this Bill, they have removed the powers of the Delhi Government. The power to decide the total number of seats and reservation of seats was with the Delhi Government. Then, the powers regarding division into zones and wards, delimitation, salaries and allowances and the leave of the Commissioner have been removed. The main thing in this Bill is on building regulation. Do you want to say that the Union Government wants to take the powers of a Corporation and keep it running also?

The other fear that we have is this. You are going to set a precedent. By taking up these Corporations now, what assurances do we have that this is not going to happen to the other Corporations throughout the country? There are several Corporations all over the country. What will give us the confidence that you will not take up any of these Corporations in the future?

Also, it has been shown that the delimitation process takes a minimum of 16-18 months. Already, my earlier speaker, Mr. Manish Tewari has spoken about this. He has asked, by delimitation, what statistics are you going to take. Are we going to take the statistics from the 2011 Census? Or, are we going to say that we are going to wait for the 2022-23 Census and then go forward? In that way, I feel that the Parliament elections may happen even before the elections of Delhi Corporations.

So, I think this is a very unjust and a cruel way of treating the people of Delhi. Even in 2024, we do not know for sure whether the elections ever again will be conducted in the Delhi Corporations? The Bill also has a provision for a Director for local bodies. The role of the Director is to coordinate among the Corporations, frame recruitment rules for various posts and do the toll tax collection and sharing. There is not at all a mention of this Special Officer. Till further election, only the Special Officer is going to be there. There is no provision for the role of a Director and it has not been defined at all. I will tell you, in Tamil Nadu, we went through a phase where for four years, we did not have our local body elections, though the people were asking for it. …(*Interruptions*) Please give me one minute. I will just conclude.

We did not have elections for four years. One of the problems is, if there is a Special Officer, funding from the Union Government to the individual wards may be an issue. So, in these kinds of situations, for the Government to have taken a decision one month before the scheduled elections which are supposed to happen, to bring this Bill and thereby thwart the whole election process is actually, very, very sad and pathetic.

Regarding funding, Manish Tewari Ji has also mentioned about it. Between 2010 and 2011, Rs.1,465 crore was provided for the Delhi Corporation. Between 2014 and 2015, Rs.4,380 crore was provided, and during 2021-22, the amount provided under the Aam Aadmi Party Government is Rs.6,172 crore. So, when the Government has already provided a substantial amount, if you felt that the amount needed for the local bodies was not adequate, it would have been easily possible for you to provide that allocation. You could have made an extra allocation of whatever fund is needed.

In fact, in one of my earlier speeches also, I was talking about this. I do not know about the Delhi Corporation. But in several Corporations in the country, the elected representatives are working without salary. So, I would request that the Union Government takes this opportunity to see that the salaries of elected representatives in the local bodies across the country is paid by the Union Government substantially, say, about 70-80 per cent, and the remaining percentage can be paid by the local Governments, that is, from the States. … (*Interruptions*)

Yes, they are working without salary. … (*Interruptions*) I am saying that they should also be provided with salary. The other question is about the garbage. … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Sougata Ray, intervention of the Minister during the debate is good for the House. Normally, the Ministers are not intervening. That is the problem. Intervention of the Ministers during the debate to give more clarifications is good.

DR. KALANIDHI VEERASWAMY: Thank you, Sir.

Sir, every State has its municipal corporations, and one of the biggest problems which these municipal corporations face is with regard to the garbage dump yards. In fact, if you look in Delhi and even in Chennai, garbage in acres of land is piled up to a height of 13 or 14 floors. So, I feel that the Government of India should create a separate fund for modernization of the garbage disposal mechanism. I suggest that the Government of India should adopt a process called bio-mining for disposal of the garbage. But the budget that is required for this mechanism to adopt is about Rs.600 crore. It is not possible for an individual Member of Parliament or an MLA to implement this process in his parliamentary constituency or ward, unless the Government of India steps in over there.

Sir, the BJP Government has been ruling over the Delhi Corporations for more than 15 years. The achievements which they have got are leaving the garbage mountains at the entrance of Delhi, dilapidated Government hospitals

which are not being adequately cared for, and selling the Government property at throwaway prices.

Therefore, I totally oppose this Bill, and I hope that the Government would withdraw this Bill and ensure that fair elections are held next month and democracy is safe. Thank you very much, Sir.

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): Hon. Chairman, Sir, I am very disappointed, the hon. Home Minister was here only a minute ago. I hope him seeing my name on the list of speakers had nothing to do with him going inside. *....(Interruptions)* I hope he is listening wherever he is. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Two Ministers are here.

....(Interruptions)

SUSHRI MAHUA MOITRA: Yes. But I am talking about the Home Minister. *....(Interruptions)* I am very disappointed that he is gone. *....(Interruptions)*

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Three Ministers are here. *....(Interruptions)*

HON. CHAIRPERSON: Sorry. Three Ministers are here.

....(Interruptions)

SUSHRI MAHUA MOITRA: It does not matter. I am only disappointed. No problem. *....(Interruptions)* Sir, I am happy that the other hon. Minister is here. *....(Interruptions)* I am only disappointed. I do not know why he ran away. But it is okay.

"एक रोज़ अपनी रूह से पूछा कि दिल्ली क्या है, तो यूँ जवाब में कह गई,
ये दुनिया मानो जिस्म है और दिल्ली उसकी जान।"

Hon. Chairperson, I rise today to oppose the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022 as introduced on March 25th in this House seeking the unification of the three municipal corporations of South Delhi, East Delhi and North Delhi, which had previously been trifurcated by the Delhi Municipal

Corporation (Amendment) Bill of 2011, which was passed in the State Assembly.

The ostensible motive of the Union Government, as stated in paragraph 5 of the Statement of Objects and Reasons, is to bring about greater transparency, improved governance, and more efficiency in delivery of civic services. However, the timing of introduction of this Bill in the backdrop of delay by the Union Government in conducting the municipal elections in Delhi tells a rather contradictory tale.

The State Government of Delhi had moved the Supreme Court only a week prior to this Bill's introduction in this House seeking expeditious municipal polls in Delhi, and alleging brazen influence and flagrant meddling by the Central Government in the election matters.

Immediately on the heels of the enactment of the Government of NCT of Delhi Act of 1992, the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 was amended with effect from October 1st, 1993. The salient feature of the 1993 amendment was that it vested control of the corporation in the elected Government of Delhi, that is, the State Government of Delhi. The insidious nature of this Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022 is that under the garb of unifying the three corporations, the Central Government is seeking to usurp the power of superintendence hitherto vested in the Government of NCT of Delhi, and assuming this power in itself. The Central Government has arrogated unto itself the task of taking decisions on behalf of the citizens of Delhi in blatant

disregard of both the scheme of the Constitution and its statutory framework. But remember this, this is Delhi, the heart and soul of India.

“जनाब-ए-कैफ ये दिल्ली है ‘मीर’ ओ ‘गालिब’ की
यहाँ किसी की तरफ-दारियां नहीं चलतीं ।”

What is wrong with the amendment Bill 2022? This is once again a consistent pattern of blatant disregard of cooperative federalism by the Union Government. Deceivingly innocuous substitution of the word ‘Government’, which currently means the Government of NCT of Delhi, with the word ‘Central Government’ strikes a blow on federalism and accountability.

Under Section 2 (21A) of the Delhi Municipal Act, 1957, ‘Government’ means the Government of the NCT. But now as per Section 2 (c) of the amendment Bill 2022, in Sections 1, 3(a), 5, 6, 32(a), 55, 56, 57, 193, 330(a) and 499 for the word ‘Government’, wherever it occurs, the word ‘Central Government’ shall be substituted.

Section 3 of the old Act said, Corporation to be notified by the Government maximum up to 272 seats, and number of reserved seats to be determined by the Government of the NCT.

Clause 5 of the new Bill amends Section 3 of the old Act and says that the Corporation is to be notified by the Central Government, not the Government of the NCT; there will be a maximum of 250 seats, which is the reduction of 22 seats; and the number of reserved seats is to be determined by the Central Government. But there is no clarity, as Mr. Manish Tewari said, on when this delimitation will be done. Section 479 of the old Act says that any

notification under Section 3A is to be laid before the Legislative Assembly of Delhi, which is altering the number, name, area of any zone or ward. The new Bill of 2022 requires that such notifications are now to be laid before Parliament. The powers of the State Government now taken over by the Centre include division of the area into zones and wards, delimitation of wards, power to alter or amend delimitation orders, declaration of assets by Councillors, salaries and allowances of ward commissioners, powers of the Corporation to consolidate loans, and many other.

Under the scheme of the Constitution of India, the power for unification or trifurcation of the municipalities of Delhi vests with the Legislative Assembly of the State and not with the Union Government. Articles 243P, 243R and 246S of the Constitution of India, read with Rules 8 and 9 and Entry 1 of the Schedule to the *Transaction of Business of the Government of the National Capital Territory of Delhi Rules, 1993*, very clearly assign the power to constitute municipal corporations to the State. They can say that Article 239AA of the Constitution allows the Union Government to legislate on this, but it must pass the test of constitutional morality. The Constituent Assembly debates, 1948, Volume 738 lays out that constitutional morality means to go down to the norms of the Constitution and not to act in a manner which would become violative of the rule of law. The Central Government in bringing this Bill is in clear breach of constitutional morality.

In addition, this Bill is in violation of Article 243U of the Constitution of India *vis-à-vis* the delay in conducting municipal polls in Delhi. The polls were

supposed to be held in April, 2022. The State Election Commission had come out and even said that they would be on track when suddenly this Bill was brought in.

Article 243U deals with the duration of municipality and says clearly that any election to constitute a municipality shall be completed before the expiry of its duration specified in clause (1). It is a classic example of the hypocrisy of the ruling party and of the Central Government that after years of shedding …[*] for the lack of Statehood for Delhi, today the same party, the same rulers seek to do away with the last vestiges of autonomy for Delhi citizens and for its State Assembly.

Let us examine the timeline. In 1996, the BJP's election manifesto talked of full Statehood for Delhi. In 1998, under Shri Madan Lal Khurana, the former Delhi CM, the BJP raised the pitch for full Statehood for Delhi. In 1998, in the BJP's election manifesto, one of the proposed constitutional reforms was full Statehood for Delhi along with abrogation of Article 370 and separate States for Chhattisgarh and Uttaranchal. In 1999, the BJP's election manifesto for the Lok Sabha election also talked of full Statehood for Delhi. In 2003, the State of Delhi Bill introduced by the BJP-led NDA Government under Prime Minister Vajpayee, Deputy Prime Minister Advaniji, was sent to Shri Pranab Mukherjee, who was then head of the Standing Committee on Home Affairs, for consideration. In June, 2013, the BJP supported full Statehood for Delhi in the

[*] Not recorded.

political resolution accepted by the party at its two-day National Executive Meeting in Goa when the Delhi BJP President was Vijay Goel. In 2014, the BJP's Vision Document referred to full Statehood for Delhi.

Please note the about turn today. There are some holy men in the ruling party who say that they cannot tell a lie; there are some unholy men who seem not to be able to tell the truth, but the majority seems not to be able to tell the difference between the lie and the truth. That is the sorry situation today.

Let us examine the allocation of funds to Delhi. The collection of direct taxes from Delhi alone in 2009-10 was Rs. 13,500 crore and in 2020-21, it was Rs. 70,800 crore. Despite a five-fold increase in the collection of direct taxes alone in Delhi over this period, disbursement from the Union Government to the GNCT of Delhi remains pegged, from the year 2002, at only Rs. 325 crore. All the other States get enhanced share in Central taxes, but not Delhi.

The 15th Finance Commission allocated grant-in-aid of Rs. 4,36,300 crore for local bodies for the award period 2021-2026, a five year period. But as per this, the GNCT of Delhi, the local bodies of Delhi were omitted on the principle that only States are covered under this award scheme and Delhi is a Union Territory. The Centre has frozen the allocation of direct taxes to Delhi at Rs. 323 crore for more than a decade whereas more than 40 per cent of direct taxes is contributed by Delhi alone.

When it comes to funds, all other municipal corporations receive grants in terms of the Central Finance Commission recommendations but Delhi is denied on the faulty excuse of it being a Union Territory. This Bill replaces the

Government of NCT of Delhi with the Central Government. It does away with the position of the Director of local bodies to assess the Government, and instead allows the Central Government to appoint a Special Officer to exercise powers and discharge functions of the Corporation until the date on which the first meeting is held. This Bill has no place in Parliament. The State Assembly of Delhi alone is the competent authority to legislate on this matter. After Part 9A was inserted into the Constitution of India with effect from 1st June, 1993, the part to constitute municipalities lies with the State Governments in terms of articles 243P and 243R of the Constitution of India.

Secondly, as per article 246 read with Seventh Schedule, Entry 5 of the State List, powers to constitute municipal corporations is with the States. Now, I ask you this question. '*Modi hai to mumkin hai*', we accept it. You have just won in four States. No problem. Go ahead. Call the municipal elections in Delhi, win the municipal elections, and then bring this Bill to the State Assembly. Who is stopping you? Nobody is stopping you. Do it the right way. Do not do it by the backdoor. You do not have the competence to legislate on this. Only the State Assembly can do this. So, till then, I urge the Minister not to overstep your boundaries. Please take back this Bill and send it to where it belongs, namely, the State Assembly.

In conclusion, I quote one of Delhi's most famous citizens, Mirza Asadullah Baig Khan to remind the Central Government:

"तुम से पहले वो जो एक शख्स यहां तख्त-नशीं था,
उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीं था।"

Everyone thinks they are God when they sit on the throne but do not fall into this trap. Do the right thing. Send this Bill back. Thank you so much.

श्री **दिलेश्वर कामैत (सुपौल):** सभापति महोदय, दिल्ली नगर निगम (संशोधन), विधेयक 2022 के चर्चा में भाग लेने का आपने मौका दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूं। निगम के आंकड़े बताते हैं कि पूर्वी और उत्तरी नगर निगम का सालाना बजट घाटा करीब दो हजार करोड़ रुपए, तो साउथ एमसीडी का बजट घाटा 500 करोड़ रुपए है। तीनों निगमों में करीब एक लाख, बीस हजार कर्मचारियों पर सलाना 8,900 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और तीनों निगम सालाना 6,700 करोड़ रुपए रेवेन्यू पैदा करते हैं। यह अनुमान है कि एकीकरण के बाद करीब दो सौ करोड़ रुपए बचेंगे। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी के आर्थिक हालात, एमसीडी में कार्यरत हजारों कर्मचारियों के वेतन की समस्या हल करने के लिए केन्द्र सरकार एमसीडी का एकीकरण कर रही है, जो सराहनीय है।

महोदय, गत 64 वर्ष के सफर के दौरान नगर निगम के हाथ से अनेक महत्वपूर्ण अधिकार चले गए हैं। कांग्रेस शासित सरकार के द्वारा 13 जनवरी, 2022 को दिल्ली नगर निगम को विभाजन का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा उस पर नेताओं और अधिकारियों का इतना भार बढ़ गया कि उसे उठाने में उसकी कमर टूटती जा रही है। वर्ष 1958 के दौरान 11 स्थानीय निकायों और एक दिल्ली जिला बोर्ड का विलय करके नगर निगमों का गठन किया गया था। उस समय नगर निगम के पास बिजली, पानी, डीटीसी और अग्निशमन जैसे महत्वपूर्ण विभाग थे। वर्ष 2012 में नगर निगम को तीन हिस्सों में बांट दिया गया और उसके पास गली-नालियों का निर्माण कराने के साथ-साथ सफाई व्यवस्था का कार्य ही मुख्य तौर पर बचा। इसके अलावा शिक्षा के नाम पर उसके पास प्राथमिक शिक्षा ही बची हुई है और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डिसपेंसरी और कुछ अस्पताल हैं। इनके एक होने से नगर निगम के अधिकार और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, इससे निगम की कार्य क्षमता बढ़ेगी। उम्मीद है कि सुविधाएं बेहतर होंगी और इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा।

महोदय, इस विधेयक से नगर निगम को भी राजस्व के मामले में केन्द्र एवं दिल्ली सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नगर निगम को प्रति वर्ष करीब 12 हजार करोड़ रुपए राजस्व के तौर पर प्राप्त होने की संभावना रहेगी, जबकि उसका खर्च 10 हजार करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है। क्योंकि नगर निगम का मुख्यालय होगा और तमाम विभागों में प्रमुख अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारियों की संख्या कम होगी।

एमसीडी के एकीकरण से अलग-अलग डिपार्टमेंट हेड के वेतन और उनके भत्ते में बचत होगी। वर्तमान में, तीनों एमसीडी में तीन कमिश्नर हैं। एमसीडी में अलग-अलग 36 डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें 108 हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तीनों एमसीडी के तीन मेयर और प्रत्येक मेयर के स्टाफ्स की संख्या लम्बी-चौड़ी है, जिनके वेतन और अन्य सुविधाओं पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं।

यूनिफिकेशन के बाद सिर्फ एक कमिश्नर, एक मेयर और उनके कुछ स्टाफ्स होंगे। इसके अलावा, 36 विभागों के लिए केवल 36 हेड ही होंगे। ऐसे में हर साल लगभग दो सौ करोड़ रुपए, जो इनके वेतन एवं भत्तों पर खर्च होते हैं, उसकी बचत होगी।

कुछ वर्षों से कर्मचारियों के बकाया वेतन की समस्या है, वह लगभग खत्म हो जाएगी। इसके अलावा, दिल्ली में लगभग दो करोड़ लोगों को सामान्य रूप से किसी जनकल्याणकारी योजना का लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, सिटिज़न सर्विसेज भी बेहतर होंगे, स्वास्थ्य सेवाएं, जो अस्थिर हैं, वे भी बेहतर हो जाएंगी।

महोदय, केन्द्र सरकार दिल्ली को एक बेहतरीन नगर निगम देने जा रही है। एकीकरण के कारण देश की राजधानी को एक मजबूत नगर निगम मिलेगा और फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी एवं जनता तक नागरिक सुविधाएं सुलभ तरीके से पहुंचेगी।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on this Bill. This is the second time we are re-drawing the maps in the last three years in my tenure. The first time was when the State of Jammu and Kashmir was trifurcated into three different Union Territories. Now, three municipalities are being unified and brought under one municipality. … (*Interruptions*).

Coming to the reasons quoted for this Bill, the number one reason given was that the trifurcation of erstwhile Municipal Corporation of Delhi was very unscientifically done. Prosperous South Delhi Municipal Corporation with minimum population has greater resources, while East Delhi Municipal Corporation with sparse resources has maximum population. That was one of the reasons that was given. Even the hon. Minister has mentioned that. The second reason that they have mentioned is that this Bill will remove bottlenecks in the delivery of public services and welfare. The third reason that they have given is that issues like pending salaries, civic projects stuck in the financial limbo will be completed. These are the reasons that the hon. Minister has given and these are the reasons mentioned in the Bill as well. But when we go through all these things, I can only draw parallels with what happened to Andhra Pradesh when I read the words ‘unscientific bifurcation’ and all those things because in 2014, the State of Andhra Pradesh has been unscientifically bifurcated. Hyderabad, which has the higher revenues and was a capital city, has gone to a new State that has been formed. It has never happened, but for Hyderabad it has happened. We, in Andhra Pradesh were left with no capital at

the same time. Promises were made to Andhra Pradesh in the AP Reorganization Act as well, but those have not been fulfilled as of now. The issues like revenue deficit and national projects like Polavaram are moving at a snail's pace. So, if the Union Government believes that a wrong has been committed on Delhi, and this Bill will correct all of that, why does the same logic not apply for the State of Andhra Pradesh as well? The State of Andhra Pradesh was bifurcated in 2014 itself and large promises were made. Of course, I have to mention this because these are the parallels I can draw by reading from this Bill.

Coming to the Bill, we want to make some suggestions as well as we need some clarifications on this. The first suggestion is this. Division of power at three tiers of Government is not only an important exercise in transparency, but it is necessary to prevent the concentration of power at the top and bring democracy down to the grassroots. Our forefathers have mentioned about it many a time how we should strengthen the democracy at the grassroots level. So, I suggest the Union Government to introspect if this Bill is achieving that and upholding the federal structure of the country. My second suggestion is this. With this Bill, the Union Government wants to discharge functions such as the division of the area of corporation into zones and wards, delimitation of wards, matters such as salaries and allowances etc. These powers are with the State Government till now. My esteemed colleagues have also mentioned about this earlier. I am sure this move was made by the Union Government after a lot of serious consultations.

If they could disclose the reason behind it, then it would be helpful for the people to understand the lead-up to such a drastic step. Otherwise, my friends from Mumbai, Chennai, Kolkata and other cities are really worried because next they may think about implementing this in other municipal corporations as well. So, if you can give the reasons behind it, then it will be very helpful and they will be at ease. … (*Interruptions*)

As regards clarifications being sought from my side, land holding urban bodies such as the Delhi Development Authority, the New Delhi Municipal Council, and the Delhi Cantonment are already under the Central Government, and this amendment might bring a parallel body in Delhi further complicating and creating a lot of confusion. I would request the Government to clarify on this issue.

Secondly, this Bill adds a new position regarding Special Officer, which has been mentioned by Dr. Kalanidhi as well. This Special Officer will exercise power of the Corporation until first meeting of the Corporation is held after commencement of this Bill. The clarity that we need here is this. Will the Special Officer be appointed in consultation with the State Government or not? If he is appointed, what will be his tenure? So, I would request the Government to give clarifications on these two issues.

I keep repeating myself that the BJP has the best mechanism to get unfiltered feedback from the ground. The results of elections held during the last 7-8 years show that you have one of the best mechanisms, but they have also faltered in some of the decisions that have been made.

For example, when we rush ahead with some decisions without taking opinion from the people like the Farm laws, then sometimes we have to face the brunt of it and you have faced the brunt of it. So, I would humbly request to use this strength wherein you get unfiltered feedback from people. Try to listen to the people and do not make decisions in haste and threaten the sanctity of the federal structure. Thank you very much.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : आदरणीय चेयरमैन सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022 - यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। यह इस देश की नीति और राजनीति की दिशा बताने वाला विधेयक है। यह राजनीति है या सामाजिक नीति है? सामाजिक नीति पर तो समर्थन करने की बात आती है, लेकिन जब राजनीति सामने आती है, तो क्या यह ध्यान में आता है? … (व्यवधान) आप कभी भी बिना राजनीति के कुछ नहीं लाते हैं। … (व्यवधान) आपकी यह विशेषता है, क्योंकि अब महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और आप जानते हैं कि वहां चुनाव होने वाले हैं।

हाल ही में पंजाब में उन्होंने क्या पराक्रम किया, वह भी आपको याद है। पिछले विधान सभा चुनावों में भी वहां क्या हुआ, वह भी आपको याद है। हो सकता है कि उसके डर के मारे आप इसे लेकर आए हैं। पहले मैं आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बात की है, उसके ऊपर बात करता हूं। यह जो विधेयक आप लाए हैं, इसके संबंध में यह ठीक है कि कांस्टिट्यूशन में एक क्लॉज लिखा हुआ है। आर्टिकल 239A में एक छोटा सा दो लाइन का पैराग्राफ है, जो कहता है कि: “You are empowered to override the rules / regulations of the Legislative Assembly”. आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

मैं यहां आपका ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट आपको ही पढ़ा देता हूं, उसमें आपने ही लिखा हुआ है :

> “… A Corporation charged with the Municipal Government of Delhi was established under the said Act as the Municipal Corporation of Delhi. In 2011, the said Act was amended by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi vide the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 leading to

trifurcation of the said Corporation into three separate Corporations”.

Who has done it? The Assembly has done it. Who is doing it right now? The Parliament is doing it right now. Who is overriding?

सभापति जी, हमारा जो फैडरल स्ट्रक्चर है, उसे आप धक्का दे रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगा। गृह मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली कॉर्पोरेशन के लोग हमारे साथ सौतेलापन कर रहे हैं। चलिए, यह आपको महसूस तो हुआ।… (व्यवधान) यह गृह मंत्री जी ने कहा है, आप रेकार्ड में देख लीजिए।… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा था।… (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : यदि ऐसा नहीं कहा, तो मैं हार जाऊंगा।… (व्यवधान)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): मंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एमसीडी के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है।… (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत: आप बुरा मत मानिए।… (व्यवधान) नहीं, यह होली की बात नहीं है, यह सच्चाई है। होली पर तो झूठ भी चलता है, लेकिन यह सच्चाई है। मंत्री जी ने कहा और मुझे अच्छा भी लगा। चलो, यह तो महसूस हुआ, क्योंकि हम भी ऐसा ही सौतेलापन महसूस करते हैं।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except the speech of Shri Arvind Sawant.

… (*Interruptions*)… *

माननीय सभापति : सावंत जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

… (व्यवधान)

* Not recorded

SHRI ARVIND SAWANT: What is going on? … (*Interruptions*) Sir, have you permitted them to interact? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No.

श्री अरविंद सावंत: महोदय, यही सौतेलापन बहुत सारे राज्य भी अनुभव कर रहे हैं। हमारे आंध्र प्रदेश के जो मित्र बोले, उनसे पूछिए कि सौतेलापन क्या होता है? महाराष्ट्र से पूछिए कि सौतेलापन क्या होता है? पश्चिम बंगाल से पूछिए कि सौतेलापन क्या होता है? आप सभी राज्यों से पूछ सकते हैं, इसलिए मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि आपने अच्छी बात कही है। कल सुप्रिया जी ने भी कहा कि गृह मंत्री सच बोलते हैं। सुप्रिया जी ने कहा कि आप प्रामाणिक हैं, आपने कहा कि 'जुमला' है और ओपनली बोल दिया कि हाँ 'जुमला' है। आज भी आपने कहा कि आपने महसूस किया कि सौतेलापन है और हम भी सौतेलापन महसूस करते हैं। मैंने आपके आने से पहले कहा कि सामाजिक दृष्टिकोण से इसका स्वागत है। आपने सही कहा कि रिसोर्सेस कम हैं। हमारे यहां मुम्बई में यह प्रस्ताव आया था कि महानगर पालिका की तीन कॉर्पोरेशन बनाएं। साउथ मुम्बई प्रोफिट में रहती है, लेकिन देख सकते हैं कि पूर्वी मुम्बई की क्या स्थिति है। आप इस विधेयक को लेकर आए हैं। We are overriding the powers of Assembly. We should not do it. Why not ask the Assembly? आपने चुनाव होने के बाद यह निर्णय लिया। चुनाव होने के बाद आप एडमिनिस्ट्रेटर बिठाएंगे। वह कारोबार करेगा। यदि उसे लाना है तो एक कमेटी बनाओ। विपक्ष और आप, साथ मिलकर चलाओ। फेडरल स्ट्रक्चर रहेगा। आपने उसमें 250 की पाबंदी क्यों लगाई? आप जानते हैं कि संसद में भी एक बार ऐसा किया, इसलिए तो आंकड़ा पकड़ कर बैठे हैं। आबादी बढ़ रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप 272 से 250 मत कीजिए। It should be in proportionate to population of that. Why should it be reduced? It has to be according to the corresponding population. Think about the total population; imagine and standardise it. तीस हजार के पीछे महानगर पालिका का एक प्रतिनिधि होगा या पच्चीस हजार के पीछे एक प्रतिनिधि है। हमारे मुम्बई में 50-60 हजार के पीछे एक प्रतिनिधि है।

आपने ऐम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में दिया है, वह असेम्बली ने किया था। यदि वह असेम्बली के राइट हैं, तो हम क्यों ओवर राइट कर रहे हैं? I am saying that your intent is not that bad. आपके क्लाज़ में लिखा है - In the establishment of Municipal Corporation of Delhi, in Section 5, in the principal Act, in section 3, in 3(b), sub-section (2), for the word "Government", the words "Central Government" shall be substituted. That means, permanently, you will be empowering that.

यह कानून आपको अधिकार देगा कि दिल्ली महानगर पालिका में आगे चलकर इंटरवीन करने का अधिकार है। आपने जो 250 की संख्या रखी है, उसके लिए 239 (ए) में भी प्रावधान है। स्पेशल आफिसर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि यदि एलजी साहब से कोई बात हो जाती है, तो उससे लगता है कि सौतेलापन हो रहा है। आप ऐसी नीति बनाओ जिससे लोगों को लगे कि जनतंत्र को आधार बनाकर केवल राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि सही में सामाजिक निर्णय लिया गया है।

KUMARI CHANDRANI MURMU (KEONJHAR): Sir, I, on behalf of my Party, Biju Janata Dal, welcome the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill. However, we have some points that need to be addressed.

My leader, hon. Chief Minister, Naveen Patnaik ji, is always for the autonomy of the urban local bodies. Recently, my leader bravely announced the direct election of Mayor and Chairman of all the corporations and municipalities of the State and the people of Odisha welcomed it. My Party won 90 per cent of the seats in municipalities and 100 per cent of the seats in the corporations in the Urban Body Elections of the State.

As far as the Bill is concerned, we are impartially analysing all sides. I seek to underscore the points that we appreciate and the points that have larger ramifications.

The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill seeks to unify the three municipal corporations into a single integrated and well-equipped entity to ensure a robust mechanism for synergised and strategic planning and optimal utilisation of resources which will bring about greater transparency, improved governance and more efficient delivery of civic services for the people of Delhi. This is a welcoming step taken by the Government.

The Act as was amended in 2011 empowered the Delhi Government to decide various matters under the Act. These included: total number of seats of councillors and number of seats reserved for members of the Scheduled Casts; division of the area of corporations into zones and wards; delimitation of wards; matters such as salary and allowances; and leave of absence of the

Commissioner etc. Similarly, the Act mandated that the Commissioner would exercise his powers regarding building regulations under the general superintendence and directions of Delhi Government. But the Bill instead empowers the Central Government to decide these matters.

The Act provides that the number of seats in the three corporations taken together should not be more than 272. The 14^{th} Schedule to the Act specifies 272 wards across the three corporations. The Bill states that the total number of seats in the new corporation should not be more than 250.

Reducing the number of seats means a new delimitation exercise will have to be conducted which the experts say will take at least three months but it is more likely to take longer which means the MCD Election would be delayed further. The previous delimitation which had taken place before 2017 MCD Election took approximately eighteen months. It is also noteworthy that unlike the previous Bill that clearly specified which year's Census data should be used to carry out the delimitation exercise, the current Bill is silent on the use of specific Census data which gives scope for further postponement of MCD Election if the Government decides to use the 2023 Census data for delimitation. During this period, the MCD will be ruled by a nominated 'special officer' instead of democratically elected representatives.

Sir, the Act provides for a Director of Local Bodies to assist the Delhi Government and discharge certain functions which include: coordination between corporations, framing recruitment rules for various posts etc. But this Bill omits the provision for the Director of Local Bodies. The Bill provides that

the Central Government may appoint a 'special officer' to exercise powers of the Corporation until the first meeting of the Corporation is held after the commencement of the Bill.

17.00 hrs

The bureaucratisation that is happening is a matter of grave concern. All the powers are being assigned to the Central Government which is not viable at all. The Bill adds that obligatory functions of the new Corporation will include establishing an e-governance system for citizens' services on anytime-anywhere basis for a better, accountable, and transparent administration. This is a really good step and we totally appreciate it. Another thing of concern is the replacement of word 'Government' with 'Central Government' in all places in the Bill.

The Bill hence seeks to curtail the powers of the elected government of Delhi by introducing central hegemony. Some of the operational areas which the Bill proposes to keep out of the purview of the Delhi Government include funds, demarcation of municipal zones, consultations in case of a delimitation exercise for municipal wards, providing recommendations and approval for building byelaws, and the power to hold councillors, officers and municipal employees accountable for loss, waste or misapplication of money or property owned by or vested in the Corporation. This is a direct encroachment on the feature of federalism as enshrined in the Constitution.

According to the recommendations made in the 14th Finance Commission's Report, which was accepted by the Union Government in February 2015, the Centre is supposed to give a grant of Rs.2.87 lakh crore to State Governments every year of which Rs.87,141 crore are meant for municipalities. But Delhi, being a Union Territory, does not get this fund. Funds for these Corporations are, therefore, released by the Delhi Government under the Basic Tax Assignment to pay for salaries. It is the Delhi Government which decides what proportion of the BTA will be assigned to the Corporations as per the current law.

By removing the Delhi Government from a position of power for any sort of intervention in the affairs of the civic bodies, the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022 proposes to make the unified municipal agency dependent solely on Central Government for funds. The Central and the State Governments should not try to encroach upon the powers of the Municipal Corporation because the day to day needs of the people shall only be fulfilled by the elected bodies of the Corporation. With this, I would conclude, Sir.

Thank you.

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, आपने मुझे दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सर, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी ने बिल की प्रस्तावना रखते वक्त कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं, दूसरे देशों के हेड ऑफ दी स्टेट्स आते हैं, इसलिए केन्द्र सरकार का कंट्रोल दिल्ली पर होना चाहिए और है। दिल्ली की एक बड़ी यूनिक स्थिति है कि यहाँ पर, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ पर केन्द्र सरकार के सारे दफ्तर हैं, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आदि आते हैं, जहाँ पर फॉरेन मिशंस हैं, वह एरिया नई दिल्ली नगरपालिका परिषद है, जिसका डायरेक्ट कंट्रोल एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में होता है, केन्द्र सरकार के हाथ में होता है। सेम चीज, जब एयरपोर्ट से निकलकर आएंगे तो दिल्ली छावनी है। वहाँ पर म्युनिसिपल कारपोरेशन का कोई दखल नहीं है, न नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का दखल है। उसके बावजूद, हमें इससे आपत्ति नहीं है कि आप इस ट्राइफरकेशन को यूनिफिकेशन में बदलना चाहते हैं। वर्ष 2011 में जब दिल्ली नगर निगम का ट्राइफरकेशन हुआ, तो वह दिल्ली की असेम्बली ने किया। हमारा यह मानना है कि जो राज्यों के अधिकार हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट असेम्बलीज को जो अख्तियारात दिए गए हैं, उन पर लगातार हमला मौजूदा केन्द्र सरकार करती रहती है।

अभी मुझसे पहले शिव सेना के नेता माननीय अरविंद सावंत जी बोल रहे थे कि बिल में 272 वार्ड्स से घटा कर 250 वार्ड्स रखे हैं। इसकी नम्बरिंग नहीं देनी चाहिए थी। अरविंद जी, शायद आप शायद भूल गए कि नंबरिंग दी ही इसलिए है। अगर 272 वार्ड्स ही होते, तो फिर डीलिमिटेशन करने की जरूरत ही क्या थी? आपको दिल्ली में म्युनिसिपल कारपोरेशन का चुनाव नहीं कराना है। जैसे जब जम्मू-कश्मीर स्टेट का बायफरकेशन किया, ट्राइफरकेशन किया, तो इसी सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने वायदा किया था कि हम बहुत जल्दी जम्मू-कश्मीर की विधान सभा का चुनाव कराएंगे। लेकिन डीलिमिटेशन का बहाना लेकर लगातार जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के गठन को रोका जा रहा है। दिल्ली में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी म्युनिसिपल

कारपोरेशन का चुनाव नहीं करना चाहती है और यह सच्चाई है कि दिल्ली में पंजाब का कुछ असर देखने को मिल रहा है।... (व्यवधान) अगर है तो फिर डरे क्यों? आप चार स्टेट्स जीत कर आए हैं तो फिर आप डरे क्यों?

माननीय सभापति जी, स्टेट इलैक्शन कमीशन दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन के इलैक्शन डेट की अनाउंसमेंट के लिए चार बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और चंद घंटे पहले केन्द्र सरकार से फरमान जाता है कि नहीं, नहीं, आपको यह डेट अनाउंस नहीं करनी है, क्योंकि केन्द्र सरकार का मन बदल गया है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि... (व्यवधान) देखिए, साहब आप मुझे डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर जब मैं डिस्टर्ब करने खड़ा होऊंगा तो आपको दिक्कत होगी। मैं आपको बता रहा हूं। माननीय सभापति जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप चुनाव से क्यों भाग रहे हैं? आपके पास सारी चीज थी, दिल्ली म्युनिसिपल कारपारेरेशन के जिस फाइनेंशियल क्रंच और क्राइसेस की बात आप आज कर रहे हैं, यह तो आपको मालूम है।

पिछले सात साल से आप केन्द्र सरकार में बैठे हुए हैं। जब उसका टर्म पूरा हो गया था, जिस दिन चुनाव की डेट अनाउंस होनी थी, उस दिन आपको सपना आया कि साहब इसका यूनिफिकेशन करना है। आप इस प्रक्रिया को पहले कर सकते थे। फिर आप दिल्ली सरकार से यह अख्तियारात क्यों छीन रहे हैं? मैं चाहूंगा कि जब माननीय गृह मंत्री जी जवाब देंगे तो यहां पर वे बताएं कि क्या आपने इस यूनिफिकेशन के पहले दिल्ली गवर्नमेंट से कोई चर्चा की? क्या आपके प्रतिनिधि, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उन्होंने चुनी हुई दिल्ली सरकार से कोई चर्चा की? क्या जिस स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करने की बात इस बिल के अंदर है, क्या वह स्पेशल ऑफिसर दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि के साथ, इन कंसल्टेशन विद दिल्ली गवर्नमेंट, उसको अपॉइंट करेंगे या नहीं? मैं इसके साथ-साथ कुछ क्लेरिफिकेशन भी चाहता हूं।... (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मुझे आप एक-दो मिनट और दें, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। आप जानते हैं... (व्यवधान) हाँ, मैं उनके संज्ञान में कुछ चीजें लाना चाहता हूं। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कारपोरेशन को

आप रन कर रहे थे, आज कल एक चीज और हो गई है कि यह सरकार और इनकी पार्टी यह तय करने में लग गई है कि कौन क्या खायेगा, कौन क्या पहनेगा? आपको किस दिन क्या खाना है? आपको मंगलवार में क्या खाना है, आपको सोमवार को क्या खाना है, आपको बुधवार को क्या खाना है? साउथ दिल्ली कारपोरेशन ने बाकायदा यह नोटिस निकाला है कि जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो रेहड़ी लगाने वाले हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं, उन पर पाबंदी लगाई कि आप यहां नॉन वेज नहीं बेच सकते, आप यहां मछली नहीं बेच सकते। यह क्या तरीका है?

माननीय सभापति जी, आप जानते हैं, आप देख रहे हैं कि आज-कल कर्नाटक के अंदर क्या चल रहा है, वहां पर भी रोज़ यही हो रहा है कि आज कोई दुकान चला रहा है, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों पर पाबंदी लगाई जा रही है कि आप उस प्रिमाइसिस के अंदर अपनी दुकान नहीं लगाएंगे, आप सामान नहीं खरीदेंगे। … (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं बस अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सभापति जी, यह देश के लिए बहुत खतरनाक है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं इस पर आपका इंटरवेंशन चाहूंगा क्योंकि अगर हम यहां यह करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत दूरगामी होगा। कौन किससे खरीदेगा, कौन किसको बेचेगा, इस पर आप सख्ती कीजिए। जिन राज्य सरकारों में, जहां पर ऐसा हो रहा है और खास तौर से आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में है। आप यहां से डायरेक्शन भेजिए कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है कि हमारे देश में रिलीजन के आधार पर ऐसा हो रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से इसका क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

کنور دانش علی (امروہہ): محترم اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے دہلی نگر نگم (امینڈمینٹ) بِل پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ۔

جناب، جیسا کہ وزیرِ داخلہ جی نے بِل کو پیش کرتے وقت کہا کہ دہلی ملک کی راجدھانی ہے، یہاں پر بین الاقوامی مہمان آتے ہیں، دوسرے ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں، اس لئے مرکزی سرکار کا کنٹرول دہلی پر ہونا چاہیے اور ہے۔ دہلی کی ایک بہت بڑی یونِک حالت ہے کہ یہاں پر جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں پر مرکزی سرکار کے سارے دفتر ہیں، جہاں پر بین الاقوامی مہمان آتے ہیں، راشٹر ادھیکش وغیرہ آتے ہیں، جہاں پر غیر ملکی مشنس ہیں، وہ ایریا نئی دہلی نگر پالیکا پریشد ہے، جس کا ڈائریکٹ کنٹرول ایک بیوروکریٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ، مرکزی سرکار کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سیم چیز جب ائر پورٹ سے نکل کر آئیں گے تو دہلی چھاوٗنی ہے۔ وہاں پر میونسپل کارپوریشن کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ نئی دہلی نگر پالیکا پریشد کا دخل ہے۔ اس سے باوجود ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اس ٹرائفرکیشن کو یونیفیکیشن میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سال 2011 میں جب دہلی نگر نگم کا ٹرائیفرکیشن ہوا، تو وہ دہلی کی اسمبلی نے کیا۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو ریاستوں کے حقوق ہیں، فیڈرل اسٹرکچر میں اسٹیٹ اسمبلیز کو جو اختیارات دئے گئے ہیں، ان پر لگاتار حملہ موجودہ مرکزی سرکار کرتی رہتی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے شِو سینا کے نیتا محترم اروِند ساونت جی بول رہے تھے کہ بِل میں 272 وارڈس سے گھٹا کر 250 وارڈس رکھے گئے ہیں۔ اس کی نمبرِنگ نہیں ہونی چاہئیے تھی۔ اروِند جی آپ شاید بھول گئے ہیں کہ نمبرِنگ دی ہی اس لئے ہے۔ اگر 272 وارڈس ہی ہوتے تو پھر ڈیلِمِٹیشن

کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کو دہلی میں میونسپل کارپوریشن کا چناوُ نہیں کرانا ہے۔ جیسے جب جموں کشمیر ریاست کا بائفرکیشن کیا، ٹرائفرکیشن کیا، تو اسی ایوان میں محترم وزیرِ داخلہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت جلد جموں کشمیر کی اسمبلی کا چناوُ کرائیں گے۔ لیکن ڈیلِمِٹیشن کا بہانہ لیکر لگاتار جموں کشمیر کی اسمبلی کے گٹھن کو روکا جا رہا ہے۔ دہلی میں آپ (AAP) کی سرکار ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی میونسپل کارپوریشن کا چناوُ نہیں کرانا چاہتی ہے اور یہ سچائی ہے کہ دہلی میں پنجاب کا کچھ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے (مداخلت) اگر ہے تو پھر ڈرے کیوں؟ آپ چار ریاست جیت کر آئے ہیں تو پھر آپ ڈرے کیوں؟

محترم چیرمین صاحب، اسٹیٹ الیکشن کمیشن دہلی میونسپل کارپوریشن کے الیکشن کی ڈیٹ کی اناوُنسمینٹ کے لئے چار بجے پریس کانفرنس رکھتا ہے اور چند گھنٹے پہلے مرکزی سرکار سے فرمان آتا ہے کہ نہیں نہیں، آپ کو یہ تاریخ اناوُنس نہیں کرنی ہے، کیونکہ مرکزی سرکار کا دِل بدل گیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ (مداخلت)۔ دیکھئے، صاحب، آپ مجھے ڈِسٹرب کریں گے تو جب میں ڈِسٹرب کرنے کھڑا ہوں گا تو آپ کو دِقت ہوگی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ محترم چیرمین صاحب، میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چناوُ سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ساری چیزیں تھیں، دہلی میونسپل کارپوریشن کے جس فائننشیل کرنچ اور کرائسیس کی بات آج آپ کر رہے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ پچھلے 7 سال سے آپ مرکزی سرکار میں بیٹھے ہیں۔ جب اس کا ٹرم پورا ہو گیا تھا، جس دن چناوُ کی تاریخ کا اعلان ہونا تھا، اس دن آپ کا خواب آیا کہ صاحب اس کا یونیفِکیشن کرنا ہے۔ آپ اس پرکِریا کو پہلے کر سکتے تھے۔ پھر آپ

دہلی سرکار سے یہ اختیارات کیوں چھین رہے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ جب محترم وزیرِ داخلہ جی جواب دیں گے تو یہاں پر وہ بتائیں گے کہ کیا آپ نے اس یونیفِکیشن کے پہلے دہلی سرکار سے کوئی چرچا کی؟ کیا آپ کے پرتینِدھی جو لیفٹِنینٹ گورنر ہوتے ہیں، انہوں نے چنی ہوئی دہلی سرکار سے کوئی چرچا کی؟ کیا جس اسپیشل افسر کو اپوئنٹ کرنے کی بات اس بِل کے اندر ہے، کیا وہ اسپیشل افسردہلی کی عوام کے ذریعہ چنی ہوئی سرکار کے پرتینِدھی کے ساتھ ان کنسلٹیشن وِد دہلی گورنمنٹ اس کو اپوئنٹ کریں گے یا نہیں؟ میں اس کے ساتھ ساتھ کچھ کلیرِفِکیشن بھی چاہتا ہوں (مداخلت)۔

محترم چیرمین صاحب، مجھے آپ ایک-دو منٹ اور دیں۔ کیوں کہ محترم وزیرِ داخلہ جی یہاں بیٹھے ہیں۔ میں دو منٹ میں اپنی بات پوری کروں گا۔ آپ جانتے ہیں (مداخلت)۔ ہاں میں ان کی جانکاری میں کچھ باتیں لانا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے دہلی کے اندر میونسپل کارپوریشن کو آپ چلا رہے تھے، آج کل ایک چیز اور ہو گئی ہے یہ کہ یہ سرکار اور ان کی پارٹی یہ طے کرنے میں لگ گئی ہے کہ کون کیا کھائے گا کون کیا پہنے گا؟ آپ کو کس دن کیا کھانا ہے؟ آپ کو منگوار میں کیا کھانا ہے، آپ کو سوموار کو کیا کھانا ہے، آپ کو بدھوار کو کیا کھانا ہے؟ ساؤُتھ دہلی کارپوریشن نے باقائدہ یہ نوٹس نکالا ہے کہ جو اسمال وینڈرس ہیں، جو ریڑی لگانے والے ہیں، جو چھوٹے دوکاندار ہیں، جو اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں، ان پر پابندی لگائی ہے کہ آپ یہاں نون ویج نہیں بیچ سکتے ہیں، آپ یہاں مچھلی نہیں بیچ سکتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟

محترم چیرمین صاحب، آپ جانتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کرناٹک کے اندر کیا چل رہا ہے، وہاں پر بھی روز یہی ہو رہا ہے کہ آج کوئی دوکان چلا رہا ہے ایک پارٹیکولر ریلیجن کے لوگوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ آپ اس پریمیسس کے اندر اپنی دوکان نہیں چلائیں گے، آپ سامان نہیں خریدیں گے۔ (مداخلت)۔

چیرمین صاحب، میں بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ سر یہ ملک کے لئے بہت خطرناک ہے۔ محترم وزیرِ داخلہ صاحب، میں اس پر آپ کا انٹروینشن چاہوں گاکیونکہ اگر ہم یہاں یہ کرتے ہیں تو اس کا اثر بہت دور گامی ہوگا۔ کون کس سے خریدے گا، کون کس کو بیچے گا، اس پر آپ سختی کیجیئے۔ جن ریاستی سرکاروں میں جہاں پر ایسا ہو رہا ہے اور خاص طور سے آپ کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار کرناٹک میں ہے۔ آپ یہاں سے ڈائریکشن بھیجئے کہ ایسا ڈِسکریمِنیشن نہیں ہونا چاہئیے کیونکہ اس سے ہمارے ملک کی بین الاقوامی امیج خراب ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں مذہب کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے۔ اس لئے میں آپ کے ذریعہ سے محترم وزیرِ داخلہ صاحب سے اس کا کلیریفِکیشن چاہوں گا، بہت بہت شکریہ ۔

(ختم شد)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): सभापति महोदय, दिल्ली है दिलवालों की, लेकिन अफसोस की बात है कि इस बिल की चर्चा में सत्ता पक्ष से माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी बात रखी और एक वरिष्ठ सांसद ने अपनी बात रखी, लेकिन दिल्ली वालों की और दिल्ली की समस्याओं के बारे में उन्होंने कुछ विवरण नहीं दिया। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आज दिल्ली राज्य में हैं। अभी कुछ महीनों में गर्मी का समय आएगा, गर्मी के महीने आएंगे और दिल्ली के लोगों के पास पीने का पानी नहीं मिलेगा। टैंकर आएंगे, टैंकर माफिया चलेंगे, पॉवर कट होंगे, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसी-ऐसी समस्याएं आएंगी। कूड़े की तो समस्या है ही, आज ईस्ट दिल्ली में जो कूड़ादान है, वेस्ट माउंट है, वह एक टाइम पर शायद कुतुब मीनार से भी ऊंचा होने वाला है। सैनिटेशन की बात नहीं करेंगे, स्वच्छ भारत का नारा तो निकाल लिया, लेकिन स्वच्छ भारत में महिलाओं के लिए जितने टॉयलेट्स होने चाहिए, आज की तारीख में दिल्ली में टॉयलेट्स नहीं हैं। एमसीडी को ले कर आज भी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को ले कर कम्पलेंट्स आ रही हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को ले कर कम्पलेंट्स आ रही हैं। विभिन्न प्रकार के स्ट्रे एनिमल्स को ले कर कम्पलेंट आ रही हैं। सीवेज, ड्रेनेज, टॉइलेट्स, लाइसेंसिज़ को ले कर कम्पलेंट्स आ रही है। खास कर के धरना और घेराव करना, इसके बाहर कोई विकल्प नहीं रहा दिल्ली के एमसीडी के कर्मचारियों के लिए। हर साल, हर महीने कोई न कोई एमसीडी का कर्मचारी धरने पर बैठा हुआ है, घेराव कर रहा है, अपनी मांग रख रहा है। चाहे वह डॉक्टर हो, टीचर हो या ड्राइवर हो। ये जो कहते हैं कि यह सिर्फ राज्य सरकार की विफलता का कारण है, ऐसी बात नहीं है। आज डॉक्टर्स, कर्मचारी, जितनी मांग राज्य सरकार से करते हैं, उतनी ही मांग केंद्र सरकार से भी करते हैं। हम सबने देखा है कि कोरोना के समय जब सैकेंड वेव आयी थी तब दिल्ली के अस्पतालों में कितनी दुर्दशा थी। उसके बारे में कुछ तो आज बोलते। एमसीडी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी। पूरे तरीके से दिल्ली, जो देश की राजधानी है, कोविड के समय कोलैप्स हो गई थी। एंबुलेंस आ रही थीं, परंतु एंबुलेंस समय पर लोगों के पास नहीं जा रही थीं। आज इसका विवरण होना चाहिए था कि किस प्रकार से इस यूनिफिकेशन के द्वारा दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव आएगा।

आज भी डॉक्टर्स और नर्सेज़ को, जिनको इस केंद्र सरकार ने कोरोना योद्धा का दर्जा दिया, उनके जो वेतन हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल ये निकाल नहीं पाते हैं।

इनकी रुचि कहां है? इनकी रुचि सिर्फ राजनीतिक कुश्ती में है, पॉलिटिकल अपमैनशिप में है। दिल्ली की राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों की राजनीतिक कुश्ती में आम दिल्ली वाले पिस रहे हैं। इन दोनों सरकारों की राजनीतिक कुश्ती में, दिल्ली, जो हमारे भारत देश की राजधानी है, जिस प्रकार से वह चमकनी चाहिए, वहां कहीं न कहीं हर प्रकार की कोई समस्या है। गर्मी के मौसम में पावर कट, बारिश के समय में वॉटर लॉगिंग और फिर विंटर के समय में वायु प्रदूषण होता है। साल का ऐसा कोई महीना नहीं है, जब हम दिल्ली के सौन्दर्य को देख सके। यहां डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स और अनेक इम्प्लॉईज़ एसोसिएशन्स हैं, जो अपनी शिकायतें कर रहे हैं।

सर, अभी मैं इनकी बातें सुन रहा था। इन्होंने काँग्रेस पार्टी की बातें बताई कि वर्ष 2011 में काँग्रेस पार्टी चाहती थी कि एमसीडी का बँटवारा हो। चूंकि गृह मंत्री जी के पास सारे तथ्य हैं तो मैं बड़े अदब के साथ पूछना चाहूंगा कि क्या वर्ष 2001 में आदरणीय वी. के. मल्होत्रा जी ने अपनी कमेटी में दिल्ली का विभाजन पाँच भागों में होने की बात रखी थी या नहीं? आपके ही नेता ने वर्ष 2006 में, जो उस समय विपक्ष के नेता थे और इस समय असम के गवर्नर हैं, क्या उन्होंने एमसीडी को पाँच कॉरपोरशन्स में होना चाहिए, यह मशविरा दिया था या नहीं? आप अपने इतिहास में जाइए। आपके ही वरिष्ठ नेतागण, मैं सबके नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बार उन लोगों ने ही कहा था कि दिल्ली के एमसीडी का विभाजन होना चाहिए, विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली का विभाजन होना चाहिए, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में छोटी गलियां हैं, गांव हैं। पूर्वी दिल्ली की जो मांग है, वह दक्षिणी दिल्ली की मांग से नहीं मिलती। इसलिए, आप अपने इतिहास में अपने बड़े दिग्गज नेताओं के भाषणों को देखिए। वहां पर आपको यह मिलेगा कि आप लोग पूर्वी दिल्ली के लिए एक अलग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मांग कर रहे थे। आप अपने ही इतिहास पर आज यू-टर्न मार रहे हैं।

आप यूनिफिकेशन की बात करते हैं, पर यह अभी भी पूरी तरह से यूनिफिकेशन नहीं है क्योंकि अभी भी कैन्टोनमेंट बोर्ड अलग है, नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल अभी भी अलग है। यह सिर्फ नॉर्थ, ईस्ट और साउथ दिल्ली का यूनिफिकेशन है, लेकिन अभी भी तीन बॉडीज़ हैं। इस यूनिफिकेशन के बाद भी कैन्टोनमेंट बोर्ड अलग होगा, नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल अलग होगा। दिल्ली के विकास की जो समस्या है कि इसमें मल्टीपल एजेंसीज हैं, तो वह समस्या इसके बाद भी रहेगी।

आपने बजट की बात की। आपने कहा कि जिस समय कॉंग्रेस ने एमसीडी का विभाजन किया, उस समय उसने नहीं देखा, उसने नहीं परखा कि ईस्ट दिल्ली का बजट इतना होगा, नॉर्थ दिल्ली का बजट इतना होगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने देखा है कि अभी क्या हालत है? तीनों कॉरपोरेशन्स डेफिसिट में हैं। साउथ दिल्ली भी डेफिसिट में है, ईस्ट दिल्ली भी डेफिसिट में है और नॉर्थ दिल्ली भी डेफिसिट में है।

साउथ दिल्ली का डेफिसिट वर्ष 2019-20 से लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक जा चुका है। ईस्ट दिल्ली का डेफिसिट लगभग 500 करोड़ रुपये का है। वर्ष 2020-21 में नॉर्थ दिल्ली का डेफिसिट 319 करोड़ रुपये का है। आपका तो यही लॉजिक है कि तीनों एक साथ हो जाएंगे और साउथ दिल्ली में जो इतना रेवेन्यू जेनरेट होता है, वह ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली को भी सब्सिडाइज्ड करेगा। यह बात सही नहीं है। आप आज भी डेफिसिट में हैं और इस यूनिफिकेशन के बाद भी ये कॉरपोरेशन्स केन्द्र सरकार से पैकेज माँगने आएंगी। क्या गृह मंत्री जी बोलेंगे कि इसके बाद इस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वित्तीय स्थिति इतनी सशक्त होगी कि केन्द्र से उन्हें कोई स्पेशल पैकेज की जरूरत नहीं होगी? इतिहास में विभिन्न समय पर केन्द्र सरकार जो स्पेशल पैकेज देती थी, राज्य सरकार देती थी, क्या यह बंद हो जाएगा? यह बंद नहीं होगा। इसलिए यह जो मंशा और यह जो फाइनैंशियल प्लानिंग बेहतर होने का आप ऑर्ग्यूमेंट दे रहे हैं तो इससे कोई फाइनैंशियल प्लानिंग बेहतर नहीं होगी। ये अभी भी डेफिसिट में हैं। ये डेफिसिट में क्यों हैं?

आपके पहले प्रवक्ता ने तो पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को आउटसोर्स कर दी। एमसीडी कौन चला रहा है? एक साल, दो साल, पाँच साल नहीं, बल्कि 15 सालों से इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन्स को सत्ता पक्ष की पार्टी चला रही है। आप क्यों अपने टैक्स कलेक्शन में सुधार नहीं लाते हैं? वहां बार-बार करप्शन की खबरें क्यों आती रहती हैं?

सर, आज समय है कि जो लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की गुहार लगाते हैं, वे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सिर्फ लफ्जों में नहीं, बल्कि अपने कर्मों में भी दिखाए। लेकिन, वह दिखता नहीं है। उसकी टाइमिंग की बात तो सभी लोगों ने बोल दी है। मैं भी अपने रिकॉर्ड में बोलना चाहूँगा कि अभी इलेक्शन के बस दो महीने हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि यूनिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है तो पिछले साल करते या निर्वाचन के दो महीने बाद लाते, निर्वाचन का नतीजा चाहे जो भी हो, अभी क्यों लाए? डिलिमिटेशन के द्वारा ऐसे जाल में डाल दिया, जिससे निर्वाचन न हो। अंत में, इसको कौन भुगतेगा? इसे भुगतेगा, दिल्ली का नागरिक। इसे भुगतेगा, शाहदरा का आदमी। इसे भुगतेंगे हमारे नजफगढ़ के लोग। जब उनके पास पानी की समस्या होगी तो क्या वे स्पेशल ऑफिसर के पास जाएंगे, क्या गृह मंत्री के पास जाएंगे? क्या गृह मंत्रालय यह देखता है कि ईस्ट जोन में कहाँ गलियाँ हैं, साउथ में कहाँ ट्रक से पानी पहुँचाया जा सकता है, क्या इसे आप लोग देखेंगे?

महोदय, आज यहाँ पर 272 कॉरपोरेटर्स हैं। ये लोग भी आज ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि, 35 आई.ए.एस. ऑफिसर्स को देखना होता है, उनकी विभिन्न डिमांड्स को देखना होता है। When 272 officers are not enough to handle the problems and responsibilities that they have, how will 250 officers be sufficient? I have never heard of this logic. जनसंख्या के अनुसार आप लोगों को बढ़ाना चाहिए, परंतु उसे आप नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए, हम चाहते हैं कि यहाँ पर विस्तार रूप से चर्चा हो। हमारे वरिष्ठ सांसद मनीष तिवारी जी ने आर्टिकल 239एए का उल्लेख किया।

सर, Transaction of Business Rules पर भी चर्चा होनी चाहिए। किस प्रकार से Transaction of Business Rules के द्वारा कंस्टीट्यूशन के आर्टिकल 239एए का जो मूल अर्थ है, उसको डाइलूट किया जा रहा है।

सर, आज आपने देखा कि इस बिल में उन्होंने डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज को भी हटा दिया है। उसे हटाने की क्यों जरुरत पड़ी? डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज़ की जिम्मेवारी है कि वह इन तीनों बॉडीज़ के बीच में कोऑर्डिशन करे। लेकिन, अब आप उसे भी हटा देंगे। … (व्यवधान)

सर, वह एक तो होगा, लेकिन जैसा मैंने पहले बोला कि ईस्ट की डिमांड अलग होती है, वेस्ट की डिमांड अलग होती है। With all due respect, मुझे नहीं लगता है कि आपने अभी जो ढांचा बनाया है, इससे भी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। With all due respect, आप अपने उतर में बता दीजिए कि पानी की समस्या, सैनिटेशन की समस्या, फाइनैंशियल डेफिसिट की समस्या, आपके नए डिजाइन और संकल्प में कैसे पूरे होंगे? इसके बारे में आपके उतर का मैं इंतजार करूँगा।

सर, दूसरी बात यह है कि इससे पहले राज्य सरकार हमने भी चलायी है। जब दिल्ली में हमारी सरकार थी, उस समय एम.सी.डी. भी सत्ता पक्ष की होती थी। उसके बाद भी मंत्री महोदय ने अपनी बात को रखा, हम भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार ने भी वर्ष 2010 में वितीय पैकेज दिया था। हमने यह नहीं देखा कि एम.सी.डी. किसकी है। अगर जरुरत पड़ी तो दिल्ली सरकार ने रास्ते बनाये और एम.सी.डी. के द्वारा वहाँ पर काम किया गया। हमने भी वहाँ की जिम्मेदारी में भागीदारी ली। यही तो काम है और इसी से प्रशासन चलता है। न तो आप अकेले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चला सकते हैं, न राज्य सरकार अकेले चला सकती है, न केन्द्र सरकार और गृह मंत्रालय अकेले दिल्ली चला सकती है।

सर, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन, यहाँ विभिन्न प्रकार की कमेटी बैठी है। वर्ष 1989 में भी बालाकृष्णन की एक कमेटी थी, उन्होंने भी विभाजन की बात की थी। वर्ष 2001 में भी वीरेन्द्र प्रकाश की कमेटी थी, उन्होंने भी विभाजन की बात की थी। परंतु, बात विभाजन और एकजुट करने का नहीं है, बात शासन की है, बात दिल्ली के कर्मचारियों के बारे में है, बात दिल्ली के नागरिकों के विकास के बारे में है। अगर आपके इस मॉडल से यह काम होगा तो हम इसका स्वागत करेंगे। अगर यह सिर्फ निर्वाचन को धकेलने के लिए और आपकी राजनीतिक कुश्ती करने के लिए है तो इससे दिल्ली के नागरिकों का विकास नहीं होगा। दिल्ली में हमारे साथ सत्ता हो या नहीं हो, लेकिन दिल्ली के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली के लोग थक चुके हैं। इन दोनों सरकारों की राजनीतिक कुश्ती के बीच लोग पक चुके हैं। इसी के साथ मैं आशा करूँगा, क्योंकि आज भी इस बिल के आने के बाद जो मेन प्रॉब्लम रहेगी, वह फाइनैंशियल प्रॉब्लम रहेगी।

इस बिल के बावजूद भी केंद्र सरकार आने वाले समय में कोई स्पेशल पैकेज लाए, सैलरीज़ के लिए फाइनेंशियल पैकेज लाए। जैसे वे स्टेट्स को एराउंड 438 रुपये पर पर्सन देते हैं, इसे दिल्ली को भी दें। Even though Delhi is a Union Territory, Delhi is the National Capital. Do not treat Delhi like an ordinary Union Territory, do not treat this city on par with other UTs. Delhi is the National Capital. Therefore, show some flexibility, give some part of your resources per person as you do in the case of municipalities of other States. Again, the Central allocation should be revised every five years to adjust for inflation.

With these words, thank you very much for giving me this time and allowing me to raise these important questions.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): महोदय, धन्यवाद । मैं आज दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 का समर्थन करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ । मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब देश के अन्य राज्यों से सांसद आकर दिल्ली के बारे में चिंता करते हैं, क्योंकि हम 365 दिन में से 200 दिन दिल्ली में बिताते हैं । मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है, क्योंकि हम ज्यादातर समय दिल्ली में बिताते हैं, जब पार्लियामेंट नहीं भी चल रही होती है, तब भी यहाँ पर कमेटी की बैठकों में भाग लेने आते हैं, इसलिए कम से कम अपनी सांसद निधि में से एक-एक करोड़ रुपये सभी को दिल्ली में देना चाहिए ।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: दिल्ली नगर सबका है ।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: सर, दिल्ली नगर निगम कैसे मजबूत हो, हम आज इसके बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं । हम किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं खड़े हैं । यह बिल किसी पार्टी को मजबूत नहीं करता है । यह बिल दिल्ली नगर निगम को मजबूत करता है । अभी चुनाव आने वाला है । दिल्ली की जनता तय करेगी कि वह चुनाव में किसको जिताएगी । दिल्ली में बीजेपी भी जीत सकती है, जो बाकी कुछ और पार्टियाँ हैं, वे भी जीत सकती हैं । यह दिल्ली की जनता तय करेगी । जो भी जीतकर आएगा, अगर एमसीडी मजबूत होगी, तो उसको फायदा होगा । यह दिल्ली की जनता तय करेगी । हम यहाँ पर पार्टी को मजबूत नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एमसीडी को मजबूत कर रहे हैं । जो भी प्रश्न मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने उठाए हैं, सबका जवाब हमारे गृह मंत्री जी देंगे । अभी मनीष तिवारी जी बोल रहे थे, गौरव जी बोल रहे थे । सभी अपना प्रश्न भी कर रहे थे और खुद ही उत्तर भी दे रहे थे । मनीष तिवारी जी ने बोला कि यह बिल आज केन्द्र में क्यों आ रहा है, यह दिल्ली सरकार को लाना चाहिए था, क्योंकि दिसम्बर, 2011 में दिल्ली सरकार लाई थी? उसी के साथ में उन्होंने इसका उत्तर भी दिया कि धारा 239 एए में, सी में यह प्रावधान है कि भारत सरकार कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा कर सकती है । यह इमरजेंसी सिचुएशन कैसे बनी? हम आपको वही तो समझा रहे हैं । अभी गृह मंत्री जी ने बोला कि सौतेली माँ की तरह दिल्ली सरकार एमसीडी के साथ जो व्यवहार कर रही थी, वह

सौतेला व्यवहार हमको यहाँ तक लेकर आया, वरना हमने इसको वर्ष 2017 में अमेंड क्यों नहीं किया? वर्ष 2017 में देश में हमारी सरकार थी। वर्ष 2017 में दिल्ली में जो आज सरकार है, वही सरकार थी। अगर हमें अपनी पार्टी को मजबूत करना होता, तो हम इसको वर्ष 2017 में करते, आज क्यों कर रहे हैं? हमने देखा कि शायद दिल्ली सरकार सुधर जाए, शायद एमसीडी का जो बकाया पैसा है, वह दे दे। मैं दिल्ली के बारे में बताना चाहता हूं, जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि दिल्ली राजधानी है और दिल्ली को पूरा देश देखता है, पूरी दुनिया देखती है।

अब ऐसे में जहां सारी सफाई का काम एमसीडी के ऊपर है, दिल्ली को सुंदर बनाने का काम एमसीडी के ऊपर है, ऐसे में अगर यह फाइनेन्शियली स्ट्रांग नहीं रहेगी और वह आर्थिक रूप से कमजोर होती रहेगी तो दिल्ली सुंदर कैसे बनेगी? दिल्ली को हम साफ कैसे रख सकेंगे? पूरी दुनिया में टोक्यो के बाद भारत की राजधानी दिल्ली सबसे घनी आबादी वाली राजधानी है। दिल्ली में एमसीडी केवल शहर में काम नहीं करती। राजधानी में जो लोकल बॉडी होती है, वह केवल शहर का काम करती हैं। मगर दिल्ली की एमसीडी शहर को भी संभाल रही है, दिल्ली की एमसीडी गांव को भी संभाल रही है।

प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की अनअथॉराइज्ड कॉलोनियों को पास किया है, दिल्ली की एमसीडी उसको भी संभाल रही है। दिल्ली की एमसीडी जे.जे. कलस्टर और स्लम को भी संभाल रही है। अभी गौरव जी कह रहे थे कि इसे आपने एक साल पहले क्यों नहीं किया? आपने कब किया था? जब वर्ष 2012 में एमसीडी के चुनाव हुए, आपने उससे दो महीने पहले ही तो किया था। हम तीन महीना पहले कर रहे हैं। आपने कब किया, आपने कोई एक साल पहले किया था? आपने दिसम्बर, 2011 में किया था और चुनाव 2012 फरवरी में हुआ था। अगर आपने दिल्ली के लिए इतना अच्छा किया था तो 2012 में एमसीडी में बीजेपी कैसे जीत गई। उस समय की मुख्यमंत्री ने कहा था कि बहुत बड़ा रिफार्म कर रहे हैं। एक का तीन कर दें तो फिर बीजेपी कैसे जीती, दिल्ली की जनता भी नहीं चाहती थी कि एक की तीन हो, भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती रही कि एक की तीन नहीं होनी चाहिए। इनका दूसरा सवाल था। हमारे नेता का नाम लेकर इन्होंने

कहा कि मल्होत्रा कमेटी ने सिफारिश की थी, केवल मल्होत्रा कमेटी ने नहीं कहा था, पांच कमेटियां बनीं और सभी ने कहा था कि एक की तीन होनी चाहिए। किसी कमेटी ने नहीं कहा कि एक रहनी चाहिए, सभी ने कहा।

मगर उन कमेटियों ने क्या-क्या कहा था, केवल एक का तीन करने के लिए नहीं कहा था। उस मल्होत्रा कमेटी ने यह भी कहा था कि जब ये तीन होंगी तो दिल्ली सेल्स टैक्स का 15 प्रतिशत एमसीडी को जाना चाहिए। क्या यह गया, नहीं गया। आप कमेटियों की एक सिफारिश को बता रहे हैं।

मैं आपको सारे तथ्य बताऊंगा। जैसे गृह मंत्री जी ने कहा कि मेरिट के ऊपर बताउंगा कि हम तीन का एक क्यों कर रहे हैं? इसका दिल्ली को फायदा क्या है, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम इसे यूनिफाइड कर रहे हैं, जैसे पहले सिस्टम था, वैसा ही आज कर रहे हैं। अगर यह सिस्टम पहले अच्छा चल रहा था और खराब चल रहा है तो हम गौरव जी उस सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चूंकि आम आदमी पार्टी का कोई सांसद यहां नहीं है। दिल्ली में आजकल शराब बहुत बिक रही है। हमारे पार्लियामेंट के अंदर ही इसका प्रचार करते थे, आज वह पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज कोई सांसद नहीं है।

मगर मुझे ऐसा लगा, जब हमारी बहन महुआ मोइत्रा जब बोल रही थीं, कल आम आदमी पार्टी के लोगों ने उनसे संपर्क किया होगा। आजकल दोनों मुख्यमंत्री भाई-बहन बने हुए हैं। उन्होंने टीएमसी पार्टी से संपर्क किया होगा कि हमारा कोई सदस्य नहीं है, ये सब पॉइंट्स आप बोल दीजिए। वह ऐसे ही बोल रही थीं। न तो आपको दिल्ली में चुनाव लड़ना है न आपकी कोई यहां पर सीट आती है। आप कहेंगे कि देश का सांसद है तो क्यों नहीं इसे उठाएं, आप इसे उठाइए, लेकिन स्वार्थ नहीं, दिल्ली का हित देखिए, जिस दिल्ली में आप 200 दिन रहती हैं, जिस दिल्ली में आपका कोई न कोई दूसरा प्राइवेट मकान भी होगा। उस दिल्ली का हित देखिए।

सबका घर है प्राइवेट में, मैं जानता हूं। माननीय सभापति जी, केंद्र को संविधान के मुताबिक पूरा अधिकार प्राप्त है, इसलिए आज यह बिल आ रहा है। यह बिल क्यों आ रहा है और किस स्थिति में आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली में जब तीन कार्पोरेशन्स हुईं, तो होना क्या चाहिए था? जब कोई फ्रेश स्टार्ट करता है तो हम उसे पैसे देते हैं कि आप यह पैसे एकाउंट में लीजिए और अच्छा काम करिए। लेकिन जब तीन कार्पोरशन्स हुईं तो उनके बैंक बैलेंस में 1831 करोड़ रुपये का डेफिसिट था। दिल्ली सरकार को उन्हें पैसे देने चाहिए थे, ग्रांट इन एड देना चाहिए था, लेकिन 1831 करोड़ रुपये देकर उनकी विदाई की कि जाओ भैया, अब तुम अपना काम करो। वर्ष 2012-13 में फोर्थ फाइनेंस कमीशन बैठा, इसकी रिपोर्ट में कहा गया कि 11,323 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार को एमसीडी को देने चाहिए और दिल्ली सरकार ने नहीं दिए। पांचवां फाइनेंस कमीशन बैठा, जो इन्हीं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने बैठाया। 74वां संविधान संशोधन कहता है, ये बार-बार इसकी दुहाई दे रहे थे, यह संशोधन कहता है कि देश में सारी लोकल बॉडीज़ को अधिकार प्राप्त होने चाहिए और उनकी देखभाल, रखरखाव वहां की विधान सभा की जिम्मेदारी है। वहां की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि सारी लोकल बॉडीज़ की चिंता करे। अब केवल तीन भाग करने से काम नहीं बनता है, आपको उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में आया है कि 40,561 करोड़ रुपये देने हैं। दिल्ली सरकार कितने दे रही है? दिल्ली सरकार विधान सभा मे 17,000 करोड़ रुपये पास कर रही है, यानी 23,000 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार ने एमसीडी को नहीं दिए। कैसे एमसीडी चलेगी? गौरव जी कह रहे थे कि 1831 करोड़ रुपये लोन था जो आज 6,000 करोड़ रुपये हो गया। यह तो होगा ही, जब तीनों एमसीडी का रेवेन्यू 6900 करोड़ रुपये है और 8200 करोड़ रुपये एक्सपेंसेज़ हैं। हर साल 2000 करोड़ रुपये का लॉस बढ़ रहा है और उसके ऊपर इंटरस्ट भी बढ़ रहा है, इसलिए दस साल बाद 10,000 करोड़ रुपये का बोझ एमसीडी पर है। अगर दिल्ली सरकार 40,000 करोड़ रुपये एमसीडी को दे देती तो आज यह बिल लाने की जरूरत नहीं पड़ती और एमसीडी अच्छा काम करती। एमसीडी अच्छा काम कर रही है और भी अच्छा काम करती।

माननीय सभापति जी, जब इसके तीन भाग हुए तो एक साउथ, दूसरी नार्थ और तीसरी ईस्ट कॉर्पोरेशन बनी । हम सब साउथ दिल्ली के बारे में जानते हैं, ग्रेटर कैलाश, वसंत विहार, वसंत कुंज । ये बहुत पॉश इलाके हैं । नार्थ में गांव हैं, अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं । ईस्ट में भी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं ।

बार-बार अनऑथोराइज्ड निकलता है, माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयास से अब ये रैगुलराइज्ड कालोनियां हैं । ईस्ट दिल्ली में टैक्स पेयर्स 2 लाख 88 हजार हैं, नार्थ में 3 लाख 35 हजार लोग प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं । साउथ में 4 लाख 75 हजार लोग टैक्स देते हैं । ईस्ट और साउथ में दो लाख ज्यादा लोगों का डिफरेंस हैं क्योंकि साउथ में दो लाख ज्यादा लोग टैक्स देते हैं ।

महोदय, दिल्ली एमसीडी को टैक्स कहां से मिलता है? इसके रेवेन्यू रिसोर्सिस क्या हैं? दिल्ली एमसीडी को प्रॉपर्टी टैक्स मिलता है । दूसरा एडवर्टाइजमेंट, ...* दिल्ली के मुख्यमंत्री के बड़े-बड़े इश्तिहार, झूठे-झूठे, से मिलता है । उनको इनडायरेक्ट टैक्स मिलते हैं, जो दिल्ली सरकार कलैक्ट करती है - प्रोफेशनल टैक्स, ट्रांसफर ड्यूटी और पार्किंग टैक्स ।

ये एमसीडी के रेवेन्यू के रिसोर्सेज हैं । मगर, एमसीडी तो तब चलेगी, जब यह पैसा दिल्ली सरकार उनको देगी । वे जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसमें भी अपना कमीशन और सर्विस चार्ज काटकर एमसीडी को टैक्स देते हैं । दिल्ली के मुख्य मंत्री को लगता है कि अगर एमसीडी को मजबूत कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी बार-बार जीत रही है ।

सर, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में क्या-क्या रिक्मेंडेशन्स थीं और क्या-क्या दिल्ली सरकार ने नहीं मानी, उसके बारे में बताना चाहता हूं । फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने कहा कि एजुकेशन के लिए दिल्ली सरकार को एमसीडी को पैसा देना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं दिया । उस रिपोर्ट में कहा गया कि लोन को वेव ऑफ करना चाहिए, दिल्ली सरकार ने नहीं किया । उसमें कहा

---

* Not recorded

गया कि इंटरेस्ट रेट को कम कर दीजिए, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर ड्यूटी, अभी आपने जिन कमेटीज के बारे में बताया, उन्होंने भी कहा कि ट्रांसफर ड्यूटी को तीन परसेंट से पांच परसेंट कर दीजिए, दिल्ली सरकार ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि सैनिटेशन का खर्च आपको देना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने नहीं दिया।

सर, दिल्ली में एमसीडी आठ लाख गरीब बच्चों को पढ़ाती है। वह बिना पैसे लिये पढ़ाती है। उनको दोपहर का भोजन भी देती है। उस मिड-डे-मील का पैसा जब दिल्ली सरकार से मांगा गया, मैं सदन को बताना चाहता हूं, आप सबको निंदा करनी चाहिए, दिल्ली के मुख्य मंत्री ने वह पैसा कहां खर्च किया? जब तेलंगाना में सरकार बनी थी, तब हमने सुना था कि वहां के मुख्य मंत्री ने पचास करोड़ रुपये अपने घर में लगाए थे। क्या आपको पता है कि दिल्ली में जिस मुख्य मंत्री ने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज वह आम आदमी पार्टी का मुख्य मंत्री अपने सरकारी घर में इक्कीस करोड़ रुपये का टेंडर मिड-डे-मील के पैसे से करवाया है। आज मुख्य मंत्री के घर में स्वीमिंग पुल बन रहा है। आप हैरान मत होइए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि टेंडर हुआ है।

HON. CHAIRPERSON: Parvesh Singhji, please avoid personal remarks.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, इसमें पर्सनल क्या है? मैं तो सरकारी खर्च के बारे में बता रहा हूं। … (व्यवधान) दिल्ली के मुख्य मंत्री वह पैसा अपनी खेती करके या गेहूँ बेचकर नहीं लाए हैं। क्या वे दिल्ली के टैक्सपेयर्स के इक्कीस करोड़ रुपये से अपने घर में स्वीमिंग पुल बनाएंगे? उन्होंने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वहां इक्कीस करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं। वहां कौन-सा पैसा लग रहा है? वह पैसा गरीब बच्चों का मिड-डे-मील का पैसा था। वे उस पैसे को लगा रहे हैं। उसके बाद, सारी कमेटीज ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स, पार्किंग टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स बढ़ा दीजिए, तो दिल्ली सरकार ने नहीं बढ़ाया। जब एमसीडी ने कहा कि क्या हम कुछ पैसे के लिए अपना बांड्स लाएं, तो दिल्ली सरकार ने कहा नहीं, आपको इसकी परमिशन नहीं है। लेकिन, खुद दिल्ली में शराब के ठेके खुल रहे हैं, क्योंकि उनको विज्ञापन करना है। उनको विज्ञापन की

भूख है । झूठे विज्ञापन के लिए दिल्ली में एक हजार ठेके खोले गए हैं, लेकिन एमसीडी को पैसा और मिड-डे-मिल का पैसा भी नहीं दिया गया। अपने विज्ञापन की पूरी चिंता है। उसके लिए वे पूरा जुगाड़ कर रहे हैं।

माननीय सभापति: प्रवेश सिंह जी आपको और कितना समय चाहिए?

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, हमें आधा घंटा और चाहिए।

माननीय सभापति: बीजेपी में बोलने के लिए अगला स्पीकर भी है । So, please try to conclude.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, हमारी पार्टी का बहुत समय है।

माननीय सभापति: आपकी पार्टी का बहुत समय है**!**

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : मेरे बाद केवल मनोज जी बोलने वाले हैं।

इस सदन को हैरानी होगी, देश को भी हैरानी होगी और देश आश्चर्यचकित होगा कि जब मार्च, 2021 में कोविड की सेकेंड वेव आई थी, तो उस मार्च के महीने में दिल्ली के मुख्य मंत्री ने विज्ञापन पर 92 करोड़ रुपये खर्च किए थे । एक दिन का पौने दो करोड़ रुपये । जब दिल्ली में डॉक्टर और नर्स को सैलरी नहीं दे रहे थे और जब प्रधान मंत्री जी ऑक्सीजन दे रहे थे, तो वे ले नहीं रहे थे। हमारे गृह मंत्री जी अस्पताल खोले जा रहे हैं, उनको वेंटिलेटर दिए जा रहे हैं, लेकिन वे क्या कर रहे हैं? वे अपनी बड़ी-बड़ी फोटो लगा रहे हैं।

माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए वेंटिलेटर्स पर अपना फोटो चिपकाकर अखबार में फोटो दे रहे हैं और केवल उपदेश देने का काम कर रहे हैं। तब डॉक्टर्स और नर्स हाई कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि हमें कोई सैलरी नहीं मिल रही है। हमसे 24-24 घंटे काम करवाया जा रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं, तब हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई कि इनको पैसा दीजिए, तब उनको पैसा मिला।

महोदय, आज इस बिल को लाने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमें एमसीडी को मजबूत करना है। हम यह बिल आज क्यों लेकर आए? इसे अब लाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमसे विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आ रहा था, इसलिए आप डर गए। हम वर्ष 2017 में तो नहीं डरे। आज हम डर गए, क्योंकि आज उनको लगता है कि वे पंजाब में जीत गए हैं, इसलिए थोड़ी-बहुत सीटें आ जाएंगी।

अगर चार महीने बाद चुनाव होगा, तो ये भी सीटें नहीं आएंगी और चार महीने में उनकी पार्टी पंजाब में एक्सपोज हो जाएगी। इसलिए वे डर रहे हैं, वे कह रहे हैं कि आज ही चुनाव कराइए। गौरव जी ने कहा कि पहले चुनाव करवा लो और दो महीने के बाद इसको यूनिफाइड कर दो। जब यह यूनिफाइड होगा, तब दोबारा चुनाव करवाने पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि चुनाव करवा लो और उसके बाद यूनिफाइड कर दो।

महोदय, हम नहीं डरे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम लोग डर गए। क्या उनको दिल्ली की जनता पर भरोसा नहीं है? आज दिल्ली की जनता जिसको वोट देगी, तो चार महीने के बाद भी तो उसी को ही वोट देगी। क्या वह चार महीने में अपना मन बदल लेगी? हम नहीं डरे हैं। हम यह बिल इसलिए लेकर आए हैं और छः महीने पहले इसलिए नहीं लेकर आए थे, क्योंकि किसी भी इलेक्टेड बॉडी को उसका टर्म कंप्लीट करने का संवैधानिक अधिकार होता है। जो निगम पार्षद पांच साल के लिए चुनकर आए हैं, क्या हम उनको छः महीने पहले हटा दें? क्या उनको पांच साल का टर्म पूरा करने न दें? दिल्ली में जो आने वाली एमसीडी की सरकार होगी, उसके पार्षद भी पांच साल का टर्म पूरा करेंगे। केवल ये जो बीच का गैप है, इसमें एक स्पेशल ऑफिसर दिल्ली की चिंता करेगा, जब तक डीलिमिटेशन नहीं हो जाता। हम इस बिल को इसलिए लेकर आए हैं, क्योंकि पहले वाली एमसीडी अपना पांच साल का टर्म कंप्लीट करे और आने वाली एमसीडी भी अपने पांच साल का टर्म कंप्लीट करे।

जब विपक्ष के किसी राज्य में कोई चुनाव आने वाला होता है और वहां पर उनको लगता है कि भारत सरकार एक हफ्ते पहले उसको भंग कर देती है, तब तो पूरा देश और विपक्ष चिल्लाता है कि ये तो लोकतंत्र खतरे में आ गया है। क्या एमसीडी का कोई लोकतंत्र नहीं है? कैसे हम उनको छः महीने पहले भंग कर सकते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एमसीडी को क्यों नहीं करने दिया और यहां पर भी हमारे दोस्त कह रहे है कि एमसीडी को क्यों नहीं करने दिया। जब वर्ष 2011 में एमसीडी एक से तीन हुई थी, तब क्या दिल्ली सरकार ने एमसीडी की राय ली थी? राय नहीं ली थी, क्योंकि दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और केन्द्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मगर दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी।

क्या उनसे पूछा गया था, जिनको एक से तीन कर रहे थे? उनसे नहीं पूछा गया था। आज इस बिल के माध्यम से दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां खत्म कर रहे हैं। हमने एमसीडी से पूछा है और एमसीडी तैयार है। एमसीडी में जो पार्टी है, हमने उनसे भी पूछा है, वह भी तैयार है। जब मियां बीबी राजी, तो क्या करेगा दिल्ली का काजी? दिल्ली के काजी को क्यों चिंता हो रही है? हम दोनों तैयार हैं, एमसीडी तैयार है, दिल्ली की जनता तैयार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एमसीडी में बहुत भ्रष्टाचार है। हां, बहुत है। लेकिन भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? उपमुख्यमंत्री की विधान सभा में उन्हीं की पार्टी की एक विधायक हैं, क्या मैं यहां पर उनका नाम ले सकता हूं?

माननीय सभापति : नहीं-नहीं।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : महोदय, उन्हीं की पार्टी की एक निगम पार्षद …* हैं, उनको अभी एक महीने पहले सीबीआई ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है?

उन्हीं के पार्टी के निगम पार्षद जो दिल्ली के दंगे का मास्टर माइंड है। ताहिर हुसैन ने खुद कबूल किया है कि हाँ मैं दिल्ली के दंगे का मास्टर माइंड हूँ। वह कौन है? वह आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? कौन दंगा कर रहा है और

* Not recorded

आप सोचिए कि ऐसे लोगों के हाथों में अगर दिल्ली एमसीडी आ जाए तो क्या होगा? दिल्ली में दंगा होगा, दिल्ली में भ्रष्टाचार होगा और जब मालिक ही ऐसा है तो पार्षद क्यों न करें? पार्षद भी लगे हुए हैं, विधायक भी लगे हुए हैं और राज्य सभा की …* रही है। उनके साथ जो लगे हुए थे, वे सब छोड़ के जा रहे हैं, उनकी जगह बड़े-बड़े बिजनेसमेन आ रहे हैं तो जब मालिक ही ऐसा है तो निगम पार्षद भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेंगे?

सर, मैं आज पूरे सदन से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि दो दिन पहले सब ने सुना कि कश्मीर के हिंदुओं के विषय में जब वहां की माँ, बहन, बेटी, पत्नी का बलात्कार हुआ, औरतों को जिंदा काटा गया, वहां पर युवाओं के सिर पर गोली मार दी गई, यहां तक कि सबको घर छोड़कर आना पड़ा और दिल्ली का मुख्य मंत्री विधान सभा में उनकी मौत पर, उनके नरसंहार पर हंसता है। उसके ऊपर ठहाके लगाता है और कहता है कि यह झूठ है। यह फिल्म झूठ है। क्या कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार झूठ है? क्या एक मुख्य मंत्री के लिए, आजाद इतिहास में, इससे निंदनीय कोई बात हो सकती है? इस पूरे सदन को इसकी निंदा करनी चाहिए। सर, इनका …* देखिए। आप मुझे 10 मिनट और दीजिए।

माननीय सभापति: आप रिपिटेशन अवॉइड कीजिए। आप समाप्त कीजिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: आप इनका … * देखिए कि ये बोलते हैं कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री क्यों करना है। मैं दिल्ली के मुख्य मंत्री का ट्विट पढ़कर बताता हूँ। "Nil Batte Sannatta is a great movie. You must watch it. We have made it tax free in Delhi." इसके अलावा उन्होंने "सांड की आंख' मूवी टैक्स फ्री की, लेकिन जब कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने की बात है तो नहीं कर रहे हैं। वे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उनके वोट बैंक की बात आती है। इससे उनके वोट बैंक को नुकसान हो जाएगा। इसलिए वे इसको टैक्स फ्री

* Not recorded

नहीं कर रहे हैं, वरना वह पहले दिन का पहला शो देखने वाला मुख्य मंत्री है, लेकिन अभी तक कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है।

सर, दिल्ली के मुख्य मंत्री ने एक और बहुत ही घिनौनी बात की है। उन्होंने … *कहा कि हमारे प्रधान मंत्री जी से अच्छा तो हिटलर है। क्या आजाद भारत के इतिहास में हिटलर को कोई अच्छा बताएगा? क्या प्रधान मंत्री जी केवल हमारे हैं?

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please avoid quoting names. विधान सभा की प्रोसिडिंग यहां पर मत बताइए।

… (*Interruptions*)

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : ठीक है, सर। क्या प्रधान मंत्री जी केवल हमारे हैं? क्या प्रधान मंत्री जी पूरे देश के नहीं हैं? क्या ये ऐसा बोलेंगे कि हिटलर प्रधान मंत्री जी से अच्छा था? दिल्ली के मुख्य मंत्री ने एक बात और कही कि प्रधान मंत्री जी डायरेक्टर के पैरों में पड़े हैं। यहां सबको मालूम है कि पैरों में कौन पड़ा है? दिल्ली के मुख्य मंत्री ने सारे नेताओं के ऊपर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कोर्ट में केस किए और फिर लंबा पैरों में लेटकर उनसे लिखित में माफी मांगी।… (व्यवधान) पैरों में पड़ना हमारी आदत नहीं है। पैरों में पड़ना दिल्ली के मुख्य मंत्री की आदत है।… (व्यवधान) यह सब ने सुना होगा कि दिल्ली के मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमने बहुत स्कूल बनाएं, बहुत हॉस्पिटल्स बनाएं, बहुत कॉलेजेस बनाएं, बहुत फ्लाईओवर्स बनाएं। दिल्ली के मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमने बनाए। हाँ, मैं कहता हूँ कि बनाएं होंगे और दिल्ली के मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमने ऐसा काम किया, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हाँ, मैं कहता हूँ आज तक नहीं हुआ, क्योंकि वे सारे हॉस्पिटल्स, वे सारे कॉलेजेस अदृश्य हैं। वे दिखते नहीं हैं। आप बताइए, क्या दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी आई है? क्या कभी आएगी? जिसको हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, वह यूट्यूब पर जाए और इलाज करवा ले।

---

* Not recorded.

जिसको कॉलेज में एडमिशन चाहिए, वह यूट्यूब पर जाए और एडमिशन करा ले। जिसको स्पोर्ट्स में दाखिला चाहिए, वह यूट्यूब पर डाले, स्टेडियम में जाए और एडमिशन करा ले। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कोई नहीं लागू कर सकता, उसे सिर्फ दिल्ली की सरकार कर सकती है।…(व्यवधान)

सर, मैं इस बिल के फायदे बता रहा हूं। आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि पहले एक मेयर था, एक कमिश्नर था और 22 विभाग थे। तीन होने के बाद में तीन मेयर हो गए, तीन कमिश्नर हो गए, 66 विभाग हो गए और उनके अन्य सारे अधिकारी ट्रिपल-ट्रिपल हो गए है। सबकी गाड़ियां ट्रिपल हो गईं, सबके घर ट्रिपल हो गए, सबके ऑफिस तीन हो गए, सबकी बिल्डिंग्स तीन हो गईं। ये सब खर्च दिल्ली की जनता क्यों उठाए? कांग्रेस ने जो गलत काम किया, हमारा यही काम रह गया है कि इन्होंने इतने गलत काम कर दिए कि हमारी सरकार इनके गलत कामों को ठीक करने में लगी हुई है। यह सारे खर्चे अब कम होंगे और एमसीडी के 200 करोड़ रुपये हर साल बचेंगे। हमारा बराबर का रेवेन्यू डिस्ट्रिब्यूशन होगा। तीन एमसीडी की जरूरत इसलिए नहीं है कि 12 ज़ोन्स पहले से ही हैं। जब 12 ज़ोन्स हैं और 12 डीसी हैं, तो किसलिए तीन एमसीडी चाहिए। इस बिल को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब भारत सरकार दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करना चाहती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री उसको रोक देते हैं। जब भारत सरकार एमसीडी के माध्यम से दिल्ली में 'हृदय,' टूरिज्म सर्किल, उज्ज्वला योजना, जन औषधि योजना आदि को लागू करना चाहती है, तब दिल्ली सरकार उसको रोक देती है। इसलिए यह बिल लाने की जरूरत पड़ी। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: अब समाप्त कीजिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें अमिताभ बच्चन शशि कपूर को बोलते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और बैंक बैलेंस है और तुम्हारे पास क्या है? तब शशि कपूर बोलते हैं कि मेरे पास मां है।… (व्यवधान) सर, मुझे दो मिनट समय दीजिए।

माननीय सभापति : आपने पांच मिनट मांगे थे और पांच मिनट पूरे हो गए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: सर, अमिताभ बच्चन शशि कपूर को बोलते हैं कि 'मेरे पास गाड़ी है, बंगला है और बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है?' तब शशि कपूर बोलते हैं कि 'मेरे पास मां है।' दिल्ली के मुख्यमंत्री जी एमसीडी को बोलते हैं कि मैंने कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, स्टेडियम बनाए और तुम्हारे पास क्या है? तब एमसीडी बोलती है कि मेरे पास एड्रेस है। मेरे पास पता है, जहां मैंने बनाए। मैंने जो दो हॉस्पिटल्स बनाए तिलक नगर और कालका जी में, मेरे पास उनका एड्रेस है। आपकी बनाई चीजें तो अदृश्य हैं, वे केवल होर्डिंग्स पर दिख रही हैं, यूट्यूब पर दिख रही हैं, विज्ञापन पर दिख रही हैं, टेलीविजन पर दिख रही हैं और कहीं नहीं दिख रही हैं।

माननीय सभापति: अब समाप्त कीजिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : सर, गौरव जी, ने एक बात कही कि गाजीपुर लैण्डफिल की हाइट कुतुब मीनार तक हो रही है। जी, नहीं। गौरव जी, उसे एमसीडी ने 11 मीटर कम कर दिया है। आपको इसे एप्रिशिएट करना चाहिए और पढ़कर आना चाहिए।

सर, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बिल के बारे में अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

माननीय सभापति: आप सजेशन्स देने के बाद समाप्त कीजिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: सर, मेरा पहला सुझाव यह है कि दिल्ली में हमारे कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जिनको एल्डरमैन कहा जाता है। पहले इनकी संख्या 10 होती थी। दिल्ली सरकार ने उस संख्या को बढ़ाकर 30 कर दिया, क्योंकि जीतकर आ नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि नॉमिनेट ही कर दो। जिस ज़ोन में उनको मेजॉरिटी नहीं मिलती है, वहां पर दस-दस एल्डरमेन एक ही ज़ोन में बना देते हैं। मेरा सुझाव है कि दिल्ली में 12 ज़ोन्स हैं तो 12 ही नॉमिनेटेड मेंबर्स – एल्डरमेन होने चाहिए और एक ज़ोन में केवल एक होना चाहिए। मेरा दूसरा सुझाव है कि इनको नॉमिनेट करने की ताकत या तो एलजी के पास हो या मेयर के पास हो। मेरा अगला सुझाव यह है कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट सख्ती से लागू होनी चाहिए। तीसरा सुझाव यह है कि काउंसलर को, निगम पार्षद को कम से कम एक सफाई कर्मचारी जितना एलाउंस तो मिलना चाहिए। आज

उनको एक रुपया भी नहीं मिलता है। एक सफाई कर्मचारी को 15 हजार या 20 हजार रुपये या जितना मिलता है, उतना एक निगम पार्षद को भी मिलना चाहिए।

मेरा चौथा सुझाव है कि जैसे एमसीडी में पहले होता था, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड, फायर डिपार्टमेंट, डीयूएसआईबी, डीटीसी आदि सारा एमसीडी का अधिकार था, अगर हम इसको यूनिफाई कर रहे हैं तो इसे हम पहले वाली एमसीडी ही बना दें और ये सारे अधिकार भी एमसीडी को दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। दिल्ली सरकार जो टैक्स कलेक्ट करती है, उनको कहा जाए कि 7 तारीख तक वह पैसा एमसीडी को मिलना चाहिए।

18.00 hrs

सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।…(व्यवधान) दादा बोल रहे हैं।…(व्यवधान) मस्जिद के बारे में बोल रहे हैं।…(व्यवधान) सर, क्या आपको मालूम है कि एमसीडी का पैसा कहां जा रहा है? पांच सालों में 55 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्य मंत्री ने मस्जिद के मौलवियों को तनख्वाह देने में दिया है, मगर, मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथी को नहीं दिया।…(व्यवधान)

माननीय सभापति: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा: केवल एमसीडी का पैसा अपना स्वीमिंग पुल, मस्जिद के मौलवी, इन सब में लगा रहे हैं।…(व्यवधान) सर, मैं इसका समर्थन करता हूं और विपक्ष को कहना चाहता हूं कि यह पार्टी को मजबूत करने का बिल नहीं है, यह एमसीडी को मजबूत करने का बिल है। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Now the time is already six o’ clock. If the House unanimously agrees, we will extend the time of the House up to seven o’ clock, as directed by the hon. Speaker.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended up to seven o' clock.

Now, Shrimati Supriya Sule.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I would like to speak on the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill. I appreciate the lines of the hon. Home Minister when he made his speech while moving the Bill for consideration where he said that this would be a very academic discussion. What he said was, let us rise above politics and have a healthy debate. It is very unfortunate that both the speakers from the Treasury Benches have only spoken politics. That is very unfortunate.

I appreciate the hon. Home Minister because he was, probably, looking for some good discussion and good suggestions whereby we could really and truly make a difference in the city which we all owe a lot to. This city gives us our second home. We come here. Being the Capital of India, it definitely is something that we all need to contribute to.

Shri Parvesh Verma as well as the earlier speaker made very interesting comments. They both kept talking about the glorious works done by their Party and their representatives. So, I stand perplexed and confused whether the MCD has money or not. I will give you an example. सर, उन्होंने मिड-डे मील के बारे में कहा, बहुत अच्छा, स्कूल्स बनाएं, बहुत अच्छे, प्रोग्राम्स बनाएं, अगर ये सब हो रहा है और अच्छा चल रहा है and he said about one more thing. He said स्कूल्स, मेडिकल सिस्टम, घर दिए और आंगनवाड़ी सेविका को परमानैंट भी कर दिया। अगर इतना सब अच्छा चल रहा है, तो इसमें बुरा क्या है, तो जो चल रहा है, वह अच्छा चल रहा है। So, the MCD is doing a very good job. So, where is the problem? So, if debt is the problem, I want to ask one question. Meenakashi Ji, I am glad you replied to me. In December, 2021, the leader of the three Corporations approached the Union

Finance Minister seeking for payment of salaries. The request was denied by the Finance Minister. This is what the quote is about the Government of India. So, how does this thing change? … (*Interruptions*) I am happy to yield.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): The revenue of the Delhi Government has increased by five times. In the same way, the Municipal Corporation's revenue should have also increased by five times. It has not, and as per the Finance Commission, even that has not been paid.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I totally agree with Meenakashi Ji. Meenakashi Ji, then there is another solution that I can give you on the same ground that you are saying, that is, according to the rules of this land, which we follow, that is, the Constitution of India about which Shri Parvesh Verma also mentioned in his speech. What he said was that these monies deserve to come to us and this unification is going to solve the problem. Well, I am buying the argument. I am sure the intention of the Government is very noble in doing so. I am not doubting their intention. I am doubting the way it is directed. What did he say? It is the timing. … (*Interruptions*) Meenakashi Ji, sure, I will come to your point. But let me finish Mr. Parvesh's point. What he said first was about the timing of this. He said, "पांच साल पहले ।" Now, the decision on unification was taken on the day the Delhi Municipal Corporation's election was going to be announced. That is where the first doubt in my mind came as a normal citizen that if the State Election Commission is announcing the election,

what happened five hours before that, that they suddenly felt the need to go for unification?

If they think unification is a solution, and if it is for the betterment, so be it. It is a good suggestion. No harm in trying it. You tried a tripartition. You think it did not work, and now you think you want to unify it. There is nothing wrong in it. Change is inevitable in any administration. So, I have no problem in either way going forward. But the point is about the timing of it. It is not just timing, but he is saying that हम लोग पाँच साल पूरे करने जा रहे हैं । Very good. I am happy you wanted to complete it. But if delimitation was a suggestion, why did they not start the process of delimitation before the elections?

महाराष्ट्र में कारपोरेशन का इलेक्शन है, श्री अरविन्द सावंत जी यह जानते हैं । जब डीलिमिटेशन करना चाहते हैं, तो उसका प्रॉसेस इलेक्शन का टर्म खत्म होने के पहले किया जाता है । It is because we do not want to delay it. Why should a *prashasak* come? We, the elected Members are here to run it. Think about it Meenakshi ji. डीलिमिटेशन आप बाद में करें, तो पाँच साल… (व्यवधान)

It is not about it. It is an academic point that I am making. This is not about UPA versus NDA. Some things have to rise above politics, and we need to have some deliberation. Like, you are all doing in Delhi, पूना में, पूना भी एक कारपोरेशन है और पिंपरी चिंचवाड़ भी कारपोरेशन है । We made two completely separate bodies.

So, is that a solution you could have thought of, looking at PMCN and PCMC? Now, could that be an option? श्री अमित शाह जी ने भी शुरुआत में कहा कि वे नम्बर ऑफ कॉरपोरेटर्स कम करना चाहते हैं । जैसे दिल्ली में है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी हर जगह

लोक-संख्या बढ़ती जा रही है। Actually, it is the population pressure. It is the same in my constituency. Now it has increased much more. Is it manageable? It is not only for me but it is applicable for every Member of Parliament. जब लोक-संख्या बढ़ती है, एक करोड़ रुपए प्रवेश भाई भी मांग रहे थे, अभी पूरे पाँच करोड़ रुपए मिले भी नहीं। मैं बहन के नाते दे भी सकती थी अगर आपकी सरकार मुझे पूरे पाँच करोड़ रुपए दे देती। That is not the point we are arguing here. I was saying that on a lighter note. But on a very serious note, when you do delimitation, is it not increasing the number rather than decreasing? What is the logic of reducing the corporators? क्योंकि नम्बर ऑफ वोटर्स की जो डेंसिटी होगी, वह बढ़ेगी, तो एक नगर सेवक कैसे मैनेज कर पाएगा? It is because the number of citizens is clearly going up in any city. दिल्ली में तो हो ही रहा है। So, what is the theory behind the Government doing this?

Now, coming back to your point, Meenakshi ji. I appreciate what you are saying. My only limited point was that the position has changed. According to the Constitution, in parts 9 and 9 (a), because of the 73rd and 74th amendments, which Shri Parvesh Verma mentioned, the position has changed. The original enactment was that the Central Government could have done it. But when the trifurcation happened – we debated it and you know better than me that it happened in the Delhi Assembly. So, why are we not doing this in the Delhi Assembly? Why are we debating these municipal issues here? कोई जरूरत नहीं है। आज वहाँ पर बात कर लेते। I am not really sure whether this is really going to work. कोई कोर्ट में चला जाएगा, तो और चक्कर हो जाएगा। What are we going to achieve by this? I urge that this is India's Parliament. We are

here to discuss the issues of the country and not to discuss the corporations. वैसे आप तो गोवा और जम्मू-कश्मीर से संबंधित बिल ले आए और दिल्ली का बिल भी ले आए।

18.08 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

This is when we feel that there is a contradiction and there is a hidden agenda. Why only Delhi just because there is an Administrator or the Government today which is not of your ideology? Daman and Diu also face the same issue. Why are they not discussed here; why is Jammu and Kashmir not discussed here? The same logic is applicable here. So, give us an argument to that.

I think this is purely technical, and I think that we should think about the timing, like they said, the State Election Commission had issued an official invite to a Press Conference at 5 o'clock, and then this decision was taken. That is the reason we are saying, and we feel that कुछ गड़बड़ है। I am not saying it. I am sure that your intent is very good but delaying is not going to help anyway. An Administrator is there. आज जो दिल्ली का आम आदमी है, वह कहाँ जाएगा? वह कॉरपोरेटर के पास जाता है, यदि उसका डीपी जल जाता है, गटर का प्रॉब्लम होता है, पानी का प्रॉब्लम आएगा, तो अब वह किससे मिलने जाएगा? He will have to run to his MLA. But Corporator is someone जो 24x7 आपके सुख-दुख में रहता है। That is why this whole distribution of powers is in the Constitution. I think that is the whole idea of decentralization of powers. I am not saying it. It is the hon. Prime Minister, Modi ji, who 'n' number of times has talked about it, and I have a number of quotes, which I can come back to if I am given that kind of time.

The other thing that I was talking about is autonomy. A lot has been said about autonomy. We even discussed earlier about autonomy. I think the problem is that the Government, with Bill after Bill which is coming, is actually taking autonomy away from the States and also the cooperative federalism. जब अरुण जी यहां बैठते थे, he must have told me 200 times. I can tell you quotes on cooperative federalism. There is no cooperative federalism. It is becoming lesser and lesser. This is the feeling that I am getting while working here. There is excessive centralisation of power taking place.

Sir, I will give you an example. You said that the Congress got the LG to bring more power. These are two wrongs straightaway. You cannot selectively like the Congress and dislike the Congress because your first speaker said दिल्ली की तो सारी पावर्स एलजी को उन्होंने दी थीं।

Please give me two minutes. If Pravesh can speak for so long, I am asking for only two minutes. I am not criticising; I am only giving an honest feedback because I genuinely love this country and I truly want to make a difference by being here by contributing, not just criticising them for the sake of criticising. How do you selectively use the power of LG? When it suits you, the LG is a good man. कांग्रेस करे तो बुरा? ऐसा नहीं होता है।

Administration has to be there. Governance is continuity. One day, you are sitting there; one day, we will sit there. But that does not mean that we misuse the power. Why is the Governor there? It is not to make the life miserable of the administrative people who are elected. I am suffering that in my State. I will tell you some other day what problems there are, when the

Governors talk. When you want to do good works, they are hampered by these kinds of interventions. Look at the legacies of Governors. In my State, we have had tall leaders as Governors. They were very big people – Ali Yavar Jung, Latifji, P.C. Alexander. These are legacies of Governors that we have had. So, I cannot understand what the problem is.

Even while talking about cooperative federalism, it is very important to leave the States alone. It does not matter that आज केजरीवाल जी की सरकार है। कल दिल्ली में आपकी सरकार भी आ सकती है। But doing all this is not the way to solve all our legislative problems. You want to make MCD of Delhi. Anyway, Amit Shahji controls that entire thing. So, this is something which I fail to understand. I just want to know the mechanism we will have by merging all these three Corporations. Sir, I would request you to please explain to me in your reply what big magic difference this convergence is going to bring. To me, it does not matter whether there are three corporations or one corporation as long as people get better services. That is my point.

I still remember Modiji talking about cooperative federalism when he was Chief Minister. I still remember his words. He actually said this when he was the Prime Minister. He said, ‘Babasaheb gave a Constitution with a federal structure to strengthen our unity. Sadly, UPA’s intent was striking the core idea.’ What are you doing today? He had, at that time, said that the UPA was doing that. Today, what else is this? Again, Modiji in 2012 said in an issue of *The Times of India* that ‘cooperative, not coercive federalism, for a strong Republic’. This is what his thinking was. He said, ‘our Government is about

attitude of cooperation instead of confrontation.' What are these speeches? These speeches were only about confrontation. We want 'cooperatism'. We have to find if there are any solutions there.

Let us look at the UTs. There are so many examples I can give about UTs. Please look at what is happening in Lakshadweep. I have met twice the hon. Home Minister for these issues. Mrs. Delkar is not here.

I know what she went through. She lost her husband. The same gentleman, who was managing that UT, has now moved to Lakshadweep and is making the lives of people miserable in Lakshadweep. The hon. Home Minister has been very kind, and indulges with time, and he has assured us that he will find a solution to make sure that Lakshadweep works very peacefully.

Sir, I would just request the hon. Home Minister that in governance, there are differences of opinions and there are differences of Governments which we definitely can have from election to election, but we cannot have jugglery of institutions. Institutions must be maintained. There can be debates and discussions.

My only request to this Government is not to bring Assembly issues to Parliament. कॉर्पोरेशन का जो काम है, वह पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए। Parliament has a larger role in policy-making for Government of India. I think, it is about nation-building, not corporation-building. So, I urge the Government to send this Bill to the Assembly. Let the Assembly debate it. Let us do what is for the betterment of this country.

So, I would urge the Government to believe in cooperative federalism. There was a time Arun Jaitleyji used to constantly talk about it. After Arunji, I hear that word seldom. I am looking forward to build a better India. You take the name of Babasaheb Ambedkar. Please walk the talk, follow the Constitution and respect cooperative federalism.

Thank you so much.

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Thank you, Sir, for permitting me to take part in this very relevant discussion.

सर, दिल्ली को हज़रत दिल्ली कहा गया है I It is a very respectable city, laudable city, celebrated and renowned city, and the capital city of our country. When I take part in this discussion, I am reminded of a couplet of Amir Khusro, the Delhiite poet of India, who is described as 'Tuti-e-Hind', the 'Parrot of India':

Hazrat e delhi is an emblem of justice and charity,
A garden of heaven flourishes and will remain forever.

But this amendment Bill, which the Government is coming forward with, I do not think is a move in accordance with justice. It is an attempt to make the States and the governed Union Territories at the charity of the Central Government. Delhi is not only a city of power and privilege, it is the city of diversity, vividity, and plurality. The most important point that we have to think of when we take part in the discussion is this. No doubt, it is the lack of competence of this august House for this kind of a legislation. It is beyond the domain of the Parliament to pass a law aimed at the merger of civic bodies. A unified Municipal Corporation of Delhi is a very good idea. It may be a beautiful idea for the coming years but it is an attempt to make parallel Governments. It is a clear interference in the affairs of Delhi. It is equal to giving complete control of the civic body to the Centre.

Our hon. Law Minister is also present in the House. Why we oppose this Bill is because it negates and nullifies the federal character of the Constitution. Democratisation is based on decentralisation. This amendment will no doubt

affect decentralisation. This is a Bill which has to be discussed in the Delhi Assembly. In this Bill, replacing the word ‘Government’ by the words ‘Central Government is self-explanatory. It is going to be replaced in, at least, 11 sections of this Bill. Instead of the word ‘Government’, the words ‘Central Government’ is used. It is self-explanatory. The power to make municipal bodies lies with the State Governments. One of the highlights of this legislation – our hon. Home Minister’s statement also mentioned – is regarding the resources.

Our hon. Law Minister himself knows better ways, better methods, and better devices to distribute the resources between the States and the governed Union Territories by avoiding even this kind of legislation.

As regards the Special Officer, no doubt he is going to be a Government person. It is said in this Bill that he will be exercising the powers and discharging the functions of the Corporation until the date on which the first meeting of the Corporation is held. So, appointing an officer, giving a kind of speciality is no doubt a clear interference in the affairs of the elected body.

I see a kind of symbolic significance in this Bill. Delhi is even described as the miniature of India. Our apprehension is that in future the Government may be tending to make or amend this kind of law. I cannot understand that the number of seats is fixed by the Government at 250. The number of seats depend upon the population of Delhi. How can the Central Government say that it has to be this number or that number?

There is Section 388 on which I have to make a suggestion because it is regarding the conditions of the service of the sweepers employed for doing house scavenging. I do not think that this clause is in the interest of those brothers and sisters who are compelled… (*Interruptions*) I will conclude in two minutes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Conclude in one minute.

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI: Sir, this Bill curtails the freedom of the civic body. So, I have to remind the Government about the couplet of Bahadur Shah Zafar, who was a poet of Delhi and was one of the outstanding leaders of the first freedom struggle. The couplet is something like this: कितना है बदनसीब 'ज़फर' दफ्न के लिए, दो गज़ ज़मीन भी न मिली कू-ए-यार में.

So, they stood for freedom, and this Bill curtails the freedom, the freedom of the elected body, the civic body. … (*Interruptions*). So, I would like to request the Government and the hon. Minister to withdraw this Bill.

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Sir, I stand here on behalf of CPI (M) to speak on the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022. At the outset, I strongly oppose the Bill.

Before entering into the merits of the Bill, I would like to say that we would have taken the words of our hon. Home Minister at face value and believed that he is doing all this in good faith, if he has done what he has promised in this august House about the Kashmir election at the time of abrogation of Article 370. Now, I am remembering his speech on 5th August, 2019. He said that an elected Assembly will be constituted in Jammu and Kashmir without any delay. After two and a half years, till this day, 'the appropriate time' has not come. The delimitation of Assembly constituencies is going on till this time. Here, no doubt, merging of the three corporations into one is the right time for the BJP to win.

Sir, through this Bill, the BJP Government has shown how the democratic process can be twisted and distorted at the cost of federal principles on which our Constitution rests. Have we ever heard of a statutory body like State Election Commission being dictated to by the Union Government to cancel the Press meet called for announcing the elections to a local body? Have we ever heard a Bill being introduced to completely change the structure of local body on the verge of holding elections? Ironically, under this Government we need to expect much more than this. No Government in the history of our country has undermined constitutional bodies, including Election Commission, making them puppets in their hands.

Sir, if this Government feels that it will get defeated in any of the States, then what is the surety that this House would not witness the introduction of a Bill to club two State Legislatures and postponing the election? If this Bill has been introduced with the intention of strengthening the local governance of Delhi, we would have welcomed it wholeheartedly. But disappointingly, this Bill has been introduced only to protect the political interests of the BJP as it fears losing the Municipal elections if held now.

Sir, we are living in an era of decentralization of power, which has been recognized worldwide for efficient bottom to top planning approach. But what is envisaged in this Bill?

If this Bill gets passed, the three Municipal Corporations of North, South and East would cease to exist and one single body would emerge out. But the result is that the combined strength would come down from the present 272 to 250 Councillors.

Sir, already, some of the municipal wards have 60,000 to 70,000 voters, which is more than the number of voters in Assembly constituencies of smaller states. Sir, how come a ward councillor would be able to meet the day-to-day demands of this much voters? Do the people of Delhi not deserve a much wider representation? This Bill is full of ambiguities, purposefully introduced by this Government to derail the democratic process. So, I request the Government at this juncture to please replace with “State Government of Delhi” instead of “Central Government” wherever it is mentioned in the Bill.

Sir, though the Bill speaks of delimitation of wards, it has not specified, what would be the basis of such delimitation process. If the Government desires to use the upcoming census data as the basis, then when would the elections be held? We all know it would take at least two years. And what would happen in the interim period? Sir, the biggest concern of this bill lies in the creation of "Super Power Structure' in the name of a Special Officer to govern the administration till the elections are held.

We all know how this Government is using the Lieutenant Governors of Delhi, Puducherry and Lakshadweep, and Administrators of other Union Territories to impose the anti-people policies of the Government. We have no doubt that the Special Officer is appointed for sabotaging the people's mandate and making a mockery of the democratic institution. This is nothing but abuse of power, and gives a clear message that this Government has no hesitation to go to the extreme to capture power and hang on to it till the last breath.

Hence, I oppose the anti-democratic provisions of this Bill and wish the Government gets the wisdom to withdraw this Bill in the interest of the people of Delhi. I conclude my speech. Thank you.

*[*]***DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM):** Hon Chairman Sir, Vanakkam. Thank you for allowing me to take part in this discussion.

The Bill being discussed here is aimed to address the Bill brought by the Delhi Government in the year 2011. The Union Government, with all its powers, has been trying to make the Bill brought by the State Government null and void. This is not only the case in Delhi. In all the States where non-BJP parties are in power, the Union Government has made it a practice to interfere in the day-to-day administration of the States concerned, through the hon. Governors of the respective States. Particularly in Tamil Nadu, where the ruling DMK is providing good governance, hon. President and hon. Governor have not given their assent to 19 Bills passed by the State Assembly. As a result, these Bills could not become Acts and subsequent implementation is pending.

On one side, by bringing the Delhi Municipal Corporation Bill, the Union Government is trying to block the functioning of the Delhi Government. On the other hand, this Union Government is also making hindrances to the free functioning of the States through the interferences made by hon. Governors. I wish to state that this is against the principles of federalism. I should say that several amendments made to this Bill seem to prevent the people, particularly the poor in getting the basic civic amenities. As mentioned by many MPs here in this august House, the total number of Councillors has been brought down

---

[*] English translation of Speech originally delivered in Tamil.

from 272 to 250 in this Bill. As a result, instead of increasing the representation of the people, the Government has brought it down.

In the Act of 2011, there was a clause saying that in order to terminate the sweepers and sanitation workers from service, a notice should be given 14 days prior to that effect. But in the present amendment this aspect has been removed. We are aware of the fact that already the civic rights and amenities in Delhi are in worst condition.

In such a scenario, this amendment Bill has furthermore paved the way for termination of these sanitation workers mercilessly, as per the wishes of the administration. I condemn this in strongest terms as these sanitation workers are the ones who keep their lives at stake while they perform their duties.

Moreover, the Officers to be appointed through this Bill, will be looking after the administration of Delhi. Till a corporation is set-up, these Officers will have the powers vested with them. This is complete denial of public representation and this is against the principles of democratic system of governance.

Besides that, through this Bill the local body elections have been postponed in Delhi. I wish to state that it is so unfortunate as it may lead to a situation where the local body elections may not be held for the next two years in Delhi. I therefore urge that this Bill should be withdrawn.

Thank you.

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, मैं दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन अमेंडमेंट बिल, 2022 का विरोध करता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी का नाम लेना चाहता हूं। Map redrawer, वे सब मैप को चेंज करना चाहते हैं। पहले जम्मू-कश्मीर में किया और जम्मू-कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया। अब दिल्ली में भी बदलाव लाना चाहते हैं। यह साइकोलॉजिकल डिजीज लोगों के मन में होता है कि Control freak. हम सब कुछ नियंत्रण करना चाहते हैं, सब अपने हाथ में चाहते हैं। आप दिल्ली को भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपको और कितनी पावर चाहिए? आप चार राज्यों में जीत गए।... (व्यवधान) हिन्दुस्तान में आपकी हुकूमत है तो दिल्ली को छोड़ देने से आपको क्या फर्क पड़ेगा?

HON. CHAIRPERSON: Kindly address the Chair.

प्रो. सौगत राय: सर, दिल्ली छोड़ने से क्या फर्क पड़ेगा? यह मुझे पता नहीं। यह जो बीमार है, इसका दूसरा भी एक नाम है, इसका नाम है– Gigantism. एक बहुत बड़ा कारपोरेशन बनेगा, उसमें 250 मैम्बर्स होंगे। सर, कोलकाता इतना बड़ा शहर है और वहां 144 काउंसलर्स हैं। हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। यहां माला राय हैं, वह कारपोरेशन की चेयरमैन थीं। आप 250 मैम्बर्स की कारपोरेशन बनाना चाहते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि you reach to the people, लोगों के पास पहुंचना है और आप बड़ा कर रहे हैं। यह बीमार है और इसका नाम है– Gigantism. आपको यह Gigantic चीज पसंद होती है।

सर, सुप्रिया सुले जी ने मेन्शन्ड किया। अमित शाह जी बोल रहे थे कि यहां राष्ट्रपति भवन है, प्रधान मंत्री जी का भवन है, पार्लियामेंट है, ये सब एनडीएमसी इलाके के अंदर है। एनडीएमसी आईएएस ऑफिसर के अंडर में होती है और वहां पूरी आप ही की पावर है। आपने एनडीएमसी पूरी ली और दिल्ली भी कब्जा करना चाहते हैं। क्यों? मुझे पता नहीं? हाँ, मुझे पता है कि यहां एनडीएमसी इलाके में मूल पावर सेंटर है, ईडी है, सीबीआई का हैडक्वाटर्स है। इसी को लेकर आप चलते हैं।... (व्यवधान) राज्यों पर हमला करते हैं, बंगाल में भी करते हैं, महाराष्ट्र में भी करते हैं। आप करिए।... (व्यवधान) सर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक महीने बाद दिल्ली में तीनों

कारपोरेशंस का चुनाव होने वाला था। इतनी जल्दीबाजी क्या थी। जिस दिन तीनों कारपोरेशंस की डेट का अनाउंसमेंट होना था, उस दिन आपने अनाउंस क्यों कर दिया? इसका जवाब क्या है?

सर, दिल्ली के सीएम ने बीजेपी को चैलेंज किया है। मैं तो उनकी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन उन्होंने बोला है कि आप चुनाव कराइये। चुनाव में मैं हार जाऊँगा तो मैं दिल्ली में भी हुकूमत छोड़ दूंगा। अमित शाह जी इतने ताकतवर आदमी हैं, इतने साहसी हैं, आपने उनके चैलेंज को क्यों नहीं ग्रहण किया? आप बोलिए कि ठीक है, केजरीवाल तुमको हम दिल्ली में हराएंगे। यह बोलने का साहस नहीं है। आप एक कानून लाए और फिर कब चुनाव होगा?

अमित शाह जी, इस हाउस में दिल्ली रोइट्स पर चर्चा की थी। आप उस दिन थे और मैं भी वक्ता था। आपने बोला कि दिल्ली रोइट्स में जो इनवॉल्व थे, उनको चुन-चुन कर मैं पनिशमेंट दूंगा। आज आप बताइये कि दिल्ली के रोइट्स में जो इनवॉल्व थे, कितने लोगों को आपने पनिशमेंट दिया? आप हमें यह बताइये। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली छोटी सी जगह है। दिल्ली विधान सभा में 70 मैम्बर्स हैं और आप कारपोरेशन 250 मैम्बर्स को लेकर बना रहे हैं। ये 250 लोग कहां पर बैठेंगे? दिल्ली म्युनिसिपैलिटी में इतनी बड़ी जगह नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस सवाल के बारे में सब लोगों ने पूछा कि अमित शाह जी दिल्ली असेम्बली में ट्राइफरकेशन का फैसला हुआ था।

आपने क्यों नहीं दिल्ली असेंबली में यह बिल भेजा कि तुम करो। लेकिन नहीं, आपने पार्लियामेंट में जो 349 'ए' में, 239 'ए' में जो पॉवर है, उसको ले कर चूंकि पार्लियामेंट में मेरे 303 नंबर्स हैं, तो इसको मैं पार्लियामेंट में पास करूंगा। मैंने जम्मू-कश्मीर को तोड़ दिया। हम दिल्ली में भी पूरी पॉवर अपने हाथ में लेंगे। … (व्यवधान)

सर, यह जो टेंडेंसी है, पूरी पॉवर हाथ में लेने की, इसका भी एक नाम है। यह कुछ लोग करते हैं, उसको कहते हैं – कंट्रोल फ्रीक, जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आज-कल इसका एक और नाम भी हो गया है, उसको कहते हैं पुतिनाइजेशन। पुतिन की तरह पूरी हुकूमत हाथ में ले लो। … (व्यवधान) अभी तक उतनी दूरी तक नहीं गया, लेकिन उसी

डायरेक्शन में आप लोग जा रहे हैं। एक सवाल कल सुप्रिया जी पूछ रही थीं कि हिडन एजेंडा क्या है, सरकार क्या चाहती है? इतनी हुकूमत, इतनी पॉवर के बाद और भी चाहते हैं। सब कुछ हाथ में लेना चाहते हैं। … (व्यवधान) सर, बस लास्ट पॉइंट कहना चाहता हूँ। … (व्यवधान) सर, आप तो अहमदाबाद के हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप जानते हैं कि अहमदाबाद का रिवर फ्रंट मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। वह देखने लायक है। दिल्ली में क्यों नहीं रिवर फ्रंट बनाया? … (व्यवधान) तीन कॉर्पोरेशन उनके अधीन है। … (व्यवधान) आप कभी दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ी कॉलोनी में गए हैं? आपने देखा है कि कैसा ओपन सीवर है? उसका इंप्रूवमेंट नहीं कर के कानून लाया गया है। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ। मैं तो कोलकाता से आता हूँ। मेरे शहर पर मुझे गर्व है। दिल्ली में सारे देश के लोग आते हैं। यहां कानून नहीं, हुकूमत नहीं, ताकत नहीं, पॉवर नहीं, कंट्रोल नहीं, बल्कि लोगों का इंप्रूवमेंट हो। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, हम एनडीएमसी इलाके में रहते हैं, लुटियन ज़ोन में आराम से रहते हैं। सर, जो बाहर रहते हैं, नर्क है। दिल्ली में जो झुग्गी-झोपड़ी, कॉलोनीज़ हैं, वे नर्क हैं। आप छोड़ देते केजरीवाल को, वह कर के दिखाए। उसने मोहल्ला क्लीनिक बनाया, स्कूल बनाए, अगर लोग नहीं चाहते तो उसको वोट नहीं देंगे। … (व्यवधान) लेकिन आप सारी चीज़ें अपने हाथ में लेना चाहते हैं। … (व्यवधान) सर, मैं तो जब तक इस हाऊस में हूँ, तब तक यह कंट्रोल लेने के हिडन एजेंडे का खुल कर, जम कर विरोध करता हूँ। … (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि यह बिल दिल्लीवासियों के लिए एक मानवता का उपहार है । इस बात को समझने के लिए जो-जो हमारे साथी यहां बोल रहे हैं, उनको वह दर्द देखना पड़ेगा, जब एक शिक्षक पढ़ाते-पढ़ाते महीने बाद वेतन के लिए धरने पर बैठता है । उसके अपने बच्चों के दूध पिलाने और उसकी शिक्षा के लिए भी समस्याएं आती हैं। इस बिल को समझने के लिए, उनको जा कर देखना होगा कि यहां जो सफाई कर्मचारी हैं, वे कैसे हर दो-तीन महीने बाद कूड़ा दिल्ली के मुख्य मंत्री के दरवाजे पर फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

सभापति महोदय, हमारे यहां बैठे वे साथी, जो दिल्ली की गलियों में एनडीएमसी से बाहर नहीं गए हैं, वे इस बिल के महत्व को नहीं समझ सकते हैं। मैं बड़ी विनम्रता से यह बोलना चाहता हूँ। तड़पते, कराहते, रोते, बिलखते जो हजारों कर्मचारी हैं, लगभग 1 लाख 20 हजार कर्मचारी हैं, वे कैसी स्थिति देख रहे हैं, इसको समझने के लिए मैं 2016 में दिल्ली की गलियों में, झोपड़पट्टी में 34 रातें गुज़ार कर उनकी समस्या को समझा हूँ। सभापति महोदय, 34 रातें उनके बीच रहा हूँ। आज हमारे गृह मंत्री जी यह बिल ले कर आए हैं। तब वे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनके एक इशारे से कि जाओ, झुग्गियों को समझो, हम लोग गए थे । सर, मैं गया था । वर्ष 2017 का चुनाव सामने था। वर्ष 2015 में यहां एक पार्टी 70 में से 67 सीटें ले कर आई थी। विधान सभा की 70 सीटों में से 67 सीटें ले कर आई थी।

जब हम दिल्ली की झोपड़-पट्टी में रहने वाले लोगों, यहां के कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, शिक्षकों, डॉक्टर्स के दर्द को समझने के लिए उनके पास बैठे, थोड़ा समय दिया तो उनकी एक ही मांग थी कि एमसीडी के वित्त को नियमित करवाइए, किसी भी तरह से इसके वित्त को डायरेक्ट करवाइए, इसके वित्त को ऐसा करवाइए कि हमें अपने बच्चों के दूध के लिए सड़कों पर न बैठना पड़े। उसके बाद जब वर्ष 2017 में हम मैनिफेस्टो बना रहे थे, तभी हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा

कि इसका वित्त डायरेक्ट हो, वित्त की समस्या न हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। वर्ष 2017 के हमारे मैनिफेस्टो का यह पहला बिन्दु था।

सभापति महोदय, आपको और पूरे सदन को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि दिल्ली की गलियों से जो आवाज निकली थी और जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा था, तो विधान सभा में 70 सीटों में से 67 सीटें लेकर जो सरकार आई थी, उसे इसी दिल्ली की एमसीडी की 272 सीटों में 67 पार्षद नहीं मिल पाए थे। उन्हें 272 में से 67 पार्षद भी नहीं मिले। इतना गुस्सा हो चुका था। लेकिन, यह जो 'गुस्सा' शब्द है, एमसीडी को अलग-अलग करके ये लोग इस 'गुस्से' का प्रयोग करते हैं। ये ऐसा चाहते हैं। हर विधान सभा चुनाव के ढाई साल के बाद एमसीडी का चुनाव होता है, तब तक दिल्ली सरकार से जनता को इतना गुस्सा आ चुका होता है कि वह बीजेपी को जिताती है। इन्हें पता है।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: बाद में फिर विधान सभा में उन्हें जिताती है।... (व्यवधान)

श्री मनोज तिवारी : जी हाँ, बिल्कुल।

सौगत दा, मैं आपकी ही बात पर आ रहा था। फिर ढाई सालों में ये एमसीडी की ऐसी स्थिति कर देते हैं, उसे पंगु बना देते हैं कि वही 'गुस्सा' बाद में उन्हें फायदा पहुँचाता है। यही तो मैं कहना चाहता हूं। उसी चीज को बदलने के लिए हम अपने गृह मंत्री जी का, गृह मंत्रालय का और नरेन्द्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, इसलिए यह मानवता का एक उपहार है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। आज दिल्ली की गलियों में खुशियां मनाई जा रही हैं। आज सफाई कर्मचारियों, शिक्षकों, डॉक्टर्स के घरों में होली-दीवाली जैसी स्थिति है। दिल्ली को यह उपहार केन्द्र सरकार ने कोई पहली बार नहीं दिया है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। इस बिल को समझने के लिए हमें दो-तीन प्वायंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है, अगर उसे पता चल जाए कि दिल्ली के कुछ लोगों को तिल-तिल तड़पाने से भी वह बीजेपी पर आरोप लगा सकती है तो दिल्ली प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, वह उन लोगों को

तिल-तिल तड़पाएगी। यह इतनी निष्ठुर हो चुकी है क्योंकि उसे एक ही बात का फायदा लेना है कि यह केन्द्रशासित प्रदेश है, हम केन्द्र पर आरोप लगाएंगे और बच जाएंगे।

सभापति महोदय, इस बिल को समझने के पहले यह याद रखना चाहिए कि यहां एक सड़क है, जिससे निकलकर लोग दिल्ली एनसीआर में जाते हैं, जिसे NH-24 कहते हैं। वहां दो-दो घंटे ट्रैफिक जाम में, धुँआ युक्त सड़कों पर जो लोग यात्रा करते थे, उन्हें ऐसा ही एक उपहार दिया गया था। उस दो घंटे की यात्रा को बीस मिनट की सुहानी यात्रा बना दी गई है, यह भी याद है, सबको पता है। हमारे सभी सांसदगण, हमारे साथीगण दिल्ली एयरपोर्ट से उतरकर यहां आते हैं तो उन्हें बीच में धौला कुआँ के पास जाम मिलता था। इस समस्या का निदान केन्द्र सरकार ने किया।

महोदय, यहां के 70 लाख लोग 'अन-ऑथोराइज्ड' का धब्बा अपने माथे पर लेकर जीते थे, जो लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं, वे शायद इसे नहीं समझ सकते हैं। उसका घर कब टूट जाए, कब उसे तोड़ने के लिए कोई मशीनरी आ जाए, कब दिल्ली सरकार जान-बूझकर किसी एसडीएम को लगाकर, किसी डीएम को लगाकर उसको तोड़ने का उपक्रम कर दे और उस समय वह गरीब व्यक्ति किसी तरह से, जो 25 गज या 50 गज का घर बनाता था, उसे लाखों रुपये देकर अपनी जान बचानी पड़ती थी। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि तब भी केन्द्र सरकार ने इस अन-ऑथोराइज्ड कॉलोनी का धब्बा दिल्ली के अन-ऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ में रहने वाले 70 लाख लोगों पर से हटा दिया। इस बात को इससे सम्बद्ध करके देखा जाना चाहिए। इसे मानवता का उपहार मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। ऐसा ही एक बिल यह भी है, जो अभी आया है।

महोदय, मैं बहुत विश्वास और विनम्रता के साथ आपको बताना चाहता हूं कि आज जब मैं संसद आने के लिए निकल रहा था तो मेरे पास सफाई कर्मचारियों के एसोसिएशन्स के लोग आए और वे कह रहे थे कि हमें एच.एम. साहब से समय दिलवा दीजिए, हम 40,000 लोग उनका सम्मान करना चाहते हैं। यह दिल्ली की गलियों की आवाज है।… (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि शायद माननीय सदस्य उस दर्द को समझ नहीं सकते हैं। इसमें इनका दोष नहीं है। चूंकि ये लोग उसको समझ ही नहीं सकते हैं। उसको समझने के लिए इनको दिल्ली में जाना पड़ेगा। आप कल्पना कर लीजिए कि हम कोई अच्छा काम करते हैं, अभी हम केवल एक बिंदु के बारे में बताएंगे। मैं ज्यादा देर तक नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात दो-तीन मिनट में ही खत्म करूँगा। वर्ष 2012 में साजिश हुई थी। उस समय एक एमसीडी को केवल तीन भाग नहीं किया गया था, बल्कि यह बड़ी साजिश थी। उस साजिश के तहत भी हम लोगों ने दस साल तक देख लिया। इतनी साजिश करने के बावजूद भी वे एमसीडी में नहीं आए। कई साथियों ने कहा कि डर गए, भाग गए, यहाँ गए, वहाँ गए। जब से केन्द्र में बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली में छह चुनाव हुए हैं और इन छह में चार चुनाव बीजेपी जीती है। हमें किस बात का डर है? अगला चुनाव जब भी होगा, आप विश्वास कर लीजिए, उनकी नीतियों से दिल्ली त्रस्त हो चुकी है। मैं उसका एक-दो एग्जाम्प्ल देना चाहूँगा। वैसे प्रवेश जी और रमेश जी ने जितनी बातें कही हैं, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जिनको हमें कहना था, वे अब आ चुकी हैं। उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या किया? अभी हमारे कई साथी बोल रहे थे कि पानी की लॉगिंग कैसे दूर करेंगे। अभी सौगत दादा बोल रहे थे कि सीवर का काम क्यों नहीं किया, कोई कह रहा था कि पॉल्यूशन ठीक नहीं किया गया। ये सब दिल्ली सरकार के विषय हैं।… (व्यवधान)

सौगत दादा, मैं यही बोलता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, झोपड़ियों में थोड़ा समय रहिए, आपका मन बदल जाएगा और आप इस बिल को लाने के लिए गृह मंत्री जी की तारीफ करेंगे। ये सारे विभाग दिल्ली सरकार के पास हैं। हेल्थ उनके पास है।… (व्यवधान) मैं निश्चित रूप से उनको ले जाऊंगा। मैं आपको इतना जरूर बताना चाहता हूँ।… (व्यवधान)

महोदय, जैसा कि प्रवेश जी ने कहा, मैं उसके बारे में भी बताता हूँ कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ का निस्तारण कब होगा? निस्तारण अब होगा। जब यह बिल पास होगा। उसी निस्तारण के लिए यह बिल आया हुआ है। अभी भी 13,000 करोड़ रुपये बकाया है। अभी अरविंद सावंत जी बोल रहे थे। उनके यहाँ बीएमसी का 46,000 करोड़ रुपये का बजट है। हमें 6000 करोड़ रुपये बताया गया, लेकिन वह भी नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति के बावजूद भी कई लोग कहते हैं कि प्रशासक लगा दिया। आज भी महाराष्ट्र में कई जगह प्रशासक लगे हुए हैं। कहाँ-कहाँ बताया जाए, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। हमारे गृह मंत्री जी आपको बताएंगे। लेकिन, मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि इतने विरोध के बावजूद भी आप देखिए कि हम क्या-क्या कर रहे हैं। हम घर-घर से कूड़ा उठा रहे हैं। दिल्ली में जहाँ कूड़ा फेका जाता था, हमने केन्द्र से पैसा लेकर वहाँ कम्पैक्टर मशीनें लगाई। आज दिल्ली ढलाव-घर मुक्त हो रही है। आपको सड़कों पर अक्सर कूड़ा नहीं दिखेगा। ऐसा काम करके हमने दिखाया है। हम लोग 47 नवनिर्मित विद्यालय बना चुके हैं, बाकी नवनिर्माण में हैं। हम पाँच सौ वर्ग मीटर प्लॉट्स के लिए ऑनलाइन स्वीकृति दे रहे हैं।

हम महिलाओं के लिए विभिन्न मार्केट में पिंक ट्वायलेट्स बना रहे हैं, ट्वायलेट ब्लॉक्स बना रहे हैं। अगर हमारे गृह मंत्री जी ने शिलान्यास व उद्घाटन किया, हमारे साथी भारत वंदना पार्क जाएं तो उनको दिल्ली के इस केन्द्र सरकार और एमसीडी पर गर्व होगा। दिल्ली में भारत वंदना पार्क बना है। यह ऐसा पार्क है, जहां आप सब को जाना चाहिए। हम ऐसा ही पूरी दिल्ली क्यों नहीं बना सकते हैं? किसी साथी ने कहा कि एनडीएमसी तो है, बड़ा अच्छा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पूरी दिल्ली अच्छी क्यों नहीं होनी चाहिए? पूरी दिल्ली सुंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे गृह मंत्री शुरू से कह रहे हैं कि यहाँ दुनिया आती है, देश की राजधानी है, देश का फेस है। देश का फेस क्यों खराब होना चाहिए? अगर यह चिंता हुई है तो मैं समझता हूँ कि यह दिल्ली के लिए मानवता का उपहार है। वरना दिल्ली में क्या है? यहाँ यमुना जी भी इतनी गंदी हो चुकी है। 1700 किलोमीटर बहने वाली यमुना जी दिल्ली के सिर्फ 42 किलोमीटर ही क्यों गंदी है?

महोदय, पीछे छठ पर्व आया था । एडवरटाइजमेंट से सारा छिपाकर रखा था । छठ में जाकर एक बहन नहाने लगी, सारी मीडिया टूटकर पड़ गई । आपने भी देखा होगा । दानिश भाई, कभी अमोनिया, फास्फोरस की बात करिए । इसकी चिंता करने की जरूरत है । अरविंद सावंत जी ने कहा था कि यह राजनीतिक है या सामाजिक है । सर, यह सामाजिक ही नहीं, यह सामाजिक के चरम उत्कर्ष पर आया हुआ बिल है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है । दिल्लीवासियों की समस्याओं का निराकरण होना चाहिए ।

पॉल्यूशन में नंबर वन दिल्ली, गंदे पानी में नंबर वन दिल्ली । पांच साल से दिल्ली में पेंशन बंद हो गई है । आपको कैसा लगेगा, अगर आपके क्षेत्र में किसी भी स्टेट के लोग हैं और उनकी पेंशन बंद हो जाए? यहां पांच साल से पेंशन बंद है । कोविड आया, तो प्रधान मंत्री जी ने फ्री राशन भेजा । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां सात सालों से नया राशन कार्ड नहीं बना है । गरीबों को राशन नहीं गया, स्कूल्स में रखा-रखा सड़ गया । क्या ऐसी सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?

सर, केंद्र सरकार बहुत दयालु है । केंद्र सरकार बहुत ही संभालकर चल रही है । यह सबका साथ, सबका विकास को मानती है, वरना जो कृत्य दिल्ली में प्रदेश की सरकार ने किया है, उसके लिए तो उसको सजा होनी चाहिए । … (व्यवधान) तो दे दीजिए न, कौन बोला है कि मत दीजिए, किसने रोका है? अपना राशन खरीदो, दे दो । हम जो राशन देना चाहते हैं, उसको कई बार रोकने की कोशिश करते हैं । मेरे भाई, बहन, हमें विषय से भटकना नहीं चाहिए । यहां कई बातें आ गई हैं । हमारे एमसीडी के लोग कोविड काल में जाकर लोगों को दवाइयां बांटते थे और कठिन समय में लोगों को संभालते थे । ऐसे समय में जिनकी मौत हो गई, उसे घोषित करने के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने मुआवजा नहीं दिया । इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है ।

अभी हमारे साथी बोल रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ कि निश्चित रूप से मानव का जन्म लेते ही पहला काम निगम से पड़ता है। हर काम की निगम से शुरूआत होती है और निगम, जैसा गाँधी जी ने सोचा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सोचा कि सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक जो संस्था सेवा कर रही है, आप उसी संस्था को कमजोर बनाना चाहते हैं।

आप उसी संस्था को बुलडोज करना चाहते हैं। हम तब आपके समक्ष इस बात को कह सकते हैं कि हमारी इस दिल्ली में इस समय इस बिल की बहुत आवश्यकता थी। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहले भी वादा किया था कि दिल्ली के दुखों को दूर करेंगे। गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह बिल दुखों को दूर करने वाला बिल है। मैं समझता हूँ कि इससे अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी, निगम अपनी कार्य योजना के फैसले स्वयं ले सकेगा, उनके क्रियान्वयन का रास्ता साफ होगा, दिल्ली को मजबूत निगम की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, निगम के लाखों कर्मचारियों को वर्तमान अराजक शासन से मुक्ति मिलेगी और दिल्ली के लोगों को पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त और विकास कार्यों को मजबूत करने वाली निगम की सेवाएं मिल जाएंगी, वर्षों से लंबित योजनाओं को गति मिलेगी और निगम कर्मचारियों को महीनों तक अपने वेतन के लिए किसी सीएम के दरवाजे पर घुटने टेकने नहीं पड़ेंगे।

महोदय, यहां के तीन मेयर 15 दिन तक कड़ाके की ठंड में दिल्ली के मुख्य मंत्री के दरवाजे पर बैठे रहे और वे वहां से निकलकर उनसे बात करने के लिए दस कदम नहीं आ सके। निगम के साथ जो भेदभाव यहां हुआ है, वैसा देश में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। लाखों कर्मचारियों, दिल्ली के निवासियों की तरफ से बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था एवं मजबूत नगर निगम देने वाले इस बिल का समर्थन करते हुए, मैं माननीय नरेन्द्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। शत्-शत् नमन।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I rise to strongly oppose the legislative document under the title, The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022.

The crux of this legislative document clearly indicates that this Government has been hell-bent upon encroaching the jurisdiction of the State, while undermining the cooperative federalism. There is no denying this fact. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय की कमी है, इसकी मुझे जानकारी है।

श्री अमित शाह: अधीर जी, समय की कमी नहीं है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सभापति महोदय, मंत्री जी ने कह दिया है कि समय की कमी नहीं है। वर्ष 1989 में बालाकृष्णन कमेटी और 2001 में वीरेन्द्र प्रकाश कमेटी की सिफारिश क्या थी? इनकी सिफारिश थी कि इसको bifurcation, trifurcation किया जाए, टाइफर्केशन का मतलब तीन नहीं, उसके अलावा भी एक कैन्टोनमेंट है और नई दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन है। यह आज की नहीं बल्कि वर्ष 1989 और 2001 में दो कमेटियों की सिफारिश थी। आज आप घूमा-फिराकर फिर रि-यूनिफिकेशन की बात करते हैं।

दुनिया में हर चीज का टाइम और डायमेन्शन होता है। टाइम और स्पेस डायमेन्शन यह बताता है कि आपके इस निर्णय के पीछे एक राज छुपा हुआ है। यह राज यह है कि आप नहीं चाहते कि पांच राज्यों में चुनाव नतीजे निकलने के बाद दिल्ली में चुनाव हो और बीजेपी के मुंह में चूना लग जाए, यह आपकी मंशा नहीं है, यह मुझे पता है। कभी हिन्दुस्तान में ऐसा हुआ? मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कहीं ऐसा हुआ कि स्टेट इलेक्शन कमिशन प्रेस कान्फ्रेस बुलाकर चुनाव का ऐलान करने जा रहा है और एक घंटा पहले गृह मंत्रालय से फोन आता है कि चुनाव को स्थगित किया जाए क्योंकि हमें दिल्ली म्युनिसिफल कॉरपोरेशन का रि-यूनिफिकेशन करना है, तीन म्यूनिसिफल कॉरपोरेशन का मर्जर करना है।

ऐसा हिन्दुस्तान न कहीं हुआ है और न कभी होगा। मैं अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि कम से कम राम नाम की शपथ लेकर कहिए कि आपकी नीयत और ईमान साफ है। सब जानते हैं, इसमें कोई राज नहीं है, इसमें कुछ छुपा नहीं है। आपकी हालत दिल्ली में ठीक नहीं है, आपके खिलाफ दिल्ली में एंटी-इन्कम्बेंसी बढ़ रहा है, इसलिए आपने यह रास्ता अपनाया है।

ऐसे ही करते-करते इसी सदन में कभी जम्मू-कश्मीर में 370 को खारिज करते हुए यहां वायदा किया था कि मैं अभी स्टेट को भंग करके यूनियन टेरिटरी बना रहा हूं, कुछ ही महीनों के अंदर वहां चुनाव होगा, डी-लिमिटेशन होगा, लेकिन यह कभी नहीं होगा।

आपने इसी सदन में जुबान दिया था। फिर यहां आकर दोबारा कहने लगे हैं कि हां यहां चुनाव होगा, कोई चिंता नहीं। वर्ष 2017 में जब चुनाव हुआ था, उसके पहले डी-लिमिटेशन हुआ था, उसमें 17 महीने लगे थे, आप इसे खुद देखिए। इस बार फिर आप चुनाव कराने की बात कहें तो इसका सेंसस किस आधार पर होगा। सेंसस 2023 के आधार पर होगा या जो है उसी के आधार पर होगा।

<u>18.54 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

अध्यक्ष महोदय, दोबारा चुनाव कराने में कितना समय लगेगा क्योंकि वर्ष 2017 में डी-लिमिटेशन में सिर्फ 18 महीने गुजर गए थे, इस बार कितने महीने की आपको जरूरत होगी। यह जानना जरूरी है क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपकी कथनी और करनी में अंतर हम दिन-रात देख रहे हैं। इसलिए हमें भरोसा एकदम कम है, न के बराबर है। With the removal of the word 'Government' from Section 3A -- which refers to division of Delhi into zones -- of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, the Centre unilaterally can alter, increase, or diminish any area or zone. इसलिए मैं कहता हूं कि आप सदन में स्पष्टीकरण दें कि आपकी मंशा क्या है। … (व्यवधान)

19.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: आप खत्म करें और दो मिनट बिट्टू जी को दे दें।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, आप मुझे दो मिनट दें। अमित शाह जी ने खुद कहा है जितने समय की जरूरत है, कहते रहिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: गृह मंत्री जी हमेशा कहते हैं कि खूब बोलो।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, कानून की बात यह है कि एक कार्पोरेशन रहता है तो कार्पोरेशन का टेन्योर होता है, मियाद होती है, उसे खत्म करने के बाद चुनाव कराना मेंडेटरी है। इसका मतलब यह है कि कार्पोरेशन का विलय कर रहे हैं, विलय करने के बदले स्टेट इलैक्शन कमीशन को चुनाव कराना जरूरी था। लेकिन स्टेट इलैक्शन कमीशन आपकी अंगुली के इशारे पर चलते हैं, इसलिए आप जो कहते हैं वही इलैक्शन कमीशन करते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। यह मेंडेटरी है। Article 243U of the Constitution mandates that the election to constitute a municipality shall be completed before the expiry of the duration of the existing municipality. This is a mandatory provision which needs to be complied with by the Election Commission under all circumstances. मैं नहीं, इलैक्शन कमीशन का कानून है। The Delhi Municipal Corporation (DMC) Act, 1957, was passed by Parliament. Before that the municipal affairs of Delhi were run by a multiplicity of agencies leading to problems. This Act created a unified body called DMC. In 2011, the corporation was trifurcated.

This was done by amending the Act in the legislative assembly of Delhi and not Parliament, though the trifurcation was preceded by public debate and citizen demands. आपने कभी किया है? यह बताना जरूरी है, आर्टिकल 246 के बारे में किसी

ने नहीं कहा । Article 246(4) of the Constitution empowers Parliament to legislate for a Union Territory(UT) on a matter which is in the State List. Delhi, as a part C State, had an assembly and a CM (Chaudhary Brahm Prakash) from 1951 to 1956. Thereafter, Delhi became a UT and the Assembly was abolished. It was brought back only in 1992. So, the Parliament was the sole legislative body for Delhi in 1957, when the DMC Act was enacted.

यहां सैक्रेट्री जनरल पी.डी.टी आचार्य जी बैठते थे।

श्री अमित शाह : आप अभी जो अंतिम वाक्य बोले हैं, एक बार फिर से पढ़ दीजिए। … (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Parliament has the general power to legislate on a matter in the State List for a UT under Article 246(4). But this is a general provision. After the enactment of Parts 9 and 9A in the Constitution, the position has changed. This is made clear by Article 243ZB which says, "The provisions of this part shall apply to the Union Territories…". The only caveat is that the President can, through a public notification issued under this Article, make modifications or exceptions in the provisions contained in Part 9A. As far as is known, the President has not made any such modifications or exceptions in those provisions with respect to their application to the Municipal Corporations of Delhi. Thus, Part 9A is, in its entirety, applicable to these Corporations and only the Delhi assembly has the power to legislate on all matters, including the reconstitution or reunification of the Municipal Corporations of Delhi.

An important point to note here is that the provisions contained in Part 9A are special in nature whereas Article 246, which empowers Parliament to legislate for a UT, is a general provision.

One of the rules of interpretation of statutes is that special provisions prevail over general provisions. Therefore, it is a State Legislature, which is constitutionally mandated to legislate on the reorganisation of municipal corporations. आपके लीगल एडवाइज़र हैं, उनसे पूछ लीजिए। आप अपने लीगल एडवाइजर से पूछ लीजिए। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। सरकार की जो मंशा और इरादा है, उसमें खोट है। यह बताते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : यदि सभा की सहमति हो तो इस विधेयक के पारित होने तक सभा का समय बढ़ाया जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी सर, हम सहमत हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री रवनीत सिंह जी। केवल दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज यहां एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो पंजाब में जीती है, कई लोगों ने उसके बारे में बड़ी-बड़ी बातें की हैं। मैं उस पर बाद में आऊंगा।

सर, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से एक गुजारिश करना चाहता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति एमपी, चीफ मिनिस्टर या मेयर है, यदि वह पांच साल के लिए रहता है तो उसे पता होता है कि पांच साल तक मेरी टर्म है, तब वह कुछ कर पाता है। यहां पर एक-एक साल में, कोई रिजर्व सीट है या कोई लेडीज है तो उसको पता होता है कि उसका टर्म पांच साल के बाद चेंज हो जाएगा। मेयर को पता होता है कि अगर मैं कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं, लेकिन एक साल के बाद मेयर नहीं रहूंगा, तो उसके कारण वह कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाता है। कोई ऑफिसर है, जिसको पता है कि आज एक दिन खत्म हो गया और अगले साल के लिए थोड़े दिन रह गये हैं, तो कार्पोरेशन के फेल होने का यह भी एक बड़ा कारण है। आप इसको पार्टी को दे दीजिए। अगर, आपको लेडीज के लिए 50 परसेंट रिजर्वेशन रखनी है तो पार्टी अपने कैंडिडेट्स को टिकट उसी तरीके से दे। यदि कोई रिजर्व सीट है और उसे पता है कि पांच साल बाद यह जनरल सीट हो जाएगी, तो उसे लगता है कि मुझे यह सीट छोड़नी है और दूसरी जगह जाना है। इसका मेन असर लोगों पर पड़ता है।

दूसरा, यहां आम आदमी पार्टी के मॉडल की बात की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई भी हो, आज हमारे अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, ये चीजें उनके अंडर आती हैं। दिल्ली में यह दया-दृष्टि केंद्र की है। यहां पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, वे केंद्र से फंडेड हैं। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, वे भी केंद्र से फंडेड हैं। राज्य सभा में आम आदमी पार्टी के नए एमपीज आए हैं। यहां मान साहब थे, जो अब हमारे सीएम हैं। अगर, इनके स्कूलों का मॉडल इतना अच्छा है, तो केंद्रीय विद्यालय के लिए जो दस कूपन मिलते हैं, उसको लेकर क्यों घूमते हैं? अगर दिल्ली के स्कूलों का मॉडल अच्छा होता तो सेन्ट्रल स्कूल की बात क्यों करते हैं? सेन्ट्रल स्कूल दिल्ली में और देश में सबसे अच्छे हैं। हम कांग्रेस वाले वहां पर लड़े, यह हमारा कसूर है। आम आदमी पार्टी कहीं भी

लोगों की पसंद नहीं थी। अभी कहा गया कि हम इलेक्शन से डर गए। अगर, ऐसी बात थी तो पंजाब में इलेक्शन क्यों हुए?... (व्यवधान) अगर, यह बात थी तो पंजाब में भी इलेक्शन कैंसिल हो जाते। इसलिए, लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, आज उनका टाइम आया है, लेकिन आप छः महीने बाद देख लीजिएगा।

सर, दिल्ली में न एग्रीकल्चर महकमा है और न इरीगेशन महकमा है। क्या दिल्ली में किसी किसान की बिजली फ्री है? पंजाब में हमने किसाना को फ्री में बिजली दी थी। अगर, यहां भी एग्रीकल्चर और इरीगेशन हो, तब पता चलेगा। यहां तो हर चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड प्राप्त करके मॉडल दिल्ली बनाना है।

मीडिया पर 550 करोड़ रुपये खर्च करके केजरीवाल ने अपनी फोटो सारे पंजाब में लगाकर रखी है। ... (व्यवधान) मैं माननीय गृह मंत्री से मांग करता हूं कि पंजाब में जो पैसा मिसयूज हुआ है, उसकी एन्क्वॉयरी होनी चाहिए।

अब पंजाब का पैसा गुजरात में मिसयूज होगा। वहां पर इनका गुजरात का जो इन्चार्ज है, अब उसको पंजाब का इन्चार्ज बना दिया गया है। वहां बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के जो पैसे हैं, उसको गुजरात में शिफ्ट करेंगे। इस चीज की एन्क्वॉयरी भी होम मिनिस्ट्री करे और मॉडल की बातों को छोड़ दें।

माननीय अध्यक्ष : निशिकांत दुबे जी दो-तीन मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिएगा।

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, मैं पांच-सात मिनट बोलूंगा।

प्रो. सौगत राय : सर, आपने जान-बूझ कर बिट्टू जी को बोलने के लिए कहा।

माननीय अध्यक्ष : मैंने जान-बूझकर नहीं कहा।

प्रो. सौगत राय: आप चाहते थे कि 'आप' के खिलाफ कोई बोले।

माननीय अध्यक्ष : इसका मतलब आप यह मानते हैं कि मैं किसी भी सदस्य से कुछ भी बुलवा सकता हूं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरे लिए तो सब बराबर और समान हैं।

डॉ. निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदय, सरदार पटेल जी के बाद जिन्होंने अपनी मजबूती दिखाई और मैं इस देश के एक मजबूत गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में लाए गए दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीति भी है, नीयत भी है और ऐसा नेतृत्व है, जिसके कारण मैंने पूरे अपोजीशन को डरते हुए देखा है।...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : कोई नहीं डरता है। हम नहीं डरते हैं। हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। कोई नहीं डरता है।...(व्यवधान) कौन डरता है?

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, इस देश में भूलने की बीमारी है।...(व्यवधान) आप ये समझिए कि मैंने लगातार अपोजीशन के सारे नेताओं को...(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : जो चोर होगा, वह डरेगा।...(व्यवधान) हम किसान के बेटे हैं, हम नहीं डरते हैं।...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, इस देश में लगातार हुआ कि हम चुनाव से डर रहे हैं, चुनाव से डर रहे हैं। अभी बिट्टू जी आम आदमी पार्टी के बारे बता रहे थे। मैं लगातार कह रहा हूं कि हम किससे डर रहे हैं? आप डर रहे होंगे। आपको वह नेता अच्छा लगता होगा, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के साथ जो लोग हैं, उनका हमेशा से इतिहास रहा है, जिसके बारे में बिट्टू जी बता रहे थे कि जो देश तोड़ने वाले तत्व हैं, जिनको इस देश की डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है, जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग हैं, आपने उनके साथ समय-समय पर समझौता किया है। यही देश का इतिहास है, यही कांग्रेस और कांग्रेस की समर्थित पार्टियों का इतिहास है।…(व्यवधान) महोदय, मैं आपको बताऊं कि जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए।

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। मैं क्यों लडूंगा? मैं क्यों डरूंगा? जिस पार्टी को पाइंट 38 प्रतिशत वोट मिलता है, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई करना चाहेगी या उससे डर जाएगी? जिस दिन चुनाव होगा, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है, लड़ाने को तैयार है, हम एमसीडी नहीं, बल्कि पूरी लोक सभा भी जीतकर आएंगे, लेकिन भूलने की बीमारी है।

महोदय, मैं आपको बताऊं कि मैं जिस राज्य से आता हूं, मैं जो बात कहना चाहता हूं, मैं झारखंड राज्य से आता हूं। एमसीडी का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी डर गई, चुनाव नहीं हो रहा है। मैं देवघर से आता हूं, वहां डेढ़ साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं हो रहा है। वहां का सीईओ उसको चला रहा है। आप मुझे अपनी नीति दिखाते हैं, आप स्थिति दिखाते हैं, आप म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं, आप रिजर्वेशन की बात करते हैं।

महोदय, यहां जम्मू-कश्मीर पर बहुत बात हुई है। आप कहते हैं कि संविधान एकदम खतरे में आ गया है। ठीक है, संविधान खतरे में आ गया। जब जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था, तब आपको शेड्यूल कास्ट याद नहीं आ रहा था? शेड्यूल ट्राइब याद नहीं आ रहा था? ओबीसी याद नहीं आ रहा था? वहां के लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होना था, वह याद नहीं आ रहा था?

जब माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हमने आर्टिकल 370 को खत्म किया, तो एससी को भी रिजर्वेशन, एसटी को भी रिजर्वेशन, ओबीसी को भी रिजर्वेशन और लोकल बॉडी का भी इलेक्शन हुआ।

आपने कहा कि राज्यपाल ऐसा कर रहा है, राज्यपाल वैसा कर रहा है । यहां पर जगदम्बिका पाल जी बैठे हुए हैं, वे हमारी पार्टी के सांसद हैं । आप ही बताइए कि ये किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनाए गए थे । इनको किस तरह से गुमराह करके कांग्रेस पार्टी और रोमेश भंडारी ने मुख्यमंत्री बनाया था। आप वह इतिहास भूल गए? आपने एन. टी. रामा राव को किस ढंग से हटाया था, वह नाम भूल गए। आपने गुलाम शाह को कश्मीर में किस तरह से मुख्यमंत्री बनाया, वह इतिहास भूल गए। रातों-रात हरियाणा के राज्यपाल जी. डी. तपासे ने भजन लाल जी के साथ पूरी की पूरी पार्टी एक साथ एकत्रित कर दी, आप वह इतिहास भूल गए। 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, आप उसकी बात करने आए हैं। आप क्या बात करना चाहते हैं?

कुंवर दानिश अली : आप राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोल रहे हैं या दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक पर बोल रहे हैं?…(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : मैं दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पर ही बोल रहा हूं। आप लोगों ने ये बातें कही हैं, आप लोगों ने कहने को मजबूर किया। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम इस देश की बात करते हैं। हम नेतृत्व की बात करते हैं। आज इस देश का जो माहौल है, इन लोगों ने दिल्ली में कुछ नहीं देखा है।

मैं एक ऐसा लड़का हूं, जो कि टैगोर गार्डन में रहा, हकीकत नगर में रहा, दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा, महिपालपुर में रहा, सैनिक फॉर्म जैसी एक अनाधिकृत कॉलोनी में भी रहा हूं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की कृपा से लुटियंस दिल्ली में रह रहा हूं। कभी आपने देखा है कि हकीकत नगर की स्थिति क्या है? वसुंधरा इन्क्लेव की स्थिति क्या है? सैनिक फॉर्म की स्थिति क्या है? आप लोगों ने देखा है, बिजली नहीं आती है, सड़क नहीं है, सीवर नहीं है।…(व्यवधान) आपने अल्ट्रा लेफ्टिस्ट पार्टी के नाम पर एक नोशन क्रिएट किया हुआ है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी से भी नहीं डरती है, किसी की परवाह नहीं करती है। आपने गवर्नर के आधार पर हमारी सरकार को बर्खास्त किया था। आपने कल्याण सिंह जी को बर्खास्त किया, आपने शांता कुमार जी को बर्खास्त किया, आपने भैरोंसिंह शेखावत जी को बर्खास्त किया, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी ने, जिस तरह से आपने बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं को चुन-चुनकर मारा है।...(व्यवधान)

एक बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन होने के कारण सन् 1992 में कल्याण सिंह जी की सरकार बर्खास्त होती है। हमारे तो कार्यकर्ता मरे थे, लेकिन आपने महिलाओं का रेप किया, बच्चों की हत्या की।... (व्यवधान) आज रामपुरहाट में लोगों को जला दिया, उसके बाद भी हमने ना तो धारा 355 लगाई और ना ही 356 लगाई।... (व्यवधान) आज आपको जगदीप धनखड़ खराब लगते हैं। भगत सिंह कोश्यारी खराब लगते हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि यह सरकार एक अच्छा बिल लेकर आई है और मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कभी भी 0.3 परसेंट वोट लेकर आने वाली आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा मत कीजिए। मैं आपको भी आगाह करना चाहता हूँ कि आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास कीजिए। किसी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट का साथ मत दीजिए। उसके आधार पर नोशन मत बनाइए। आप इस बिल का साथ दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है कि आपको समस्या है।

माननीय गृह मंत्री जी।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज विषय पर और विषयांतर पर, यानी दोनों प्रकार की चर्चाएं हुई हैं। खैर, मेरा दायित्व है कि मैं बिल को पाइलट कर रहा हूँ तो विषय का भी जवाब देना पड़ेगा और जिन्होंने विषयांतर किया है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, अगर चर्चा विषय पर होती तो मेरा जवाब भी विषय पर सटीक तरीके से विषय के दायरे में ही रहता, मगर यह सदन देश की सबसे बड़ी पंचायत है और 130 करोड़ की आबादी इस सदन की चर्चा को देखती है। चूँकि बिल पर बोलने में दायरा थोड़ा विस्तृत होता है। लोक सभा की कार्यवाही के नियम बिल पर बोलने में थोड़े लचीले होते हैं। इसका उपयोग करके बहुत सारे सदस्यों ने ढेर सारी बातें कहीं हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सबको सभी तरह की बात करने का अधिकार है। मेरी एक ही विनती है कि मेरी बात को भी जरा ध्यान से सुना जाए।… (व्यवधान) दादा, अभी शुरू नहीं हुआ हूँ। आप ध्यान से सुन लीजिएगा। पक्ष और विपक्ष के 20 सदस्यों ने आज की चर्चा में हिस्सा लिया है। सभी ने अपनी-अपनी दृष्टि से बिल पर अपने विचार रखे हैं। मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस बिल को इतना ध्यान से पढ़ा और इसकी गहराइयों में जाने का भी प्रयास किया और इसके साथ जुड़े हुए राजनीतिक पहलुओं को भी सोचा। आपने अपने-अपने दृष्टिकोण और सोच से यहां पर विषय रखने का प्रयास किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले संघीय ढाँचे पर अतिक्रमण का एक बहुत बड़ा विषय आया। दूसरा, यह विषय आया कि हम राज्यों के अधिकार छीन रहे हैं। मनीष भाई भी बोले, कांग्रेस के नेता भी बोले और दादा भी बोले। इस तरह से कई सदस्यों ने बोला। मैं सबसे पहले इस सदन के सामने इस विषय को स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं यह जो विधेयक लेकर आया हूँ, वह संविधान के अनुच्छेद 239AA के प्रदत्त संसद की शक्तियों के अनुरूप लेकर आया हूँ। अगर किसी को जानना है तो मैं पढ़ भी सकता हूँ और मैं संविधान को भी लेकर आया हूँ, क्योंकि इस बिल को पुर:स्थापित करते समय भी ये मुद्दे उठाए गए थे और उन मुद्दों का जवाब भी दिया गया था, लेकिन आज फिर से ये मुद्दे उठाए गए हैं। अनुच्छेद 239AA (3) (b) के अनुसार संसद को दिल्ली संघ

राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में तथा उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यहां एक अलग प्रकार से अधिकार के बारे में बात की गई। मैंने इसलिए इस शब्द पर जोर दिया है। अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं फिर बोलता हूँ, दिल्ली एक संघ राज्य है। मैं ऐसा विधेयक महाराष्ट्र में नहीं ला सकता। मैं ऐसा विधेयक गुजरात या बंगाल में नहीं ला सकता। न ही केन्द्र सरकार ला सकती है। मगर राज्य और संघ-राज्य का अगर अंतर मालूम नहीं है तो मुझे लगता है कि ध्यान से संविधान को पढ़ना चाहिए। मैं अभी जो विधेयक लेकर आया हूं, वह संघ-राज्य से संबंधित है। बार-बार राज्यों के अधिकार, अनुच्छेद 246 आदि सारी चीजों का उपयोग करके आप किसको गुमराह करना चाहते हैं?

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह विधेयक हम बिल्कुल संविधान प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप लाए हैं और यह पूर्णतया संवैधानिक विधेयक है। दिल्ली एक संघ-राज्य है और संघ-राज्य की किसी भी बात पर, दिल्ली संघ-राज्य की किसी भी बात पर लेजिस्लेशन लाने का भारत सरकार का अधिकार है। हमने इस अधिकार का उपयोग क्यों किया, इस पर भी सवाल उठाए गए, जिनका जवाब मैं बाद में दूंगा। मैं थोड़ा आगे की बात कहता हूं। एक बात कही गई कि वर्ष 2011 में यह संशोधन विधेयक दिल्ली सरकार में पारित किया गया था, अब आप यहां इसे कैसे अमेंड कर सकते हैं या कैसे बदल सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239एए(3)(सी) के तहत इस देश की संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने का, उसका स्वरूप बदलने का या उसको निरस्त करने का अबाधित अधिकार है। जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह हमारे समय में नहीं हुआ है। अधीर रंजन जी भी सुन लें, यह हमारे समय में नहीं हुआ है। यह प्रॉविजन संविधान के अंदर आलरेडी है। संविधान को अगर मेरे जैसे सादे चश्मे से देखोगे तो दिखाई पड़ता होगा, राजनीतिक चश्मों से देखोगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। चश्मे साफ करने का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी । बाकी बहुत स्पष्ट लिखा है और सब भाषाओं में है। जो हिन्दी पढ़ते हैं, उनके लिए

हिन्दी में है, जो बंगाली पढ़ते हैं, उनके लिए बंगाली में है, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनके लिए अंग्रेजी में है, जो मराठी में पढ़ते हैं, उनके लिए मराठी में लिखा है। सब भाषाओं में है।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : गुजराती में भी है।

श्री अमित शाह: हाँ, गुजराती में भी है। मैं उसी से पढ़कर आया हूं। आप भी पढ़कर आइए, इतना ही कहता हूं।

मान्यवर, अनुच्छेद 246आर का जो उल्लेख किया गया, वह निर्वाचन की विधा के संबंध में है। इस बिल में, जिसने ध्यान से देखा होगा, उसको मालूम होगा, कि निर्वाचन की प्रक्रिया के साथ हमने कोई छेड़खानी नहीं की है। उलटा यह सुझाव आया कि डायरेक्ट चुनाव कर लेते। अरे भाई, हम नहीं कर सकते। संविधान हमें ऐसा करने की परमीशन नहीं देता है।

माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत बड़ी भ्रान्ति फैलाने का जो प्रयास हो रहा है, मैं उसको सिरे से खारिज करता हूं। यह पूर्णतया संविधान प्रदत्त शक्तियों से लाया गया विधेयक है। इसमें संघ-राज्य की शक्तियों पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है और न हम करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा, मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। एक जस्टिफिकेशन दिया गया कि राज्य इसे करे। संविधान के अनुच्छेद 239एए(3)(सी) के पहले परन्तुक के आधार पर डीएमसी अधिनियम, 1957 में संशोधन करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित किया जाएगा। अगर दिल्ली सरकार करती भी है तो उसको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, मतलब कैबिनेट की सहमति चाहिए। इसके अलावा, संसद के पास केन्द्र शासित प्रदेश जीएनसीटीडी के लिए किसी भी मामले अर्थात तीनों सूचियों के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की समवर्ती शक्तियां प्रदत्त हैं।

इसके अलावा, अनुच्छेद 239एए(3)(सी) के दूसरे परन्तुक के तहत भले ही किसी भी संशोधन अधिनियम को सहमति दी गई है, संसद किसी भी समय एक ही समान मामले के संबंध में कोई भी कानून बना सकती है, जिसमें कानून में संशोधन करना, अलग-अलग करना, निरसन करना आदि सब शामिल है, जो संघ-राज्य की विधान सभा द्वारा बनाया गया हो।

मान्यवर, मैं एक नोटिंग पढ़ रहा हूं और कांग्रेस के मित्रों की जानकारी के लिए ये नोटिंग, जब वर्ष 2011 का यह कानून आया, तब देश के तत्कालीन गृह मंत्री और विद्वान, धाराशास्त्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा किया हुआ यह नोटिंग है। उनका भी इंटरप्रेटेशन यही कहता है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी दादा कह रहे थे कि अमित शाह जी सब जगह सरकार बनाना चाहते हैं, इनकी पार्टी सब जगह सरकार बनाना चाहती है।…(व्यवधान) पावर, मतलब जब सरकार बनेगी, तभी तो आएगा। वैसे कैसे पावर आएगी, पावर लोकतंत्र में सरकार चुन कर आएगी, तभी आएगा। मैं सभा गृह में कहना चाहता हूं कि हां,,हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हर जगह बने, इसीलिए चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्यों लड़ना? आप गोवा में क्यों गए, यह बताइए। आप त्रिपुरा क्यों जा रहे हैं, बताइए, भला। आपको भी अधिकार है, मैं ना नहीं बोलता हूं, आप भी जाइए। हर पार्टी को हर जगह अपनी आइडियोलॉजी, अपना स्टैंड, अपने कार्यक्रम, अपनी सरकारों के परफॉर्मेंस को लेकर जाना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसमें आपत्ति क्या होगी? हर जगह पर कोई पार्टी विचार करे कि हमारे लोग चुन कर आएं, हमारे कार्यक्रम के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेता की लोकप्रियता के आधार पर, लोकतंत्र में इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? आपत्ति उनको हो सकती है, जिनको सत्ता छिनने का डर है। लोकतंत्र के पुरोधाओं को नहीं हो सकती। मैं अभी भी कहता हूं कि दादा हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रमों के आधार पर, हमारी विचारधारा के आधार पर, हमारे नेतृत्व की लोकप्रियता के आधार पर और हमारी सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर, हम सब जगह चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना भी चाहते हैं। मगर दादा, हम सत्ता विपक्ष के कार्यकर्ताओं को मार कर हथियाना नहीं चाहते हैं, सीरीज ऑफ खून करके नहीं हथियाना चाहते, कार्यकर्ताओं की पत्नियों और बहनों पर बलात्कार करके हम सत्ता लेना नहीं चाहते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है, दादा। लोकतंत्र की सीख मेरी पार्टी को मत दीजिए। पहले अपनी पार्टी को लोकतांत्रिक करें, मुझे तो हंसी आ रही है, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, बाकी सारी पार्टियों का नाम लेना नहीं चाहता, जो अपनी पार्टी परिवार के आधार पर पार्टी चलाते हैं, कई सालों तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर सकते हैं, वे देश के लोकतंत्र की चिंता

करेंगे, पहले अपने कार्यालय में चुनाव करा लो, पहले अपनी पार्टी में चुनाव करा लो, देश की बात बाद में करना।

माननीय अध्यक्ष जी, एक विषय आया, विशेष अधिकारी की नियुक्ति। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि विशेष अधिकारी संक्रमण काल के लिए ही नियुक्त होता है, उसके बाद में चुनाव होता है और उसके बाद में चुनी हुई बॉडी आती है और यह विशेष अधिकारी का दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 490 2(b) में प्रोविजन पहले से है, कांग्रेस के समय में बनाई गई। जब आप उपयोग करेंगे, तो बहुत लोकतांत्रिक है और जब हम करेंगे, तो अरे!

लोकतंत्र का हनन हो गया। किस तरह से देश चलाना चाहते हो, भाई। क्या आत्मचिंतन करेंगे, अपने-आप को आईने में देखेंगे, देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। कौन धारा 490 2(b) लेकर आया? आज हम उपयोग कर रहे हैं। उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज फिर से कहना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दो-दो बार मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत, दो-तिहाई बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है।

एनडीए के साथी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। हमें सत्ता हथियाने का कोई शौक नहीं है, न ही हम चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती सुप्रिया जी ने कहा कि चुनाव के ऐन मौके पर यह विधेयक क्यों लेकर आए। सुप्रिया जी, ओबीसी सीटों के प्रॉविज़न का बदलाव महाराष्ट्र सरकार ने कब किया? महाराष्ट्र सरकार में कितने साल से एडमिनिस्ट्रेटर है? कितने कारपोरेशंस में एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं? वहाँ चुनाव क्यों नहीं होते हैं? यदि चुनाव कराना चाहते थे, तो पहले क्यों नहीं कराया? यह मैं भी पूछ सकता हूँ। मगर जब अपने-अपने राज्य में होता है, जैसे मेरे साथी सांसद निशिकांत जी ने कहा कि झारखण्ड में एक साल से एडमिनिस्ट्रेटर है।… (व्यवधान) लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए आप नहीं बोलोगे। तथ्यों को पारदर्शिता के साथ इस सदन में रखना चाहिए। इस सदन को पूरा देश देखता है।

श्री मनीष तिवारी जी अपनी बात कह रहे थे। मनीष जी, आपने नरसिम्हा राव जी का नाम लिया है, आप जरा ध्यान रखना आगे क्या होता है? … (व्यवधान) जरा सम्भलकर बोला करो यार, इतना भावुक होकर मत बोलो, हाई कमान भाषण सुनता है। आपने श्री नरसिम्हा राव जी का नाम दे दिया। बिट्टू भाई ने भी पंजाब की गलती को स्वीकार कर लिया। चलो अच्छा ही है, आपने देर-सबेर स्वीकार कर लिया।

दादा ने दिल्ली दंगों के बारे में कहा। हमने कहा था कि सबको जेल में डालेंगे। दादा, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है। मैं सदन में रेकॉर्ड क्लियर करना चाहता हूँ कि दिल्ली में अब 2473 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, 409 लोग चार्जशीट हो गए हैं और सिर्फ 83 लोगों की बेल हुई है। दो साल हो गए दादा, अभी तक सभी जेल में ही हैं। यह बंगाल नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो भी कानून तोड़ेगा, उनको सजा मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आया। मेरा भाषण सदन के रेकॉर्ड पर है। इसे कोई भी उठाकर देख सकता है, फिर से सुन सकता है। यह यूट्यूब पर भी है, इसे आप भी उपलब्ध करा सकते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होंगे और तब हम पूर्ण राज्य का स्टेटस वापस देंगे। पंचायत के चुनाव हो चुके हैं। बिना किसी हिंसा के जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। डीलिमिटेशन समाप्त होने के कगार पर है। मैं फिर से सदन में कहता हूँ कि डीलिमिटेशन के बाद हम सभी दलों से चर्चा करके तुरंत चुनाव कराएंगे। हमें राष्ट्रपति शासन लाने का कोई शौक नहीं है।

एक रेफरेंस आया कि यहाँ कैंटोनमेंट बोर्ड भी है, एनडीएमसी भी यहाँ है। आपने कहा कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, संसद भवन आदि एनडीएमसी में आते हैं। मुझे मालूम नहीं था वरना मैं थोड़ा डिटेल में बताता। मेरा कहने का उद्देश्य यही था कि राजधानी का जो माहौल बनता है, वह सिर्फ एनडीएमसी से नहीं बनता है। कैंटोनमेंट बोर्ड हम नहीं मिला सकते हैं। गौरव जी कह

रहे थे, लेकिन वे अभी नहीं हैं। देशभर में कैंटोनमेंट बोर्ड अलग ही है। यह कोई दिल्ली की व्यवस्था नहीं है। देशभर में यह अलग है। कुछ कारणों से यह अलग रहना भी चाहिए। अगर इस पर पुनर्विचार होगा और इस पर कानून बदला जाएगा, तो यहाँ का भी होगा।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : उसमें चुनाव होता है।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : हाँ, होता ही है। अभी वहाँ पर चुनी हुई बॉडी है।

चुनाव हो, इसमें कोई आपत्ति ही नहीं है। ढेर सारी कमेटीज के रिपोर्ट्स को यहाँ पर रखा गया। मैं इतना ही कहता हूँ कि जब-जब कमेटीज के रिपोर्ट्स आए। हर सरकार ने इस पर चर्चा की, इनकी फाइलें भी उपलब्ध हैं। चर्चा के बाद, ये सारे प्रश्न, जो अभी उपस्थित हुए थे, इन प्रश्नों को नज़र में रखते हुए ही निर्णय लिए गए। कमेटी की रिपोर्ट में सिर्फ तीन निगम बनाना नहीं था, इसके साथ ढेर सारी चीजें थीं। रेवेन्यू शेयरिंग का फार्मूला था, कुछ एक्सट्रा अधिकार देने की बात थी। इन सारी बातों पर, अगर एक साथ कोई पैकेज होता है, तो मैं भी मानता हूँ, ये तीन निगम आज भी वायएबल हो सकते हैं।

जैसे एक रिपोर्ट में है, पहले सेल्स टैक्स था, जीएसटी शेयरिंग की बात है। यह किए बगैर हम कैसे निगम चलाएंगे? नहीं चल सकता, करके देख लिया, दस सालों तक देखा है। जिन लोगों ने कहा कि पहले क्यों डीलिमिटेशन नहीं किया? तीन सांसदों ने यह कहा। मैं उनको बताता हूं कि एकीकरण करने से पहले डीलिमिटेशन हो ही नहीं सकता, नया यूनिट बनता है, उसके बाद सीटों का बंटवारा होता है, वॉर्डों का बंटवारा होता है। डीलिमिटेशन करेंगे तो किस अधिकार के तहत करेंगे क्योंकि निगम तो तीनों अलग हैं? जब तीनों निगम एक होंगे, एक निगम होगा, उसके बाद ही डीलिमिटेशन हो सकता है। इतनी सारी चीजों पर इतनी शंका करने की क्या जरूरत है?

देश के बहुत बड़े हिस्से पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, बहुत बड़े हिस्से पर है। दिल्ली की दो करोड़ की आबादी के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वहां पर भी हमारे ही निगम जाएंगे, 'आप' पार्टी के नहीं जाएंगे। हमारे निगम की जब तिथि समाप्त हो जाएगी, तब हमारे निगम चले जाएंगे, हमारे काउंसलर घर पर बैठेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, स्पेशल ऑफिसर आएगा।

सीटों का सवाल उठाया गया। दादा कह रहे थे कि 250 सीटें बहुत ज्यादा हैं। दादा, मैं तो 272 सीटों से 250 सीटें कर रहा हूं, 250 सीटें बढ़ाई नहीं हैं। … (व्यवधान) जो सीटें ज्यादा थीं, उनको कम किया है। … (व्यवधान) पहले यह समझिए कि सीटें कम की हैं। आप बिलकुल समझे ही नहीं हैं। … (व्यवधान)

मुंबई के अंदर वॉर्डों की संख्या 227 है। … (व्यवधान) वहां दो करोड़ की आबादी है। यहां की आबादी के अनुसार हमने 250 सीटें की हैं। क्या ज्यादा कर लिया है? थोड़ी आबादी मुंबई से ज्यादा ही है। आपके यहां भी 227 वॉर्ड हैं। सीटों की संख्या पर भी शंका कर रहे हैं, कहते हैं कि सीटों का आंकड़ा कहां से लाए? चलो भाई, मैं मान लेता हूं कि कहां से लाए? मैं बताता हूं कि कहां से लाया? मगर वर्ष 2011 में 272 कहां से लाए? क्या ज्योतिषि को पूछकर लाए थे? … (व्यवधान) वह ऐसे ही एक्ट में आया था। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आप नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, इस हिसाब से बना रहे हैं क्योंकि सांसदों की संख्या बढ़ेगी। … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : अरे भैया! मैं बैठने की बात नहीं कर रहा हूं। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : बात तो एक ही होती है न? … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : नहीं, एक बात नहीं होती है। मैं चुने हुए प्रतिनिधियों की … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : जब आबादी बढ़ती है, तो सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, मतलब वॉर्ड भी बढ़ेंगे। … (व्यवधान) दूसरा, बात करते हैं कि ज्यादा होना चाहिए … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : अधीर रंजन जी, दो मिनट के लिए बैठिए। … (व्यवधान) मैं आपको और ज्यादा समझाता हूं, जिससे आप समझ पाएं। … (व्यवधान)

मैं कह रहा हूं कि विपक्ष के कुछ मित्रों ने सवाल उठाया कि 250 की संख्या कैसे तय की? मेरा इतना ही पूछना है कि 272 की संख्या कैसे तय की थी? … (व्यवधान) मैं इतनी ही बात करता हूं। … (व्यवधान) भाई, वह ठीक है, मगर तीन में भी उस वक्त 272 सदस्य नहीं थे। … (व्यवधान) उस वक्त 272 नहीं थे, लेकिन यह आंकड़ा कैसे आया? ऐसे ही अनुमान से आता है।

कोई आंकड़ा तो रखना पड़ेगा, परंतु हमने ऐसा किया है कि एक आइडियल एक्ट भेजा गया है, उसमें 225 की संख्या है, अगर दो करोड़ से नीचे की आबादी है। यहां दो करोड़ से ज्यादा ही है, इसलिए हमने 250 की संख्या ली है। … (व्यवधान) मैं आपको जस्टिफिकेशन बता देता हूं। … (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई जी ने कहा कि दिल्ली में कितनी दुर्दशा है, ये है, वो है। स्पेशियली उन्होंने यहां पर कोरोना का जिक्र किया कि दिल्ली में कोरोना था, तो क्या हुआ, यह हुआ, वह हुआ। मुझे मालूम नहीं है कि गोगोई साहब उस वक्त कहां रहते थे? यहां थे या असम में थे, अपने क्षेत्र में थे या दिल्ली में रहते थे? उनको मालूम नहीं है कि मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है, इसकी पूरी दुनिया भूरी-भूरी प्रशंसा करती है। … (व्यवधान)130 करोड़ की आबादी को टीका लगाना, सबको अपने मोबाइल पर इसका सर्टिफिकेट मिल जाना, दो टीका लगने के बाद कंप्लीट वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाना।

9 दिनों के अंदर आक्सीजन के उत्पादन को 12 गुना बढ़ाना, दुनिया भर से क्रायोजेनिक टैंकर्स लाकर हवाई जहाज और स्पेशियल ट्रेन से देश के हर कोने में भेजना और लाखों लोगों की जान बचाना… (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। मैं अधीर रंजन जी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने भी, क्योंकि मैं ही विडियो कांफ्रेंसिंग कंडक्ट करता था, हर मुख्य मंत्री ने, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, मोदी जी का धन्यवाद दिया और मोदी जी ने भी हर मुख्य मंत्री को धन्यवाद दिया।… (व्यवधान) दानिश जी, डर आपके जहन में हो सकता है, सबके जहन में नहीं हो सकता है। सबको डर नहीं होता है। म्युचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है और राजनीतिक विरोधियों के प्रयासों को भी सराहने की स्पीरिट होती है। इस स्पीरिट के तहत प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख्य मंत्रियों को धन्यवाद दिया है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक बहुत अच्छे माहौल में काम किया है और गौरव जी कह रहे थे कि 'आप' पार्टी को काम नहीं करने दिया। गौरव भाई आपको मालूम नहीं है, मुख्य मंत्री जी ने मेरे साथ आने से मना कर दिया था। मैं लोक नायक जयप्रकाश

अस्पताल गया था, वहां लाशों के ढेर लगे थे।... (व्यवधान) उन्होंने 'आप' पार्टी का नाम लिया है।... (व्यवधान) मैं लिखता हूं और देख कर बोल रहा हूं।... (व्यवधान) दिल्ली में 'आप' पार्टी की सरकार है।... (व्यवधान) अधीर रंजन जी, आप बैठ जाएं, यह बात रजिस्टर्ड हो गई है। लाशों के ढेर लगे थे और अंतिम संस्कार नहीं होते थे। वैक्सीनेशन का फार्मूला नहीं था। अस्पतालों के रेट तय नहीं किए गए थे। यह सारा काम मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किया, क्योंकि हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते थे। हमने कहीं पर जिक्र नहीं किया लेकिन जब यहां कहा गया तो मुझे बोलना पड़ा। गृह का रिकार्ड सालों साल रहता है और अजर अमर होता है, आने वाली पीढ़ियां इसे पढ़ती हैं, इसलिए मैंने यहां बोला। इतने सारे चुनावी भाषणों में, प्रेस इंटरव्यू में मैंने आज तक जिक्र नहीं किया लेकिन यहां मुझे इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि इसका एक रिकार्ड बनता है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमें कहा गया कि चुनाव से डर कर हम यह बिल लेकर आए हैं। हम चुनाव से नहीं डरे हैं।... (व्यवधान) आप सुनिए, अधीर रंजन जी ने भी कहा।... (व्यवधान) मैं आपको नहीं कह रहा हूं। चुनाव से डरने का स्वभाव हमारा नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है।... (व्यवधान) इसी को स्पष्ट कर रहा हूं। चुनाव से डरकर कैसे काम होता है, मैं वह बताता हूं। इंदिरा जी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद रातों रात जिस प्रधान मंत्री को इस सदन में वोट देने का अधिकार नहीं था, उस प्रधान मंत्री ने देश भर के सारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर इमरजेंसी लगाई, इसे डर कहते हैं। लोक सभा की मियाद एक साल बढ़ा दी, इसे डर कहते हैं।... (व्यवधान) आप सुनिए, सुनिए।... (व्यवधान) इमरजेंसी डरकर लाई गई थी। सारी लोकतांत्रिक पार्टियों के नेताओं को, लाखों लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया था।

सारे अखबारों के एडिटोरियल यहाँ से तय होते थे। आकाशवाणी पर एक प्रसिद्ध गायक की आवाज को बैन कर दिया गया था।... (व्यवधान) डूएट गाने भी सिंगल आवाज में आते थे।... (व्यवधान) इसको डर कहते हैं। और क्या होगा? मैं बताता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव के डर

से यह टाला गया है, वे डरते हैं। 6 महीने बाद चुनाव होगा, क्यूँ डर है भाई, जनता ही करेगी। अगर जीतने का विश्वास है तो अभी क्यों चुनाव चाहिए? … (व्यवधान) क्यूँ किया, इसका जवाब मैं बाद में देता हूँ? अगर जीतने का विश्वास है तो क्यों अभी ही चुनाव चाहिए? अच्छे काम किये हैं तो 6 महीने बाद भी चुनाव जीत सकते हो। डर इसको कहते हैं कि अभी चुनाव करा लो, आनन-फानन में जीत जाएंगे।

महोदय, मैं कहने आया हूँ कि अगर किसी को डरना है तो किसको डरना है? ये पाँच राज्यों के चुनाव का हवाला देकर कहते हैं कि परिणामों से भारतीय जनता पार्टी डर गई है और आप पार्टी से डर गई है। उत्तर प्रदेश में आप पार्टी 349 सीटों पर चुनाव लड़ी, सभी पर जमानत जब्त।… (व्यवधान) उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 68 सीटों पर जमानत जब्त हुई।… (व्यवधान) गोवा में 39 सीटों पर चुनाव लड़ी, 35 सीटों पर जमानत जब्त। पंजाब में अच्छा परफॉर्म किया, मणिपुर गये नहीं। हम किससे डरे भई! मैंने सुना था।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप संविधान को नहीं मानते हैं।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आपका भी बताता हूँ।… (व्यवधान) बैठो-बैठो।… (व्यवधान) कांग्रेस का भी बताता हूँ।… (व्यवधान) इस विषय पर भी मैं आता हूँ।… (व्यवधान)

आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी के काफी सांसद बोले कि डर रहे हैं। हम क्यूँ डरें? हमारे लिए डरने जैसे परिणाम ही नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी 575 सीटों पर चुनाव लड़ी, 475 सीटों पर जमानत जब्त।… (व्यवधान) अब डरना किसको है? … (व्यवधान) डरना किसको है? … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप संविधान को नहीं मानते हैं, इसलिए ऐसा कहा है।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : महोदय, भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को डरने की जरूरत नहीं है। हमने चार राज्यों में सरकार बनाई है और हमें पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पर भी चुनाव आएगा, हम निश्चित जीतकर आएंगे। हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम तो जब दो थे, तब भी नहीं डरे, अब तो 302 हैं। यहाँ से उस वक्त तंज कसे जाते थे, मैं नेता का नाम नहीं बोलूँगा, वरना पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाएंगे, मगर तंज कसे जाते

थे कि हम दो हमारे दो, उस पार्टी का आज विपक्ष के नेता का स्टेटस भी नहीं बचा है। हम नहीं डरते हैं। चुनाव से डरना क्या? हार-जीत होती रहती है,… (व्यवधान) जनता का फैसला है। हममें स्प्रिट है।… (व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): You had only two Members of Parliament in 1984. *....(Interruptions)*

श्री अमित शाह : मैंने यही कहा है।… (व्यवधान) मिस्टर सुरेश, आप ट्रांसलेशन मोड पर रखिए।… (व्यवधान) आप ट्रांसलेशन मोड पर रखिए।… (व्यवधान) मैंने यही कहा है कि हम दो थे, तब भी नहीं डरते थे, अब 302 हैं तो क्यूँ डरें?

न अहंकार की बात है, न गम का विषय है। जनता का फैसला लोकतंत्र में सबको स्वीकारना चाहिए और यह स्पिरिट भी। इसमें डर का कोई सवाल नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिल क्यों लेकर आया, इसके बारे में सवाल बार-बार पूछा गया। मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं। एक निगम को तीन निगमों में बांटने के बाद, शायद बहुत अच्छे स्पिरिट से किया गया होगा, उस वक्त दोनों सरकारें एक ही पार्टी की थीं, मगर उसके बाद यहां शासन बदला। दिल्ली के 5वें वित्त आयोग ने तीन नगर निगमों को 40 हजार 561 करोड़ रुपये, दादा सुनिये, 40 हजार 561 करोड़ रुपये दिल्ली के 5वें वित्त आयोग ने देने के लिए अनुशंसा की थी। दिल्ली सरकार ने 7 हजार करोड़ रुपये से कम दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं। वित्त आयोग की सिफारिश थी कि तीनों नगर निगमों को 40 हजार 561 करोड़ रुपये आबादी के प्रो रेटा बेसिस पर दिया जाए, सिविक सर्विस अपग्रेडेशन के लिए।… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: स्टेट फाइनेंस कमीशन ने कहा या सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मैं दिल्ली के वित्त आयोग की बात कर रहा हूं, उसमें 20 हजार करोड़ रुपये से कम दिया। अब कहते हैं कि निगम नहीं चलते हैं। हमारे सांसदों ने बताया, फिर भी निगम ने उनसे ज्यादा अच्छा काम किया है। अस्पताल भी ज्यादा बनाए, स्कूल्स भी ज्यादा बनाए। मगर यह घाटा कैसे भरा जाए? मैं यह बात बताना चाहता हूं कि इतने निगम बनने के बाद आज जो घाटा है,

वह 16 हजार करोड़ रुपये का है और 20 हजार करोड़ रुपये नहीं दिए गए। अगर यह 20 हजार करोड़ रुपये दे देते तो 16 हजार करोड़ रुपये का घाटा भी न होता और 4 हजार करोड़ रुपये सरप्लस होते और लोगों के काम होते। यह किसकी जिम्मेदारी है? इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति से ऊपर उठ कर इसके बारे में सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। 40 हजार करोड़ रुपये के सामने 20 हजार करोड़ रुपये से कम दिए, 33 हजार करोड़ रुपये कम दिए, फिर भी नगर निगम के तीनों मेयरों को मैं शाबाशी देना चाहता हूं कि सिर्फ 16 हजार करोड़ रुपये का घाटा है। अगर पूरा पैसा दे देते और 20 हजार करोड़ रुपये में से 16 हजार करोड़ रुपये निकाल दें तो 4 हजार करोड़ रुपये दिल्ली की जनता के सुख कार्य के लिए हमें और मिल जाते। इसके बाद भी इसकी डिटेल में जानने जैसा कुछ है? पांचवें वित्त आयोग की सिफारिश की बात छोड़िए। इसके बाद राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को महत्वपूर्ण अनुशंसाएं, जो नगर निगमों ने करके भेजी, उसमें ऋण माफी, शिक्षा क्षेत्र में व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति, स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण, जो दादा कह रहे थे सीवरेज का, बकाया ऋणों पर ब्याज दर को दिल्ली सरकार कम करे, एक भी सिफारिश नहीं मानी। एक पैसा ज्यादा नहीं दिया। धन की कमी की वजह से निगमों ने अपने राजस्व को ठीक करने के लिए कई दरख्वास्तें दिल्ली सरकार को भेजीं।

परन्तु इसको या तो अस्वीकार कर दिया गया या तो लंबित कर दिया गया। आज तक एक का भी जवाब नहीं दिया है। उसमें से कुछ मैं यहां पर कहना चाहता हूं। जैसे व्यावसायिक कर के संबंध में मार्च, 2020 में एक दरख्वास्त भेजी। आज हम मार्च, 2022 में हैं, मालूम नहीं है कि यह कहां है? पंजाब से शायद आ गए हैं, अब करें तो करें। इसी प्रकार से एकबारगी पार्किंग प्रभारों को बढ़ाने के लिए दरख्वास्त भेजी, उसका कोई जवाब नहीं दिया और रिजेक्ट कर दिया। एसडीएमसी ने केस स्थानांतरण शुल्क के संशोधन के लिए भी प्रस्ताव भेजा, आज तक लंबित है। विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वन के लिए, बॉन्ड लेने के लिए, जिसके लिए आरबीआई की परमिशन थी तथा वित्तीय समावेशन के हिसाब से परमिटेड मात्रा में ऋण करने की परमिशन थी। हमने बॉन्ड लेने के लिए दिल्ली सरकार की परमिशन मांगी, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया।

अनुमोदित बजट जो राज्य सरकार का होता है, उसमें भी कटौती कर दी । माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं यह कहना चाहता हूँ कि नगर निगम कैसे चलेंगे, किस प्रकार से चलेंगे? क्या चाहते हैं कि दिल्ली की जनता त्राहिमाम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाए? जो ऐसा सोचते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि सत्य को कभी कोई ढक कर नहीं रख सकता है। … (व्यवधान) हजारों सूर्य की तरह उदयमान हो कर बाहर आता है। … (व्यवधान) झूठ लंबा नहीं चलता है, झूठ के पैर नहीं होते हैं। झूठ टिक नहीं पाएगा। हमारी आज चर्चा हुई है। हमारे सांसदों ने जो कहा है, जो मैं कह रहा हूँ, क्या दिल्ली के वासी नहीं सुनते होंगे? हिसाब नहीं मांगेगे? मैं समझ सकता हूँ कि दिल्ली सरकार के पास कमी हो सकती है, लेकिन 20 हजार करोड़ रुपये की कमी? तो फिर ये एडवर्टाइज़मेंट के पैसे कहां से आते हैं? अपने कार्यकर्त्ताओं की इतनी सारी नियुक्तियां असंवैधानिक तरीके से कहां से होती हैं? अगर राजनीति ही करनी है तो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को हम नहीं तोड़ रहे हैं। जो तोड़ रहे हैं, वे आपके साथ बैठे हैं। किस फेडरल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन इसको जस्टिफाई करेगी कि आप नगर निगम का आर्थिक रूप से गला ही घोंट दोगे? इस तरह से कोई सहन नहीं कर सकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि डेफिसिट इसलिए है कि हमें संसाधन बढ़ाने से भी रोका गया, हमारे अधिकार के संसाधन भी नहीं दिए।

मान्यवर दादा ने कहा कि सब अच्छा चल रहा है तो फिर क्यों इकट्ठा कर रहे हो? दादा, और अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। … (व्यवधान) अच्छा करने का संतोष नहीं होना चाहिए। अच्छा ही चल रहा है। हमारे सांसदों ने जो कहा है, एक-एक चीज़ रेकॉर्ड पर है। परंतु इससे भी अच्छा हो सकता है, इसलिए यह हम करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, एकीकृत नगर निगम करने से तीन मेयरों की जगह एक मेयर होगा। 75 समितियों की जगह 25 समितियां होंगी । तीन म्युनिसिपल कमिशनर्स की जगह एक म्युनिसिपल कमिश्नर होगा। तीन मुख्यालयों की जगह एक मुख्यालय होगा। निर्णयों में समानता रहेगी, एकरूपता रहेगी। एक ही शहर में दो प्रकार के कर के स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे। वित्तीय स्थिति भी अच्छी रहेगी। लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपये का खर्च सालाना कम होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार मूकदर्शक बन कर नहीं रह सकती है। दिल्ली देश की राजधानी है। देश की राजधानी की नगर निगम से, यहां की सिविक सेवाओं के कारण पूरे विश्व भर में, देश की छवि बनती है। अगर इतनी ओछी राजनीति दिल्ली राजधानी क्षेत्र के अंदर हो रही है तो हमें इंटरवीन करना ही चाहिए। न करते तो गलत था, इसलिए किया है और उचित समय पर किया है। क्योंकि पांच साल निगम के थे, समय समाप्त होगा, तब तो एकीकरण करेंगे। चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार कैसे ले लेंगे? नहीं ले सकते हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि राज्यों के चुनावों के परिणामों के बाद यह किया जा रहा है। तीन महीने पहले इसलिए नहीं किया था तब आप कहते कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए किया है। आप पार्टी को दबाने के लिए किया है। हमने चुनाव की राह देखी। अब इसमें भी आपको अच्छा नहीं लगा। हम क्या कर सकते हैं? मैं अभी भी कहना चाहता हूँ सारे सांसद बहुत स्टडीड सांसद हैं, सबको कहना चाहता हूँ कि जब भी बिल पर आपके मन में कोई शंका है तो मैं दूर करूंगा। अधीर रंजन जी ने कहा कि हमें शंका है। अधीर रंजन जी एक फोन उठा कर मेरे साथ बात कर लेते तो मैं शंका का निरासन कर देता। इतने बड़े फ्लोर पर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप मुझे फोन कर लेते? … (व्यवधान) मैंने टाइम का ही जस्टिफिकेशन दिया है। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: चुनावों के एक महीने पहले ही क्यों आपको याद आया? … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : अरे भई! वह प्रेस कॉन्फ्रेस ही यह घोषणा करने की थी। … (व्यवधान) आप उसको चुनाव की समझ बैठे। वह प्रेस कॉन्फ्रेस ही यह घोषणा करने की थी। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप … * करने में माहिर हैं, यह सब जानते हैं। … (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सर, यह शब्द गलत है। उनको वापस लेने के लिए कहिए। गृह मंत्री को कहते हैं कि … * करने में माहिर हैं। … (व्यवधान)

---

* Not recorded

20.00 hrs

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, ये जो बोलते हैं, यह न तो रिकॉर्ड में जाता है, न टीवी में जाता है। आप बोलकर इसे टीवी में ला देते हैं।

... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं बताना चाहता हूं कि इस बिल को हम दिल्ली नगर निगम की सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त करने के उद्देश्य से लाए हैं, ढाँचागत सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए लाए हैं, नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाए हैं, नगर निगमों को स्वावलम्बी बनाने के लिए लाए हैं। जब चुनाव समाप्त हो जाए, जो भी पार्टी जीत कर आए, वह आत्मसम्मान के साथ दिल्लीजनों की सेवा कर ले, इसलिए हम इस बिल को लेकर आए हैं।

अत: मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठकर इस बिल को सर्वानुमति से आप लोग सहयोग दीजिए, ऐसा मेरा आपसे विशेष निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 66 of 1957

माननीय अध्यक्ष: श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move :

Page 2, omit lines 12 to 14. (9)

Sir, I did not get the opportunity to speak on the Bill. The hon. Minister has replied in detail, and the constitutional propriety and legislative competence of the Bill was also explained.

I would like to seek one simple clarification. You have talked about articles 239 and 246, and I would like to draw your attention to article 243 Z(b). After Part IXA of the Constitution, there is a clear provision by which the Government of India or the Parliament is having the legislative authority to legislate on issues of the Union Territory. But there is a proviso that His Excellency, the President, has to give exemptions or modifications of this Part IXA.

I would like to know this from the hon. Home Minister. Has the President given any exemption or modification of Part IXA of the Constitution, which is applicable to the Union Territory of Delhi? This point has not been explained in your reply. This is a Constitutional competency so that this can be legislated by the Parliament. I am seeking this clarification. The hon. Minister is ready to respond to it. This is an academic question.

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

'कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 5 Amendment of Section 2

माननीय अध्यक्ष: प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 1, 3 और 6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move :

Page 2, *omit* lines 31 and 32. (1)

Page 2, *for* lines 35 to 38,-

substitute "(5) The total number of seats of councillors including fifty per cent of seats reserved for the women and the Schedule Castes in the Corporation, shall, at the time of establishment of Corporation, be as determined by the Government of National Capital Territory of Delhi". (3)

Page 3, line 5,-

after “Scheduled Castes”

insert “and women”. (6)

जहां पर यह बोला गया कि for the word ‘Government’, ‘Central Government’ shall be substituted. मैं चाहता हूं कि इसे निलम्बित कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1, 3 और 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री अब्दुल खालेक, क्या आप संशोधन संख्या 2 और 5 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ABDUL KHALEQUE (BARPETA): Sir, I beg to move :

Page 2, *omit* lines 33 to 47. (2)

Page 3, *omit* lines 1 to 7. (5)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री अब्दुल खालेक द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 और 5 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, मैंने एक छोटा-सा क्लैरिफिकेशन मांगा है।

सर, बात यह है कि इसमें 272 से घटाकर 250 किया गया, यह डिलिमिटेशन की सुविधा के लिए किया गया। मेरा सवाल यह है कि कब तक यह डिलिमिटेशन खत्म होगा और चुनाव कराए जाएंगे।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: -

पृष्ठ 3, पंक्ति 7,-

" दो सौ पचास" *के स्थान पर*

"तीन सौ पचास" *प्रतिस्थापित करें ।* (4)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 से 15 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 2, line 27,-

for "Central Government"

Substitute "Government of National Capital Territory of Delhi."

(10)

Page 2, *omit* lines 31 and 32 (11)

Page 2, *omit* lines 35 and 38 (12)

Page 2, line 41 and 42-

for "Central Government"

Substitute "Government of National Capital Territory of Delhi."

(13)

Page 3, line 1,-

for "Central Government"

Substitute "Government of National Capital Territory of Delhi."

(14)

Page 3, *omit* lines 5 to 7. (15)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 5 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 से 15 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 Substitution of New Section for Section 90A

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN(KOLLAM) : Sir, this is regarding the issues of employees. When the consolidation of trifurcation becomes unification, a proviso is to be added that the tenure, remuneration and terms and conditions of service of officers and employees shall not be altered to their disadvantage

because employees' interests have to be protected. This is the proviso to be added, which I am proposing and I am moving the same.

Sir, I beg to move:

Page 3, *after* line 18,-

insert "Provided that the tenure, remuneration and terms and conditions of service of officers and employees shall not be altered to his disadvantage.". (16)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 7 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 16 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 13 Subsitution of New Section 514A and 514AA for Section 514A

माननीय अध्यक्ष: श्री अधीर रंजन चौधरी जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY(BAHARAMPUR): I beg to move:

Page 4, line 3,-

after "the Central Government"

insert "in consultation with the leader of Opposition in the house of the People or where there is no such leader of opposition, the leader of the single largest opposition party in the house and the Chief Minister of the National Capital Territory of Delhi". (7)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी जी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 7 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री अब्दुल खालेक – उपस्थित नहीं

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप क्या आप संशोधन संख्या 17 से 19 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

Page 4, line 3,-

for "Central Government"

Substitute "Government of National Capital Territory of Delhi."

(17)

Page 4, line 4,-

after "appoint a person"

insert "for a period not exceeding sixty days.". (18)

Page 4, *after* line 7,-

insert "Provided that the first meeting of the Corporation shall be held within a period of sixty days.". (19)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी द्वारा खंड 13 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 17 से 19 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 14 Power to remove difficulties

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN(KOLLAM): Sir, I am not moving. There is no use of moving.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

"खंड 1, अधिनियमन सूत्र विधेयक का पूरा और नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।"

माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही, गुरूवार, 31 मार्च, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>20.08 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, March 31, 2022/Chaitra 10, 1944 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjourn of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)